NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 15, अंक 19

बुधवार, 21 मार्च, 2001
30 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 51
Date 18/12/01

(खण्ड 15 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सभ्भ
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 19, बुधवार, 21 मार्च, 2001/30 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 360	2-35
अतारांकित प्रश्न संख्या 3513 से 3742	35-357
सभा पटल पर रखे गए पत्र	357
लोक लेखा समिति	
विवरण	361
*शेषाधिकार समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	361
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
छठा प्रतिवेदन .	361
रचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन	361
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	362
याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण	362
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
वर्ष 2001 के मौसम हेतु खोपरा के लिए मूल्य नीति	
श्री संतोष कुमार गंगवार .	363
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) कर्नाटक राज्य में नारियल की फसल को प्रभावित करने वाले "एरियोफायड" नामक कीट को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा.	363
(दो) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी .	364
(तीन) उत्तर प्रदेश में जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	364

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(चार)	राजस्थान के करोली जिले में रहूघाट पन बिजली परियोजना का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता श्रीमती जस कौर मीणा. . .	365
(पांच)	मुम्बई में रेलवे स्टेशनों पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता श्री किरीट सोमैया . . .	365
(छह)	भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता श्री सुरेश चन्देल. . .	365
(सात)	पृथक विदर्भ राज्य बनाए जाने की आवश्यकता श्री विलास मुत्तेमवार .	366
(आठ)	संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल किए जाने की आवश्यकता राजकुमारी रत्ना सिंह	366
(नौ)	बिहार में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता श्री राजो सिंह	367
(दस)	राजस्थान में लूनी-मूनाबाव रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	367
(ग्यारह)	पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में गंगा कार्य योजना चरण-दो को लागू किए जाने की आवश्यकता श्री सुनील खां .	368
(बारह)	इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर बैंक में पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के सप्तम निजाम की जमा धनराशि को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए की आवश्यकता डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी. . .	368
(तेरह)	उत्तर प्रदेश की तहसील निघासन, खीरी में नेपाल की सीमा से लगी हुई वन-भूमि को अतिक्रमण से बचाने की आवश्यकता श्री रवि प्रकाश वर्मा	369
(चौदह)	तूफान पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री प्रभात सामन्तराय	369
(पन्द्रह)	बिहार में मानसी और फॉरबिसगंज के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता श्री दिनेश चन्द्र यादव .	370

लोक सभा

बुधवार, 21 मार्च, 2001/30 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(इस समय श्रीमती संतोष चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 341, प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदस्यों को प्रश्न क्यों नहीं पूछने दे रहे हैं। प्रश्न काल लोक महत्व का समय होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप शोरगुल ही मचाना चाहते हैं तो प्रश्न काल के बाद मचायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, क्वश्चन ऑवर के बाद।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप इसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये आप क्यों खड़े हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां तक कि सभा के महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने में भी किसी की अभिरुचि नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। यदि कोई बात कही जानी है तो उसे अभी नहीं बल्कि प्रश्न काल के बाद कहा जा सकता है।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर

*341. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दर में कमी का सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, संबंधित अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के बारे में सूचना पर आधारित सकल देशीय उत्पाद के अनुमान संकलित करता है और समय-समय पर उन्हें जारी करता है। के.सा.सं. पहले फरवरी माह में सकल देशीय उत्पाद के अग्रिम अनुमान प्रकाशित करता है जिन्हें जून माह में संशोधित किया जाता है और आगे विद्यमान तंत्र के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के बारे में उपलब्ध संशोधित तथा ठोस आंकड़ों को सम्मिलित करके, बाद के वर्षों में जनवरी माह में संशोधित किया जाता है। वर्ष 1999-2000 के लिए जून, 2000 और जनवरी, 2001 में जारी की गई क्षेत्र विशेष और समग्र स्तर पर अनुमानित सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि दरें नीचे दर्शायी गई हैं। यद्यपि समग्र स्तर पर सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि पर संशोधन के बावजूद समान रही है, क्षेत्र स्तर पर इसमें किसी न किसी दिशा में परिवर्तन आया है। कृषि, विनिर्माणकारी, विद्युत, निर्माण, वित्तीय सेवाओं के मामले में अधोगामी संशोधन है जबकि खनन, व्यापार, होटल, परिवहन और सामुदायिक सेवाओं के मामले में उद्योगामी संशोधन है।

वर्ष 1999-2000 के लिए आर्थिक कार्यकलाप के अनुसार सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि के अनुमान (1993-1994) मूल्यों पर

क्रम सं०	आर्थिक कार्यकलाप	संशोधित अग्रिम (30.6.2000 को जारी)	तीव्र अनुमान (31.1.2001 को जारी)
1.	कृषि और वानिकी और मत्स्यन	1.3	0.7
2.	खनन और उत्खनन	0.3	1.7
3.	विनिर्माणकारी	8.5	6.8
4.	विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	7.4	5.2
5.	निर्माण	9.1	8.1
6.	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	6.7	8.0
7.	वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यापार सेवाएं	10.6	10.1
8.	सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	10.0	11.8
	कारक लागत पर सकल देशीय उत्पादन	6.4	6.4

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाना

*342. **श्री के० येरननायडू :**
श्री पदमसेन चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रत्येक दस गांवों में से केवल एक में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित चिकित्सक और दवाइयों का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या 80% रोगों का निदान तो सिर्फ इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने से हो सकता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रणाली में संरचनात्मक सुधार लाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) औसतन 22 गांवों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। यह आंकड़ा प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। केरल में यह 1.44 है तो अरुणाचल प्रदेश में 81 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा कवर दिए जा रहे गांवों की औसत संख्या की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों और दवाइयों की कमी है।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोगों को उनके घरों के पास एकीकृत संवर्धनात्मक, निवारक उपचारात्मक और पुन: स्थापन सेवाएं उपयुक्त खर्च पर प्रदान करते हैं जिसे देश और लोग वहन कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने से संचारी रोगों की घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और आम बीमारियों के इलाज और उपचार में सुधार हो सकेगा। तथापि, अधिक जटिल रोगों के उपचार के लिए रोगियों को मध्यम और तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं अर्थात् प्रथम रेफरल यूनिटों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज से संबद्ध अस्पतालों में भेजा जाना जारी रहेगा।

(ङ) और (च) सरकार का निम्नलिखित तरीकों से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करके प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाने का प्रस्ताव है :-

- औषधों और उपस्करों की आपूर्ति को सुदृढ़ करना।
- आवश्यक कर्मचारियों की संविदात्मक नियुक्ति करना।
- अनिवार्य प्रसूति परिचर्या को सुदृढ़ करना।
- आपाती प्रसूति परिचर्या को सुदृढ़ करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटों प्रसव सेवाओं को सुदृढ़ करना।
- पंचायतों के माध्यम से निर्धन परिवारों को रेफरल परिवहन।
- पारम्परिक दाइयों को प्रशिक्षण।
- टीकाकरण के लिए विस्तार सेवाएं।
- जिलों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना।
- आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बड़े और छोटे सिविल निर्माण कार्य।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ की गई प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है।
- बहुत-सी बाह्य सहायता-प्राप्त क्षेत्र परियोजनाओं के द्वारा निर्माण कार्यों और चिकित्सा और पराचिकित्सा कार्मिकों

के प्रशिक्षण/कार्य कौशल उन्नयन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया है।

– जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को उन्नत किया जाना है और उनका आधुनिकीकरण किया जाना है जिसे कुछ राज्यों में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के रोगियों को रेफरल परिचर्या प्रदान की जा सके।

विवरण

एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कवर किए गए गांवों की औसत संख्या 30.6.1999 को

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	प्रा०स्वा०के० द्वारा कवर किए गए गांवों की औसत संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	81.09
3.	असम	39.88
4.	बिहार	30.56
5.	गोवा	21.18
6.	गुजरात	18.84
7.	हरियाणा	16.86
8.	हिमाचल प्रदेश	54.48
9.	जम्मू व कश्मीर	19.12
10.	कर्नाटक	16.15
11.	केरल	1.44
12.	मध्य प्रदेश	42.32
13.	महाराष्ट्र	23.79
14.	मणिपुर	31.62
15.	मेघालय	64.52
16.	मिजोरम	12.70
17.	नागालैंड	36.85
18.	उड़ीसा	34.76
19.	पंजाब	25.68
20.	राजस्थान	22.80
21.	सिक्किम	18.63
22.	तमिलनाडु	11.02
23.	त्रिपुरा	14.74
24.	उत्तर प्रदेश	29.62
25.	पश्चिम बंगाल	30.00
26.	अ०नि०द्वी०स०	29.65
27.	चण्डीगढ़	–
28.	दादरा व नगर हवेली	11.83
29.	दमन व द्वीव	8.00
30.	दिल्ली	24.88
31.	लक्षद्वीप	1.75
32.	पांडिचेरी	6.74
	अखिल भारत	25.55

आंकड़े अनन्तिम

शून्य

[हिन्दी]

एड्स के लिए नया टीका

***343. श्री धर्म राव सिंह पटेल :**
श्री अनन्त नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स के इलाज के लिए कोई नया टीका तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में एड्स की घटनाओं में खतरनाक ढंग से वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इससे प्रभावित लोगों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ङ) इस बीमारी से लड़ने के लिए यदि कोई विशेष कार्य योजना है, तो वह क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ङ) एड्स के रोग से मुक्ति दिलाने के लिए विश्व में अब तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं की गई है। तथापि 26 केन्डी डेट वैक्सीनों का विकास किया गया है और ये नैदानिक परीक्षणों चरण-I, II और III में हैं।

देश में एच आई वी संक्रमण में कोई भयप्रद वृद्धि नहीं हुई है जैसाकि वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी प्रहरी सर्वेक्षण से स्पष्ट है।

1998, 1999 और 2000 में देश में एच आई वी की व्याप्तता के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी प्रहरी सर्वेक्षण के आधार पर संक्रमणों की अनुमानित संख्या क्रमशः 35 लाख और 37 लाख तथा 38.60 लाख थी। इस निगरानी के अन्तर्गत शामिल की गई आबादी 15-49 वर्ष के आयु-वर्ग में थी। इससे पता चलता है कि देश में एच आई वी संक्रमणों में धीमी वृद्धि हो रही है।

देश में एच आई वी/एड्स के कारगर निवारण और रोकथाम के लिए 5 वर्ष की अवधि 1999-2004 के लिए 1425 करोड़ रुपए के परिव्यय से राज्य औषध नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से राज्यों/संघ क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयन हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य संघटक इस प्रकार हैं :-

1. उच्च जोखिम वाली आबादियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर लंबित कार्यकलाप

इस परियोजना के इस संघटक का उद्देश्य लंबित आबादियों का पता लगा कर उच्च जोखिम वाले समूहों में एच आई वी फैलने को कम करना और संगी-साथियों द्वारा परामर्श प्रदान करना, कण्डोम को बढ़ावा, यौन संचारित संक्रमण इत्यादि का उपचार करना है। इस संघटक को अधिकांशतः गैर-सरकारी संगठनों तथा समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

2. सामान्य आबादी के लिए निवारक कार्यकलाप

मुख्य कार्यकलाप : (क) सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण और जागरुकता अभियान, (ख) स्वैच्छिक जांच और परामर्श, (ग) रक्ताधान द्वारा संचरण में कमी करना, और (घ) व्यावसायिक जोखिक का निवारण देश भर में समय-समय पर परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त की जाती है।

3. एच आई वी/एड्स के साथ जी रहे लोगों के लिए व्यय लागत की परिचर्या

इस संघटक के अंतर्गत सामान्य अवसरवादी संक्रमणों के लिए सस्ते उपचारों की उपलब्धता सहित गृह आधारित और समुदाय आधारित परिचर्या प्रदान की जाती है।

4. संस्थागत सुदृढ़ीकरण

इस संघटक का उद्देश्य निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने तथा प्रचालनात्मक अनुसंधान इत्यादि समेत अनुसंधान एवं विकास संघटक को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और म्युनिसिपल स्तरों को कारगर क्षमता और तकनीकी, प्रबंधकीय तथा वित्तीय सतता बनाना है।

5. अन्तर क्षेत्रीय सहयोग

यह संघटक जनता, प्राइवेट और स्वैच्छिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। एच आई वी/एड्स निवारण और नियंत्रण से संबंधित कार्यकलापों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में तथा अन्य मंत्रालयों और विभागों के भीतर अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य एच आई वी/एड्स जागरुकता कार्यक्रम के लिए अन्य सामाजिक क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता युवा सेवा इत्यादि जैसे मंत्रालयों के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में स्थान प्राप्त करना है। इस्पात, रेल, रक्षा, जहाज और परिवहन जैसे विशाल नियोक्ता मंत्रालय भी कार्यस्थान कार्यकलाप उपाय कार्यक्रम चलाने में शामिल हैं। व्यावसायिक व्यापारिक गठबंधनों के माध्यम से निजी क्षेत्र उद्योग के साथ भागीदारियां बनाने के प्रयास चल रहे हैं।

[अनुवाद]

अमरीका प्रतिबंध

***344. श्री राजीव प्रताप रूडी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरन परमाणु परीक्षण के पश्चात् अमरीका द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण कई भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान वित्तीय और तकनीकी रूप से पंगु हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन संस्थानों जो नाभिकीय युद्धक प्रक्षेपास्त्रों तथा प्रक्षेपण प्रणाली संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत नहीं हैं—के मामले में प्रतिबंधों में ढील देने के उद्देश्य से अमरीका से बातचीत करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने अमरीका के साथ हुई द्विपक्षीय चर्चाओं में यह कहा है कि हमारे नाभिकीय परीक्षणों के बाद भारत पर लगाए

गए प्रतिबंधात्मक आर्थिक उपाय औचित्यपूर्ण नहीं हैं तथा हानिकारक हैं। हालांकि इनमें से कुछ प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटा लिया गया है फिर भी हमारा सतत् रूप से यह मानना है कि एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए इन सभी प्रतिबंधों को हटा लिया जाना चाहिए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज-बैंक

*345. **श्रीमती डी०एम० विजया कुमारी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को विभिन्न किस्मों के बीजों के उपयोग के बारे में परामर्श देने और उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध भी कराने के लिए राष्ट्रीय बीज-बैंक तथा परामर्शदात्री सेवा प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग प्राकृतिक आपदा आदि के कारण उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में बीज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1999-2000 से बीज बैंक की स्थापना और उसके रख-रखाव संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम तथा राज्य बीज निगमों के माध्यम से चलायी जा रही है। बीज निगमों ने बीज बैंक में वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न फसलों/किस्मों के 48,050 क्विंटल प्रमाणित बीजों व 3,973 क्विंटल आधारी बीजों तथा 2000-2001 के दौरान 93,393 क्विंटल प्रमाणित बीजों व 6,029 क्विंटल आधारी बीजों का रख-रखाव किया है। बीज बैंक से बीज आपूर्ति विभिन्न बीज निगमों द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों पर की जाती है। इन बीजों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए इस विभाग के मिनिकिट कार्यक्रम तथा अन्य स्कीमों के अधीन चयनित फसलों के स्थान विशिष्ट, उन्नत तथा निर्मुक्त नई किस्मों के बीजों की आपूर्ति किसानों को सस्ते दामों पर की जाती है।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों की कमी

*346. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आने के कारण देश में खाद्य तेलों की भारी कमी हो गई है जिसके परिणामस्वरूप उनके दाम बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 2000-2001 के दौरान, तिलहनों के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्य-वार इनका कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ग) तिलहनों के उत्पादन में कमी होने और उनकी कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) तिलहन-उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं। तिलहन/खाद्य तेलों का उत्पादन मौसम संबंधी परिस्थितियों पर निर्भरता के कारण वर्ष दर वर्ष घटता बढ़ता रहता है। मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर बना हुआ है। इस अंतर को पूरा करने के लिए आयात किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जा सके। चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष में तिलहन और खाद्य तेलों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) योजना आयोग ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 270.00 लाख मी० टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्ष 2000-2001 में होने वाले कुल तिलहन उत्पादन का आकलन उपलब्ध नहीं है क्योंकि चालू तिलहन रबी मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है और रबी फसलें अभी खेतों में ही खड़ी हैं।

(ग) तिलहन कृषि ज्यादातर वर्षा निर्भर परिस्थितियों में छोटे और सीमांत किसानों द्वारा की जाती है। इसके अलावा इस पर मौसम संबंधी गड़बड़ी तथा अनेक प्रकार के कीटों और रोगों के शीघ्र प्रभाव के कारण उत्पादन में कमी आती है। इन सबके अलावा, विगत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में देश के प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में सूखा पड़ने के कारण तिलहन उत्पादन कुछ हद तक कम हुआ है। चालू वर्ष में इसकी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि दूसरी ओर घरेलू बाजार में कीमतें घटी हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ है कि विगत दो वर्षों में सस्ते दामों पर बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया है।

(घ) तिलहन/खाद्य तेलों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गयी थी। मिशन ने देश में तिलहन-उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत, बीज उत्पादन और संवितरण, बीज मिनिकिट वितरण, उन्नत फार्म उपस्कर वितरण छिड़काव सेटों, राइजोबियम कल्चर और पी०एस०बी०/सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि जैसे आदानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों में उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं। इसके अलावा, राज्य कृषि विभाग के माध्यम से ब्लाक एवं समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं। नौवीं योजना में मूंगफली और सोयाबीन के गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन

हेतु 'क्रैश प्रोग्राम' का एक नया घटक शुरू किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीजों की मांग को पूरा करने के लिए, नौवीं योजना में एक 'बीज बैंक कार्यक्रम' भी शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

आलू का उत्पादन

*347. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पूर्ववर्ती 2 वर्षों की तुलना में आलू का अनुमानित उत्पादन कितना हुआ है;

(ख) क्या आलू की कीमतें रिकार्ड-स्तर तक गिर गई हैं, जिससे आलू-उत्पादकों को भारी घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो देश के आलू-उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जैसा कि अनुमानित आलू उत्पादन, जो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम रहा, से स्पष्ट है कि देश में आलू का अत्यधिक उत्पादन नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में आलू का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार रहा :-

(मिलियन मीटरी टन)

वर्ष	कुल (सभी राज्य)	उत्तर प्रदेश
1998-99	22.49	9.54
1999-2000	24.15	10.46
2000-2001 (अनन्तिम)	21.99	8.50

(ग) वर्ष 2000 के दौरान आलू के मूल्य कम रहे। आलू के वार्षिक औसत थोक मूल्य सूचकांक, जो 81.5 रहा, में गत वर्ष के वार्षिक औसत की तुलना में 18.28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

(घ) महत्वपूर्ण बागवानी जिन्सों के मूल्य आर्थिक स्तर से नीचे गिरने पर संबंधित राज्य सरकारों के औपचारिक अनुरोध पर, यदि वे खरीद प्रक्रिया में होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, का 50 प्रतिशत वहन करने की इच्छुक हों, तो उनकी खरीद हेतु मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की जाती है। आलू के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित करने के बारे में पंजाब सरकार से प्राप्त प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को सहमति हेतु भिजवा दिया गया है। आलू के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में कर्नाटक सरकार से अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी है।

मूल्य निर्धारण तंत्र

*348. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के उत्पादों के मूल्य निर्धारण तंत्र को मूल्य-सूचकांक से जोड़ने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कई वर्षों में विकसित प्रणाली का उपयोग करते हुए निर्धारित किये जाते हैं। सरकार विभिन्न कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु सरकार की राय में महत्वपूर्ण अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते हुए कृषि लागत और मूल्य आयोग उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उत्पादन सममूल्यता, बाजार मूल्य-प्रवृत्ति, मांग और आपूर्ति स्थिति, अन्त:फसल मूल्य समरूपता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव; सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव; जीवनयापन की लागत पर प्रभाव; अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति तथा किसानों द्वारा भुगतान तथा प्राप्त किए गए मूल्यों के बीच समरूपता (व्यापार शर्तें) विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

नारियल व सुपारी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

*349. **श्री पी०सी० थामस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल, सुपारी, अनन्नास, अदरक और अन्य कृषि-उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने नारियल, सुपारी तथा अन्य सामग्री की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। भारत सरकार खोपरा सहित मुख्य कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके, मूल्य समर्थन के अंतर्गत, किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराती है। शीघ्र खराब होने वाली तथा न्यनूतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत कवर न की गयी कुछ अन्य कृषि व बागवानी जिन्सों जैसे अनन्नास, अदरक, सुपारी आदि हेतु किसानों की मूल्य समर्थन मण्डी हस्तक्षेप स्कीम द्वारा प्रदान किया जाता है।

(ख) भारत सरकार द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम तथा मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत किये गये अधिप्राप्ति प्रचालन कार्यों का विवरण-I व II में दर्शाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कृषि जिंसों की अधिप्राप्ति

(मात्रा मीट्रिक टन में)

क्र० सं०	जिन्स	1999-2000	2000-2001 (15.3.2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	धान/चावल	1,72,74,000	1,51,27,000
2.	मोटे अनाज (अनाज)	नगण्य	4,57,000
3.	गेहूं	1,41,43,000	1,63,55,000
4.	मिलिग खोपरा	नगण्य	2,18,814
	बॉल खोपरा	नगण्य	4,063
5.	सोयाबीन	4,94,418	54,660
6.	सूरजमुखी बीज	21,241	44,252
7.	सरसों बीज	शून्य	2,45,001
8.	कुसुम बीज	शून्य	6,610
9.	मूंगफली	शून्य	27,700
10.	अरहर (रेड ग्राम)	शून्य	100
11.	कपास	7,874 (गांठें)	शून्य
12.	तम्बाकू	शून्य	27

विवरण-II

मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत कृषि जिन्सों की अधिप्राप्ति

वर्ष 1999-2000

क्र० सं०	जिन्स	राज्य	अधिप्राप्ति हेतु अनुमोदित मात्रा (मीट्रिक टन में)	नियत मूल्य
1	2	3	4	5
1.	ऑयल पाम	आंध्र प्रदेश	65,000	2750 रु० प्रति मी० टन
2.	प्याज	महाराष्ट्र	65,000	250 रु० प्रति क्विंटल
3.	आयल पाम	कर्नाटक	5,000	2570 रु० प्रति मी० टन
4.	किन्नू/माल्टा सन्तरा/ गलगल	हिमाचल प्रदेश	200 किन्नू/ माल्टा/ संतरा	बी. ग्रेड 425 रु० प्रति कि०ग्रा०
			150(गलगल)	सी ग्रेड 365 रु० प्रति कि०ग्रा० 2.50 रु० प्रति कि०ग्रा०

वर्ष 2000-2001

क्र० सं०	जिन्स	राज्य	अधिप्राप्ति हेतु अनुमत मात्रा (मीट्रिक टन में)	नियत मूल्य
1	2	3	4	5
1.	किन्नौर सेब	हिमाचल प्रदेश	16,000	10 रु० प्रति कि०ग्रा०

गैर-आयोडीनयुक्त नमक

*350. श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री की अनुमति देने के केन्द्र सरकार के निर्णय से चिकित्सा-क्षेत्र में चिन्ता व्याप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मानव-शरीर में आयोडीन की कमी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषत: मानसिक मंदता उत्पन्न हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कोई गहन अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 में 30 सितम्बर, 2000 से संशोधन किया गया है जिससे देश के सभी भागों में मानव के सीधे उपभोग के लिए आयोडीकृत नमक की अनिवार्य बिक्री से संबंधित केन्द्रीय सरकार की सांविधिक अपेक्षा को खत्म किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कई अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में राज्यों के विभिन्न भागों में पोषणीय स्थिति के आधार पर इस शक्ति का अधिक प्रभावी रूप से उपयोग करेंगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से अब मानव के सीधे उपभोग के लिए सिर्फ आयोडीकृत नमक की बिक्री से संबंधित सांविधिक बाध्यता के प्रश्न पर राज्य सरकारों द्वारा और अधिक सोचा-समझा निर्णय लिया जाना सुनिश्चित हो पाएगा। परिणामी स्थिति से यह सुनिश्चित होगा कि जिन क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा सांविधिक बाध्यता आवश्यक नहीं समझी जाती है, वहां आयोडीकृत या गैर-आयोडीकृत नमक का उपभोग करने के बारे में सोची-समझी पसंद के लिए पर्याप्त लचीलापन होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो क्षेत्र आयोडीन अल्पता वाले नहीं हैं वहां जन स्वास्थ्य से संबंधित विषयों में अनावश्यक बाध्यता नहीं होगी। मानव के सीधे उपभोग के लिए आयोडीकृत नमक की अनिवार्य बिक्री से संबंधित केन्द्रीय सांविधिक प्रावधान को खत्म करने के बाद भी तीन राज्यों केरल, महाराष्ट्र के भागों आंध्र प्रदेश, के भागों को छोड़कर अन्य राज्यों में खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7(4) के अंतर्गत सांविधिक प्रतिबंध को लागू किया जा रहा है। केरल सरकार, विशिष्ट नीति के विषय के रूप में जन स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने के लिए आयोडीकृत नमक के उपभोग में विश्वास नहीं करती है। दो अन्य राज्यों महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश ने तटीय जिलों को आयोडीकृत नमक की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है जहां आयोडीन अल्पता एक संकट नहीं समझा जाता है। इस स्थिति से स्पष्ट रूप से पता चलता है केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना को वापस लिए जाने के बाद भी देश के उन भागों में अब भी आयोडीकृत नमक को अनिवार्य बिक्री संबंधी सांविधिक अपेक्षा है जहां राज्य सरकारों ने इस आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है।

पिछले चार दशकों में समय-समय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयोडीन अल्पता की घटना के बारे में अध्ययन किए गए हैं। 25 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में 282 जिले अध्ययन में शामिल किए गए हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि लगभग 85 प्रतिशत जिलों में इन सर्वेक्षणों के समय 10 प्रतिशत से अधिक लोगों में आयोडीन अल्पता विकार पाए गए।

केन्द्रीय सरकार ने अपर्याप्त आयोडीन लेने के कारण होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में विशेष सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण अभियान शुरू किया है। राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित एवं और अधिक गहन सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण अभियान द्वारा अनुपूरित अपेक्षित अधिसूचनाओं के जरिए देश के सभी भागों में, जहां अपेक्षित है आयोडीकृत नमक की बिक्री से संबंधित सांविधिक बाध्यता के जारी रहने से आयोडीन अल्पता के कारण खतरे में कोई वृद्धि नहीं हुई है। चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा मीडिया के माध्यम से व्यक्त की गई आशंकाओं का कोई ठोस आधार नहीं पाया गया है।

अफगानिस्तान में घटनाक्रम

*351. **श्री चाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अफगानिस्तान में हाल में घटित घटनाक्रम के बारे में अन्य देशों के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) (i) चूंकि अफगानिस्तान की परिस्थितियों का सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा चिंताओं सहित उसके राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव पड़ता है, सरकार वहां की घटनाओं पर निकट दृष्टि रखती है। सरकार ने इस संबंध में बहुत से देशों के साथ संपर्क कायम किया हुआ है तथा तालिबान द्वारा विशेष रूप से आतंकवाद, नशीले, पदार्थों के अवैध व्यापार एवं उसकी अतिवादी विचारधारा के द्वारा क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को होने वाले खतरे को रेखांकित किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बड़े पैमाने पर यह स्वीकार किया जाने लगा है कि इन घटनाओं से भारत के हित प्रभावित होते हैं और यह कि भारत को अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक शांति प्रस्तावों में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए।

(ii) सरकार ने 26 फरवरी, 2001 के तालिबान के निर्णय का मसला बहुत से देशों के साथ उठाया है जिसमें बामियान की बुद्ध मूर्ति सहित अफगानिस्तान की सभी मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। हमने तालिबान के निर्णय की निंदा की तथा तालिबान से बामियान की बुद्ध मूर्ति तथा अन्य मूर्तियों को पूरा संरक्षण देने का

आह्वान किया। प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों सहित बहुत से शासनाध्यक्षों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा उन देशों के शासनाध्यक्षों को, जहां बड़ी संख्या में बौद्ध रहते हैं, पत्र लिखकर आह्वान किया कि वे दूसरों की भावनाओं के इस अतिक्रमण के विरुद्ध मानवता की सामूहिक आवाज बुलंद करें तथा यह कि तालिबान को सही रास्ते पर लाया जाए। भारत ने इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संकल्प सह प्रायोजित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तालिबान से अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत की कलाध्वंस, क्षति और चोरी के सभी कृत्यों से रक्षा करने की पुरानी प्रतिबद्धता का पालन करने का आह्वान किया गया है।

अर्हताप्राप्त चिकित्सक

***352. श्री समर चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ऐसे गांवों की संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है, जहां अर्हताप्राप्त चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि सभी गांवों में अर्हताप्राप्त चिकित्सकों की सेवाएं उपलबध हों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रथम रेफरल यूनिटों और जिला अस्पतालों में उनके उपयोग का आकलन करने के लिए 1998-99 के दौरान 217 जिलों में एक सुविधा सर्वेक्षण किया गया है। प्रशिक्षित चिकित्सा कार्मिकों की उपलब्धता का आकलन करना इस सर्वेक्षण की मुख्य बात थी। सर्वेक्षण के संगत निष्कर्ष विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अर्हताप्राप्त डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

1. क्योंकि डाक्टरों की नियुक्ति/तैनाती करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों का दायित्व है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की रिक्तियों को भरने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को सलाह दी गई है।

2. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 1999 में हुए छठे सम्मेलन के संकल्प के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्हताप्राप्त डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है :-

— डाक्टरों की विकेन्द्रीकृत भर्ती का सहारा लेना।

— संविदात्मक आधार पर डाक्टरों की नियुक्ति करना।

— ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा अनिवार्य बनाना।

— ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्ष कार्य कर चुके सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए मेडिकल कालेजों में 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर सीटें आरक्षित करना।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 में परिकल्पित है :-

— विविध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के लिए भूमिका प्रदान करके सार्वजनिक-निजी सहभागिता बढ़ाना और उसे मजबूत करना।

— लाइसेंसशुदा चिकित्सकों की पूर्व प्रणाली को फिर से आरंभ करना।

— मेडिकल कालेजों/संस्थानों में स्त्रीरोग विज्ञान/प्रसूति रोग विज्ञान, संवेदनाहरण और बाल चिकित्सा में स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाना।

— ओपन यूनीवर्सिटी/नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से सेवाकालीन स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने की सुविधा देना।

— प्रथम रेफरल यूनिटों में 5 वर्ष कार्य करने के लिए सहमत सेवाकालीन चिकित्सा स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित करना।

— राज्यों को प्रथम रेफरल यूनिटों में विशेषज्ञों के पद को स्वीकृत करने की आवश्यकता है और उनके लिए पदोन्नति के स्पष्ट अवसर प्रदान करना।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	सर्वेक्षित प्रा० स्वा० केन्द्रों की संख्या	उपलब्ध चिकित्सा अधिकारी	सर्वेक्षित सा०स्वा० केन्द्र	उपलब्ध स्त्री रोग विज्ञानी/ प्रसूति रोग विज्ञानी	उपलब्ध संवेदना-हरण विज्ञानी	सर्वेक्षित प्रथम रेफरल यूनिटों की संख्या	उपलब्ध प्रसूति विशेषज्ञ	उपलब्ध संवेदमाहरण विज्ञानी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	622	479	63	22	11	92	27	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	333	306	24	11	2	23	7	4
3.	बिहार	339	312	2	1	0	24	8	3
4.	गुजरात	614	565	97	10	7	54	15	5
5.	हरियाणा	73	65	10	7	2	7	4	1
6.	कर्नाटक	854	820	69	29	8	45	29	3
7.	केरल	790	774	108	30	13	53	37	21
8.	मध्य प्रदेश	386	278	46	2	1	45	7	1
9.	महाराष्ट्र	645	632	71	18	8	50	17	8
10.	उड़ीसा	505	480	69	33	1	24	19	0
11.	पंजाब	26	26	107	37	3	81	44	18
12.	राजस्थान	484	397	55	9	2	38	11	4
13.	तमिलनाडु	672	531	41	10	4	68	41	30
14.	उत्तर प्रदेश	486	379	24	18	10	34	18	2
15.	पश्चिम बंगाल	825	718	65	13	8	60	43	36

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

***353. श्री रामशकल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे पड़ोसी देशों, विशेषकर 'दक्षेस' के सदस्य देशों के साथ संबंध मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में मजबूती लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नई नीतिगत पहल किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों को और बढ़ाने के लिए कितने संगठन स्थापित किए गए हैं और अब तक इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (घ) (i) भारत की विदेश नीति का उद्देश्य शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों के एक बाह्य नेटवर्क को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की एक महत्वपूर्ण बात हमारे सभी पड़ोसियों के साथ संबंध बनाये रखने और इसे संवर्द्धित करने की नीति है। आपसी सद्भाव और सम्मान के आधार पर हम अपने विस्तारित पड़ोस के सभी देशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं। इस प्रक्रिया के तहत भारत हमारे क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र देता रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों और उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई है।

(ii) सार्क देशों के हमारे पड़ोसियों के साथ संबंधों को विकसित करने और गहन बनाने की प्रक्रिया एक बहुफलकीय दृष्टिकोण पर आधारित है। राजनैतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर नियमित रूप से बातचीत की जाती है ताकि समझबूझ बढ़ायी जा सके, चर्चाओं के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सके और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जा सके। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आपसी लाभकारी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी विकासात्मक सहायता से कई पड़ोसी देशों के अवसंरचना निर्माण में और मानव संसाधनों के विकास में सहायता मिल रही है, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में। सार्वजनिक स्तर पर हम बौद्धिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों, जिनमें अनेक विधाओं में छात्रवृत्तियों के प्रावधान शामिल हैं, को बढ़ावा देने के जरिए समझबूझ और मैत्री बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

(iii) सार्क के छत्र के अंतर्गत व्यापार उदारीकरण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में पहल की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान में

सैन्य तख्ता पलट से हुई अशांति के कारण सार्क शिखर सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा, तकनीकी और कार्यात्मक सहयोग निरंतर जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी समितियों की बैठकें होती रही हैं, और हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि सदस्य राज्यों के परामर्श के पश्चात् विदेश सचिवों की स्थायी समिति की एक बैठक मई के अंत में हो सकती है। बिम्सटेक एक अन्य मंच है जिसमें भारत बंगाल की खाड़ी से लगे देशों, नामत: बंगलादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाइलैंड के साथ आर्थिक सहयोग करने में लगा है।

(iv) पाकिस्तान को छोड़कर अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध गतिशील हैं और ये निरंतर बढ़ रहे हैं। ये हमारे ऐतिहासिक संबंधों, आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित हैं। इस क्षेत्र के लोगों के आपसी लाभ को इष्टतम स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हुए अब हमारे संबंधों के आर्थिक पहलु पर और बल दिया जा रहा है।

आई०ए०एस० अधिकारियों को पुन: सेवा में लेना/सेवाकाल में वृद्धि

***354. श्री जोरा सिंह मान :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998-99 और 1999-2000 के वित्तीय वर्षों के दौरान अनेक आई.ए.एस. अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद केन्द्र सरकार के कतिपय पदों पर पुन: नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को पुन: सेवा में लिया गया, उनके संबंध में ब्यौरा क्या है तथा उनकी सेवानिवृत्ति और पुन: नियुक्ति की तिथियां क्या-क्या थीं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का सामान्य दृष्टिकोण क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु, 13.5.1998 से, 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई। सेवानिवृत्ति की आयु के इस प्रकार बढ़ा दिए जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 13.05.1998 के बाद वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी अधिवर्षिता की आयु का हो जाने के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं हुआ, अत: उनके पुनर्नियोजन का प्रश्न ही नहीं उठता। 1.4.1998 और 13.5.1998 के बीच अर्थात् सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दिए जाने से पूर्व सेवानिवृत्त हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी केन्द्रीय सरकार में पुनर्नियोजित नहीं किया गया।

सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिए जाने से पहले, केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, 60 वर्ष की आयु के हो जाने तक, अपना सेवा-काल बढ़वाए जाने के पात्र थे। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिए जाने के उपरांत, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाएं) नियम उपयुक्त रूप से संशोधित कर दिए गए हैं। इन संशोधित नियमों के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु का हो जाने पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी ऐसे अधिकारी का सेवा-काल, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से 3 माह से अनधिक अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जो बजट से संबंधित काम-काज देख रहा हो अथवा किसी ऐसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत हो जिसका कुछ ही समय में समापन किया जाने वाला हो। किसी भी अधिकारी के सेवाकाल का और आगे बढ़ाया जाना/उसे सेवा में पुनर्नियोजित किया जाना संभव नहीं है। फिर भी, यह बात, सेवानिवृत्त अधिकारियों की सांविधिक आधार पर नियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों की, सरकार द्वारा पूर्णत: अथवा आंशिकत: वित्त-पोषित सांविधिक और न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायों और स्वायत्त निकायों में नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होती यदि ऐसी निकायों से संबंधित संविधि/नियम, अधिकारी के 60 वर्ष के हो जाने के बाद भी ऐसी नियुक्ति किए जाने की अनुमति देते हों।

[अनुवाद]

अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट का निपटान

***355. श्री माधवराव सिंधिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट के निपटान की समस्या ने भयावह रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थानों, सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों सहित विभिन्न राज्यों में इस बारे में कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई अथवा दर्ज किए गए; और

(ग) इस अपशिष्ट के निपटान के लिए कौन-से प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 1998 के अनुसार जीव-चिकित्सीय अपशिष्ट पैदा करने वाले सभी स्रोतों के लिए निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार अपशिष्टों का संसाधन ट्रीट तथा निपटान करना आवश्यक है। संक्रामक अपशिष्टों के निपटान के लिए खास तौर पर इनसिनरेशन का सुझाव दिया गया है। अपशिष्टों की श्रेणी के अनुसार संसाधन के तरीके निर्धारित किए गए हैं। अस्पतालों जिनमें इनसिनरेशन सुविधाएं नहीं हैं, को स्थानीय नगर प्राधिकारियों द्वारा स्थापित की गई

समुदाय बिनों में अपने जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान करता हुआ पाया गया है। परिणामस्वरूप, नगरीय ठोस अपशिष्ट जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों से संदूषित हो रहा है।

सामान्यत: देश में अनेक अस्पताल नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ अपशिष्टों का निपटान कर रहे हैं। राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार चूक करने वाले अस्पतालों की पहचान की जा चुकी है तथा इस आशय का विवरण संलग्न है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो निर्धारित प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं, ने जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :-

(i) अस्पतालों तथा स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं।

(ii) विशेषकर महानगरों तथा राज्य की राजधानियों के बड़े अस्पतालों ने अपशिष्टों का उचित पृथक्करण करने तथा संसाधन सुविधाओं की स्थापना करने हेतु पहल की है।

(iii) स्थानीय नागरिक प्राधिकारी तथा मेडिकल एशोसिएशन सामान्य (कॉमन) अपशिष्ट संसाधन सुविधाओं की स्थापना हेतु संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

(iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से राज्य स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों में चूककर्ता अस्पतालों की सूची

असम

1. गुवाहाटी मेडिकल कालेज, भांगागढ़, गुवाहाटी।
2. डिब्रूगढ़ मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़।
3. सिल्चर मेडिकल कालेज, सिल्चर।

छत्तीसगढ़

1. मेडिकल कालेज अस्पताल, रायपुर।

चंडीगढ़

1. पोस्ट ग्रेजूयेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़।

दिल्ली

1. दीपक मेमोरियल अस्पताल, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली।
2. शांति मुकुन्द अस्पताल, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली।
3. आर.बी. सेठ जेस्सा राम एंड ब्रदर्स चैरिटेबल अस्पताल, करोल बाग, नई दिल्ली।
4. इन्दिरा गांधी ई.एस.आई. अस्पताल, झिलमिल, शाहदरा, दिल्ली।
5. माता चानन देवी अस्पताल, जनक पुरी, नई दिल्ली।
6. कस्तूरबा अस्पताल, दरियागंज, दिल्ली।
7. बत्रा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली।
8. हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली।
9. चेस्ट क्लिनिक एंड अस्पताल, नेहरू नगर, नई दिल्ली।
10. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।

जम्मू व कश्मीर

दिनांक 25.6.2000 को जम्मू व कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक महीने की अवधि के भीतर नियमों का अनुपालन करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में एक चेतावनी प्रकाशित की और निम्नलिखित अस्पतालों को नोटिस भेजे गए हैं :-

1. एस.एम.एच.एस. अस्पताल, श्रीनगर।
2. शेरे-कश्मीर इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सौरा, श्रीनगर।
3. लाल डेड अस्पताल, श्रीनगर।
4. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल, जम्मू।

झारखंड

1. राजेन्द्र मेडिकल कालेज अस्पताल, रांची।
2. अब्दुल रज्जाक मेमोरियल अस्पताल आफ अपोलो ग्रुप, रांची।
3. नागरमल मोदी सेवा सदन, रांची।
4. रांची सदर अस्पताल।
5. राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, रांची।
6. पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद।

कर्नाटक

323 स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेन्द्रों में से 279 ने प्राधिकार के लिए आवेदन किया है। शेष के विरुद्ध ईपीए की धारा 15 के अधीन दाण्डिक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

केरल

प्राधिकार के लिए आवेदन करने हेतु फीस ढांचे को अधिसूचित कर दिया गया है। केरल राज्य प्रदूषण बोर्ड ने कार्यान्वयन की तारीख को एक वर्ष और आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया है।

मध्य प्रदेश

1. एम.वाई. अस्पताल, इन्दौर।
2. जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई।
3. जे.एस. ग्रुप आफ अस्पताल, ग्वालियर।
4. हमीदिया अस्पताल, भोपाल।
5. मेडिकल कालेज अस्पताल, जबलपुर।

महाराष्ट्र

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों के लिए जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अनुपालन के बारे में समाचार पत्र में प्रकाशित किया।

मणिपुर

1. रिजनल इन्स्टीट्यट आफ मेडिकल साइंसेज, लम्फेलफट, इम्फाल।

उड़ीसा

उड़ीसा में 500 से अधिक पलंगों वाले चार अस्पतालों की पहचान की गई है :-

1. इस्पात जनरल अस्पताल, राउरकेला।
2. एस. सी. बी. मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, कटक।
3. वी.एस.एस. मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, बुरला, सामलपुर।
4. एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, बेरहामपुर।

वी. एस. एस. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल और एम. के. सी. जी. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल को उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।

पंजाब

निम्नलिखित सात अस्पताल 500 से अधिक पलंगों वाले अस्पताल हैं। इन अस्पतालों को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।

1. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लुधियाना।
2. दयानन्द मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लुधियाना।
3. गुरू तेग बहादुर हास्पिटल, अमृतसर।
4. गवर्नमेंट राजेन्द्र हास्पिटल, पटियाला।
5. गवर्नमेंट हास्पिटल, फरीदकोट।
6. मिलिट्री हास्पिटल, जालंधर कैन्ट।
7. मिलिट्री हास्पिटल, पठानकोट।

राजस्थान

1. सवाई माधो सिंह हास्पिटल, जयपुर।
2. पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर।
3. एम. पी. एस. अस्पताल, उदयपुर।
4. जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर।
5. उम्मेद महिला चिकित्सालय, जोधपुर।
6. एम. जी. अस्पताल, जोधपुर।
7. एम. बी. एस. अस्पताल, कोटा।

उत्तर प्रदेश

निम्नलिखित अस्पतालों को दिनांक 28 सितम्बर, 2000 को 15 दिनों का नोटिस देकर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं:-

1. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।
2. लाला लाजपतराय हास्पिटल (जनरल विंग), कानपुर।
3. लाला लाजपतराय हास्पिटल (मैटर्निटी विंग), कानपुर।
4. बलरामपुर हास्पिटल, लखनऊ।
5. गवर्नमेंट हास्पिटल, सेक्टर-30, नोएडा।
6. के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ।
7. स्वरूप रानी हास्पिटल, इलाहाबाद।
8. बी.एच.यू. मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, वाराणसी।
9. आर.एल.बी. मेमोरियल मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, झांसी।
10. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैडिकल कालेज, अलीगढ़।

तमिलनाडु

दिनांक 31.7.2000 को तमिलनाडु राज्य प्रदूषण बोर्ड ने चेन्नई में 197 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

पश्चिम बंगाल

1. एम.आर. बंगूर अस्पताल, कोलकाता।
2. एस.एस.के.एम. अस्पताल, कोलकाता।
3. कोलकाता मेडिकल काजेल अस्पताल, कोलकाता।
4. एस.एन. पंडित अस्पताल, कोलकाता।
5. आर.जी. कार मेडिकल कालेज, कोलकाता।
6. के.एस. राय टी.बी. अस्पताल, कोलकाता।
7. डी. अस्पताल, कोलकाता।
8. नीलरत्न सरकार अस्पताल, कोलकाता।

नोट : नर्सिंग होम एसोसिएशन और कुछ अन्य उद्यमियों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित मुकदमा दायर किया है जिसमें जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियमों के संगत उपबंधों के अधीन सांविधिक कार्यकलापों को चुनौती दी गई है। यह मामला अभी तक न्यायाधीन है।

मुर्गीपालन परिसर का निर्माण

***356. डा० बलिराम :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में मुर्गीपालन परिसरों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नकली दवाओं का विपणन

***357. श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी-सिद्धान्तों की अवहेलना करके, देश में नकली दवाओं का विपणन करने के कतिपय मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो नकली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) ऐसे कोई मामले सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं। नकली औषधों की समस्या का मुकाबला मुख्य रूप से राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जो ऐसे कार्यकलाप को रोकने के लिए निगरानी करके और जब ऐसे कार्यकलाप प्रकाश में आते हैं तो उन पर मुकदमा चलाकर औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंध को प्रवृत्त करते हैं।

भारत के औषध नियंत्रक ने राज्य औषध नियंत्रकों को इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी है :-

(क) राज्य औषध सलाहकार समितियों का गठन/उन्हें पुनः सक्रिय करना।

(ख) पुलिस की सहायता से अलग आसूचना-सह-कानूनी तंत्र की स्थापना।

(ग) नकली औषध के मामलों से निपटने के लिए अनुभवी काउंसल कार्यरत करना।

(घ) संदिग्ध डीलरों की निगरानी।

(ङ) फार्मास्युटिकल उद्योग के साथ नियमित रूप से तालमेल बनाकर उनका सहयोग लेना।

(च) राष्ट्रीय औषध गुणवत्ता मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्यक्रम के अधीन सर्वेक्षण नमूनों का एकत्रण।

बीस-सूत्री कार्यक्रम

***358. श्री रामदास आठवले :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के, विशेषकर महाराष्ट्र के जनजातीय तथा दलित-बहुल क्षेत्रों में, जिला स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान—देश के विशेषकर महाराष्ट्र के, जनजातीय और दलित-बहुल क्षेत्रों में बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान, बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, [illegible]

और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बीस-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा नहीं की है न ही देश में जिला स्तर पर इसकी समीक्षा का इनका प्रस्ताव है। सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की समीक्षा अंतिम बार वर्ष 1986 में की गई थी।

(ख) बीस-सूत्री कार्यक्रम में शामिल विभिन्न बिंदुओं (कार्यक्रमों) का कार्यान्वयन भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उनके स्तर पर तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वृहत स्तर पर किया जाता है। देश के आदिवासी तथा दलित-बहुल क्षेत्रों में बीस-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति का अलग से प्रबोधन नहीं किया जाता है। संपूर्ण भारत तथा महाराष्ट्र राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान बीस-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) बीस-सूत्री कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के योजनागत और गैर-योजनागत कार्यक्रमों का अविभाज्य अंग होता है। विभिन्न मदों के परिव्यय राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों एवं केन्द्र के नोडल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत संगत योजना शीर्षों से लिए जाते हैं। जबकि परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसी कुछ योजनाओं के लिए निधियां पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, बंधुआ श्रमिक पुनर्वास जैसी कुछ योजनाओं को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण-I

बीस-सूत्री कार्यक्रम का अखिल भारतीय निष्पादन (1997-98 से 1999-2000 तक)

क्र० सं०	सूत्र सं०	मदें	इकाई	1997-1998			1998-1999			1999-2000		
				लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1ख	जवाहर रोजगार योजना	श्रम दिवस	3864.9	4059.2	105.0	3964.8	3804.8	96.0	—	2655.6	—
2.	5क	अधिशेष भूमि का वितरण	000 एकड़	52.3	37.4	72.0	65.6	25.4	39.0	44.8	25.6	57.0
3.	7क	पेयजल समस्या (गांव/मोहल्ले)	000 सं.	99.6	117.8	118.0	104.9	112.2	107.0	90.1	75.2	83.0
4.	8क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी)	संख्या	206.0	31.0	15.0	729.0	112.0	15.0	729.0	92.0	13.0
5.	8ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी)	संख्या	596.0	109.0	18.0	381.0	325.0	85.0	381.0	144.0	38.0
6.	8घ	बाल प्रतिरक्षण	लाख सं.	255.5	230.1	90.0	251.2	235.3	94.0	247.2	240.3	97.0
7.	9ग	एकी.बा.वि.से.खंड प्रचालन (संचयी)	संख्या	3818.0	3835.0	100.0	3882.0	3882.0	100.0	3882.0	3883.0	100.0
8.	9घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	000 सं.	397.2	354.8	89.0	408.2	438.0	107.0	441.2	495.9	112.0
9.	11क	सहायता प्राप्त अनु.जा. परिवार	000 सं.	2480.0	2188.4	88.0	2425.0	2559.2	106.0	2500.0	1930.6	77.0
10.	11ख	सहायता प्राप्त अनु.जन.जा. परिवार	000 सं.	1096.6	1009.0	92.0	1100.7	1181.9	107.0	1113.4	1029.0	92.0
11.	14ग	इंदिरा आवास योजना(नये मका.का उच्चवी)	000 सं.	718.3	775.8	108.0	987.5	888.0	90.0	845.2	836.4	99.0
12.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आवास	000 सं.	168.1	105.0	62.0	118.2	116.9	99.0	68.6	102.5	149.0
13.	14ङ	निम्न आय वर्ग को आवास	000 सं.	375	23.2	62.0	57.8	41.2	71.0	40.2	26.8	67.0
14.	14च	इंदिरा आवास योजना (मका.का उच्चवी)	000 सं.	—	—	—	—	—	—	426.5	142.2	33.0
15.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	000 संख्या	1189.9	1315.5	111.0	4330.3	3344.4	77.0	4706.2	5572.6	118.0
16.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	लाख सं.	11166.1	10326.3	92.0	11166.1	11542.3	103.0	12130.4	11771.6	97.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	16ख	शामिल क्षेत्र-सार्वजनिक व वन भूमि	000 हेक्टे.	1146.8	870.6	76.0	1175.0	1588.5	135.0	1318.5	1399.4	106.0
18.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	3000.0	3156.0	105.0	2000.0	2757.0	138.0	2000.0	1914.0	96.0
19.	19ख	शक्तिचलित पंपसेट	000 सं.	240.0	260.0	108.0	250.0	345.9	138.0	250.0	277.2	111.0
20.	19ग	उन्नत चूल्हे	000 सं.	2258.0	1943.1	86.0	1198.0	1249.8	104.0	1845.0	1732.1	94.0
21.	19घ	बायो गैस संयंत्र	000 सं.	132.2	129.9	98.0	100.7	112.0	111.0	120.4	124.8	104.0

50:50 केन्द्र/राज्य अंश पर केन्द्रीय प्रयोजित योजना।

80/20 केन्द्र/राज्य अंश पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी के लिए न्यूनतम आंकड़े लिए गए हैं।

100 प्रतिशत केन्द्रीय अंश पर केन्द्रीय प्रयोजित योजना।

महिला तथा बाल विकास विभाग, द्वारा दिए गए आंकड़े स्वीकार किए गए हैं।

राज्य : महाराष्ट्र

विवरण-II

क्र.	सूत्र	मदें	इकाई	1997-1998			1998-1999			1999-2000		
सं.	सं.			लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1ख	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)	श्रम दिवस	52438000	52774000	101	54122000	40381000	75	54122000	34155000	63
2.	5क	अधिशेष भूमि का वितरण	एकड़	1670	1261	76	2600	764	29	600	958	160
3.	7क	पेयजल समस्या (गांव/ मोहल्ले शामिल)	संख्या	5607	6621	115	10000	10156	102	7000	4690	67
4.	8क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी)	संख्या	19	6	32	34	3	9	34	34	100
5.	8ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी)	संख्या	53	4	8	15	—	0	15	38	253
6.	8घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	टीकाकरित शिशुओं की सं.	2162100	2136807	99	2011000	2148434	107	1996650	2188986	110
7.	9ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	संख्या	274	274	100	271	271	100	271	271	100
8.	9घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	40776	28951	71	40776	39988	98	36665	44865	122
9.	11क	सहायता प्राप्त अनु.जाति परिवार	परिवारों की संख्या	140000	157787	113	140000	114433	82	140000	60671	43
10.	11ख	सहायता प्राप्त अनु.जन.जाति परिवार जाति	परिवारों की संख्या	125301	121517	97	125031	162395	130	140000	148326	106
11.	14ग	इंदिरा आवास योजना (नये मकानों का निर्माण)	मकानों की संख्या	61123	60709	99	78092	54532	70	56453	61647	109
12.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मकान (ईडब्ल्यूएस)	मकानों की संख्या	3000	86	3	540	22	4	1170	1170	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	14ङ	निम्न आय वर्ग को आवास	मकानों की संख्या	2510	2607	104	4424	2523	57	4258	4752	112
14.	14च	इंदिरा आवास योजना (मकानों का उच्चीकरण)	मकानों की संख्या	—	—	—	—	—	—	28227	8668	31
15.	15	गंदी बस्तियों का सुधार	शामिल व्यक्तियों की संख्या	341230	292190	86	372200	365616	98	474453	460675	97
16.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संस्थापित वृक्षों की संख्या	115000000	93802000	82	115000000	83736000	73	115000000	85082000	74
17.	16ख	शामिल क्षेत्र-सार्वजनिक व वन भूमि	हेक्टेयर	126000	6675	5	12600	92505	73	126000	78587	62
18.	19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संस्थापित पंपों की संख्या	49000	44396	91	61000	58810	96	50000	64054	128
19.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	200000	161543	81	100000	89785	90	140000	107963	77
20.	19घ	बायो गैस संयंत्र	संस्थापित पौधों की संख्या	15000	15406	103	12000	13342	111	12000	13882	116

संकेत : आईसीडीएस — एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन।
एस सी — अनुसूचित जाति।
एस टी — अनुसूचित जनजाति।

आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण

***359. डा० संजय पासवान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तैयार की जाने वाली आयुर्वेदिक औषिधियों की विश्वव्यापी मांग को देखते हुए उनके लिए विश्व-स्तरीय मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन औषध निर्माता एककों का ब्यौरा क्या है जो अपनी विनिर्माण-प्रक्रिया में आधुनिक उपस्करों का प्रयोग करके स्वर्णभस्म, हीरकभस्म, पारदभस्म, केशरयुक्त जैसी कीमती औषधियां तैयार कर रहे हैं;

(घ) क्या उक्त औषधियों के नाम से ही घटिया स्तर की वैकल्पिक औषधियां, बाजार में बेची जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसको रोकने तथा इस संबंध में एक निर्धारित मानक लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने आयुर्वेदिक औषधें तैयार करने के लिए मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु आयुर्वेदिक भेषज संहिता समिति गठित की है।

पादप मूल की 158 आयुर्वेदिक औषधों के मानक प्रकाशित किए गए हैं और अन्य 100 औषधों के मोनोग्राफों का प्रकाशन किया जा रहा है।

आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी पद्धति की पादप मूल की 358 एकल औषधें और 275 सम्मिश्रित फार्मूलेशन भेषज संहिता मानक विकसित करने हेतु 32 प्रयोगशालाओं/संस्थाओं को आबंटित किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स झंडू, वैद्यनाथ, संदू, डाबर, चरक, धूतपपेश्वर, उंझा आदि उनके बीच शामिल हैं जो ऐसी आइटमों का विनिर्माण करते समय आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं।

(घ) और (ङ) दवाओं की गुणवत्ता की राज्य प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है जो, जहां आवश्यक हो, कानून के अधीन कार्रवाई करने के लिए अधिकार-सम्पन्न हैं। सरकार राज्य औषध जांच प्रयोगशालाओं को उनकी यूनिटों को आधुनिक बनाने के लिए सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में है ताकि उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की दवाओं के नमूनों की जांच करने के लिए उपकरणों से सज्जित किया जा सके।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादन

***360. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेयरी उद्योग ने सन् 2010 तक 9.5 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति संबंधी विश्व व्यापार संगठन की अनुशासनिक

व्यवस्था के लिए स्वयं को तैयार करने के उद्देश्य से, एक चतुर्विध कार्यनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विश्व भर के दुग्ध उत्पादन में भारत का अंश 13.6 प्रतिशत है; और

(ग) विश्व डेयरी उद्योग में भारत को अग्रणी बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) डेयरी उद्योग द्वारा ऐसी कोई रणनीति तैयार नहीं की गई है। तथापि, डेयरी उद्योग सम्मेलन ने दिसम्बर, 2000 में हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित के लिए कुछ सिफारिशें की हैं : (1) उत्पादकता में सुधार लाना, (2) सुरक्षित और गुणवत्ता उत्पादों के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में हमारी छवि को सुधारना, (3) हमारी उत्पादन लागत को न्यूनतम करना, तथा (4) समुचित विपणन रणनीतियों की खोज करना।

पिछले पांच वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादन में 4.16 प्रतिशत की विकास दर परिलक्षित हुई है। इस विकास दर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि 2010 तक वार्षिक दुग्ध उत्पादन 122 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा 13.16 प्रतिशत है।

(ग) देश में दुग्ध उत्पादन की गति को बनाए रखने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है :-

(1) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम,

(2) राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम,

(3) चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता,

(4) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता,

(5) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना,

(6) एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, और

(7) उपरोक्त (क) तथा (ख) पर दर्शाई गई योजनाओं को जोड़कर राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना।

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न राज्यों में दुग्ध संघों/परिसंघों ने प्रसंस्करण तथा निर्माण गतिविधियों, गुणवत्ता सुनिश्चय, उत्पादकता वृद्धि इत्यादि की गतिविधियों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की हैं।

आशुलिपिकों से ज्ञापन

3513. श्री जय प्रकाश : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक परिसंघ और संबद्ध अधिकारियों से उन्हें मान्यता देने अथवा पत्राचार और बैठक की सुविधा देने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सेवा-संघ-मान्यता) नियम, 1993 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ को मान्यता दिए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर भी ये नियम, रेल-मंत्रालय और रक्षा-मंत्रालय के औद्योगिक कामगारों के संबंध में लागू नहीं होते। इन कामगारों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों द्वारा अलग नियम अधिसूचित किए गए हैं।

अस्पतालों में खराब पड़े उपकरण

3514. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** अस्पतालों में खराब पड़े उपकरण के बारे में 24 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेकार घोषित किए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

इराक पर आक्रमण

3515. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी युद्धक विमानों ने हाल ही में बगदाद में कतिपय ठिकानों पर बमबारी की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका ने हाल ही में इराक पर बमबारी की है।

(ख) भारत ने इराक के विरुद्ध एकतरफा की जा रही लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय मंच और संसद में निरंतर विरोध किया है, क्योंकि यह हानिकारक है और केवल इराकी लोगों की परेशानियों को और अधिक बढ़ाता है। भारत सैन्य कार्रवाई किए जाने और इराक की क्षेत्रीय अखण्डता में कोई परिवर्तन करने का प्रयास करने को अस्वीकार करता है।

खाद्यान्न उत्पादन

3516. श्री सुबोध मोहिते : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उक्त अवधि में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता की वृद्धि दर में 1980 के दशक की वृद्धि की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या और उत्पादन के अलावा व्यापारियों, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के पास स्टाक, आयात, निर्यात जैसे कई कारकों पर निर्भर होती है। चूंकि ये कारकों (जनसंख्या के अलावा) में वर्ष दर वर्ष उतार-चढ़ाव आता रहता है, इस प्रकार खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और इसी तरह से विकास दर भी घटती-बढ़ती रहती है। इसकी विकास दर अस्सी के दशक के 0.06 प्रतिशत की तुलना में नब्बे के दशक में 0.3 प्रतिशत है।

(ग) सरकार ने देश के विभिन्न भागों में उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए पारम्परिक योजनाबद्ध दृष्टिकोण को छोड़कर वृहत प्रबंध विधि अपनाने का निर्णय किया है ताकि राज्यों को सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम में कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों के अनुपूरण/सम्पूरण के लिए 27 स्कीमों के एक स्कीम में समेकन की परिकल्पना की गई है। इससे राज्यों को उनके द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्याओं को निपटाने में, विभिन्न स्कीमों के घटकों में परस्पर व्यापित से बचने तथा कृषि के समग्र विकास के उद्देश्य में उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदा

3517. श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के 31 जिले अकाल से बुरी तरह प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई सहायता का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस सहायता धनराशि का उसी प्रयोजन में पूर्णत: उपयोग किया है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा उक्त धनराशि का उसी प्रयोजनार्थ पूरी तरह उपयोग करना सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) कोई अकाल नहीं है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के 31 जिले सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2000-01 के लिए आपदा राहत निधि की केन्द्रीय अंश की 155.25 करोड़ रुपये की राशि, वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय अंश की 25 प्रतिशत अर्थात 40.75 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से 85.00 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा, रेलवे द्वारा पेय जल तथ चारे की मुफ्त ढुलाई तथा गरीबी की रेखा से नीचे की दरों पर 2.525 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों, ''काम के बदले अनाज'' के तहत 1 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मुफ्त, पशुओं के चारे के रूप में उपयोग के लिए ''चारा श्रेणी'' खाद्यान्नों की व्यवस्था की गई है।

(ग) आपदा राहत निधि की केन्द्रीय अंश की 155.25 करोड़ रुपये की राशि तथा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से 102.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ) से (च) राज्य सरकार ने सूचित किया कि पिछले वर्ष निर्मुक्त सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान उपयोग का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। निचले स्तर तक राहत वितरण और प्रदत्त सहायता के समुचित उपयोग का दायित्व राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से घनिष्ठ समन्वय के साथ स्थिति का लगातार मानिटरन कर रही है और स्थिति की लगातार समीक्षा भी कर रही है।

मरुस्थल क्षेत्रों के लिए सुविधाएं

3518. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पर्वतीय क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के समान मरुस्थल क्षेत्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान के प्रत्येक मरुस्थल जिले पर विशेष ध्यान देने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथ योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं। मरुस्थल क्षेत्र पहले से ही मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, जो वर्ष 1977-78 में शुरू किया गया था। वर्तमान में, कार्यक्रम राजस्थान के 16 जिलों सहित देश में 40 जिलों के 232 ब्लाकों को कवर करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा और मरुस्थलीकरण का सामना करना; पारिस्थतिकी संतुलन की बहाली को प्रोत्साहित करना; सूखे के प्रतिकूल प्रभावों और फसलों एवं पशुधन; भूमि की उत्पादकता; जल और मानव संसाधनों पर प्रतिकूल मृदीय जलवायु स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना; ग्राम समुदाय के आर्थिक विकास को प्रोन्नत करना; ग्राम समुदाय के संसाधन गरीब और अलाभान्वित वर्गों नामत: परिसम्पत्ति विहीन और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।

इसके अलावा, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के सीमा ब्लाकों में भी जो मरुस्थल क्षेत्र है, प्रचालन में हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के निकट स्थित सुदूर और अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भूकंप पीड़ितों के लिए योजना

3519. **डा० जसवंतसिंह यादव** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गुजरात ने भूकम्प पीड़ितों के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भूकंप पीड़ितों को किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग भूकंप प्रभावित क्षेत्र के लिए पुनर्वास कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है। प्रस्तावित पुनर्वास कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है : ग्रामीण क्लस्टर्स का विकास, राजगीरी, बढ़ईगिरी, प्लम्बिंग इलैक्ट्रिशियन इत्यादि जैसे व्यवसायों में उद्यमिता और कुशलता विकास और खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करना। गुजरात में आर्टिज़नस क्लस्टर्स के विकास के लिए बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, अगरबत्ती, मसाला, डिटर्जेन्ट्स आदि जैसे उद्योगों की पहचान की गई है।

(ग) अनुमान है कि सहायता के प्रस्तावित पैकेज से लगभग 27,000 कारीगर लाभान्वित होंगे।

[अनुवाद]

शिशुओं के लिए मिलावटी आहार

3520. **श्री रामजी मांझी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "टाइम्स ऑफ इंडिया" के दिल्ली परिशिष्ट में 4 दिसम्बर, 2000 को प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली में मिलावटी शिशु आहार, दुग्ध धड़ल्ले से बिक रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र के एस०डी०एम० को उन सभी स्थानों पर पी०एफ०ए० छापे मारने के निर्देश दिए हैं, जहां यह सामान बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कितने नमूने एकत्र किये गए और अपमिश्रित पाए गए और उन पर क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि दिल्ली में अपमिश्रित शिशु आहार दूध और नकली शिशु खाद्य पदार्थ खुले आम बेचे जा रहे हैं। उन्होंने सबडिवीजनल मजिस्ट्रेटों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में शिशु आहार के नमूने लेने के लिए छापे मारने के निर्देश दिए थे। तथापि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत सभी सबडिवीजनल मजिस्ट्रेटों को उनके क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बन्द करने के काम में लगा दिया था, इसलिए नमूने लेने का काम नहीं किया जा सका था। दिल्ली सरकार को नियमित आधार पर शिशु आहार के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता

3521. **श्री राजो सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार ने राज्य में विभिन्न विकास कार्य हेतु नाबार्ड से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। बिहार ने राज्य में विभिन्न ग्रामीण अवसंरचना विकास कार्यों के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि से वित्तीय सहायता हेतु नाबार्ड से अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) नाबार्ड द्वारा बिहार सरकार को 1325 परियोजनाओं के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की विभिन्न खेपों में 14.95 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं।

(घ) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि-I तथा II के अंतर्गत स्वीकृत नलकूप परियोजनाएं और ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि-III के अंतर्गत स्वीकृत सतही जल छोटी सिंचाई परियोजनाएं भी अब तक शुरू की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन फॉर रेडग्राम

3522. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवैसी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रेडग्राम फसल के संबंध में विद्यमान बाजार स्थिति पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 1200 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में प्रमुख बाजारों में इसका मूल्य 1000 अथवा 1100 रुपए प्रति क्विंटल है;

(घ) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश ने मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन फॉर रेडग्राम शुरू करने के लिए नेफेड को अनुदेश देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है कि रेडग्राम के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहे हैं और केन्द्र सरकार से मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत उनकी खरीद का अनुरोध किया है। चूंकि, रेडग्राम का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम चल रहा था इसलिए नेफेड ने आन्ध्र प्रदेश की अलग-अलग मण्डियों में मूल्य समर्थन स्कीम के तहत खरीद पहले ही शुरू कर दी है और 100 मी० टन रेडग्राम की खरीद पहले ही की जा चुकी है। आगे खरीद कार्य प्रगति पर है।

डाक से मतदान का अधिकार

3523. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निशक्तता अधिकार ग्रुप ने सरकार से सम्पर्क कर अतिरिक्त सुविधाओं सहित डाक से मतदान करने के अधिकार को प्राप्त करने हेतु 1995 में बने अधिनियम में उचित संशोधन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हाल ही में स्टीफन हॉकिन्स की यात्रा के पश्चात् इस संबंध में फिर से प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग सभी व्यक्तियों को अपना मतदान डाक-मतपत्र के माध्यम से करने के लिए मतदाताओं के रूप में पात्र बनाने हेतु जन-प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के लिए श्री जावेद अबीदी तथा अन्य जो नि:शक्तता अधिकार गुण नामक एक अनौपचारिक समूह के सदस्य हैं, द्वारा याचिका कर्ताओं के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 1999 की एक सिविल रिट याचिका संख्या 5309 दायर की गई है।

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत मृदा परीक्षण

3524. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत मृदा परीक्षण योजना को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलेड्स) के अंतर्गत, स्थानीय तौर पर अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर विकासात्मक कार्य संसद सदस्यों की सिफारिशों से शुरू किये जाते हैं। टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन पर जोर दिया जाता है। मृदा परीक्षण का यह प्रस्ताव एनपीलेड्स संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

नारियल जटा उत्पादों का न्यूनतम निर्यात मूल्य

3525. **श्री वी०एम० सुधीरन** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार और अन्य संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने नारियल जटा उत्पादों के न्यूनतम निर्यात मूल्य को 1997 के स्तर पर प्रतिधारण करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कॉयर बोर्ड के न्यूनतम निर्यात मूल्य को 22.8.1997 से संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

भोपाल गैस त्रासदी

3526. **डा० राम चन्द्र डोम** :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 4 दिसम्बर, 2000 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, के 16 वर्ष गुजरने पर इस सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की याद में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गए;

(ख) यदि हां, तो कुछ रोगियों की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार एम०आई०सी० से ग्रसित रोगियों को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टूलरूम एवं उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

3527. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **लघु उद्योग कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे. कि :

(क) क्या सरकार को केरल के त्रिवेन्द्रम में टूलरूम एवं उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु केरल स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केरल राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड (केलट्रान) ने भारत सरकार को तिरूवनन्तपुरम, केरल में एक टूलरूम सह-उत्पादन सह-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।

(ग) केन्द्र सरकार की राज्यों/राज्य अभिकरणों को मिनी टूलरूम एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने हेतु एक बार की वित्तीय सहायता देने की योजना अब अनुमोदित हो गई है और सभी राज्यों को 1.3.2001 को सूचित कर दिया गया है कि मिनी टूलरूम और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक राज्यों को उनके संशोधित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए। ''केलट्रान'' को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने संशोधित प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करें।

मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी

3528. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी/विपणन को सुदृढ़ बनाने हेतु योजना के लिए आबंटन का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा 1997-98 और 1998-99 के दौरान उपयोग नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने इस

योजना के अंतर्गत किसी पूर्ण और अर्थक्षम प्रस्ताव के अभाव में इस योजना के अंतर्गत आवंटन में 5 लाख रुपये की कमी की है;

(घ) क्या विभाग ने कम मूल्य की मछली से मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन को पशु चिकित्सा संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों और मत्स्यन सहकारी समितियों के साथ समझौते के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। किसी पूर्ण एवं व्यवहार्य प्रस्ताव के प्राप्त न होने के कारण आबंटन का उपयोग नहीं किया जा सका।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) विभाग ने पारम्परिक मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और विपणन को मजबूत बनाने तथा मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने के लिए कम मूल्य वाली मछली का उपयोग करने संबंधी स्कीमों के तहत प्रस्ताव भेजने के लिए कई पशुचिकित्सा संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों तथा मछली पालन सहकारिताओं के शीर्ष निकायों को पत्र भेजे हैं।

सोयाबीन का उत्पादन

3529. श्री मोइनुल हसन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सोयाबीन का कुल उत्पादन कितना था;

(ख) सोयाबीन की मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में भारत में सोयाबीन की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोयाबीन का कुल उत्पादन निम्नवत रहा:

000 मी०टन

वर्ष		उत्पादन
1997-98	–	6463.1
1998-99	–	7143.0
1999-2000	–	6791.5

(ख) और (ग) तिलहन विशेष के आधार पर मांग और आपूर्ति की स्थिति की गणना नहीं की जाती है बल्कि वार्षिक तौर पर सभी तिलहनों को एक साथ लेने के आधार पर गणना की जाती है।

इसी प्रकार, एक तिलहन की प्रति व्यक्ति खपत नहीं निकाली जाती अपितु ऐसा सभी तिलहनों को एक साथ लेकर किया जाता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान आदर्शी दृष्टिकोण (नारमेटिव एप्रोच) से खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत 7.30 कि०ग्रा० प्रति वर्ष है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु स्वरोजगार योजना

3530. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु स्वरोजगार योजना के बारे में 26 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 455 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्रित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) 26 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 455 के उत्तर को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। संगत सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगा। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उत्तर एकत्रित किया जा रहा है और उसे अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

दिनांक 26 जुलाई, 2000 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 455 के संबंध में उत्तर निम्नलिखित हैं:-

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश में अनुसूचित जातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

1. विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।
2. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता।
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम।
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम।
5. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
6. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।

7. अत्यंत निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम।

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

9. अनुसूचित जातियों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना।

10. अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक।

11. अनुसूचित जाति की लड़कियों/लड़कों के लिए होस्टलों का निर्माण।

12. योग्यता उन्नयन।

13. सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना।

14. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन।

15. अनुसूचित जातियों के लिए अखिल भारत या अंतर्राज्य स्वरूप की सहायक परियोजनाएं (अनुसंधान तथा प्रशिक्षण)।

16. अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान।

17. अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति।

18. अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

19. अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल।

20. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम।

21. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान।

इन योजनाओं संबंधी ब्यौरे वर्ष 1999-2000 के लिए मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किये गये हैं जिसे संसद में प्रस्तुत किया गया है तथा इस मंत्रालय की वेबसाइट में भी दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता की राशि अनुबन्ध-I—XV पर दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) लाभार्थियों की वास्तविक कवरेज के संबंध में आंकड़े का रखरखाव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों द्वारा किया जाता है। यद्यपि, योजनाएं केन्द्रीय निधियों का उपयोग करते हुए लागू की जाती है। आवेदकों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सम्पर्क करने की अपेक्षा की जाती है। यहां तक की राष्ट्रीय अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के संबंध में लाभार्थियों को निधियां राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के माध्यम से जहां वे विद्यमान में हैं या जहां वे नहीं हैं सीधे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

अनुबन्ध-I

अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता—नौवीं योजना अवधि के दौरान निर्मुक्त

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2680.13	3388.78	4134.94
2.	असम	142.18	596.66	695.31
3.	बिहार	2808.20	3620.07	3471.49
4.	गुजरात	1659.99	371.40	682.27
5.	गोवा	3.83	2.72	5.49
6.	हरियाणा	546.41	741.77	840.36
7.	हिमाचल प्रदेश	256.91	259.56	298.18
8.	जम्मू व कश्मीर	73.87	132.80	183.44
9.	कर्नाटक	1389.35	1820.07	2097.36
10.	केरल	645.94	724.54	813.24
11.	मध्य प्रदेश	1945.24	2237.08	3303.27
12.	महाराष्ट्र	1922.45	1673.92	2067.30
13.	मणिपुर	6.58	10.62	12.54
14.	उड़ीसा	1925.47	2281.57	1907.72
15.	पंजाब	0	1119.74	1280.29
16.	राजस्थान	2279.81	2575.48	2792.68
17.	सिक्किम	4.44	4.03	22.37
18.	तमिलनाडु	1756.90	3236.93	4036.92

1	2	3	4	5
19.	त्रिपुरा	106.28	108.72	159.14
20.	उत्तर प्रदेश	7646.66	7518.15	9728.65
21.	पश्चिम बंगाल	2848.78	3378.39	4962.00
22.	चंडीगढ़	18.16	22.00	25.00
23.	दिल्ली	135.43	201.71	149.91
24.	पांडिचेरी	23.99	73.29	30.13
	कुल	30827.00	36100.00	43700.00

अनुबन्ध-II

(रुपये लाख में)

क्रं० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	396.50	1365.77	818.23
2.	असम	15.37	शून्य	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
5.	हरियाणा	78.30	41.15	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	34.88	143.22	शून्य
7.	जम्मू व कश्मीर	34.73	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	624.90	970.39	शून्य
9.	केरल	49.14	153.02	124.93
10.	मध्य प्रदेश	25.47	4.77	शून्य
11.	महाराष्ट्र	1050.33	शून्य	शून्य
12.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य
13.	पंजाब	240.19	175.17	शून्य
14.	राजस्थान	82.75	शून्य	शून्य
15.	तमिलनाडु	321.48	318.50	140.00
16.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
17.	उत्तर प्रदेश	1220.58	1701.94	85.72
18.	पश्चिम बंगाल	शून्य	1101.47	661.13
19.	चंडीगढ़	शून्य	24.60	169.90
20.	दिल्ली	223.95	शून्य	शून्य
21.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
22.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	63.96	शून्य	शून्य
23.	गोवा	13.45	शून्य	शून्य
24.	सिक्किम	24.02	शून्य	शून्य
	कुल	4500.00	6000.00	2000.00

अनुबन्ध-III

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्रं० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3197.286	2639.458	3724.605
2.	अरूणाचल प्रदेश			130
3.	असम	0	285.98652	2334.249
4.	बिहार	0	797.152	1675.372
5.	गोवा	0	शून्य	0
6.	गुजरात	0	50.254	0
7.	हरियाणा	0	57.57	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	19.832	18
9.	जम्मू व कश्मीर	14.9	44.85	12
10.	कर्नाटक	0	शून्य	1335.18
11.	केरल	0	शून्य	739.865

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	0	शून्य	193.849
13.	महाराष्ट्र	967.78	471.24	0
14.	मणिपुर	0	507.8	721.78
15.	मेघालय	0	749.058	608.526
16.	मिजोरम	0	521.008	334.75
17.	नागालैंड	0	1084.26	673.11
18.	उड़ीसा	47.16	57.35	665.4
19.	पंजाब	0	551.2841	0
20.	राजस्थान	84.7	450.53	528.59
21.	सिक्किम	0	0.3729	0
22.	तमिलनाडु	396.78	958.86	516.96
23.	त्रिपुरा	0	113.48448	190.01
24.	उत्तर प्रदेश	705.392	621.65	1261.847
25.	पश्चिम बंगाल	0	शून्य	411.0086
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	1.0613	0.5476
27.	दमन और दीव	0	1.15164	1.27
28.	दादरा और नगर हवेली	0	1.83	0
29.	दिल्ली	0	शून्य	0
30.	गुवाहाटी प्रोजेक्ट	3	0	0
31.	पांडिचेरी	0	13.95706	15
	कुल	5417	10000	16089.82

अनुबन्ध-IV

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.51442	30.38969	74.07773
2.	बिहार	शून्य	275	33.25
3.	गोवा	शून्य	0.358	शून्य
4.	गुजरात	88.77000	100.600	2063333
5.	हरियाणा	शून्य	6283588	1344
6.	हिमाचल प्रदेश		0.04	शून्य
7.	जम्मू व कश्मीर	12145	0.89	शून्य
8.	कर्नाटक	27.3395	947	शून्य
9.	केरल		07	7.0035
10.	मध्य प्रदेश	9.72225	0022125	86.04775
11.	महाराष्ट्र	21.2315	909605	174.6635
12.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	7.72784
13.	पंजाब	शून्य	शून्य	4.83033
14.	सिक्किम	शून्य	0.07375	0.60175
15.	तमिलनाडु	27.926	34.4335	63.26125
16.	त्रिपुरा	1.6863	2.9002	2.0225
17.	उत्तर प्रदेश	24.4575	8.55	शून्य
18.	दिल्ली		5	शून्य
19.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	15
	कुल	200.00000	440.00000	788.26

शून्य

अनुबन्ध-V

अनुसूचित जाति की लड़कियों के होस्टल के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.90	266.00	398.10

1	2	3	4	5
2.	असम	9.00	शून्य	3.50
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
5.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	25.00	शून्य
7.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	24.36	194.51	35.44
9.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
10.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	182.74	शून्य	277.99
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	24.973
14.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
15.	राजस्थान	शून्य	84.15	शून्य
16.	तमिलनाडु	339.00	114.00	शून्य
17.	त्रिपुरा	शून्य	10.00	10.00
18.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
20.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	600.00	693.66	750.00
22.	जे०एन०यू०	शून्य	70.00	शून्य
23.	कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी	शून्य	40.00	शून्य
24.	असम यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	49.85
25.	पांडिचेरी यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	37.15
	कुल	600.00	793.66	837.00

अनुबन्ध-VI

अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए होस्टल के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	122.40
2.	असम	5.50	शून्य	5.00
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	66.091	शून्य
5.	हरियाणा	4.00	शून्य	शून्य
6.	जम्मू व कश्मीर	9.51	शून्य	शून्य
7.	कर्नाटक	शून्य	36.18	483.82
8.	केरल	शून्य	50.00	शून्य
9.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	666.75	574.53	254.19
11.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
12.	उड़ीसा	30.00	शून्य	7.84
13.	पंजाब	30.00	20.00	शून्य
14.	राजस्थान	129.66	243.20	शून्य
15.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	211.75
16.	त्रिपुरा	20.00	10.00	10.00
17.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
18.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
19.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	20.00
20.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	905.42	1000.00	1115.00
21.	जे०एन०यू०	शून्य	70.00	शून्य

1	2	3	4	5
22.	कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी	शून्य	30.00	शून्य
23.	पांडिचेरी यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	37.15
24.	अमरावती यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	42.85
	कुल	905.42	1100.00	1195.00

अनुबन्ध-VII

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	26.232
2.	असम	शून्य	शून्य	0.573
3.	बिहार	शून्य	9.1	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	शून्य	1.344
5.	गोवा	शून्य	0.15	0.60
6.	हिमाचल प्रदेश	0.63	शून्य	2.46
7.	हरियाणा	5.505	1.055	9.74
8.	जम्मू व कश्मीर	6.00	6	शून्य
9.	कर्नाटक	52.44	शून्य	57.50
10.	केरल	11.96	शून्य	11.10
11.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	82.34
12.	मध्य प्रदेश	31.39	शून्य	शून्य
13.	मणिपुर	1.00	शून्य	3.00
14.	उड़ीसा	5.00	शून्य	8.00
15.	पंजाब	10.995	शून्य	शून्य
16.	राजस्थान	15.00	42.14	शून्य
17.	त्रिपुरा	1.91	3.2945	3.30
18.	उत्तर प्रदेश	शून्य	25.48	शून्य
19.	तमिलनाडु	शून्य	24.27	28.81
20.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
22.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	0.34
23.	दिल्ली	7.80	8.18	5.72
24.	दमन एवं दीव	0.07	शून्य	शून्य
25.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	2.26
26.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	0.73	शून्य
	कुल	149.70	120.4015	243.321

अनुबन्ध-VIII

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की योजना के उन्नयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता योजना

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.28	शून्य	5.47
2.	असम	3.57	शून्य	3.45
3.	अरूणाचल प्रदेश	1.02	शून्य	1.56
4.	गुजरात	2.83	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	0.75
6.	हरियाणा	2.31	7.73	8.76
7.	हिमाचल प्रदेश	0.18	0.54	0.25
8.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
10.	केरल	शून्य	1.50	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	21.45	55.74	39.15
12.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य
14.	पंजाब	शून्य	शून्य	0.45
15.	राजस्थान	8.32	16.99	15.51
16.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य
17.	त्रिपुरा	1.05	2.10	3.00
18.	उत्तर प्रदेश	33.00	12.108	71.65
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य	3.29	शून्य
	कुल	76.00	100.00	150.00

अनुबन्ध-IX

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रीय प्रायोजित कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.70	34.56	11.44
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	0.31	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	0.35	3.12	1.54
8.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	0.25
9.	कर्नाटक	11.17	13.75	1.19
10.	केरल	शून्य	5.21	10.15
11.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	43.12	82.94	66.09
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	1.79
15.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
16.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	4.99
17.	पंजाब	2.45	3.39	1.89
18.	राजस्थान	17.76	43.18	शून्य
19.	तमिलनाडु	1.98	शून्य	शून्य
20.	त्रिपुरा	7.16	शून्य	0.67
21.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
23.	दिल्ली	3.57	2.83	6.79
24.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	शून्य	0.98	शून्य
	कुल	116.57	189.96	106.79

अनुबन्ध-X

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान निर्गमित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	1997-98 निर्गमित	1998-99 निर्गमित	1999-2000 निर्गमित
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुन विश्वविद्यालय	शून्य	14.54	2.70

1	2	3	4	5	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	श्री वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	4.07
3.	आन्ध्र प्रदेश	उस्मानिया विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	6.38
4.	आन्ध्र प्रदेश	जे०एन० टेक्नीकल विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	1.55
5.	गुजरात	गुजरात विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कर्नाटक	मैसूर विश्वविद्यालय	1.15	शून्य	शून्य
7.	कर्नाटक	कर्नाटक विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य
8.	मध्य प्रदेश	अवध प्रताप विश्वविद्यालय	3.19	13.63	शून्य
9.	मध्य प्रदेश	विक्रम विश्वविद्यालय	4.68	4.03	7.90
10.	मध्य प्रदेश	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	3.14	शून्य	शून्य
11.	महाराष्ट्र	बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय	3.40	शून्य	शून्य
12.	महाराष्ट्र	नागपुर विश्वविद्यालय	शून्य	9.54	शून्य
13.	महाराष्ट्र	पुणे विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	3.56
14.	पंजाब	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	9.20	1.81	5.42
15.	पंजाब	पंजाबी विश्वविद्यालय	10.88	12.32	शून्य
16.	उत्तर प्रदेश	मोती लाल नेहरू विश्वविद्यालय	2.27	1.87	4.59
17.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	11.22	4.34	7.75
18.	उत्तर प्रदेश	एच०एन० बहुगुणा विश्वविद्यालय	3.18	5.43	5.49
19.	उत्तर प्रदेश	बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	0.74	2.05	3.15
20.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ विश्वविद्यालय	3.53	4.78	4.89
21.	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य
22.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	शून्य	3.23	3.23
23.	सिक्किम	सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज	शून्य	शून्य	2.06
		कुल	56.58	77.57	62.74
1.	आन्ध्र प्रदेश	राव स्टडी सर्कल, हैदराबाद	शून्य	शून्य	1.69
2.	दिल्ली	एस०एन० दास गुप्ता कालेज	शून्य	शून्य	8.25
3.	दिल्ली	राव आई०ए०एस० स्टडी सर्किल	1.42	शून्य	शून्य
4.	दिल्ली	सचदेवा न्यू पी०टी० कालेज	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	एस०एस०सी०	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	एम्प्लायमेंट टुडे	शून्य	शून्य	शून्य
7.	दिल्ली	दिल्ली शिक्षा केन्द्र	शून्य	3.39	17.52
8.	महाराष्ट्र	टी०आई०एस०एस०	शून्य	शून्य	शून्य
9.	महाराष्ट्र	चैतन्य बहु० समिति	शून्य	शून्य	1.02
10.	महाराष्ट्र	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल एक्स०	शून्य	शून्य	6.90
11.	मध्य प्रदेश	रिचा समाज सेवा	शून्य	शून्य	0.93
12.	मध्य प्रदेश	श्री लव शिक्षा प्रा० समिति	शून्य	शून्य	0.93
13.	मध्य प्रदेश	जगन्नाथ शिक्षा प्रचार समिति	शून्य	शून्य	0.93
14.	मध्य प्रदेश	अशोक कोच सेन्टर	शून्य	शून्य	1.66
15.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोच सेन्टर, भोपाल	शून्य	8.44	शून्य
16.	मध्य प्रदेश	अशोक महिला मंडल, भिंड	शून्य	4.81	11.22
17.	मध्य प्रदेश	लाल बहादुर शिक्षा संख्या-1	शून्य	शून्य	0.48
18.	मध्य प्रदेश	बी०आर० अम्बेडकर, मऊ	शून्य	शून्य	1.87
19.	उड़ीसा	एल०सी० इन्स्टीट्यूट, भुवनेश्वर	शून्य	0.88	3.43
20.	उड़ीसा	उड़ीसा स्टडी सर्किल	शून्य	शून्य	1.25
21.	जम्मू और कश्मीर	इन्स्टीट्यूट ऑफ एम०पी०ए०, श्रीनगर	शून्य	शून्य	2.39
	कुल		58	95.09	123.21

अनुबन्ध-XI

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.69	शून्य	10.4105
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	4.64	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	8.90	शून्य	11.6059
5.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
7.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
9.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	24.51	शून्य	8.83375
11.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
12.	उड़ीसा	1.07	5.90	शून्य
13.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
14.	राजस्थान	2.73	शून्य	16.6179

1	2	3	4	5
15.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	22.5319
16.	उत्तर प्रदेश	44.46	शून्य	शून्य
17.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
18.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
20.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
22.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	90.00	5.90	70.00

अनुबन्ध-XII

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 198 संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान संघ/राज्य क्षेत्र तथा वर्षवार निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.00	294.68	361.33
2.	असम	—	—	—
3.	बिहार	9.50	50.00	—
4.	गोवा	0.70	0.575	—
5.	गुजरात	156.24	50.00	270.93
6.	हरियाणा	—	21.70	7.83
7.	हिमाचल प्रदेश	1.00	1.81	—
8.	कर्नाटक	15.50	136.68	170.70
9.	केरल	2.50	2.00	10.00
10.	मध्य प्रदेश	500.85	682.06	732.96
11.	महाराष्ट्र	23.00	50.00	100.00
12.	उड़ीसा	—	3.60	4.00
13.	पंजाब	10.70	20.64	25.00
14.	राजस्थान	16.00	50.00	50.00
15.	सिक्किम	—	0.25	1.00
16.	तमिलनाडु	14.550	100.00	50.00
17.	उत्तर प्रदेश	844.51	50.00	636.24
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	0.929	—
20.	दिल्ली	—	1.40	—
21.	दादरा और नगर हवेली	15.88	15.90	30.99
22.	पांडिचेरी	18.28	18.60	34.16
23.	दमन और दीव	—	—	9.01
	कुल	1647.00	1550.00	2494.16

अनुबन्ध-XIII(क)

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 कुल पारित लागत	1997-98 एनएसएफडीसी अंश	1997-98 संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1850.03	1233.06	1467.89
2.	अरूणाचल प्रदेश	47.68	35.37	32.14
3.	असम	817.47	706.38	474.10
4.	बिहार	258.50	204.05	शून्य
5.	चंडीगढ़	110.00	93.20	70.52
6.	दादरा, नागर हवेली एवं दमन और दीव	42.85	34.21	शून्य

1	2	3	4	5
7.	दिल्ली	144.35	100.85	105.00
8.	गोवा	20.80	17.70	21.48
9.	गुजरात	2159.37	1522.39	795.33
10.	हरियाणा	247.00	184.70	49.62
11.	हिमाचल प्रदेश	355.30	302.65	289.55
12.	जम्मू एवं कश्मीर	46.00	41.00	118.74
13.	कर्नाटक	678.88	526.18	1364.06
14.	केरल	415.64	342.12	340.09
15.	लक्षद्वीप	35.52	28.99	17.30
16.	मध्य प्रदेश	1395.43	1074.53	1294.53
17.	महाराष्ट्र	291.58	216.24	152.43
18.	मणिपुर	130.35	117.00	95.30
19.	मिजोरम	185.50	166.28	93.72
20.	नागालैंड	177.04	157.73	73.09
21.	उड़ीसा	1814.58	1614.59	754.08
22.	पांडिचेरी	108.43	85.14	34.37
23.	पंजाब	50.00	42.70	148.06
24.	राजस्थान	853.10	683.35	436.22
25.	सिक्किम	127.95	106.00	96.05
26.	तमिलनाडु	1168.32	791.77	847.64
27.	त्रिपुरा	362.40	324.85	248.30
28.	पश्चिम बंगाल	828.00	656.74	586.03
	कुल	14721.87	11399.75	10006.14

अनुबन्ध-XIII(ख)

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99 कुल पारित लागत	एनएसएफडीसी अंश	संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2992.46	1990.90	1782.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.78	14.31	8.90
3.	असम	615.68	513.23	626.40
4.	बिहार	1622.33	1240.69	1528.35
5.	चंडीगढ़	136.69	112.19	55.35
6.	दादरा, नागर हवेली तथा दमन और दीव	64.29	53.63	83.94
7.	दिल्ली	122.60	82.60	72.90
8.	गोवा	21.50	17.95	21.62
9.	गुजरात	1399.05	952.25	1239.50
10.	हरियाणा	458.60	337.30	280.50
11.	हिमाचल प्रदेश	310.86	255.91	244.35
12.	जम्मू एवं कश्मीर	203.00	167.60	33.40
13.	कर्नाटक	1207.25	904.05	397.63
14.	केरल	331.10	267.84	409.92
15.	लक्षद्वीप	12.38	8.76	26.85
16.	मध्य प्रदेश	2055.39	1603.79	1930.34
17.	महाराष्ट्र	133.56	99.77	29.85
18.	मणिपुर	122.51	103.75	167.06
19.	मिजोरम	123.15	105.86	214.96
20.	नागालैंड	183.39	161.75	185.44
21.	उड़ीसा	1088.56	908.07	954.69
22.	पांडिचेरी	119.01	97.50	80.92
23.	पंजाब	206.50	156.00	97.11
24.	राजस्थान	571.75	454.50	389.48
25.	सिक्किम	226.70	189.24	180.76
26.	तमिलनाडु	590.24	422.15	484.37
27.	त्रिपुरा	583.91	495.11	470.21
28.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	510.50
29.	पश्चिम बंगाल	1198.76	808.77	153.82
	कुल	16720.03	12525.48	12662.06

अनुबन्ध-XIII (ग)

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000 कुल परियोजना लागत	एनएसएफडीसी अंश	संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1850.03	1223.03	1467.89
2.	अरूणाचल प्रदेश	47.68	35.37	32.14
3.	असम	817.47	706.33	474.10
4.	बिहार	258.50	204.53	शून्य
5.	चंडीगढ़	110.00	93.10	70.52
6.	दादरा, नगर हवेली तथा दमन और दीव	42.85	34.31	शून्य
7.	दिल्ली	144.35	100.95	105.50
8.	गोवा	20.80	17.70	21.48
9.	गुजरात	2159.37	1522.39	795.33
10.	हरियाणा	247.00	184.70	49.62
11.	हिमाचल प्रदेश	355.30	302.85	289.55
12.	जम्मू एवं कश्मीर	46.00	41.00	118.74
13.	कर्नाटक	678.88	526.18	1364.06
14.	केरल	415.64	342.12	340.09
15.	लक्षद्वीप	35.32	20.99	17.30
16.	मध्य प्रदेश	1395.43	1074.53	1294.53
17.	महाराष्ट्र	291.58	210.24	152.43
18.	मणिपुर	130.35	117.00	95.30
19.	मिजोरम	185.50	166.23	93.72
20.	नागालैंड	177.04	157.59	73.09
21.	उड़ीसा	1814.58	1614.59	754.08
22.	पांडिचेरी	108.43	85.14	34.37
23.	पंजाब	50.00	42.70	148.06
24.	राजस्थान	853.10	683.35	436.22
25.	सिक्किम	127.95	106.00	96.05
26.	तमिलनाडु	1168.32	791.77	847.64
27.	त्रिपुरा	362.40	324.85	248.30
28.	पश्चिम बंगाल	828.00	656.74	586.03
	कुल	14721.87	11399.75	10006.14

अनुबन्ध-XIV (क)

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के अंतर्गत संवितरित ऋण, सहायता प्राप्त लाभाग्राहियों आदि के संबंध में राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98 परियोजनाओं की कुल लागत	एनएसएफडीसी अंश	संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	188.35	124.78	124.78
2.	महाराष्ट्र	255.27	191.32	191.32
3.	हिमाचल प्रदेश	82.10	69.81	68.11
	कुल	525.72	385.91	384.21

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99 परियोजनाओं की कुल लागत	एनएसएफडीसी अंश	संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान	146.00	124.10	99.28
2.	आंध्र प्रदेश	451.00	299.38	299.38
3.	चंडीगढ़	16.50	14.03	शून्य
4.	गुजरात	386.41	328.96	274.64
5.	बिहार	561.00	452.30	67.12
6.	मध्य प्रदेश	269.50	228.60	228.60
7.	पश्चिम बंगाल	116.10	98.69	98.69
8.	मणिपुर	63.00	53.55	23.53

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	17.40	13.05	शून्य
10.	असम	589.77	530.25	शून्य
	कुल	2616.68	2142.90	1091.23

अनुबन्ध-XIV(ख)

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 परियोजनाओं की कुल लागत	1999-2000 एनएसएफडीसी अंश	1999-2000 संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	966.66	516.82	515.82
2.	मिजोरम	54.26	48.46	48.46
3.	केरल	106.50	84.86	84.86
4.	चंडीगढ़	195.10	173.09	56.475
5.	पांडिचेरी	105.75	89.90	89.00
6.	आंध्र प्रदेश	393.00	248.30	348.30
7.	कर्नाटक	232.50	157.125	16[illegible]125
8.	गुजरात	556.49	462.995	517.315*
9.	महाराष्ट्र	9.99	8.99	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	114.58	82.25	82.25
11.	हिमाचल प्रदेश	74.00	61.40	50.00
12.	राजस्थान	201.00	170.85	शून्य
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
14.	असम	36.52	32.87	95.15**
15.	दिल्ली	46.20	41.58	41.58
	कुल	3092.55	2179.49	2015.77

* 517.35 लाख रुपये में वर्ष 1998-99 के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के प्रति 54.32 लाख रुपये शामिल हैं।

** वर्ष 1998-99 के लिए स्वीकृत परियोजना के प्रति 99.15 लाख रुपये निर्गमित किए गए हैं।

अनुबन्ध-XV

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निर्गमित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

1. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 निर्गमित निधियां	1999-2000 निर्गमित निधियां	1997-98 निर्गमित निधियां
1	2	3	4	5
1.	बिहार	84.60	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य	325.00	शून्य
3.	मध्य प्रदेश	64.00	शून्य	शून्य
4.	त्रिपुरा	1.40	100.00	शून्य

2. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 निर्गमित निधियां	1999-2000 निर्गमित निधियां	1997-98 निर्गमित निधियां
1	2	3	4	5
1.	बिहार	196.50	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	116.00	324.26	शून्य
3.	मध्य प्रदेश	159.00	शून्य	शून्य
4.	त्रिपुरा	3.00	55.00	शून्य
5.	कर्नाटक	शून्य	118.00	शून्य

3. अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 निर्गमित निधियां	1999-2000 निर्गमित निधियां	1997-98 निर्गमित निधियां
1	2	3	4	5
1.	बिहार	120.53	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य	144.26	शून्य
3.	मध्य प्रदेश	10.00	शून्य	शून्य
4.	राजस्थान	शून्य	57.48	शून्य
5.	कर्नाटक	शून्य	78.26	शून्य
6.	सिक्किम	शून्य	20.00	शून्य

अस्पताल (चेन्नई) में औषधियां/चिकित्सक

3531. **डा० वी० सरोजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चेन्नई में के.स.स्वा. योजना अस्पतालों में चिकित्सकों और औषधियों की कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों में औषधियां उपलब्ध कराने और पर्याप्त संख्या में चिकित्सक तैनात करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चेन्नई के लिए कुल 85 सी.एच.एस. डाक्टरों (जी डी एम ओ एस और विशेषज्ञ) की स्वीकृत संख्या में से 15 पद रिक्त पड़े हैं जिनके लिए मांग पत्र संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए हैं और जैसे ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवार भेजे जाएंगे रिक्तियों को भरा जा सकेगा।

के.स.स्वा. योजना चेन्नई में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के कुल 6 डाक्टरों की स्वीकृत संख्या में से इस समय कोई पद खाली नहीं है।

के.स.स्वा. योजना, चेन्नई के अन्तर्गत आने वाले औषधालयों में अधिकांश सामान्य औषधियां उपलब्ध हैं। तथापि, कुछ औषधियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें प्रत्येक नुस्खे के अनुसार अधिकृत स्थानीय केमिस्ट से खरीदा जाता है। के.स.स्वा. योजना चेन्नई के औषधियों की आपूर्ति स्थिति में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

कृषि आधारित लघु केन्द्र

3532. **श्री गुनीपाटी रामैया : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने कृषि आधारित लघु केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कोई भी कृषि आधारित लघु केन्द्र स्थापित नहीं किया है। तथापि, के वी आई सी ने अपने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योगों के लाभार्थ कुछ सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किए हैं। अब तक के वी आई सी द्वारा देश के विभिन्न भागों में ऐसे 14 सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु 1.91 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण

3533. **श्री मणि शंकर अय्यर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 55वें घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली वर्ष 1993-94 में किए गए सर्वेक्षण पर लागू की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या 1993-94 में अपनाई गई कार्य प्रणाली को 55वें सर्वेक्षण पर लागू किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) इसके लिए उपरोक्त कोई भी पद्धति स्वीकार न किए जाने की स्थिति में योजना आयोग के अनुमानों में काफी अंतर कार्यप्रणाली में लाए गए बदलाव के कारण होता है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथ योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) योजना आयोग ने आंकड़ा संग्रहण रीतिविधान में परिवर्तन के लिए जिम्मेवार विभिन्नता की प्रतिशतता का कोई अनुमान नहीं लगाया है।

चादरों और तौलियों के लिए निविदा

3534. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री रामजी मांझी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 22 नवम्बर, 2000 और 31 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 471 तथ 1259 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सूचना को कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। जहां तक डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल का संबंध है, विभिन्न मदों की आपूर्ति के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पताल में कपड़े के सामान के लिए खुली निविदाएं नहीं आमंत्रित की गई। लेकिन ये सामान केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार, एन टी सी, के बी आई सी और डी एस आई डी सी जैसी सरकारी एजेंसियों से सीमित निविदाओं के आधार पर प्राप्त किए गए। ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल

वर्ष	निविदा खुलने की तारीख
1996-97	18.10.1996
1998-99	23.02.1998
1999-2000	21.06.1999 और 31.01.2000

सफदरजंग अस्पताल

वर्ष	निविदा खुलने की तारीख
1997-98	08.08.1997
1998-99	02.02.1999
1999-2000	07.04.2000

टेंडरों को अंतिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि खुली निविदा आमंत्रित करके कोई चादरें नहीं खरीदी गई थी।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों सहित स्वास्थ्य विभाग में सभी खरीद उपयुक्त प्रक्रिया के बाद की जाती है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि उनके नियंत्राणाधीन अस्पतालों द्वारा कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई।

कपड़े के सामान की दर के ब्यौरे जिसमें केन्द्रीय सरकार के अस्पताल, अर्थात् डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल के लिए खरीदी गई चादरें भी शामिल हैं, चादरों के आकार उनके मेक के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल द्वारा उच्चतर दरों पर मानक मदें नहीं खरीदी गई। तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली की दो फर्मों और मेरठ की दो फर्मों तथा दोनों अस्पताल के कुछ कर्मचारियों द्वारा दोनों अस्पतालों को गॉज-थान और कट बैंडेज की आपूर्ति के संबंध में दो मामले दर्ज किए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि मामले सक्रिय रूप से अन्वेषणाधीन हैं और यथाशीघ्र जांच पूरी करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल

क्र० सं०	मद का नाम	विनिर्देश	वर्ष	दर (रु० में)	आपूर्तिकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	चादर	2.5x1.75 मीटर की	1998-99	130	मैसर्स सनबीम
		चादर में 4 से.मी.x 2.5	1999-00	154	मैसर्स केन्द्रीय भंडार
		मीटर में डा० राम मनोहर			मैसर्स सनबीम
		लोहिया अस्पताल अंकित			मैसर्स रूडेक्स
2.	चेयर कुशन		1998-99	98	मैसर्स लायड
			1999-00	99	मैसर्स आर के सर्जिकल

1	2	3	4	5	6
3.	ड्रा शीट		1996-97	81	मैसर्स ब्लैक पार्टरीज
			1997-98	70	मैसर्स तरूण मेडिकल
			1999-00	85	मैसर्स जे एम डी हाउस
4.	काटन पिल्लो		1996-97	80	खादी ग्रमोद्योग
			1998-99	60	सोनी सर्जिकल
			1999-00	75	आर के सर्जिकल
5.	डाक्टर्स कोट		1996-97	227.91	कांटीनेन्टल इन०
			1998-99	158	गीता हास्पिटल
			1999-00	134	भारती टैक्स
6.	हैन्ड टावेल		1996-97	—	
			1998-99	17.75	सूर्या इन्टरप्राइजेज
			1999-00	22	कनवर इन्टरप्राइजेज
7.	पिल्लो कवर		1996-97	45-47	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	26	अनिल कुमार एंड क०
			1999-00	34	आर के सर्जिकल
8.	सर्जन कुर्ता		1996-97	61-80	तरूण मेडिकल
			1998-99	67	सनबीम
			1999-00	60	रूडेक्स
9.	सर्जन पायजामा		1996-97	60	तरूण मेडिकल
			1998-99	62	सनबीम
			1999-00	60	रूडेक्स
10.	सर्जिकल टावेल		1996-97	35.50	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	35.50	खादी ग्रामोद्योग
			1999-00	44	कंवर इंटरप्राइजेज
11.	सर्जन गाऊन		1996-97	125	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	95	तरूण मेडिकल
			1999-00	87-90	भारती टैक्सटाइल
12.	बाथ टावेल		1996-97	106.25	तरूण मेडिकल
			1998-99	99	सोनी सर्जिकल
			1999-00	89	आर के सर्जिकल सनफेब
13.	डस्टर्स		1996-97	17.50	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	12	सोनी सर्जिकल
			1999-00	10.75	सनबीम
14.	डोर कर्टेन		1996-97	42.27 मी.	हरियाणा एम्पार.
			1998-99	44 कर्टेन	सोनी सर्जिकल
			1999-00	136 कार्टेन	टीवीएसएस इन्टरप्राइज

Scanned by CamScanner

2	3	4	5	6
15. फलौर माप्स		1996-97	41.50	खादी ग्रामोद्योग
		1998-99	38	एनसीसीएफ
		1999-00	12.75	भारती टैक्सटाइल
16. रेड ब्लैंकेट		1996-97	294.50	हरियाणा एम्पायर
		1998-99	330	खादी ग्रामोद्योग
		1999-00	290	टापटेक्स वूलेन्स
			236	सोनी सर्जिकल
17. एबडोमिनल शीट		1996-97		
		1998-99	106	सनबीम
		1999-00	77	इन्डो सर्जिकल

सफदरजंग अस्पताल

क्र० सं०	मद का नाम	विनिर्देश	वर्ष	दर (रु० में)	आपूर्तिकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	चादर	260 × 150 से०मी०	1997-98	140	सोनी सर्जिकल
			1998-99	137.5	सोनी सर्जिकल
			1999-00	130	जे एम डी हाऊस
2.	हैंड टावेल		1997-98	19.40	अनिल कुमार
			1998-99		
			1999-00	17.50	अनिल कुमार
3.	ब्लैंकेट		1997-98	223	टापटेक्स वूलन
			1998-99	220	इन्डो सर्जिकल एजेंसी
			1999-00	210	सोनी सर्जिकल
4.	सर्जन गाऊन		1997-98	135	गीता हास्पिटल
			1998-99	129	इन्डो सर्जिकल
			1999-00	128	जे एम डी हाऊस
5.	टेबल शीट		1997-98	41.98	सनबीम
			1998-99	40	इन्डो सर्जिकल
			1999-00	35	जे एम डी हाऊस
6.	स्पिनल शीट		1997-98	43.98	सनबीम
			1998-99	44	सोनी सर्जिकल
			1999-00	37	जे एम डी हाऊस
7.	ग्रिल डोर कर्टेन		1997-98	75	आशी इन्टरप्राईजेज
			1998-99	77	इन्डो सर्जिकल एजेंसी
			1999-00	67	जे एम डी हाऊस

1	2	3	4	5	6
8.	डाक्टर्स अप्रान		1997-98	184	सोनी सर्जिकल
			1998-99	184	सोनी सर्जिकल
			1999-00	119	सोनी सर्जिकल
9.	प्रिन्टेड डोर कर्टेन		1997-98	90	आशी इन्टरप्राइजेज
			1998-99	110	
			1999-00		सोनी सर्जिकल
10.	फिमेल मैक्सी		1997-98	74	गीता हास्पिटल
			1998-99	78	सोनी सर्जिकल
			1999-00	74	भारती टैक्सटाइल
11.	एबडोमिनल शीट		1997-98	92	गीता हास्पिटल
			1998-99		
			1999-00		सोनी सर्जिकल
12.	आई शीट		1997-98	29	सोनी सर्जिकल
			1998-99		
			1999-00		
13.	एबडोमिनल स्पांग		1997-98		
			1998-99	6.40	सोनी सर्जिकल
			1999-00	6.00	जे एम डी हाऊस
14.	बाथ टावेल		1997-98		
			1998-99	82	गीता हास्पिटल
			1999-00		
15.	डाक्टर्स ब्लैंकेट		1997-98		
			1998-99	280	सोनी सर्जिकल
			1999-00	227	सोनी सर्जिकल
16.	ड्रा शीट		1997-98		
			1998-99	53	गीता हास्पिटल
			1999-00	52.40	सोनी सर्जिकल
17.	लेगिंगस		1997-98		
			1998-99	60	इन्डो सर्जिकल एजेंसीज
			1999-00	31	भारती टैक्सटाइल
18.	सर्जन कोट एंड पायजामा		1997-98		
			1998-99	110	सोनी सर्जिकल
			1999-00	104	सोनी सर्जिकल

लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कालेज एवं एसोसिएटेड हास्पिटल्स

क्र० सं०	मद का नाम	विनिर्देश	वर्ष	दर (रु० में)	आपूर्तिकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	चादर	1.50 × 2.74 मी०	1997-98	131.50 प्लस स्टिचिंग	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	153.44 प्लस स्टिचिंग	एन टी सी
			1999-00	155	डी एस आई डी सी
2.	वूलेन ब्लैंकेट		1997-98	390	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	390	खादी ग्रामोद्योग
3.	सर्जन गाऊन		1997-98	160	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	200	खादी ग्रामोद्योग
			1999-00	205	खादी ग्रामोद्योग
4.	कुर्ता सर्जनान		1997-98	105	खादी ग्रामोद्योग
			1999-00	103	केन्द्रीय भण्डार
5.	पायजामा		1997-98	105	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	90.60	केन्द्रीय भंडार
6.	ड्रा शीट		1999-00	75	केन्द्रीय भंडार
7.	गायने शीट		1999-00	45.60	केन्द्रीय भंडार
8.	ड्रेसिंग टावेल		1999-00	45.60	केन्द्रीय भंडार
9.	आई शीट		1999-00	45.60	केन्द्रीय भंडार
10.	आई शेड		1999-00	15	डी एस आई डी सी

मक्का की किस्में विकसित करना

3535. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ने देश के शुष्क क्षेत्रों में मक्का की अधिक उपज वाली किस्में विकसित करने के लिए कार्य दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य दल को कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(घ) आई०सी०ए०आर० के संस्थान द्वारा इस क्षेत्र में अब तक विकसित की गई किस्मों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या यह सही है कि आई०सी०ए०आर० के संस्थानों द्वारा विकसित मक्का की किस्मों की पैदावार अपेक्षानुसार नहीं रही है;

(च) क्या सरकार ने मक्का की उपयुक्त किस्में विकसित करने के लिए विदेशी संस्थानों से संपर्क किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) मक्का पर अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना वर्ष 1957 में आरम्भ की गई थी। वर्ष 1994-95 में इसका दर्जा बढ़ाकर इसे मक्का अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। यह निदेशालय देश में स्थान विशिष्ट बहु-स्थानिक अनुसंधान नेटवर्क पर विशेष ध्यान दे रहा है। बारानी परिस्थितियों के लिए मक्का की उच्च पैदावार वाली किस्मों का विकास तथा इनकी उत्पादन प्रौद्योगिकी मक्का अनुसंधान निदेशालय के अंतर्गत चल रहे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम हैं क्योंकि देश में मक्का की खेती का लगभग 75 प्रतिशत

क्षेत्र बारानी है। मक्का अनुसंधान निदेशालय की संस्थागत व्यवस्था को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस उद्देश्य से किसी कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हाल ही के वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न बारानी क्षेत्रों में खेती-योग्य 10 किस्में/संकर विकसित किए हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित मक्का की किस्मों/संकरों से उच्च पैदावार प्राप्त होती है। इनमें से जल्दी पकने वाली श्रेणी में 2 से 4.5 टन प्रति हैक्टर खरीफ फसल के पूरे मौसम में 6.5 टन तक प्रति हैक्टर तथा रबी फसल के पूरे मौसम में 10 टन प्रति हैक्टर तक पैदावार प्राप्त होती है।

(च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मैक्सिको स्थित अन्तर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं अनुसंधान संस्थान के साथ मिलजुल कर कार्य कर रही है तथा इसने बारानी क्षेत्रों के लिए और बेहतर किस्मों तथा संकर विकसित करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(छ) मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं अनुसंधान संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए अंतर-प्रजनित वंशक्रमों का भारतीय मक्का कार्यक्रम में प्रयोग किया जा रहा है ताकि उच्च गुणवत्ता की प्रोटीनयुक्त मक्का की उच्च उपजशील किस्में विकसित की जा सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं अनुसंधान संस्थान, मैक्सिको के बीच फरवरी, 2001 में चार वर्षीय कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1994-2000 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्षा पर आधारित कृषि हेतु विकसित एवं जारी की गयी मक्का की किस्मों और संकर किस्मों का ब्यौरा

क्र० सं०	किस्मों/संकर-किस्मों के नाम	वर्ष जब जारी किए गए	उत्पादन क्षमता टन/हेक्टेयर	अपनाने वाले क्षेत्र
1.	कम्पोजिट मेघा	1994	2.0-3.5	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली
2.	कम्पोजिट माही कंचन	1995	2.0-3.5	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
3.	पूसा अर्ली हाईब्रिड मक्का-1	1997	2.5-4.0	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश
4.	पूसा अर्ली हाईब्रिड मक्का-2	1997	2.5-4.0	— वही —
5.	हाइब्रिड प्रकाश	1997	3.0-4.5	पूरे देश में
6.	हाईब्रिड हिम 129	1997	3.0-4.5	उत्तर प्रदेश का हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
7.	विवेक हाइब्रिड 4	1999	4.0-4.5	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश
8.	हाइब्रिड गौरव	1999	3.0-4.5	— वही —
9.	विवेक हाइब्रिड 9	2000	3.0-4.5	जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर-पूर्व हिमालय क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु
10.	पूसा अर्ली हाइब्रिड मक्का 3	2000	3.0-4.5	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु,

[हिन्दी]

हज यात्रा

3536. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री बाबूभाई के० कटारा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष हज यात्रा के लिए गुजरात से कितने लोगों ने अनुरोध किया है;

(ख) इनमें से कितने लोगों के अनुरोधों को स्वीकार किया गया

और कितने अनुरोधों को अस्वीकार किया गया और इस वर्ष कितने लोगों ने हज यात्रा की;

(ग) क्या वहां भगदड़ की कोई घटना हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे;

(ङ) इस घटना में कितने भारतीय हज तीर्थयात्री मारे गए और कितने घायल हुए; और

(च) मृत तीर्थयात्रियों का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया और किस रीति से किया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) गुजरात से कुल 7783 अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ख) सभी अनुरोध मंजूर कर लिए गए थे, तथापि 7,228 लोगों ने हज यात्रा की और शेष 555 लोगों ने हज यात्रा रद्द करने के लिए आवेदन किए।

(ग) जी, हां।

(घ) मीना में जहां शैतान पर पत्थर मारने की प्रथा है वहां जमारात में 5 मार्च 2001 में भगदड़ हुई। ऐसा उस क्षेत्र में हाजियों की अत्यधिक भीड़ के कारण हुआ, जो अपना सामान भी उठाए हुए थे, इसी से उस क्षेत्र में अन्दर बाहर जाना धीरे-धीरे हो रहा था।

(ङ) तीन भारतीय राष्ट्रिक मारे गए और पांच घायल हो गए।

(च) उन मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों की इच्छा के अनुरूप उन्हें साऊदी अरब राज्य में प्रचलित इस्लामिक प्रथा के अनुसार मक्का में दफना दिया गया।

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए आवासी स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

3537. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री ए० ब्रह्मनैया :
श्री तिरूनावकरसू :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और एन.आई.वी.एच. ने देश में दृष्टिहीन आवासीय स्कूलों के लिए मॉडल स्कूल और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार को इन स्कूलों में अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार के कदाचार की जानकारी मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार ने देश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सांख्यिकीय विवरण को अद्यतन बनाया है; और

(छ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (एन.आई.वी.एच.) अन्य बातों के साथ-साथ दृष्टि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा सहित पुनर्वास के लिए तकनीकी समर्थन प्रदान करता है। एन.आई.वी.एच. दृष्टि विकलांगों के लिए एक मॉडल स्कूल तथा वयस्क दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र चलाता है। इसके चेन्नई स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर दृष्टि विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूलों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार संख्या को विनिर्दिष्ट करने वाला ब्यौरा विवरण-I संलग्न है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहित शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। 2000-2001 के दौरान योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या तथा दी गई वित्तीय सहायता की राशि का राज्यवार ब्यौरा संबंधी विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन स्कूलों के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार के कदाचार की जानकारी नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग व्यक्तियों की संख्या संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए वर्ष 1991 के दौरान एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (47वां दौर) किया है। भारत की जनगणना, 2001 के दौरान प्रचार में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित एक प्रश्न 'घरेलू अनुसूची' में शामिल किया गया है।

विवरण-I

दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए व विशेष स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार संख्या को दर्शानेवाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	स्कूलों की संख्या	पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	3
2.	असम	7	1
3.	बिहार	14	1
4.	चंडीगढ़	1	—
5.	एनसीटी आफ दिल्ली	8	1
6.	गुजरात	14	4
7.	हरियाणा	3	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—
9.	जम्मू और कश्मीर	2	—
10.	कर्नाटक	14	2
11.	केरल	13	5
12.	मध्य प्रदेश	24	4
13.	महाराष्ट्र	47	14
14.	मेघालय	2	1
15.	मिजोरम	1	—
16.	उड़ीसा	15	1
17.	पांडिचेरी	1	—
18.	पंजाब	5	2
19.	राजस्थान	7	4
20.	सिक्किम	24	1
21.	तमिलनाडु	16	8
22.	त्रिपुरा	—	1
23.	उत्तर प्रदेश	12	4
24.	पश्चिम बंगाल	1	2
	कुल	249	59

विवरण-II

वर्ष 2000-01 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या तथा दी गई वित्तीय सहायता की राशि के राज्यवार ब्यौरे को दर्शानेवाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	राशि रुपये में
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	90	115489986
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	632430
3.	असम	8	2993216
4.	बिहार	7	8594257
5.	चंडीगढ़	1	451616
6.	छत्तीसगढ़	1	907560
7.	एनसीटी दिल्ली	34	54873601
8.	गोवा	2	1264230
9.	गुजरात	20	9810553
10.	हरियाणा	14	7485492
11.	हिमाचल प्रदेश	2	1584711
12.	जम्मू और कश्मीर	1	323760
13.	कर्नाटक	50	48253444
14.	केरल	52	43200585
15.	मध्य प्रदेश	10	2721982
16.	महाराष्ट्र	17	18215579
17.	मणिपुर	5	5475235
18.	मेघालय	5	4638419
19.	मिजोरम	2	2555145
20.	नागालैंड	1	282902
21.	उड़ीसा	17	19513636
22.	पांडिचेरी	1	658890
23.	पंजाब	9	8638812

1	2	3	4
24.	राजस्थान	10	8876605
25.	तमिलनाडु	36	36310964
26.	त्रिपुरा	1	602208
27.	उत्तर प्रदेश	55	74870602
28.	उतरांचल	5	9507298
29.	पश्चिम बंगाल	39	43712150

स्टिल-बैल रोड को पुनः खोला जाना

3538. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टिल बैल रोड को पुनः खोले जाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) समीपवर्ती व्यापार के लिए अतिरिक्त बिन्दुओं को खोलने के विषय पर म्यांमार की सरकार के साथ चर्चा हुई है। हालांकि म्यांमार की सरकार सिद्धांत रूप में अतिरिक्त सीमावर्ती बिन्दुओं को खोलने पर सहमत हो गई है फिर भी वे इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले मोरेह तामु पर मौजूदा सीमावर्ती व्यापार के सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करना चाहेंगे।

पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका

3539. श्री विनय कुमार सोराके :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री बी०के० पार्थसारथी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरिल शेरॉन के प्रधान मंत्री बनने के बाद भारत इस्राइल के साथ संबंधों के बारे में अपने विकल्पों की समीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए देश की संभावित भूमिका क्या होगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) सरकार की नीति राष्ट्रीय हित के मसलों पर इजराइल के साथ संबंध बनाये रखना और इस क्षेत्र में शांति लाने के उद्देश्य से की गयी पहलों का समर्थन करने की है। सरकार पश्चिमी एशिया की शांति, स्थायित्व और विकास में पूरी रुचि रखती है जो भारत के विस्तारित पड़ोस में हैं।

भारत सरकार पश्चिमी एशिया की घटनाओं के संबंध में इजरायली और फिलीस्तीनी नेताओं के संपर्क में है और इसका मानना है कि इसमें शामिल मसले काफी जटिल एवं संवेदनशील हैं। इसलिए सभी पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे संयम बरते, भड़काऊ कार्रवाइयों से बचे और उन कृत्यों से परहेज करें जिससे शांति की संभावना को हानि पहुंचती हो।

वीजा प्रदान किया जाना

3540. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 और 2000 के दौरान पंजाब और भारत के अन्य भागों में ऐतिहासिक सिक्ख तीर्थ-स्थलों का दौरा करने के लिए पाकिस्तानी नागरिकता वाले कितने सिखों को वीजा प्रदान किए गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान भारत के विभिन्न भागों में हिन्दू स्थलों का दौरा करने वाले पाकिस्तानी नागरिकता वाले कितने हिन्दुओं को वीजा प्रदान किए गए;

(ग) क्या वीजा दिए जाने की प्रक्रिया में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे के राष्ट्रिकों को वीजा प्रदान किया जाना सामान्यतः दोनों देशों के बीच हुए वीजा करार के अंतर्गत आता है। इस करार में ऐतिहासिक और पवित्र पूजा स्थलों की यात्रा के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को विशेषतया वीजा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। नामित पूजा स्थलों की सामूहिक यात्राएं धार्मिक पूजा स्थलों की यात्रा से संबद्ध द्विपक्षीय प्रोतोकोल के तहत आती हैं। इस प्रोतोकोल के अंतर्गत मुस्लिम तीर्थयात्रियों के समूह भारत आते हैं और सिख तथा हिन्दू जत्थे पाकिस्तान जाते हैं। तथापि विशेष मामलों में भारत सरकार पाकिस्तानी हिन्दुओं और सिखों की भारत की सामूहिक यात्राओं की अनुमति देती है।

पिछले दो वर्षों के दौरान पाकिस्तान से आने वाले सिख और हिन्दू तीर्थयात्रियों को जारी किये गये वीजाओं की संख्या निम्नलिखित है :

(i) पाकिस्तान से आने वाले सिख तीर्थयात्रियों को जारी किये गये वीजा :

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की सं०	अस्वीकृत आवेदनों की सं०	जारी किये गये वीजाओं की सं०
1999	352	शून्य	352
2000	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) पाकिस्तान से आने वाले हिन्दु तीर्थयात्रियों को जारी किये गये वीजा :

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की सं०	अस्वीकृत आवेदनों की सं०	जारी किये गये वीजाओं की सं०
1999	264	शून्य	264
2000	132	शून्य	132

(ग) पाकिस्तान में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के तीर्थयात्रियों को वीजा प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं होता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम पी एल ए डी एस का धीमा कार्यान्वयन

3541. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
प्रो० दुखा भगत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत योजना के धीमे कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राजस्थान, विशेष तौर पर जयपुर शहर के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है और इनमें से कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) सरकार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के धीमे कार्यान्वयन के संबंध में कुछ संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समय-समय पर जिला कलेक्टरों एवं राज्य सरकारों को सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने का सुझाव देता है। जिला कलेक्टरों को कार्य की प्रकृति के अनुसार एक समय सीमा बनाने एवं उसका अनुपालन करने का परामर्श दिया गया है। दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्यों के प्रबोधन एवं समीक्षा के लिए एक विस्तृत कार्यनीति का प्रावधान किया गया है। उसके अनुसार, जिलाध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष शुरू किए गए कार्यों के कम से कम 107 का निरीक्षण करना होता है। कार्यकारी अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कार्यस्थलों का नियमित रूप से दौरा करना होता है तथा सुनिश्चित करना होता है कि कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहे हैं। उप-मंडलों तथा यह खंड स्तर पर जिलों के अधिकारी भी कार्यस्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करते हैं। जिलाध्यक्षों को जहां तक संभव हो ऐसे निरीक्षण एवं प्रबोधन कार्यों में संसद सदस्यों को शामिल करना होता है तथा दो महीने में एक बार उन्हें प्रबोधन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

(घ) राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि राजस्थान में 24920 कार्यों को मंजूरी दी गई है तथा जयपुर शहर में, 210 योजनाएं मंजूर की गई हैं। जयपुर में मंजूर की गई 210 योजनाओं में से, 105 कार्यों के पूर्ण होने की सूचना मिली है तथा शेष 105 कार्य प्रगति पर हैं।

[अनुवाद]

गोकुल ग्राम योजना

3542. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में "गोकुल ग्राम योजना" के लिए गुजरात सरकार को कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) वर्षवार अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इस योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया; और

(घ) वर्ष 2001-2002 के लिए कितनी राशि आबंटित की जाएगी और कितने गांवों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) गोकुल ग्राम योजना (जीजीवाई) राज्य योजना की एक स्कीम है जिसे गुजरात की राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 में राज्य के सभी गांवों में वर्ष (1995-2000) तक पांच वर्षों की निश्चित समय-सीमा के अंदर मूलभूत आधारिक संरचना देने के लिए शुरू किया था। बाद में इस परियोजना को छोड़ दिया गया। तथापि, परियोजना को 1.4.1999 से पुन: शुरू किया गया था।

पिछले तीन वर्षों 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के लिए जीजीवाई का अनुमोदित परिव्यय क्रमश: 150 करोड़ रुपये, 141 करोड़

रुपये तथा 141 करोड़ रुपये था। इन अनुमोदित परिव्ययों में केन्द्र द्वारा दी गई 1998-99 में 21.00 करोड़ रुपये, 1999-2000 में 60.00 करोड़ रुपये तथा 2000-01 में 30.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) शामिल है। राज्य सरकार द्वारा एसीए का उपयोग कर लिया गया है।

(ग) जीजीवाई के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान कवर किए गए गांवों की संख्या वर्ष-वार नीचे दी गई है:-

वर्ष	कवर किए गए गांवों की संख्या
1998-99	3668
1999-2000	3658
2000-01	3676
कुल	11,002

(घ) जीजीवाई के तहत् 2001-02 में कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या एवं निधियों के बारे में वार्षिक योजना की बैठक के समय निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों की वस्तुओं के आरक्षण संबंधी नीति

3543. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के वर्तमान लघु उद्योगों की वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने के लिए नीतियां बनाए जाने की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) जी, नहीं। औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत गठित की गई परामर्श समिति विद्यमान है जोकि लघु उद्योग क्षेत्र के हित को मद्देनजर रखते हुए समय-समय पर सरकार को आरक्षित सूची में मदों को जोड़े जाने और उससे हटाए जाने के बारे में सिफारिशें करती है।

[अनुवाद]

भारतीय भूमि को पुनः प्राप्त किया जाना

3544. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की भूमि का कितना क्षेत्र भारत के पड़ोसी देशों के कब्जे में है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) **पाकिस्तान :**

जम्मू तथा कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है। राज्य का लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे में है।

चीन

चीन ने जम्मू तथा कश्मीर के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा, 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा करार के अंतर्गत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को अवैध रूप से सौंप दिया है।

नेपाल

बिहार सरकार ने बताया है कि पश्चिमी चम्पारन जिले में गंडक नदी के साथ-साथ नरसाही सुस्ता में 5000 एकड़ से अधिक (लगभग 20.23 वर्ग किलोमीटर) भूमि पर नेपाली राष्ट्रिकों ने अतिक्रमण कर लिया है। पिछले कई दशकों से नदियों की दिशा में प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होने के कारण इस क्षेत्र में भारत तथा नेपाल के बीच सीमा की सिधाई की अवधारणा के संबंध में मतभेद है।

बंगलादेश

भारत बंगलादेश सीमा पर कुछ क्षेत्र हैं जो उन अन्य देश के राष्ट्रिकों के कब्जे में हैं जिनकी वह जमीन नहीं है (प्रतिकूल कब्जा) ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा में हैं।

(ग) **पाकिस्तान :**

पाकिस्तान सरकार के साथ सभी मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय चर्चा के द्वारा हल करने के लिए प्रतिबद्ध है जैसा कि शिमला समझौते और लाहौर घोषणा में विचार किया गया है।

चीन

भारत और चीन शांतिपूर्ण परामर्शों के जरिए सीमा के प्रश्न का निष्पक्ष, युक्तिसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान चाहते हैं।

नेपाल

इस मामले पर नेपाल की सरकार के साथ विभिन्न अवसरों पर चर्चा की गई है यह मामला इस समय संयुक्त तकनीकी स्तरीय भारत नेपाल सीमा समिति के विचाराधीन है जिसका गठन गायब हुए सीमावर्ती खम्भों की पहचान करने और उन्हें पुन: स्थापित करने तथा अन्य संदिग्धताओं का समाधान करने के लिए किया गया था जो नदियों की दिशा में बदलाव होने से कुछ क्षेत्रों में हो गई थी; संयुक्त तकनीकी समिति की पिछली (तेईसवीं) बैठक दिसंबर, 2000 में हुई। जुलाई/अगस्त, 2000 में नेपाल के प्रधान मंत्री श्री जी०पी० कोईराला की भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त तकनीकी समिति को यह निर्देश दिया कि वह सहमत समय सीमा के भीतर उसे सौंपे गए कार्यों को शीघ्र पूरा करे।

बंगलादेश

भारत गणराज्य की सरकार और बंगलादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच भारत और बंगलादेश के बीच भू सीमा के सीमांकन तथा उससे सम्बद्ध मामले से संबंधित करार में भूमि के प्रतिकूल कब्जों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। इन मसलों पर हाल ही में 13-14 दिसंबर, 2000 को नई दिल्ली में संपन्न विदेश सचिव स्तर की बातचीत में चर्चा हुई। दोनों पक्ष सीमा का सीमांकन पूरा करने, प्रतिकूल कब्जे वाले अन्त: क्षेत्रों तथा क्षेत्रों का आदान-प्रदान करने से निपटने के लिए कार्य दलों के गठन पर सहमत हुए। भारत सरकार ने संयुक्त सीमा कार्यदलों के विचारार्थ विषयों का प्रस्ताव किया है, बंगलादेश की सरकार के जवाब की प्रतीक्षा है। भारत सरकार शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए सीमा से संबंधित सभी मसलों का शीघ्र समाधान निकालने के प्रति वचनबद्ध है।

सफाई कर्मियों के लिए गैर-सरकारी संगठन

3545. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सफाई कर्मियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने और प्रभाव संबंधी आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष देने के लिए मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किसी गैर-सरकारी संगठन को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन पूरा हो चुका है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सही है कि जिस गैर-सरकारी संगठन को अध्ययन का कार्य सौंपा गया है वह संगठन अनियमितताओं के कारण कई राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों की काली-सूची में शामिल है और उसे राज्य सरकारों से ली गई अग्रिम राशि लौटाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठन को अध्ययन कार्य सौंपे जाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) दिनांक 22 जुलाई, 1998 को आयोजित बैठक में अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्य स्वरूप की समर्थक परियोजनाओं संबंधी योजना (अनुसंधान और प्रशिक्षण) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सुलभ इंटरनेशनल सोसल सर्विस आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली को "सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन" शीर्षक से एक मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया। तदनुसार दिनांक 9.9.1998 को अनुदान की प्रथम किस्म निर्मुक्त की गई।

तत्पश्चात्, बिहार सरकार ने फरवरी, 1999 में एक पत्र भेजा जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उक्त संगठन "सुलभ इंटरनेशनल" के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच की जा रही है। चूंकि मूल्यांकन अध्ययन पहले ही शुरू किया जा चुका था और निधि की प्रथम किस्त निर्मुक्त कर दी गई थी, अध्ययन को पूरा करने का निर्णय लिया गया। इस बीच संगठन ने अध्ययन पूरा कर लिया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

बंची टॉप रोग

3546. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल की फसल के संबंध में आई.सी.ए.आर. के अंतर्गत सी.पी.सी.आर.आई. की अनुसंधान प्राथमिकता क्या है;

(ख) केले को प्रभावित करने वाली "बंची टॉप रोग" के लिए अनुसंधान से क्या निवारण उपाय—उपलब्ध हुआ है; और

(ग) क्या उक्त उपाय इस रोग के लिए कारगर है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) नारियल की फसल के संबंध में सी.पी.सी.आर.आई., कासरगोड की अनुसंधान प्राथमिकताएं हैं—अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करना, उत्पादन, सुरक्षा और प्रसंस्करण की उपयुक्त प्रौद्योगिकियां, आनुवंशिक

संसाधनों का संरक्षण, उत्पाद विविधताएं, मूल्यवर्धन तथा नारियल आधारित कृषि प्रणाली।

(ख) और (ग) अनुसंधान से प्राप्त केले के गुच्छ शीर्ष रोग की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय इस प्रकार से है:-

(i) परम्परागत चूषकों की बजाए रोगरहित चूषकों का प्रयोग।

(ii) केले के माहू (एफिड) को नियंत्रित करने के लिए हर दो महीने के पश्चात् मोनोकोटोफोस के इंजेक्शन लगाना। केले के प्रत्येक पौधे को मोनोकोटोफोस घोल के (150 मिली लीटर मोनोकोटोफोस में 350 मिली लीटर पानी को मिलाते हुए) 2 मिली लीटर मात्रा का इंजेक्शन।

(iii) इन्जेक्शन देने के पश्चात् आंशित रूप से प्रभावित पौधों को हटाना। यह खेतों में किए गए परीक्षण में कारगर सिद्ध हुआ है।

लोगों का प्रव्रजन

3547. श्री डी०वी०जी० शंकर राव :
श्री के० येरननायडू :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूकम्प प्रभावित कच्छ और भुज क्षेत्र से लोगों के प्रव्रजन के कारण इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किए जाने में समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र से प्रवास रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) गुजरात सरकार से इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने अपेक्षित हैं।

बहु-राज्यीय सहकारी समितियां

3548. श्री मंजय लाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सहकारी समितियों या बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जिनके लिए क्रमश: राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार ने नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋण के भुगतान की गारंटी दी है;

(ख) उन समितियों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें गारंटी के बिना ही ऋण संवितरित किया गया;

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित समितियों को वर्ष 1990 के बाद किस-किस प्रकार की परियोजनाओं के लिए ऋण की कितनी राशि मंजूर/संवितरित की गई;

(घ) क्या इन परियोजनाओं में राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार की कोई इक्विटी भागीदारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) ब्यौरा सलंग्न विवरण-I से VI में दिया गया है।

विवरण-I

गन्ना सहकारी समिति को प्रदत्त वित्तीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र० सं०	समिति का नाम नाम व पता	परियोजना का प्रकार	ऋण की राशि मंजूर	ऋण की राशि वितरित	राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार साम्य भागीदारी
1	2	3	4	5	6
	राज्य सरकार की गारन्टी के साथ (1990 के बाद)				
1.	बजूर सी०एस०एफ० लि० बजूर जिला नैनीताल, उत्तरांचल	आधु० और विस्तार 3000 से 4000 टी०सी०डी०	645.00	645.00	कार्यक्रम अर्थात् आधुनिकीकरण/ विस्तार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त
2.	बागपत सीएसएम लि० बागपत, जिला मेरठ (यू०पी०)	तदैव 1888 से 2500 से टी०सी०डी०	540.00	540.00	सहकारी चीनी कारखानों द्वारा शुरू किए गए उप उत्पाद पर आधारित परियोजनाओं हेतु इक्वीटी में राज्य सरकार की सहभागिता पर विचार नहीं किया जाता।

1	2	3	4	5	6
3.	केएससीएम लि० मेहूदाबाद (अवध) जिला-सीतापुर (उ०प्र०)	आधु० और विस्तार 1250 से 2500 टीसीडी	455.00	455.00	सहकारी चीनी कारखानों द्वारा शुरू किए गए उप उत्पाद पर आधारित परियोजनाओं हेतु इक्वीटी में राज्य सरकार की सहभागिता पर विचार नहीं किया जाता।
4.	केएससीएम लि० पूरणपुर जिला पीलीभीत, (उ०प्र०)	तदैव 1250 से 2500 टीसीडी	475.00	475.00	"
5.	केएससीएम लि० अनूपशहर जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	तदैव 2000 से 2500 टीसीडी	422.00	422.00	"
6.	सहयाद्री, एसएसके लि० कराड़ यशवन्त नगर, जिला सतारा, महाराष्ट्र	तदैव 2200 से 5000 टीसीडी	2200.00	2200.00	"
7.	श्री दारानगर, एसएसके लि० दारानगर, तालुका पनहाला जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	तदैव 3000 से 4000 टीसीडी	273.00	273.00	"
8.	द विवर एसएसके लि० हालिखेड, जिला विदर, कर्नाटक	सदैव 2000 से 3500 टीसीडी	1200.00	1200.00	"
9.	सिद्धेश्वर, एसएसके लि० मनिखागार तालुका सिलौड जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	आधुनीकीकरण	80.00	80.00	"
10.	सेलम, सीएसएम लि० मोहनूर जिला सलेम, तमिलनाडु	तदैव 2500 टीसीडी	744.63	744.63	"
11.	एनपीकेआर सीएसएम लि० खलाईनयर, इलाथोपू माइलादूथुराई तालुक जिला नगाई क्वीडे मिलत, तमिलनाडु	आधुनिकीकरण और विस्तार 1250 से 3500 टीसीडी	2001.30	2001.30	"
12.	मदुरान्तकम सीएसएम लि० पदलाग चेंगलपट्टू एमसीआर जिला तमिलनाडु	तदैव 1750 से 2500 टीसीडी	1280.00	1280.00	"
13.	तिरूतन्नी सीएसएम लि० तिरूवालेंगडु जिला चेंगलपट्टू एमसीआर तमिलनाडु	तदैव 1250 से 2500 टीसीडी	931.62	931.62	"
14.	कल्लाकुरूची सीएसएम लि० विल्लूपुरम रामासामी पद्यातचियार जिला तमिलनाडु	तदैव 2000 से 2500 टीसीडी	1391.80	1391.80	"
15.	रायबाग एसएसके लियानीत रायबाग, जिला वैलगुम कर्नाटक	तदैव 1250 से 2500 टीसीडी	1173.00	1173.00	"
16.	श्रीवर्णनगर, एसएसके लि० वर्णनगर, तालुक पनहाला जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	आधु०	130.50	130.50	"
17.	दौलत सेतकारी एसएसके लि० मालकरनी, चन्दगाड, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	आधु० और विस्तार 2000 से 3500 टीसीडी	1630.75	1630.75	"
18.	श्री कमरेज वीएसकुम नवीपाडी तालुक कमरेज जिला सूरत, गुजरात	तदैव 1250 से 2500 टीसीडी	1080.00	1080.00	"

1	2	3	4	5	6
19.	श्रीपाण्डुरंगा, एसएसके लि० श्रीपुर, मालसीरास जिला सोलापुर महाराष्ट्र	आधु० और विस्तार 1321 से 2500 टीसीडी	1399.00	1399.00	सहकारी चीनी कारखानों द्वारा शुरू किए गए उप उत्पाद पर आधारित परियोजनाओं हेतु इक्वीटी में राज्य सरकार की सहभागिता पर विचार नहीं किया जाता।
20.	इन्दापुर एसएसके लि० महात्माफूले नगर, विजयवाड़ी इन्दापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र	तदैव 1750 से 2500 टीसीडी	577.00	577.00	"
21.	चन्द्रभागा एसएसके लि० मालवानी, पनघारपुर जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	तदैव 1500 से 2500 टीसीडी	1160.00	1160.00	"
22.	केएसएसीएम लि० सम्पूर्ण नगर, लखीमपुर खेडी, उत्तर प्रदेश	तदैव 2500 से 5000 टीसीडी	2295.00	2295.00	"
23.	केएससीएम लि०, मनौता जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	तदैव	2600.00	2600.00	"
24.	श्रीदत्ता एसएसके लि० पनहाला, असूरलेपोरले जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	तदैव 1250 से 2500 टीसीडी	670.00	479.15	"
25.	सह्याद्री, एसएसके लि० कराड, यसवन्त नगर, जिला सतारा, महाराष्ट्र	तदैव 5000 से 6250 टीसीडी	728.00	728.00	"
26.	इन्दापुर, एसएसके लि० महत्माफूले नगर, दिजवाड़ी इन्दापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र	तदैव 2500 से 5000 टीसीडी	1500.00	1500.00	"
27.	दौलत, एसएसके लि० मालकरनी, तालुक चन्दगाड, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	पार्टिकल बोर्ड	1840.530	1840.530	"
28.	कुम्भी, कसारी एसएसके लि० कूदित्रे, तालुक करबीर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416204	डिस्टीलरी	261.050	261.050	"
29.	दोबा, सहकारी चीनी मिल लि० बंगारोड, नवाशहर, दोबा-144514 जिला नवाशहर, पंजाब	तदैव	330.150	330.150	"
30.	सेलम सहकारी चीनी मिल लि०पेट्टालपलायम, मोहानूर-637015 जिला नामाकल, तमिलनाडु		708.00	708.00	"
31.	अमरावती, सहकारी चीनी मिल लि० कृष्णापुरम-64211 उदूमालपेट टीके, जिला कोयम्पटूर, तमिलनाडु	डिस्टीलरी	715.00	715.00	"
		कुल	31437.330	31246.475	
बहुराज्यीय सहकारी समितियां राज्य सरकार की गारन्टी के बिना परिसिम्पतियों का मोटगेज (1990 के बाद)					
1.	श्रीदत्ता सेतकारी एसएसके लि० दत्ता नगर, शिरोल, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र	आधु० और विस्तार 2500 से 5000 टीसीडी	236.00	236.00	"
2.	जवाहर सेतकारी एसएसके लि० हुमारी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	तदैव 1016 से 2500 टीसीडी	1025.00	1025.00	"

1	2	3	4	5	6
3.	श्रीदत्ता सेतकारी एसएसके लि०, दत्ता नगर सिरोल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	उपकरणों का सन्तुलन	198.15	198.15	सहकारी चीनी कारखानों द्वारा शुरू किए गए उप उत्पाद पर आधारित परियोजनाओं हेतु इक्वीटी में राज्य सरकार की सहभागिता पर विचार नहीं किया जाता।
4.	तदैव	आधु० और विस्तार 5000 से 7000 टीसीडी	821.90	821.90	"
5.	जवाहर सेतकारी एसएसके लि० हुपारी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	तदैव 25000 से 5000 टीसीडी और इन्सीडेन्टल को जनरेशन 8 मेगावाट	3200.00	3200.00	"
6.	श्री सतकुड़ा तापी एसएसके लि० पुरूसोत्तम नगर, तालुक सहाडा, जिला नन्दूरबार, महाराष्ट्र	पार्टिकल बोर्ड	2588.140	2588.140	"
7.	श्रीदत्ता एसएसके लि० दत्ता नगर, तालुका सिरोल जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416120	ई०टी०पी०	116.030	116.030	"
8.	जवाहर एसएसके लि० श्रीकल्लापन्ना, आवदेनगर, हुपारी, यालगुड-16203, तालुका-मतकानानगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	को जनरेशन	148.200	148.200	"
		कुल	8333.420	8333.420	

विवरण-II

विश्व बैंक परियोजना के अधीन राज्य/बहुराज्यीय सहकारी समितियों को दिए गए वित्तीय सहायता

1990-91 के बाद

(सरकारी गारन्टी सहित)

(लाख रुपये)

क्र० सं०	समिति का नाम व पता	परियोजना का प्रकार	मंजूर ऋण की राशि	वितरित ऋण की राशि	राज्य सरकार इक्विटी सहभागिता
1	2	3	4	5	6
	आन्ध्र प्रदेश				
1.	मंडियाल सी०एस०एम०, जिला कुरनूर	नया	45.00	45.00	40.95
2.	चीलाकलूरी पैट सी०एस०एम०, गुन्टूर	नया	65.00	65.00	58.50
3.	श्री राजराजेश्वर सी०एस०एम०, सिरसिला	नया	484.50	484.50	533.40
	कर्नाटक				
4.	मालप्रवाह सी०एस०एम०, सौंमदती	नया	96.00	96.00	86.40
5.	श्री वैंकटेश सी०टी०एम०, अन्नेगोड़ी	नया	152.00	132.00	136.80
6.	रायतारा साह नूलीन गिरनी, रनेबेन्नूर	नया	487.50	487.50	438.75

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र				
7.	अकोत तालुका एस०एस०जी०, अकोला	नया	196.00	196.00	176.40
8.	सन्तगदये बाबा एस०एम०जी०, दरियापुर	नया	137.35	137.35	123.57
9.	इन्दिरा एस०एस०जी०, वर्धा	नया	156.50	156.50	140.85
10.	जालना विभाग एस०एस०जी०	नया	124.00	124.00	111.60
	पंजाब				
11.	भटिन्डा इन्टीग्रेटिड कॉपरेटिव जीनिंग एण्ड इस्पीनिंग मिल, भटिन्डा	नया	462.50	462.50	416.25
	राजस्थान				
12.	श्रीगंगानगर, कॉपरेटिव कॉटन कॉम्पलैक्स लि०, श्रीगंगानगर	नया	213.63	213.53	192.27
	सीधा वित्त पोषण (सरकारी गारंटी के बिना)				
13.	पैट्रोफिल्स कॉपरेटिव लि० जिला वदोदरा, गुजरात	ड्रा ट्विस्टिंग यूनिट की स्थापना 1992-93	889.93	889.93	शून्य

विवरण-III

भण्डारण कार्यक्रम के लिए निगम द्वारा किया गया सीधा वित्त पोषण दर्शाने वाला विवरण

1990-91 से पहले

क्र० सं०	समिति का नाम व पता	परियोजना का प्रकार	ऋण की राशि (लाख रु०) स्वीकृत	निर्मुक्त	राज्य सरकार/भारत सरकार इक्विटी सहभागिता

वर्ष 1990-91 के पहले सीधे वित्त पोषण के साथ किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई

1990-91 के बाद

क्र० सं०	समिति का नाम व पता	परियोजना का प्रकार	ऋण की राशि (लाख रु०) स्वीकृत	निर्मुक्त	राज्य सरकार/भारत सरकार इक्विटी सहभागिता
1	2	3	4	5	6
	केन्द्र सरकार की गारन्टी पर				
1.	अन्दमान और निकोबार सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन पोर्ट ब्लेयर	गोदाम निर्माण	11.40	5.70	शून्य
2.	कॉपरेटिव कन्जूमर स्टोर अन्दमान और निकोबार, पोर्ट ब्लेयर	तदैव	24.02	12.01	शून्य

1	2	3	4	5	6
3.	ट्राइबल डेब्लपमैन्ट कॉपरेटिव सोसायटी, नारकोबरी	गोदाम निर्माण	11.56	0.00	शून्य
राज्य सरकार की गारन्टी पर					
1.	रायबाग सहकारी शूगरमिल जिला बेलगाम, कर्नाटक	तदैव	90.00	90.00	शून्य
परिसम्पत्तियों के मोटगैज पर					
1.	जवाहर एस०एस०के० हुपारी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	तदैव	208.50	208.50	शून्य

विवरण-IV

विपणन के लिए मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता

सहकारी समितियां (लाख रु० में)

क्र० सं०	समिति का नाम तथा पता	परियोजना का प्रकार	ऋण की राशि		राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार समान सहभागिता
			संस्वीकृत (1990 के बाद)	वितरित	
क तथा ख	राज्य/बहुसहकारी समितियों का विवरण जिनके लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार ने क्रमश: एनसीडीसी को ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी दी है।	मार्जिन मनी सहायता	10.00 (94-95)	10.00 (96-97)	केन्द्र सरकार की गारंटी पर ऋण मंजूर किया गया और वितरित किया गया। संघ की शेयर पूंजी से केन्द्र सरकार (के. शा.प्रशा.) की 2.30 लाख रु० की समान भागीदारी।
1.	अंडमान एवं निकोबार सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लि० पोर्ट ब्लेयर-744101				
2.	राजस्थान राज्य सह-क्रय-विक्रय संघ लि०, 4, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001	कार्यशील पूंजी सहायता	1000.00 (98-99) 500.00 (1999-2000)	500.00 (98-99)	राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण मंजूर और वितरित किया गया। राज्य सरकार ई.पी.-507.17 लाख रुपये संघ की शेयर पूंजी में।
ग तथा घ	राज्य/बहुसहकारी समितियों का विवरण जिन्हें बिना गारण्टी के ऋण वितरित किया गया है।				
	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० सिद्धार्थ एनक्लेव आश्रम चौक, रिंग रोड, नई दिल्ली-110014	मार्जिन मनी सहयता	5794.00 (1990-91 से 2000-01)	5794.00 (1990-91 से 2000-01)	इन मंजूरियों से संबंधित कोई समान सहभागिता नहीं।
	भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि० (इफको) 34, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	ओनला और फुलपुर उर्वरक परियोजनाओं के विस्तार हेतु ऋण	10000.00 (1995-98)	3000.00 (1995-96) 5000.00 (1996-97) 8000.00	तदैव

*1997-98 के दौरान 2000.00 रुपये की स्वीकृति रोकी गयी।

1990 के पश्चात्

एलन हिनैनगो लि० कार निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह	माल वाहक जलयान की खरीद	592.85	592.85

(केन्द्र सरकार की गारण्टी से)

विवरण-V

बागवानी उत्पादन विपणन संघ को मुहैया करायी गई वित्तीय सहायता

(1990 के पश्चात) (लाख रु० में)

क्र० सं०	समिति का नाम तथा पता	परियोजना का प्रकार		स्वीकृति (एनसीडीसी)	निर्मुक्त (एनसीडीसी)	राज्य सरकार की हिस्सेदारी	समिति का हिस्सा
1.	बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन एवं प्रसंस्करण समिति लि० डा०एम०एच० मारी गोडा रोड, लाल बाग, बंगलौर-560004	फल एवं सब्जी विपणन गतिविधियों का विस्तार	1. आवधिक ऋण	220.00	215.00	88.00	22.00
			2. राज्य सरकार की निवेश ऋण	110.00	110.00		
			3. राज्य सरकार के सीडीएस हेतु राजसहायता	8.00	4.00		
				338.00	329.00		

विवरण-VI

सहकारी क्षेत्र में तिलहन परियोजनाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकार की गारन्टी के तहत राज्य सरकारी बैंको को एन०सी०डी०सी० स्थापना द्वारा मुहैया करायी गई वित्तीय सहयाता दर्शाने वाले विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	समिति का नाम तथा पता	परियोजना का प्रकार	संस्वीकृति राशि	निर्मुक्त राशि	राज्य सरकार इक्विटी	राज्य सहकारी बैंक
1	2	3	4	5	6	7
	1990-91 के पश्चात्					
1.	एमपी ऑयल फेड, भोपाल छिंदवाड़ा	सोय	396.00	597.25 शेष राशि 86-87 में भेजी गई	353.40	राज्य सरकार गुआ, के तहत एम०पी०, एससीबी
2.	एमपी ऑयल फेड, भोपाल	सेहोर रिफाइनरी	सहायता 1987-88 में भेजी गयी	697.51	103.67	राज्य सरकार गुआ, के तहत एम०पी०, एससीबी
3.	एमपी ऑयल फेड, भोपाल	सेहोर (सोय विस्तार)	660.00	1041.00 शेष राशि 88-89 में भेजी गयी	402.50	तदैव
4.	तदैव	सियोनी-मालवा (सोय विस्तार)	702.00	1152.60 शेष राशि 88-89 में भेजी गयी	58.50	तदैव

1	2	3	4	5	6	7
5.	एमपी ऑयल फेड, भोपाल	मोरेना (एमआएम)	510.00	519.61 शेष राशि 87-88 में भेजी गयी	126.00	राज्य सरकार गुआ, के तहत एम०पी०, एससीबी
6.	तिलम संघ, जयपुर	कोटा (सोय)	516.00	516.00	330.00	राज्य सरकार गुआ, के तहत राजस्थान, एससीबी
7.	तदैव	कोटा (रिफा.)	42.00	915.00 शेष राशि 87-88 में भेजी गयी	150.00	तदैव
8.	तदैव	कोटा (एमओएम)	1026.00	616.96	85.50	तदैव
9.	तदैव	बीकानेर (जीएम/ एमओएम	580.00	650.14 शेष राशि 88-89 में भेजी गयी	224.80	तदैव
10.	मार्कफेड, पंजाब	खन्ना (वैन-विस्तार)	216.00	706.00 शेष राशि 88-89 में भेजी गयी	163.50	राज्य सरकार गुआ, के तहत पंजाब, एससीबी
11.	मालाप्रभा सहकारी ऑयल मिल लि०, नरकुण्ड, कर्नाटक	काटनसीड (प्रो०)	258.00	915.00 शेष राशि 87-88 में भेजी गयी	65.64	राज्य सरकार गुआ, के तहत कर्नाटक, एससीबी
		कुल	4912.80	8327.56		

एन०सी०डी०सी०-III. कृषि उद्योग परियोजना के तहत–संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित गारंटी तथा बैंक से ऐग्रीमेन्ट बॉड बर ऑयल सीड परियोजनाओं की स्थापना हेतु राज्य सहकारी बैंकों को आई०डी०ए० ऑयल सीड्स कम्पोनेन्ट आवधिक ऋण मंजूर किया गया था। तद्नुसार, ऑयल सीड्स परियोजना की स्थापना हेतु संस्वीकृत आवधिक ऋण विवरण में दर्शाया गया है। संस्वीकृतियों और निर्मुक्तियों का वर्ष 1990-91 से 1994-95 जब तक संस्वीकृतियां और निर्मुक्तियां प्रदान की गयी थी, में उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

पूर्वोन्मुखी नीति

3549. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे प्रधान मंत्री का वियतनाम और इंडोनेशिया दौरा भारत की 'लुक ईस्ट' नीति का हिस्सा था जैसा कि दिनांक 8 जनवरी, 2001 के हिन्दुस्तान में रिपोर्ट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधान मंत्री के साथ कौन-कौन व्यक्ति गए थे और इस यात्रा के दौरान जिस समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां।

(ख) 1990 के पूर्वार्द्ध में स्वीकृत पूर्वोन्मुखी नीति के अंतर्गत, भारत सरकार दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ अपने क्रिया-कलाप को सहयोगी प्रयास के विभिन्न क्षेत्रों में तेज करने की दिशा में कार्य कर रही है।

(ग) प्रधान मंत्री के साथ वियतनाम और इण्डोनेशिया की यात्रा पर गए सरकारी शिष्टमण्डल की संरचना निम्न प्रकार थी :-

वियतनाम

1. श्री अजित कुमार पांजा, विदेश राज्य मंत्री।
2. श्री उमर अब्दुल्ला, वाणिज्य और उद्योग मंत्री।
3. श्री बृजेश मिश्रा, प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधान सचिव।
4. श्री एम.पी. बेजबरूआ, सचिव, पर्यटन विभाग।
5. श्री एस.टी. देवरे सचिव (आर्थिक संबंध) विदेश मंत्रालय।
6. डा. अनिल काकोडकर, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग।
7. श्री टी.के. मित्रा, निदेशक, विशेष सुरक्षा ग्रुप।

8. श्रीमती नवरेखा शर्मा, संयुक्त सचिव (दक्षिण प्रभाग) विदेश मंत्रालय।

9. श्री सौरभ कुमार, वियतनाम में भारत के राजदूत।

10. श्री आर.एस. जस्सल, संयुक्त सचिव (विदेश प्रचार) विदेश मंत्रालय।

11. श्री पी.एस. राघवन, संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय।

12. डा. अनूप मिश्रा, प्रधान मंत्री के वैयक्तिक चिकित्सक।

13. श्री अजय बिसारिया, प्रधान मंत्री के निजी सचिव।

इण्डोनेशिया

1. श्री अजित कुमार पांजा, विदेश राज्य मंत्री।

2. श्री उमर अब्दुल्ला, वाणिज्य और उद्योग मंत्री।

3. श्री बृजेश मिश्रा, प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधान सचिव।

4. श्री भाष्कर बरुआ, सचिव, कृषि विभाग।

5. डा० आर.वी.वी. अय्यर, सचिव, संस्कृति विभाग।

6. श्री एस.टी. देवरे, सचिव, विदेश मंत्रालय।

7. श्री योगेन्द्र नारायण, रक्षा सचिव।

8. श्री एम. वेंकटरमन, इण्डोनेशिया में भारत के राजदूत।

9. श्री टी.के. मित्रा, निदेशक, विशेष सुरक्षा बल

10. श्रीमती नवरेखा शर्मा, संयुक्त सचिव (दक्षिण प्रभाग) विदेश मंत्रालय।

11. श्री आर.एस. जस्सल, संयुक्त सचिव (एक्स पी) विदेश मंत्रालय।

12. श्री पी.एस. राघवन, संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय।

13. डा. अनूप मिश्रा, प्रधान मंत्री के वैयक्तिक चिकित्सक।

14. श्री अजय बिसारिया, प्रधान मंत्री के निजी सचिव।

प्रधान मंत्री की यात्राओं के दौरान निम्नलिखित करार संपन्न हुए थे :

वियतनाम में

1. पर्यटन में सहयोग से संबद्ध करार।

2. परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।

3. तीन वर्ष अर्थात् 2001, 2002 और 2003 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का विस्तार करने से संबद्ध प्रोतोकोल।

इनके अतिरिक्त प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान तीन व्यवसाय करार संपन्न हुए थे।

इण्डोनेशिया में

1. रक्षा के क्षेत्र में सहयोगी गतिविधियों से संबद्ध करार।

2. आर्थिक व्यापारिक और तकनीकी सहयोग से संबद्ध संयुक्त आयोग की स्थापना से संबद्ध समझौता ज्ञापन।

3. वर्ष 2001-2003 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन।

4. कृषि के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन के तहत कार्य योजना।

5. वर्ष 2001, 2002 और 2003 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

इनके अतिरिक्त प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान पांच व्यवसाय करार संपन्न हुए थे।

[अनुवाद]

वास्तविक नियंत्रण रेखा

3550. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्शे पर कोई ऐसी रेखा है जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मानने के लिए चीन और भारत परस्पर सहमत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चीन के द्वारा हमारे क्षेत्र पर धीरे-धीरे कब्जा करके और अधिक भारतीय भू-क्षेत्र पर अधिकार का दावा करने का प्रयास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ङ) भारत और चीन शांतिपूर्ण परामर्श द्वारा सीमा संबंधी प्रश्न का उचित तार्किक एवं परस्पर स्वीकार्य हल खोजना चाहते हैं। भारत-चीन सीमा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर अमन व चैन कायम करने से संबद्ध करार 1993 तथा भारत-चीन सीमा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपाय से संबद्ध करार भारत-चीन क्षेत्र में अमन और चैन कायम करने के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।

भारत चीन सीमा अधिकतर शांतिपूर्ण है परंतु समय-समय पर वास्तविक

नियंत्रण रेखा संबंधी अवधारणा में भिन्नता के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट करने संबंधी करार हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। 1993 तथा 1996 के करारों के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

सरकार नियमित रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के मामलों को चीन के पक्ष के साथ उठाती रहती है तथा दोनों पक्षों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के सम्मान की आवश्यकता पर बल देती है। ऐसे मामले स्थापित तंत्रों, तथा संयुक्त कार्यदल, तथा विशेषज्ञ दल, सीमा कार्मिकों की बैठकों तथा दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों की बैठकों के माध्यम से तथा राजनयिक माध्यमों से समय-समय पर उठाए जाते हैं।

सरकार सदैव सतर्क रहती है तथा भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक एवं उपयुक्त कदम उठाती है।

खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग

3551. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग एक नई पहचान और ब्रांड छवि बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है;

(ख) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु एक पैकेज की सिफारिश की है, जिसके साथ-साथ इसमें खादी हेतु विपणन विकास सहायता, खादी कामगारों का बीमा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, आर. एंड डी. क्रियाकलाप तथा उत्पाद और पैकेजिंग डिजाइन विकास शामिल हैं।

(घ) ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

क्षेत्रीय कॉयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र

3552. **श्री वाई०वी० राव** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राजामुंदरी और नरसापुर स्थित क्षेत्रीय कॉयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्रों को बनाए रखने की मंजूरी दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रदर्शन-सह-उत्पादन केन्द्र को मंजूरी दिए जाने के लिए भी केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इन दोनों केन्द्रों को बनाए रखने पर सहमत हो गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्षेत्रीय कॉयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र (आर सी टी एंड डी सी), राजामुंदरी तथा प्रदर्शन-सह-उत्पादन केन्द्र (डी सी पी सी), नरसापुर को बनाए रखने का अनुरोध किया है। तथापि राज्य सरकार डी सी पी सी को इसके स्टाफ के बिना अपने अधिकार में लेने पर विचार करेगी।

(ङ) और (च) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश में स्थित क्षेत्रीय कॉयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र राजामुंदरी तथा प्रदर्शन-सह-उत्पादन केन्द्र, नरसापुर कॉयर बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की ओर से अभिकरण आधार पर क्रमश: 1984 तथा 1991 में इस शर्त पर स्थापित किए गए कि आर सी टी एंड डी सी को छठी योजना अवधि के अंत तक तथा डी सी पी सी को 5 वर्ष पूरा होने पर राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे। अत: राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे इन दो केन्द्रों को अपने अधिकार में ले लें।

यू०एन०डी०पी० द्वारा प्रायोजित मसाला विकास कार्यक्रम

3553. **श्री राजैया मल्याला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यू०एन०डी०पी० द्वारा प्रायोजित समेकित मसाला विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड 1.124 मिलियन अमरीकी डालर के यू०एन०डी०पी० आदान से जनवरी, 1999 से तीन वर्ष के लिए "मसाला उद्योग का समेकित विकास" नामक एक यू०एन०डी०पी० परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

इस परियोजना का मूल उद्देश्य निर्यात के लिए उच्च मात्राओं में साफ और स्वस्थ प्रसंस्कृत मसाले उपलब्ध कराना है। इस परियोजना ने मसाला क्षेत्र में ग्रामीण समुदायों के लिए मसाला उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन की विभिन्न श्रेणियों पर वृद्धित आय सृजन तथा रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। लाभानुभोगी समूहों में महिला समूहों और ग्रामीण निर्धनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस परियोजना में मसाला उगाने में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तथा जैविक पद्धतियों की भी परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:-

(i) तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वनस्पति मसालों का जैविक उत्पादन तथा उड़ीसा के फूलबनी जिले के जनजातीय क्षेत्रों में जैविक अदरक व हल्दी का उत्पादन का विकास।

(ii) चुनिंदा क्षेत्रों में तथा केरल के इदुक्की और वियनाडु जिलों में काली मिर्च तथा इलायची तथा आन्ध्र प्रदेश के रैगल तथा गुन्टूर जिलों में मिर्च व धनिया, गुजरात के पाटन जिले और राजस्थान के अलवर व बारन जिलों में बीज मसाले जैसे अभिज्ञात मसाला क्षेत्रों में समेकित कीट प्रबंध तथा रोग प्रबंध पद्धति शुरू करना। समेकित कीट प्रबंध–समेकित रोग प्रबंध पद्धति पैकेज विकसित किये जाते हैं तथा पद्धति पैकेज में उत्पादकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाते हैं। अभिज्ञात गांवों में चुनिन्दा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाता है।

(iii) पूर्वोत्तर से मसालों की निर्यात परक किस्मों के जैविक खेती का सुधार। अभिज्ञत मसाले हैं–अदरक, हल्दी तथा मिर्च।

(iv) देश के अभिज्ञात खाद्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा मसालों पोषण तथा औषधीय विरासतों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(v) वैज्ञानिकों और प्रयोगशाला तकनीशियनों को खाद्य गुणवत्ता विश्लेषण से उनकी दक्षता उन्नयन हेतु प्रशिक्षण देना।

(vi) जैवीकीय उत्पादित मसालों के विशेष संदर्भ से मूल्य संवर्धित मसालों के लिए मण्डी संवर्धन कार्यक्रम।

[हिन्दी]

सूचना का अधिकार

3554. डा० अशोक पटेल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त सूचना स्रोतों के अभाव में केन्द्र सरकार की विकास योजना कारगर नहीं हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सूचना के अधिकार को एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में लाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में संचार की अवसंरचनात्मक ढांचों को और मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सूचना स्वतंत्रता विधेयक, 2000 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 जुलाई, 2000 को लोक सभा में पेश किया गया है।

[अनुवाद]

शीतल पेय उद्योग

3555. श्री किरीट सोमैया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि शीतल पेय उद्योग में काफी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में शीतल पेय उद्योग रोजगार के कुल कितने अवसर सृजित हुए;

(घ) क्या यह भी सही है कि इस उद्योग में अगले तीन वर्षों में 11 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो रोजगारोन्मुखता के लिए शीतल पेय उद्योग को सरकार की ओर से क्या लाभ दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) और (ख) उद्योग के अनुमान के अनुसार अगले तीन वर्षों में मात्रा की दृष्टि से शीतल पेय उद्योग में 50 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) शीतल पेय उद्योग में कुल 1,25,000 रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

(घ) शीतल पेय उद्योग में अनुमानित वृद्धि से आगामी तीन वर्षों के दौरान 70,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

(ङ) 2001-2002 के केन्द्रीय बजट में शीतल पेय पर विशेष उत्पाद शुल्क 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

स्वस्थाने पदोन्नति

3556. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विविध श्रेणियों के उन कर्मचारियों का रैंकवार ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले 15 वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं दी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान उन सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पदोन्नति देने का है जिन्हें एक बार भी पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) संगत सेवा/भर्ती-नियमों के प्रावधानों के अनुसार, उच्चतर पदों की उपलब्ध रिक्तियों पर पदोन्नति, संबंधित संगठनों/संवर्ग-नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा कार्यात्मक आधार पर की जाती है। चाही गई जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) से (घ) रिक्तियों की उपलब्धता के बिना इन सभी मामलों में पदोन्नति दिए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। किसी संवर्ग विशेष में अत्यधिक प्रगतिरोध होने की स्थिति में, पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने की दृष्टि से, संगठनात्मक संरचना/संवर्ग संरचना की समीक्षा करना, संबंधित संगठन/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी का सरोकार होता है। फिर भी, पदोन्नति के पर्याप्त अवसरों की कमी के कारण होने वाले वास्तविक प्रगतिरोध की समस्या तथा कर्मचारियों द्वारा महसूस की जाने वाली परेशानी का निराकरण करने की दृष्टि से, सरकार ने अगस्त 09, 1999 से 'सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना' लागू की है ताकि योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार, समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों और समूह 'क' के अलग-थलग पदों पर कार्यरत अधिकारियों को क्रमश: 12 और 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर दो वित्तीय उन्नयन दिए जा सकें। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों में समय-बद्ध पदोन्नति की अन्य योजनाएं लागू हैं। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, ये योजनाएं, सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना के साथ-साथ लागू नहीं की जानी हैं।

[अनुवाद]

भारत-आस्ट्रेलिया अनुसंधान अध्ययन समूह

3557. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में सुधारों के संबंध में भारत-आस्ट्रेलिया अनुसंधान अध्ययन समूह का विचारार्थ विषय क्या है;

(ख) जनवरी, 1999 से आज की तिथि तक इस समूह ने क्या कार्य किया और क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) कृषि क्षेत्र में सुधारों के संबंध में भारत-आस्ट्रेलिया अनुसंधान अध्ययन का कोई विशिष्ट समूह नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लिंग अनुपात

3558. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में स्त्री और पुरुष के बीच अनुपात अन्य देशों की तुलना में असामान्य रूप से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में लिंग अनुपात क्या है;

(ग) क्या कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की कमी इस कम अनुपात के मुख्य कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) 1999 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच का लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर लगभग 108 पुरुष है जो अन्य देशों में पाए गए लिंग अनुपात (101-106) से अधिक है।

(ख) इन क्षेत्रों में जन्म के समय लिंग अनुपात में वृद्धि के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं : लड़कियों के जन्मों का पंजीकरण कम होना या लिंग चयन प्रेरित गर्भपात कराना।

(ग) कुपोषण को जन्म के समय कम लिंग अनुपात का कारण नहीं माना जाना चाहिए।

(घ) भारत सरकार मातृ एवं बाल परिचर्या सेवाओं के लिए वर्ष 1997 से प्रजनन वर्ष बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसमें बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या और लाभार्थियों की संतुष्टि पर विशेष जोर दिया गया है।

[हिन्दी]

तम्बाकू के प्रयोग पर नियंत्रण के तरीके

3559. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2000 में दिल्ली में विश्व में तम्बाकू के प्रयोग पर नियंत्रण के तरीकों के संबंध में एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य और तम्बाकू के कुप्रभावों को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राज्य से 7-9 जनवरी, 2000 को नई दिल्ली में "वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण कानून : तम्बाकू नियंत्रण पर एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ढांचा सम्मेलन की और" एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय भारत के प्रधानमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने किया और केन्द्रीय कानून, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री ने भी इस बैठक में भाग लिया।

इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

- सरकारों को तत्काल बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यनीतियों का विकास करना चाहिए तथा सभी तम्बाकू नियंत्रण कानूनों और विनियमों के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए मॉनीटर करने के तन्त्र स्थापित करने चाहिए।
- सरकारों को व्यापक राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्रवाई और तम्बाकू नियंत्रण के पहलुओं, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं, पर वैश्विक समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ढांचा सम्मेलन को सहायता देनी चाहिए।
- कारगर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यनीतियों के कार्यान्वयन में विकासशील देशों द्वारा सामना की जाने वाली जटिल परिस्थितियों पर तम्बाकू नियंत्रण पर ढांचागत सम्मेलन (एफ०सी०टी०सी०) में ध्यान दिया जाना चाहिए। तम्बाकू नियंत्रण पर ढांचागत सम्मेलन को उन देशों की सहायता के लिए एक तंत्र शामिल करना चाहिए जिसमें जनस्वास्थ्य संसाधन सीमित हैं। औद्योगिक देशों को विकासशील देशों में तम्बाकू नियंत्रण संबंधी कारगर कार्यक्रमों को बनाने और सुदृढ़ करने के लिए सहायता करनी चाहिए।
- तम्बाकू उद्योग को कानून बनाकर, मुकदमें डालकर और अन्य साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से जवाबदेह बनाया जाये।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि तम्बाकू नियंत्रण संबंधी उपाय और व्यापारिक उदारीकरण उपाय सम्पूरक हों, विश्व स्वास्थ्य संगठन को क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के साथ निकट से समन्वय करना चाहिए।
- गैर-सरकारी संगठनों और अन्य को उप-राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर तम्बाकू नियंत्रण पहलों में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

देश में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को निरुत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को निरूत्साहित करने के लिए संसद में एक व्यापक कानून लाया गया है।
2. सरकारी कार्यालयों, रेलगाड़ियों, वातानुकूलित बसों जैसे सार्वजनिक संस्थानों में धूम्रपान प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से प्रतिबन्धित किया गया है।
3. तम्बाकू के उपयोग से स्वास्थ्य के खतरों पर प्रकाश डालते हुए जागरुकता कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।
4. कार्यकारी आदेशों से आकाशवाणी और दूरदर्शन पर तम्बाकू से संबंधित विज्ञापनों को प्रसारित नहीं किया जा रहा है। जबकि केवल दूरदर्शन विनियम अधिनियम के माध्यम से केवल नेटवर्क पर तम्बाकू उत्पादों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है।

[अनुवाद]

विजयनगर संस्थान को इन्टरनेट के जरिये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय से जोड़ना

3560. **श्री कोलुर बसवनागौड़ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना के पहले चरण में राज्यवार कितने चिकित्सा महाविद्यालयों को इन्टरनेट के जरिये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या 2001-2002 के दौरान विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान, बेल्लारी को भी इन्टरनेट के जरिये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय से जोड़ा जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय को संलग्न विवरण के अनुसार 23 सरकारी मेडिकल कालेजों के पुस्तकालयों (प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक-एक) के साथ इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने की एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है। यदि अन्य सरकारी मेडिकल कालेजों के पुस्तकालयों के बारे में निर्णय लिया जाता है तो विजयनगर इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज बेल्लारी को इससे जोड़ने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

असम

1. गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी, असम

बिहार

2. पटना मेडिकल कालेज, पटना

दिल्ली

3. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

गोवा

4. गोवा मेडिकल कालेज, पणजी

गुजरात

5. वी.जी. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद

हरियाणा

6. पं० भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कालेज, रोहतक

हिमाचल प्रदेश

7. इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला

कर्नाटक

8. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर

केरल

9. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम

महाराष्ट्र

10. ग्रान्ट मेडिकल कालेज, मुम्बई

मध्य प्रदेश

11. गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल

उड़ीसा

12. एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक

छत्तीसगढ़

13. पं० जे.एम.एन. मेडिकल कालेज, रायपुर

पांडिचेरी

14. जिपमेर, पांडिचेरी

झारखण्ड

15. राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची

पंजाब

16. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, चंडीगढ़

राजस्थान

17. एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर

तमिलनाडु

18. चेन्नै मेडिकल कालेज, चेन्नै

उत्तर प्रदेश

19. के.जी.एम.सी., लखनऊ

पश्चिम बंगाल

20. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कलकत्ता

जम्मू व कश्मीर

21. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, बक्शीनगर, जम्मू

आन्ध्र प्रदेश

22. गांधी मेडिकल कालेज, बशीरगढ़, हैदराबाद

मणिपुर

23. क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल

अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुम्बई में प्रवेश

3561. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993 में प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने सभी शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित पूरे कोटे को भरने के लिए इस समुदाय के विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई में विभिन्न संकायों/विषयों में (1) पूर्व स्नातक (2) स्नातक (3) स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में कुल कितनी सीटें दी गईं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विभिन्न संकायों/विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कुल कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया और कुल सीटों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या था; और

(ङ) समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) अनुदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सभी संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए कुल सीटों को 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत सीटें क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और इन अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

जनसंख्या अध्ययन निष्णात (मास्टर आफ पापुलेशन स्टडीज)

शैक्षणिक वर्ष	सीटों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	आरक्षण का प्रतिशत
1998-99	25	3	12	3	12	24
1999-2000	25	3	12	1	4	16
2000-2001	25	4	16	2	8	24
		डाक्टर आफ फिलोसिफी				
1998-99	5	1	20	—	—	—
1999-2000	5	1	20	—	—	—
2000-2001	4	1	25	—	—	—

टिप्पणी : तीन से चार वर्ष की अवधि के पी०एच०डी० कार्यक्रम के लिए कुल 15 सीटें हैं जिनमें से 2 सीटें अनुसूचित जाति और एक सीट अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए हैं।

यह सूचनार्थ है कि यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार कोटे की पूरी सीमा तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय से सीटें भरने के लिए अत्यन्त ध्यान रख रहा है अर्थात्, 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की सीटें और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त रूप से कुल मिलाकर 22.5 प्रतिशत सीटें। उन मामलों में जहां संस्थान को हमारे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से पर्याप्त प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में प्रवेश समिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए न्यूनतम प्रवेश अपेक्षाओं में ढील देने के लिए बहुत ही विचारशील रही है।

एम.डी. (मन: चिकित्सा) पाठ्यक्रम

3562. श्री शिवाजी माने : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तीन मेडिकल कालेज एम.डी. (मन: चिकित्सा) पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके एम.डी. (मन: चिकित्सा) पाठ्यक्रम चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित तीन मेडिकल कालेज में से दो कालेज नामत: मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, एम.डी. (मन: चिकित्सा) कोर्स चलाते हैं और ये पाठ्यक्रम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, अधिनियम, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त हैं।

कुडिकिडाप्पुकर्स बेनेफिट फण्ड को अनुदान

3563. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल सरकार से गरीबों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यानवयन हेतु केरल भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बने कुडिकिडाप्पुकर्स बेनेफिट फण्ड को 15 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पुनर्वास केन्द्र

3564. श्री चिंतामन वनगा :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री थावरचन्द गेहलोत :
डा० एन० वेंकटस्वामी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और जिलेवार कितने पुनर्वास केन्द्र, जिला पुनर्वास केन्द्र और मिश्रित उपचार केन्द्र (कम्पोजिट फिटमेंट सेन्टर्स) चल रहे हैं;

(ख) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इन केन्द्रों पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान देश में विकलांग व्यक्तियों के उपचार हेतु ऐसे और अधिक केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस हेतु जिलेवार और वर्षवार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी राशि व्यय की जाएगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन केन्द्रों में विकलांगों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनमें विकलांगों के पंजीकरण के लिए मानदण्ड क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (च) विभिन्न श्रेणियों की विकलांगता को शामिल करते हुए विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत 6 राष्ट्रीय/शीर्ष स्तर के संस्थान हैं। मेरूदंड क्षति के लिए और अन्य अस्थि विकलांगताओं के लिए 5 संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र तथा 4 क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र का भी अनुमोदन किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम, जिसमें निचले स्तर तक पहुंचने के लिए एक चार स्तरीय पुनर्वास अवसंरचना की परिकल्पना की गई है, का राज्य क्षेत्र में अनुमोदन किया गया है। विकेन्द्रीकृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों की सभी श्रेणियों को प्राथमिक स्तर की पुनर्वास सेवाओं के लिए जिला प्राधिकारियों तथा राज्य सरकारों के सहयोग से 100 से अधिक जिलों की पहचान की गई है। ऐसे प्रत्येक केन्द्र के लिए 14.00 लाख रुपए की वार्षिक राशि प्रदान की गई है, जिला केन्द्रों की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है। 25 केन्द्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य/जिलावार जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के ब्यौरे

आन्ध्र प्रदेश

1. अनन्तपुर
2. कृष्णा
3. विशाखापत्तनम

असम

1. डिबरूगढ़

2. कछार
3. तेजपुर

अरूणाचल प्रदेश

1. ईटानगर
2. दिबांग वेली

बिहार/झारखंड

1. साहिबगंज
2. भागलपुर
3. मुजफ्फरपुर
4. गया
5. हजारीबाग
6. रांची
7. दरभंगा
8. सिंहभूम
9. बंका
10. नवादा

गुजरात

1. अहमदाबाद
2. बड़ौदा
3. सूरत
4. राजकोट
5. जामनगर

गोवा

1. पणजी

हरियाणा

1. भिवानी*
2. रोहतक
3. कुरूक्षेत्र
4. सोनीपत

हिमाचल प्रदेश

1. शिमला
2. धर्मशाला*

जम्मू और कश्मीर

1. उधमपुर

कर्नाटक

1. तुमकर
2. मंगलौर
3. बेलारी
4. बेलगांव
5. गुलबर्गा*

केरल

1. कोजीकोड*
2. तिरूअनंतपुरम*

मिजोरम

1. एजवाल

मेघालय

1. शिलांग

मणिपुर

1. इम्फाल

महाराष्ट्र

1. औरंगाबाद*
2. बुलदाना*
3. वर्धा*
4. कोल्हापुर
5. लातूर
6. सिंधुदुर्ग

मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़

1. ग्वालियर*
2. इन्दौर
3. रायगढ़
4. बालाघाट
5. दुर्ग
6. रायपुर
7. झाबुआ*

8. रीवां
9. राजगढ़*
10. सागर

नागालैंड

1. दीमापुर

उड़ीसा

1. सम्भलपुर
2. म्यूरभंज
3. फूलबनी
4. कालाहांडी
5. कोरापुट*

पंजाब

1. पटियाला*
2. संगरूर
3. फिरोजपुर

राजस्थान

1. उदयपुर*
2. अजमेर
3. जोधपुर
4. बीकानेर
5. झुनझुनु

सिक्किम

1. गंगटोक

त्रिपुरा

1. अगरतला

तमिलनाडु

1. चिंगलपट्ट*
2. वेल्लोर
3. मदुराई*
4. सीलम
5. तूतिकोरिन*
6. विरूद्धनगर

उत्तर प्रदेश

1. गोंडा
2. मऊ
3. गोरखपुर
4. पीलीभीत*
5. अलमोड़ा
6. टिहरी गढ़वाल
7. आगरा
8. मेरठ
9. वाराणसी
10. इलाहाबाद
11. फरूखाबाद*
12. झांसी
13. हरिद्वार
14. बलिया*

पश्चिम बंगाल

1. जलपाइगुड़ी*
2. उत्तरी दिनाजपुर*
3. मुर्शीदाबाद

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

1. पोर्ट ब्लेयर

दमन और दीव

1. दीव

लक्षद्वीप

1. कवराती

दादर और नगर हवेली

1. सिलवासा

पांडिचेरी

1. पांडिचेरी

*25 कार्य आरम्भ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर दृष्टिकोण पत्र

3565. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी दृष्टिकोण पत्र की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का है;

(ग) क्या इस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपनी अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अधिष्ठापित क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए क्षेत्रीय सामग्री प्राप्त करने हेतु कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर और लखनऊ में चार क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए। तत्पश्चात् इस संबंध में दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। तदनुसार राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।

(ख) कर ढांचे का युक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है और सरकार समय-समय पर इस संबंध में उपाय करती रही है। 2001-2002 के बजट में प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के मामले में उत्पाद शुल्क जो इस समय 16 प्रतिशत है को घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक संपदाओं को कर अवकाश देने का भी प्रस्ताव है।

(ग) इस समय प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की क्षमता का उपयोग प्राय: बहुत कम है और फलों एवं सब्जियों के मामले में यह करीब 50 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(घ) कम मांग के कारण प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग का उत्पादन कम है और उत्पादन लागत अधिक है। अधिक कीमतों के कारण भी मांग कम है।

(ङ) प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति में इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और उपभोक्ताओं में जागृति की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

बच्चों में स्नायुविक विकार

3566. **श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बच्चों में 25 प्रतिशत अपंगता स्नायुविक विकारों के कारण आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निवारात्मक ,उपाय किये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) स्नायु तंत्र से संबंधित सामान्य अपंगताओं में प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पल्सी), मानसिक मंदता, शिक्षण संबंधी विशिष्ट अक्षमताएं, वाक अपंगता, आत्मविमो (ऑटिज्म), श्रवण संबंधी विकार, दृष्टि संबंधी विकार, चलने संबंधी अपंगता और बहु अपंगताएं शामिल हैं। बच्चों में होने वाली ऐसी अपंगताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :-

- मातृ एवं बाल परिचर्या सेवाओं में सुधार करना;
- एकीकृत बाल विकास स्कीम का कार्यान्वयन, मातृ एवं बाल परिचर्या पर केन्द्रित कार्यक्रम;
- पोलियो जैसे वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों की रोकथाम के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम और पल्स पोलियो कार्यक्रम;
- श्रवण एवं दृष्टि संबंधी विकार और मानसिक अशक्तता के इलाज के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना;
- मीडिया के जरिए स्वास्थ्य शिक्षा; और
- अपंग व्यक्ति अधिनियम, 1953 पारित किया गया है। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन, विशिष्ट सुरक्षा, शुरू में ही रोग का पता लगाने, उपाय, अपंगता को सीमित करने और पुनर्वास के लिए प्रावधान है।

[अनुवाद]

विकलांगों की संख्या और कल्याणकारी योजना

3567. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री टी०एन० सेल्वागनपति :
श्री टी० गोविन्दन :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने विकलांग व्यक्ति हैं;

(ख) क्या सरकार ने 1998-99 और 2000 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के उत्थान हेतु कोई नई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस समय क्या-क्या अवसर प्रदान किए जा रहे हैं;

(घ) क्या विकलांग लड़कों, लड़कियों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय धनराशि के आवंटन के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसएसओ) द्वारा 1991 में किए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 1.91 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित है। विकलांग आबादी का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र० सं०	राज्य का नाम	विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (.000 में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1572
2.	असम	271
3.	बिहार	1361
4.	गुजरात	695
5.	हरियाणा	304
6.	हिमाचल प्रदेश	140
7.	कर्नाटक	876
8.	केरल	556
9.	मध्य प्रदेश	1287
10.	महाराष्ट्र	1819
11.	उड़ीसा	720
12.	पंजाब	531
13.	राजस्थान	723
14.	तमिलनाडु	1236
15.	उत्तर प्रदेश	2550
16.	पश्चिम बंगाल	1179
	कुल	16154

नोट 1 : आंकड़ों में (1) दृष्टि, (2) श्रवण, (3) वाणी और (4) चलन विकलांगता शामिल है।

नोट 2 : शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए हैं क्योंकि विश्वसनीय अनुमान प्रदान करने की दृष्टि से नमूना आकार पर्याप्त नहीं समझा गया था। तथापि, अखिल भारतीय स्तर पर प्रस्तुत परिणामों में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं। विकलांग व्यक्तियों की दी गई अनुमानित संख्या अपेक्षित जनगणना के प्रति सर्वेक्षण आधारित अनुपात को लागू करके प्राप्त की जाती है।

(ख) और (ग) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 नामक एक व्यापक अधिनियम को 1996 में अधिनियमित और लागू किया है। 1999-2000 के एक अन्य अधिनियम अर्थात् ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक अवरूद्धता और बहु विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 समाज के इन दरकिनार वर्गों के विकास के लिए पारित किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार पूरे देश में विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए अनेक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रदान करने के लिए सहायता दी जा रही है।

(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने की योजना (एडीआईपी योजना) के अंतर्गत, जरूरतमंद व्यक्तियों को टिकाऊ, आधुनिक और मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने में सहायता दी जाती है।

(3) विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विशेष रोजगार केन्द्रों की स्थापना और विशेष रोजगार केन्द्रों के विशेष प्रकोष्ठों के उन्नयन के लिए 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

(4) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरपीडी) के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए चार स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2000-2001 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 74 जिलों के लिए निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

(5) राष्ट्रीय संस्थानों, एलिम्को और जिला पुनर्वास केन्द्रों के आउट रीच और विस्तार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए पूरे देश में 100 से अधिक जिलों का चयन किया गया है।

(6) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को सामान्य स्कूल पद्धति के अंतर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है जिससे कि उन्हें शामिल करने का पथ प्रशस्त हो सके।

(7) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) गैर-सरकारी संगठनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए अनुदानों और स्वरोजगार के लिए आसान ऋण और अल्प ऋण देता है।

(च) और (छ) मंत्रालय को विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए केरल राज्य को निधियों के आवंटन के संबंध में केरल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन का सांविधिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों सहित समुचित सरकारों का है। इसे देखते हुए केरल राज्य से अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यकलापों के लिए व्यय वहन करने का अनुरोध किया गया है।

सब्जियों/फलों/फूलों का विकास

3568. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सब्जियों/फलों/फूलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी केन्द्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं को तमिलनाडु में भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार देश में सब्जी, फल और फूल विकास हेतु आठवीं योजना से निम्नलिखित स्कीम क्रियान्वित करती रही है :-

(i) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित फल विकास स्कीम;

(ii) केन्द्रीय क्षेत्र की कन्द और मूल फसलों सहित समेकित सब्जी विकास स्कीम; और

(iii) केन्द्रीय क्षेत्र की वाणिज्यिक पुष्प कृषि विकास स्कीम। वर्ष 2000-01 से इन स्कीमों की "कृषि में वृहत प्रबंधन पर केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम – कार्ययोजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण" में मिला दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजदूतों के रिक्त पद

3569. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न देशों में श्रेणी-वार कुल कितने भारतीय राजदूत तैनात हैं;

(ख) देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजदूतों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये कब से रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भर लिया जाएगा; और

(घ) भारतीय विदेश सेवा काडर और भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर से कितने व्यक्तियों को राजदूत नियुक्त किया गया और निजी क्षेत्र से कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) अभी तक विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कुल 106 राजदूत/हाई कमिश्नर तैनात हैं। वर्गवार, देशवार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों में फिलहाल राजदूतों/हाई कमिश्नरों के कुल 8 पद रिक्त हैं। सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है। इन देशों में उपयुक्त राजदूतों/हाई कमिश्नरों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) अभी तक विदेश स्थित भारतीय मिशनों में भारतीय विदेश सेवा संवर्ग के कुल 98 अधिकारी और भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग से शून्य अधिकारी को राजदूत/हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कुल सात मिशन प्रमुख जो इस सेवा से इतर हैं, उनमें से एक अधिकारी भारतीय विदेश सेवा संवर्ग से पुन: नियुक्त किया गया है।

विवरण-I

विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैनात भारत के राजदूतों/हाई कमिश्नरों की सूची

क्र० सं०	देश	राजदूत/हाई कमिश्नर का नाम	वर्ग
1	2	3	4
1.	अल्जीरिया	एम०के० सचदेव	अना०
2.	अर्जेन्टीना	निगम प्रकाश	अना०
3.	अर्मेनिया	ब्याल आनन्द	अना०
4.	आस्ट्रेलिया	आर०एस० राठौर	अना०
5.	आस्ट्रिया	टी०पी० श्रीनिवासन	अना०
6.	अज़रबैजान	दिनकर खुल्लर	अना०
7.	बहरीन	एस०एस० गिल	अना०
8.	बंगलादेश	एम०एल० त्रिपाटी	अना०
9.	बेल्जियम	पी०के० सिंह	अना०
10.	भूटान	के०एस० जसरोटिया	अना०
11.	बोत्सवाना	रजीत मित्तर	अना०
12.	ब्राजील	एम०पी०एम० मेनन	अना०
13.	ब्रूनी दारूस्सलाम	डी०के० जैन	अना०
14.	बुल्गारिया	श्रीमती नीलिमा मित्रा	अना०
15.	कनाडा	रजनीकांत वर्मा	अना०
16.	चैक गणराज्य	एस० जयशंकर	अना०
17.	चीन	शिव शंकर मेनन	अना०
18.	कोलम्बिया	एच०के० सिंह	अना०
19.	क्रोएशिया	उदय सिंह	अना०
20.	क्यूबा	आर० राजगोपालन	अना०
21.	सइप्रस	श्रीमती एस० कौशिक	अना०
22.	डेनमार्क	शशांक	अना०
23.	इथियोपिया	के०पी० अर्नेस्ट	अना०
24.	फिजी	प्रो० आई०एस० चौहान	इस सेवा के नहीं
25.	फिनलैंड	सी०आर० बालाचन्द्रन	अ०जा०
26.	फ्रांस	के० सिब्बल	अना०
27.	जर्मनी	आर० सेन	अना०
28.	घाना	ए०के० बनर्जी	अना०
29.	यूनान	जी०एस० बेदी	अना०
30.	गुयाना	डा० पी०वी० जोशी	अना०
31.	हंगरी	श्रीमती लक्ष्मी एम० पुरी	अना०
32.	इंडोनेशिया	एम० वेंकटरमन	अना०
33.	ईरान	पी०एस० हेर	अना०
34.	ईराक	आर० दयाकर	अना०
35.	इज़राइल	रंजन मथाई	अना०
36	इटली	सिद्धार्थ सिंह	अना०
37.	आइवरी कोस्ट	श्रीमती नीलम देव	अना०
38.	जमैका	ओ०पी० गुप्ता	अना०
39.	जापान	आफताब सेठ	अना०
40.	जोर्डन	एच०सी०एस० ढोडी	अना०
41.	कज़ाकिस्तान	डा० एस०आर० हाशिम	इस सेवा के नहीं
42.	केन्या	आर०के० भाटिया	अना०
43.	कोरिया (उत्तरी)	बी०के० गोगोई	अना०
44.	कोरिया (दक्षिणी)	संतोष कुमार	अना०
45.	कुवैत	प्रभु दयाल	अना०
46.	किर्गिजस्तान	ओम प्रकाश	अना०
47.	लाओस	श्रीमती लावण्य प्रसाद	अना०
48.	लेबनान	अजय चौधरी	अना०
49.	लीबिया	ए० रमेश	अना०
50.	मेडागास्कर	अबासर ब्यूरिया	अना०
51.	मलेशिया	श्रीमती वीना सीकरी	अना०

1	2	3	4
52.	मारीशस	विजय कुमार	अ०जा०
53.	मेक्सिको	जी०एस० अय्यर	अना०
54.	मंगोलिया	कर्मा तोपेन	इस सेवा के नहीं
55.	मोरक्को	आई०एस० राठौर	अना०
56.	मोज़ाम्बिक	ए०सी० गुप्ता	अना०
57.	म्यांमार	श्यामशरण	अना०
58.	नामिबिया	लाल दिंगलियाना	अ०जा०
59.	नेपाल	देव मुखर्जी	अना०
60.	नीदरलैंड	प्रभारक मेनन	अना०
61.	न्यूजीलैंड	एस० किपगेन	अनु०जनजाति
62.	नाइजीरिया	अतीश सिन्हा	अना०
63.	नार्वे	निरूपमा सेन	अना०
64.	ओमान	एस०जे० सिंह	अना०
65.	पाकिस्तान	वी०के० नाम्बिया	अना०
66.	पनामा	तारा सिंह	अ०जा०
67.	पपुआन्यूगिनी	बसंत गुप्ता	अना०
68	पेरू	बुतशिकन सिंह	अ०जा०
69.	फिलीपिंस	एस०के० उप्पल	अना०
70.	पोलैंड	आर०एल० नारायणन	अना०
71.	पुर्तगाल	श्रीमती मदुभादुणी	अना०
72.	रोमानिया	राजीव डोगरा	अना०
73.	रूसी परिसंघ	एस०के० लाम्बा	अना०
74.	सऊदी अरब	तलमीज़ अहमद	अना०
75.	सेनेगल	जवाहर लाल	अ०जा०
76.	सेशेल्स	आर०ओ० वालांग	अ०जनजाति
77.	सिंगापुर	पी०पी० शुक्ला	अना०
78.	स्लोवाक गणराज्य	यू०सी० बारो	अ०जनजाति
79.	दक्षिण अफ्रीका	एस०एस० मुखर्जी	अना०
80.	स्पेन	दिलीप लाहिरी	अना०
81.	श्रीलंका	जी०के० गांधी	इस सेवा के नहीं
82.	सूडान	एल०टी० मुआना	अ०जनजाति
83.	सूरियनाम	श्रीमती कमला सिन्हा	इस सेवा के नहीं
84.	स्वीडन	श्रीमती चित्रा नारायण	अ०जा०
85.	स्विटज़रलैंड	एन०एन० देसाई	अना०
86.	सिरिया	के०एम० मीणा	अ०जनजाति
87.	तज़ाकिस्तान	योगेनद्र कुमार	अना०
88.	तंज़ानिया	वीरेन्द्र गुप्ता	अना०
89.	थाईलैंड	आर०के० राय	अना०
90.	त्रिनिडाड एण्ड टोबागो	प्रो० पी०के० दास	इस सेवा के नहीं
91.	ट्यूनिशिया	राम मोदन	अना०
92.	टर्की	एम०के० भ्रद्रकुमार	अना०
93.	तुर्कमेनिस्तान	डा० जार्ज जोसेफ	अना०
94.	यू०के०	नरेश्वर दयाल	इस सेवा के नहीं
95.	संयुक्त राज्य अमेरिका	ललित मानसिंह	अना०
96.	उगांडा	बी०एस० प्रकाश	अना०
97.	उक्रेन	वी०बी० सोनी	अ०जा०
98.	संयुक्त अरब अमीरात	के०सी० सिंह	अना०
99.	उजबेकिस्तान	बी०के० मिश्रा	अना०
100.	वेनेजुऐला	आर० विश्वनाथन	अना०
101.	वियतनाम	सौरभ कुमार	अना०
102.	यमन	एम०एस० सुमन	अना०
103.	यूगोस्लाविया	अरुण कुमार	अ०जा०
104.	जाम्बिया	ए०के० अत्री	अ०जा०
105.	जिम्बाब्वे	ऐ०के० बसु	अ०जा०

अना० अनारक्षित

अ०जा० अनुसूचित जाति

अ०जनजाति अनुसूचित जनजाति

विवरण-II

विदेश स्थित उन मिशनों की सूची, जहां 16.3.2001 के अनुसार मिशन प्रमुख नहीं हैं

क्र० सं०	देश	स्थान	पदनाम	कब से रिक्त है
1.	अंगोला	लुआंडा	राजदूत	30.11.00
2.	बेलारूस	मिंस्क	राजदूत	20.10.00
3.	कम्बोडिया	नोम पेन्ह	राजदूत	25.01.01
4.	चिली	सांतिआगो	राजदूत	30.12.00
5.	मिस्र	काहिरा	राजदूत	24.11.00
6.	आयरलैंड	डबलिन	राजदूत	12.02.01
7.	कतर	दोहा	राजदूत	02.11.00
8.	मालदीव	माले	हाई कमिश्नर	18.10.00

[अनुवाद]

"एम्स" में कैंसर का इलाज

3570. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 2001 के "दि इंडियन एक्सप्रैस" दिल्ली संस्करण में "एट एम्स फार कैंसर क्योर, बोय गेट्स एच आई वी इन्फेक्टेड ब्लड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। 8 वर्ष के एक बच्चे को 18 नवम्बर, 1998 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के बाल रोग चिकित्सा एकक-III में दाखिल किया गया था। वह गर्दन में सूजन, रक्ताल्पता और सुपरियर बेना केवल आबस्ट्रक्शन और दो महीनों से ज्वर से पीड़ित था। उसका निदान सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनवालवमेंट से एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लयूकेमिया (ए.एल.एल.) होने के रूप में किया गया। जून, 2000 में इस रोगी की अनएक्सप्लेन्ड हेप्टोमेगली और थरोम्बोसिटोपेनिया के लिए जांच की गई तथा एच.आई.वी. संक्रमण की बात पाई गई। इस मामले में गहराई से जांच-पड़ताल शुरू करने के लिए गठित की गई एक समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इसकी बहुत ही कम सम्भावना है कि एच.आई.वी. संक्रमण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रहने से हुआ। इस समिति का मत है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित रक्त बैंक ने इस बाल रोगी के लिए रक्त और रक्त उत्पादों की जांच करने के लिए निर्धारित एहतियात बरती। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान औषध नियंत्रक के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कर रहा है और रक्ताधान सेवाओं में उच्चतम मानकों को बनाये रख रहा है। अस्पताल के रिकार्डों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आने से पहले बच्चे को दो बार रक्ताधान कराया गया था। इस बच्चे में एच.आई.वी. संक्रमण रक्ताधान और इंजेक्शनों से होने की संभावना है जो उसको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आने से पहले दिए गए थे।

बाल सुश्रूषा

3571. डा० मन्दा जगन्नाथ :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्रीमती मिनाती सेन :
श्री राजैया मल्याला :
श्री ए० कृष्णास्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "यूनिसेफ" ने "द स्टेट आफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2001" के अद्यतन संस्करण में भारत की निराशाजनकर तस्वीर पेश करते हुए कहा है कि 58 प्रतिशत भारतीय बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और प्रत्येक तीसरा बच्चा रक्ताल्पता से ग्रस्त है तथा प्रत्येक तीसरा शिशु कम वजन का पैदा होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) यूनिसेफ के नवीनतम प्रकाशन "द स्टेट आफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2001" के अनुसार भारत में पांच वर्ष से कम की आयु वर्ग के अंतर्गत 53 प्रतिशत बच्चे कम वजन के (मामूली अथवा ज्यादा) हैं तथा 33 प्रतिशत नवजात शिशु कम वजन के पैदा होते हैं। वर्ष 1998-99 में करवाए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II की और ताजी सूचना से पता चलता है कि कम वजन वाले बच्चों की प्रतिशतता कम होकर 47 प्रतिशत हो गई है और लोहाल्पता के कारण रक्ताल्पता से पीड़ित 0-35 महीने की आयु वर्ग के बच्चों की प्रतिशतता 74 प्रतिशत है।

(ग) सरकार द्वारा, कुपोषण की समस्या के नियंत्रण और बच्चों समेत लोगों के पोषण स्तर में सुधार के लिए निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए गए हैं :-

1. स्तनपान को बढ़ावा देने सहित आहार खिलाने (फीडिंग) में वांछित परिवर्तन के विषय में जागरूकता को बढ़ाने के लिए पोषण शिक्षा।

2. सम्पूरक आहार प्रदायगी (फीडिंग) कार्यक्रम अर्थात् (1) समन्वित बाल विकास सेवा योजना (2) विशेष पोषण कार्यक्रम (3) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम (4) गेहूं पर आधारित सम्पूरक पोषण कार्यक्रम (5) दोपहर का आहार कार्यक्रम (6) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि। इसके अतिरिक्त, प्रजनन एवं बाल विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन "ए" की कमी के कारण दृष्टिहीनता को रोकने के लिए रोग रोधक कार्यक्रम और लोह अल्पता के कारण पोषणीय रक्ताल्पता को रोकने जैसे विशिष्ट पोषक अल्पता विकारों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सूक्ष्मपोषक कुपोषण के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

3. कृष्टि उत्पादन में वृद्धि करना।

4. आय सर्जक स्कीमों के जरिए लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करना।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती लागतों पर अनिवार्य खाद्य मदों की उपलब्धता।

पेशेवर लोगों को वीजा और कार्य की अनुमति प्रदान किया जाना

3572. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अन्य देशों की यात्रा करने वाले पेशेवर लोगों को वीजा और कार्य की अनुमति प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय दिशानिर्देश और प्रशासनिक प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु विश्व व्यापार संगठन को कोई सुझाव दिए गए हैं/दिए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी, हां। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में व्यापार सेवा परिषद के विशेष सत्र में कार्मिकों के आवागमन को उदार बनाये जाने से सम्बद्ध दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस दस्तावेज में 'गेट्स' के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति की पद्धतियों की पद्धति 4 में प्रभावी बाजार पहुंच उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोणों और नीतियों का सुझाव दिया गया है जो भारत सहित विकासशील देशों के प्रमुख हित में है। दस्तावेज में सदस्य देशों द्वारा दी गई वचनबद्धताओं की सीमा तक कार्मिकों का आना-जाना सरल बनाने के लिए 'गेट्स' बीजा लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें उल्लेख है कि मौजूदा वचनबद्धताएं मोटे तौर पर वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़ी हैं जो ऐसे विकासशील देशों के लिए अत्यन्त ही सीमित उपयोग की हैं जो प्रमुख रूप से स्वतन्त्र व्यवसायिकों और अन्य कुशल व्यक्तियों के आने-जाने के इच्छुक हैं। इस दस्तावेज का उद्देश्य विकासशील देशों की वचनबद्धताओं के स्वरूप में सुधार लाना और आर्थिक आवश्यकता परीक्षणों, बीजा और कार्य परमिटों से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों से सम्बन्ध मानदण्डों और अर्हताओं की मान्यता पर मानदण्डों और विषयों जैसे उपायों से लगाए गए मौजूदा प्रतिबन्धों को दूर करना है।

तिलहनों और दलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

3573. **श्री अनन्त नायक :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु इनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना में तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में पिछड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तिलहनों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। सरकार प्रत्येक वर्ष तिलहन और दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है ताकि इन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

(ख) तिलहन और दलहन के लिए दो वर्षों, अर्थात् 1999 2000 और 2000-2001 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) हाल के वर्षों में गेहूं और चावल के उत्पादन में कुछ तिलहन व दलहन की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है।

(घ) देश में तिलहन/खाद्य तेलों और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत दो केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमें नामत: तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों के अधीन बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, उन्नत फार्म उपकरणों, छिड़काव सैटों, राइजोबियम कल्चर और पी.एस.बी./सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों में उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए भा.कृ.अ.प. द्वारा अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। नौवीं योजना के दौरान मूंगफली और सोयाबीन के गुणवत्ताप्रद बीज उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम का एक नया घटक भी शुरू किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीजों की मांग पूरा करने के लिए नौवीं योजना के दौरान बीज बैंक कार्यक्रम भी लागू किया गया है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष के अनुसार)

(रु० प्रति क्विंटल)

क्र० सं०	जिंस	किस्म	1999-2000	2000-01
1.	चना	–	1015	*
2.	अरहर	–	1105	1200
3.	मूंग	–	1105	1200
4.	उड़द	–	1105	1200
5.	मूंगफली छिलके में	–	1155	1200
6.	सोयाबीन	काला	755	775
		पीला	845	865
7.	सूरजमूखी	–	1155	1170
8.	तिल	–	1205	1300
9.	रामतिल	–	915	1025
10.	तोरिया/सरसों	–	1100	*
11.	तोरिया	–	1065	*
12.	कुसुम	–	1100	*
13.	खोपरा+	मिलिंग	3100	3250
		बाल	3325	3500

* चना, तोरिया और सरसों, कुसुम और तोरिया के लिए समर्थन मूल्य अप्रैल से प्रारंभ दूसरे वर्ष में विपणित किए जाने वाले फसल वर्ष से संबंधित हैं।

\+ कैलेंडर वर्ष का संकेत देते हैं।

आयुर्वेदिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाना

3574. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आयुर्वेदिक/भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु किसी अलग प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस हेतु आरम्भ की गई और चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है, को बढ़ावा देने और उसका प्रचार करने के लिए सरकार ने 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ने औषधीय पादपों के विकास और खेती, कृषि तकनीकों के विकास, स्नातक/स्नातकोत्तर संस्थाओं का उन्नयन, औषधों के मानकीकरण, आंतरिक और बाह्य अनुसंधान के लिए तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए पहले ही स्कीमें कार्यान्वित की हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आवंटित योजनागत और गैर-योजनागत निधियां इस प्रकार हैं :-

वर्ष	आवंटित धन (करोड रु० में)
1998-99	43.31
1999-2000	49.57
2000-2001	53.60

इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर कालेजों के उन्नयन, सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों, सम्मेलनों/कार्यशालाओं और अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम स्कीमों के अंतर्गत आयुर्वेदिक संस्थाओं को सहायता दी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधों में इस्तेमाल होने वाले औषधीय पादपों के विकास और उनकी उपलब्धता सुदृढ़ करने से संबंधित सभी कार्यकलापों में समन्वय करने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय, औषधीय पादप बोर्ड, की स्थापना की गई है।

2. उद्योगों को उनके उत्पादों की जांच कराने और उनका विश्लेषण करने में मदद देने के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं का विस्तार

किया जाना है जिससे उनके उत्पादों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता में वृद्धि हो सके।

3. उद्योगों की अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मदद की गई है जिससे उनके उत्पादों के लिए बाजार मिलने में सहायता मिल सके।

4. आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत लेबलिंग उपबंधों में ढील दी गई है।

5. अच्छी विनिर्माण पद्धतियों को अधिसूचित किया गया है।

6. भेषज संहिता मानक तैयार करने के लिए प्रयोगशालाओं को सहायता देना।

7. राज्य फार्मेसी और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता देने की स्कीम।

बिहार के विकास हेतु प्रस्ताव

3575. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार से बिहार में सैनिक स्कूल खोलने, पर्यटक स्थलों के विकास और अन्य विभिन्न संस्थान खोलने जैसे विकास कार्यों हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) कतिपय प्रस्तावों के बारे में उपलब्ध सूचना अन्य ब्यौरों सहित संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

शिक्षा क्षेत्रक

बिहार के द्विभाजन को देखते हुए बिहार सरकार ने शैक्षिक आधारिक संरचना के विकास के लिए 1090.28 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं:-

1. नेत्रहाट पब्लिक स्कूल के पैटर्न पर आवासीय बाल विद्यालय खोलना - 281.02 करोड़ रु०

2. इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के पैटर्न पर आवासीय बालिका विद्यालय खोलना - 89.65 करोड़ रु०

3. 37 जिलों में 100 ब्लाक स्तर पर उच्च बालिका विद्यालय खोलना - 33.66 करोड़ रु०

4. 62 सरकारी उच्च विद्यालय के होस्टल भवन का निर्माण - 15.50 करोड़ रु०

5. 37 जिलों में 2000 राजकीय उच्च विद्यालयों के उन्नयन का विस्तार - 220.00 करोड़ रु०

6. 489 उच्च विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (10+2 नया पैटर्न) का कम्प्यूटरीकरण - 81.03 करोड़ रु०

7. 92 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (10+2 नया पैटर्न) में व्यावसायिक शिक्षा का उन्नयन - 9.66 करोड़ रु०

ख. सैनिक स्कूल की स्थापना - 359.84 करोड़ रु०

ग. तकनीकी शिक्षा

1. पटना में आईआईटी खोलना - 150.10 करोड़ रु०

2. लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान को क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज में बदलना - 82.07 करोड़ रु०

3. पटना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोलना - 100.00 करोड़ रु०

इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार ने राज्य में विभिन्न तकनीकी संस्थानों को राष्ट्रीय औसत मानक के समकक्ष लाने के लिए उन्नयन का प्रस्ताव किया है जो निम्नलिखित हैं :-

1. एमआईटी मुजफ्फरपुर बीसीई, भागलपुर, बिहार कालेज आफ इंजीनियरिंग, पटना का उन्नयन - 68.00 करोड़ रु०

2. 13 सरकारी पोलिटेक्निकों/महिला पोलिटेक्निकों का उन्नयन - 140.00 करोड़ रु०

3. सरकारी पालिटेक्निक, वैशाली को कार्यात्मक बनाना - 27.73 करोड़ रु०

4. जहां तकनीकी संस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं उन जिलों में 27 पोलिटेक्निक/महिला पालिटेक्निक खोलना - 748.71 करोड़ रु०

5. इंडियन कालेज आफ इंजीनियरिंग, मोतीहारी, जेएमआईटी दरभंगा तथा मगध इंजीनियरिंग कालेज, गया को कार्यात्मक बनाना - 94.50 करोड़ रु०

बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 1090.28 करोड़ रुपये तथा

तकनीकी शिक्षा के लिए 1475.83 करोड़ रुपये की मांग की है। राज्य सरकार ने 359.84 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत से 4 सैनिक स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव किया है। तथापि, यह रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व है।

विवरण-II

पर्यटन क्षेत्रक

जहां तक पर्यटन क्षेत्रक का संबंध है, बिहार सरकार के परामर्श से प्राथमिकता वाली परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के लिए उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का विवरण नीचे दिया गया है :-

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
1999-2000	20	7
2000-2001	17	14

वर्ष 2000-2001 के लिए आंकड़ों में 6 परियोजनाएं शामिल हैं, जो अब झारखण्ड राज्य में आती हैं। बिहार राज्य से संबंधित 11 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं।

परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान न करने/संस्वीकृति में देरी होने के कारण मुख्य रूप से राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों का प्राप्त न होना/देर से प्राप्त होना है।

सेनाइल डेमेन्शिया एल्झेमेर

3576. श्री विजय गोयल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मस्तिष्क में स्मृति कोशिकाओं को नष्ट करने वाली सेनाइल डेमेन्शिया एल्झेमेर (एस०डी०ए०टी०) बढ़ रही है;

(ख) क्या अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बीमारी का पता लगाने, इसका निदान करने और लोगों में इस बीमारी के लक्षणों के प्रति जागरूकता लाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) सेनाइल डेमेन्शिया एल्झेमेर बीमारी उच्च जीवन प्रत्याशा वाले देशों में एक जन स्वास्थ्य समस्या है। इसका कोई विशिष्ट इलाज नहीं है।

इलाज का उद्देश्य मनोविक्षिप्तरोधी (एन्वे-साइकोटिक्स), प्रशान्तक (ट्रानक्वालाइजर) और कॉलीनर्जीक स्टीमूलेटर्स जैसी दवाओं द्वारा ऐसे लोगों के व्यवहार में सुधार एवं इनके देखभाल के बारे में इनके परिवार को परामर्श देकर इसके लक्षणों से राहत पहुंचाना है। एल्झेमेर बीमारी के लिए कोई विशिष्ट जागरूकता कार्यक्रम तो शुरू नहीं किया गया है, परन्तु सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के तृतीयक स्तर के अस्पतालों में एल्झेमेर बीमारी का इलाज प्रदान किया जाता है।

आई०सी०ए०आर० में अनियमितता

3577. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०सी०ए०आर० द्वारा वर्ष 1994-95 के बाद खरीदे गए कम्प्यूटरों की खरीद का महीना, खरीदे गए कम्प्यूटरों की संख्या जिस फर्म से खरीदी गई उसका नाम, दर और खरीद की लागत का ब्यौरा क्या है और किस निधि/बजट से यह व्यय किया गया;

(ख) कितने कम्प्यूटर चालू हालत में हैं और उनमें से कितने बेकार पड़े हैं;

(ग) क्या पुराने कम्प्यूटरों की कभी नीलामी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थानांतरित अधिकारी कितने कम्प्यूटर अपने साथ ले गये?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद-II, कृषि मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद योजना/गैर-योजना और अन्य बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं जैसे स्रोतों से खरीदे गए कम्प्यूटरों की कुल संख्या 4161 हैं। इन ब्यौरों को संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है और इन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख)	कार्यशील	3231
	निष्क्रिय	15
	अधिष्ठापनाधीन और चालू करना	815

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान, पूसा, नई दिल्ली-110012 द्वारा वर्ष 1996 में एक ''ब्रो-बी-4700 मेन फ्रेम कम्प्यूटर'' की 1,75,000/- रुपये में नीलामी की गई थी।

(ङ) दो ''लैपटाप्स''।

मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन

3578. श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मधुमक्खी पालकों और मधुमक्खी पकड़ने वालों के लाभ के लिए मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने और क्षमता बढ़ाने हेतु कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में नई दिल्ली में मधुमक्खी पालन के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो संगोष्ठी में किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ङ) इससे क्या परिणाम प्राप्त होने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) यू एन डी पी सहायता प्राप्त उप-कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जिनमें से मधुमक्खी पालन क्षेत्रों पर बल दिया गया है। उप-कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापक रणनीति विकसित करना तथा मधु-मक्खी पालन क्षेत्र में पहल करना है। इस कार्यक्रम से के वी आई सी को मधुमक्खी पालन के विकास संबंधी मौजूदा कार्यक्रम के कलस्टरों का पता लगाने और माइक्रो एन्ट्रीप्रीन्योरर्स के माध्यम से सहायता प्राप्त होगी। प्राइमरी बल शहद उत्पादन को बढ़ाने पर दिया जाएगा जिससे बी-हन्टर्स किसानों और उद्यमियों की आय में इज़ाफा होगा।

(ग) से (ङ) जी, हां। संगोष्ठी में विचार-विमर्श किए मसलों के साथ-साथ इसमें मधुमक्खी प्रबन्धन, प्रसंस्करण गुणवत्ता नियंत्रण, निर्यात और शहद की मार्किटिंग भी शामिल है। संगोष्ठी की कार्यवाही से मधु उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ मधुमक्खी पालकों/हन्टर्स और मधु प्रसंस्करणकर्ताओं की आय में इज़ाफा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्वेत क्रांति

3579. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में श्वेत क्रांति से संबंधित "ऑपरेशन फ्लड" के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के निष्पादन की राज्यवार समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 2001 तक चल रही परियोजनाओं के लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे में चलने वाली डेयरी/तेल परियोजनाओं को अर्थक्षम बनाने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 28 फरवरी, 2001 तक इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ङ) योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या रणनीति बनाई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1999-2000 तक 115 संघ/परिसंघ मुनाफे में थे तब 58 संघ/परिसंघ घाटे में थे।

(ग) से (ङ) भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 भागीदारी के आधार पर विभिन्न राज्यों में बीमार डेयरी संघों/परिसंघों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार "सहकारिताओं को सहायता" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान योजना को मंजूरी दे दी गई है।

भारत सरकार ने वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 (28.2.2001 तक) के दौरान "सहकारिताओं को सहायता" योजना के तहत निम्नलिखित राज्यों में दुग्ध संघों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है :-

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	जारी गई राशि	
	1999-2000	2000-2001
मध्य प्रदेश	380.00	850.00
कर्नाटक	0.00	500.54

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अपने संसाधनों से आयल संघों/परिसंघों के पुनर्वास की शुरूआत कर दी है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना

3580. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितनी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है; और

(ग) आज की तारीख में उन परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) चालू केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध सूचना, उनके पूरा होने की निर्धारित तारीख और तत्संबंधी प्रगति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

विद्युत और ऊर्जा क्षेत्रक (पैट्रोलियम)

(i) बेलगाम में नया डिपो

यह डिपो इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 24.63 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए भूमि का अर्जन कर लिया गया है और विकासाधीन है। परियोजना का मई, 2002 में पूरा होना अनिवार्य है।

(ii) बेल्लारी में नया डिपो

यह डिपो इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 36.95 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए भूमि का अर्जन कर लिया गया है और विकासाधीन है। परियोजना का मई, 2002 में पूरा होना अनिवार्य है।

(iii) मंगलौर-बंगलौर पाइपलाइन पर हासन और देवबंगून्ती पर विपणन टर्मिनल

ये टर्मिनल हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। संबंधित सुविधाओं सहित 195,000 किलो लीटर (के०एल०) का टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इन टर्मिनलों और सुविधाओं की अनुमानित लागत 151.52 करोड़ रुपये है। परियोजना का मई, 2002 में पूरा होना निर्धारित है।

विवरण-II

पर्यटन क्षेत्रक

(क) पर्यटन विभाग से प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता सहित 110 परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तारीख कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है और प्रत्येक मंजूरी आदेश में लगाई गई शर्तों के अनुसार इनमें भिन्नताएं हैं।

(ग) केन्द्रीय वित्तीय सहायता से परियोजना को शुरू करना और उसको पूरा करना संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

3581. **श्री अरुण कुमार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) का प्रारूप तैयार करने की कार्रवाई की गई है; और

(ख) दृष्टिकोण पत्र कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य अभी शुरू ही किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) के अनुमोदन की समय-सीमा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

3582. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्रीमती मिनाती सेन :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के राज्यवार क्या नाम हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार प्रत्येक स्वैच्छिक संगठनों को कितनी अनुदान राशि जारी की गई;

(ग) क्या इन संगठनों द्वारा जारी धनराशि का उचित उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की परियोजाओं की जांच हेतु विशेषज्ञों से युक्त निरीक्षणालय की स्थापना की है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान कितने गैर-सरकारी संगठनों की जांच की गई है;

(च) क्या सरकार को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (छ) विवरण संकलित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

के०बी०के० जिले

3583. **श्रीमती हेमा गमांग** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के के०बी०के० जिलों में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार की उड़ीसा में विशेषकर के०बी०के० जिलों में अगले वित्त वर्ष के लिए किसी उद्योग की स्थापना हेतु कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए वित्तीय सहायता हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उड़ीसा के के०बी०के० जिलों में स्थापित किए गए उद्योगों की संख्या 10151 है।

(ख) हालांकि, लघु उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना अधिकांशत: निजी क्षेत्र में की जाती है, जोकि उद्यमियों की स्वयं की पहल पर निर्भर करता है, के०बी०के० जिलों में 2001-2002 में स्थापित की जाने वाली नई इकाइयों का लक्ष्य 622 है।

(ग) और (घ) उद्योगों की स्थापना के लिए, निधियों की व्यवस्था स्वयं उद्यमियों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों अथवा संस्थानिक स्रोतों सहित विभिन्न अधिकरणों से उधार लेकर की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिए निधियां योजना-वार दी जाती हैं, न कि राज्यवार।

सिलीगुड़ी और पश्चिम बंगाल में रहस्यमय बीमारी

3584. **श्री शिवाजी माने :**
श्री ए० ब्रह्मनैया :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिलीगुड़ी और उत्तरी बंगाल मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में कुछ रहस्यमय बीमारियों के कारण रोगियों की मृत्यु हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता मांगी गई है; और

(ग) बीमारी के नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तेज बुखार से ग्रस्त, उल्टी करने वाले, प्रलाप के लक्षणों वाले रोगियों की पहली सूचना 5 फरवरी, 2001 को प्राप्त हुई। इस सूचना के प्राप्त होने के बाद कोलकाता के मेडिकल कालेजों और इन्स्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कोलकाता के विशेषज्ञों ने घटना की जांच करने हेतु सिलिगुड़ी का दौरा किया। 16 से 21 फरवरी के बीच 62 लोग हल्के-फुल्के (लो-ग्रेड) बुखार, गले के दाह, श्वास संबंधी तकलीफ और पुलमोनरी ओडेमा से ग्रस्त हुए। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 11 विशेषज्ञ, अर्थात् राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली के 3 विशेषज्ञ, राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, पुणे के 6 विशेषज्ञों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 2 विशेषज्ञो को इस रोग के निदान और उपचार में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता के लिए सिलिगुड़ी भेजा गया। इस संबंध में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 2 विशेषज्ञ सिलीगुड़ी भेजे। 2 मार्च तक कुल 66 रोगियों की सूचना मिली जिनमें से 42 की मृत्यु हो गई। नैदानिक लक्षणों के आधार पर विशेषज्ञों ने रोग की रोकथाम एवं उपचार के लिए आवश्यक सलाह दी है। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार चिकित्सा भंडार डिपो, कोलकाता ने आवश्यक दवाएं भेजी। उपर्युक्त लक्षणों से पीड़ित रोगियों के जैव नमूने दलों द्वारा एकत्रित किए गए और प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि विषाणु खसरे परिवार से संबंधित हैं। समानान्तर पहचान हेतु नमूने सेन्टर फॉर डिजीज कन्ट्रोल, अटलांटा, संयुक्त राज्य अमेरिका भी भेजे गए हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य

3585. **श्री नवल किशोर राय :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले दो वर्षों से निर्धारित लक्ष्य से कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में खाद्यान्नों के वास्तविक उत्पादन और निर्धारित लक्ष्य में कितना अंतर था;

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिये खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(घ) क्या वर्ष 2000-2001 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान खाद्यान्न लक्ष्यों की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन निम्नवत है :-

(मि०मी० टन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	अंतर (लक्ष्य-उपलब्धि)
1998-99	210.00	203.61	6.39
1999-2000	210.00	208.87	1.13
2000-2001	212.00	199.02*	12.98

* अग्रिम अनुमान।

(ङ) लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति कृषि जलवायु स्थितियों, फार्म का आकार, गुणवत्ता, आदानों का समय पर उपयोग, निवेश के स्तर के अलावा उन्नत कृषि पद्धतियों के पैकेज का विकास एवं अपनाना जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। सरकार ने समयानुसार उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को सहायता हेतु परंपरागत कार्यदर्शी दृष्टिकोण (स्कीमैटिक अप्रोच) बदलकर वृहत् प्रबंधन प्रणाली दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में 27 स्कीमों को मिलाकर एक स्कीम कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों में मदद/सहायता, की परिकल्पना है। यह स्कीम राज्यों को उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान, विभिन्न स्कीमों के घटकों में परस्पर व्याप्ति से बचने तथा कृषि के समग्र विकास के लक्ष्य के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी।

[अनुवाद]

बछड़ों और बैलों का आयात

3586. श्री एम० चिन्नासामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए वीर्य उत्पादन प्राप्त करने हेतु बछड़े और बैलों के आयात का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी, हां।

हिमित वीर्य उत्पादन के लिए देश में बुल मदर फार्मों तथा हिमित वीर्य सांड केन्द्रों के लिए सांडों तथा हीफरों के आयात की आवश्यकता है। वीर्य का उपयोग, कम उत्पादन करने वाले गोपशु के आणुवांशिक उन्नयन के लिए किया जाता है, न कि गोपशु की संख्या में वृद्धि करने के लिए।

सम्पत्ति सृजन

3587. श्री बी० वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी ज्ञान पर आधारित सुपर पावर ढांचा निर्माण के संबंध में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित कृतक बल ने सम्पत्ति सृजन के लिए नौ नए क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पैनल ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने और उनकी सिफारिशों पर कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में ज्ञान समाज (नोलिज सोसाइटी) के रूप में देश के विकास के लिए एक कृतिक बल गठित किया गया है। यह अपनी रिपोर्ट पूरा करने के लिए अंतिम चरण में है। रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

3588. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री उत्तमराव पाटील :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकार का विचार कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(घ) देश में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर शेष जिलों, पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे नए केन्द्र खोलने का है; और

(च) सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास वर्ष 2001-2002 के दौरान देश के अन्य भागों के 47 जिलों में और उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के 19 जिलों में 66 नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मौजूदा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को भी मजबूत बनाया है ताकि 53 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्यों को हाथ में लिया जा सके। शेष जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना आनुपातिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(च) नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने से संबंधित मानदण्ड हैं—जहां तक संभव हो इसे जिले के केन्द्रीय स्थान पर स्थापित करना, भूमि और नगरपालिका से जुड़ी सुविधाओं की उपलब्धता, संगठन की व्यवहार्यता और कृषि विज्ञान केन्द्र की गतिविधियों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रौद्योगिकीय समर्थन।

[अनुवाद]

वित्त विकास निगम की स्थापना और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

3589. श्री अमर राय प्रधान :
प्रो० दुखा भगत :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के विकास हेतु वित्त और विकास निगम की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के 56 प्रतिशत आबादी के उत्थान हेतु कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों हेतु बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना के लिए मंत्रालय से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कितने आवेदन किए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे संगठनों के लिए कितना अनुदान स्वीकृत हुआ और जारी किया गया;

(च) 1 जनवरी, 2000 और 28 फरवरी, 2001 के दौरान अनुदान सहायता हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए जो अभी भी लंबित हैं; और

(छ) उनके लंबित होने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) भारत सरकार से दिनांक 13 फरवरी, 1992 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत (तत्कालीन कल्याण मंत्रालय) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है। निगम को स्वरोजगार योजनाओं के लिए पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) भारत सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :-

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर पूर्व छात्रवृत्ति

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल

(4) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग तथा

(5) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।

इसके अतिरिक्त, एन०बी०सी०एफ०डी०सी० राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को स्व रोजगार उद्यमों की सहायता के लिए रियायती ब्याज दर पर आवधिक ऋण तथा सीमांत राशि ऋण प्रदान करता है।

(घ) ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ङ) ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

(च) 1 जनवरी, 2000 से 25 फरवरी, 2001 के दौरान सहायता अनुदान के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या 155 है।

(छ) प्रस्ताव गैर-सरकारी संगठनों से अपेक्षित दस्तावेजों तथा संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों के लिए लम्बित हैं।

विवरण-I

अन्य पिछड़े वर्गों की कल्याण योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए अनुरोधों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-01 (28 फ० तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	82	72	38
2.	असम	1	4	13
3.	बिहार	3	2	0
4.	गुजरात	0	5	4
5.	हरियाणा	22	2	6
6.	जम्मू और कश्मीर	1	2	2
7.	कर्नाटक	2	2	7
8.	केरल	1	0	1
9.	मध्य प्रदेश	20	16	15
10.	महाराष्ट्र	26	20	70
11.	मणिपुर	18	16	26
12.	उड़ीसा	14	5	32
13.	पंजाब	2	0	1
14.	राजस्थान	1	1	1
15.	सिक्किम	1	0	1
16.	तमिलनाडु	9	6	0
17.	उत्तर प्रदेश	65	12	35
18.	उत्तरांचल	0	0	1
19.	पश्चिम बंगाल	16	5	25
20.	दिल्ली	14	3	9
	कुल	298	173	287

विवरण-II

वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 (28 फरवरी, 2001 तक) के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को स्वीकृत/निर्मुक्त सहायता अनुदान

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त सहायता अनुदान 1998-99	निर्मुक्त सहायता अनुदान 1999-2000	निर्मुक्त सहायता अनुदान 2000-2001
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.18	15.82	10.16
2.	असम	9.49	4.32	5.34
3.	गुजरात	0	0	1.43
4.	हरियाणा	0	7.33	5.39
5.	जम्मू और कश्मीर	0	0	3.05
6.	कर्नाटक	0	1.55	0
7.	केरल	3.33	0	0
8.	मध्य प्रदेश	13.69	2.13	24.14
9.	महाराष्ट्र	27.54	21.13	7.59
10.	मणिपुर	2.16	10.56	14.82
11.	उड़ीसा	4.81	4.51	6.87
12.	सिक्किम	1.73	0	2.11
13.	तमिलनाडु	0	0.95	2.80
14.	उत्तर प्रदेश	5.59	26.05	8.64
15.	पश्चिम बंगाल	1.13	5.66	2.56
16.	दिल्ली	1.13	11.02	6.88
	कुल	81.78	110.03	101.78

आंध्र प्रदेश में मत्स्यकीय बंदरगाह का पुनरूद्धार

3590. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त मत्स्यकीय बंदरगाहों के पुनरूद्धार हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस उद्देश्य हेतु केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) उन मत्स्यकीय बंदरगाहों में शुरू किए गए पुनरूद्धार कार्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं। इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नर्सिंग कालेज/संस्थान

3591. श्री अनंत गुढे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने नर्सिंग कालेज/संस्थान हैं;

(ख) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में अगले तीन वर्षों के लिए राज्यवार कितनी प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता है; और

(ङ) देश में प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेजों/संस्थाओं की संख्या का ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) भारतीय उपचर्या परिषद के पास मान्यता के लिए लम्बित नर्सिंग कालेजों/संस्थाओं के प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ग) राज्य नर्सिंग परिषद, राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों के अनुदान से संबंधित संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारतीय उपचर्या परिचर्या परिषद निरीक्षण करती है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग परिषद मामलों पर निर्णय लेती है।

(घ) नर्सों की जरूरतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए मानदण्डों पर निर्भर करती हैं।

(ङ) भारत सरकार "उपचर्या सेवाओं का विकास" नामक एक स्कीम चला रही है जिसके अंतर्गत नए नर्सिंग स्कूल खोलने, मौजूदा नर्सिंग स्कूलों को सुदृढ़ करने तथा नर्सों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे देश में प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता में सुधार हो सके।

विवरण-I

भारत में शैक्षिक नर्सिंग संस्थाओं की राज्यवार संख्या 21-22 दिसम्बर, 2000 की स्थिति

कालेजों की संख्या

राज्य	#बी०एससी० (ने०)	##एम० एससी०(ने०)	*पी०बी०बी० एससी०(ने०)	**डीएनईए
असम	1	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	7	0	0	0
चंडीगढ़	1	1	1	0
दिल्ली	4	1	2	2
गुजरात	1	0	0	0
कर्नाटक	34	5	3	2
केरल	4	0	0	0
मध्य प्रदेश	6	0	1	4
महाराष्ट्र	6	1	3	2
मिजोरम	1	0	0	0
उड़ीसा	1	0	1	0
पंजाब	3	1	0	0
राजस्थान	1	0	0	0
तमिलनाडु	19	2	1	0
उत्तर प्रदेश	0	0	1	0
पश्चिम बंगाल	1	1	0	3
कुल	90	12	13	13

#बी०एससी० नर्सिंग : चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रम।

##एम०एससी० नर्सिंग : दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम मास्टर इन नर्सिंग।

*पी०बी०बी०एससी०(नर्सिंग) : पोस्ट बेसिक बी०एससी(नर्सिंग), 2 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम, जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी कोर्स के बाद।

**डीएनईए : नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स के बाद एक वर्षीय कार्यक्रम।

विवरण-II

भारत में नर्सिंग संस्थाओं की राज्यवार संख्या 21-22 दिसम्बर, 2000 की स्थिति

नर्सिंग स्कूलों की संख्या

क्र०	राज्य	जी०एन०एम०	ए०एन०एम०
1	2	3	4
1.	एएफ०एम०एस०	7	0
2.	अंडमान एवं निकोबार	0	1
3.	आन्ध्र प्रदेश	88	36
4.	अरूणाचल प्रदेश	1	1
5.	असम	3	1
6.	बिहार	8	19
7.	चंडीगढ़	0	0
8.	दिल्ली	14	1
9.	गोवा	1	1
10.	गुजरात	18	2
11.	हरियाणा	5	5
12.	हिमाचल प्रदेश	3	3
13.	जम्मू एवं कश्मीर	1	0
14.	कर्नाटक	103	13
15.	केरल	81	22
16.	एमआईबी	7	5
17.	मध्य प्रदेश	5	7
18.	महाराष्ट्र	41	17
19.	मणिपुर	1	1
20.	मेघालय	1	0
21.	मिजोरम	3	1
22.	नागालैंड	1	1
23.	उड़ीसा	4	13
24.	पांडिचेरी	0	0
25.	पंजाब	16	10
26.	राजस्थान	8	7
27.	एसआईबी	14	5
28.	सिक्किम	0	1
29.	तमिलनाडु	32	10
30.	त्रिपुरा	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	11	35
32.	पश्चिम बंगाल	20	0
	कुल	455	218

जी०एन०एम० = जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी – 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

ए०एन०एम० = आक्सीलरी नर्स मिडवाइफ – 1½ वर्षीय पाठ्यक्रम

विवरण-III

भारतीय उपचर्या परिषद के पास अनुमति के लिए लम्बित प्रस्ताव

राज्य	संस्थाओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	16
असम	01
हरियाणा	03
हिमाचल प्रदेश	01
कर्नाटक	30
केरल	11
मध्य प्रदेश	01
महाराष्ट्र	04
मणिपुर	01
उड़ीसा	01
पंजाब	09
राजस्थान	04
तमिलनाडु	21
उत्तर प्रदेश	03
पश्चिम बंगाल	04
कुल	110

विवेकाधीन कोटा

3592. मोहम्मद अनवारूल हक :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **संसदीय कार्य मंत्री** विवेकाधीन कोटे के बारे में 6.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2605 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) मंत्रालयों/विभागों से सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है और जैसे ही पूरी सूचना प्राप्त हो जाएगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

पशुधन के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

3593. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन के विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो विशाल पिछड़े आदिवासी क्षेत्र और पशुधन के बड़े आकार को देखते हुए मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने और धनराशि कब तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पशुपालन क्षेत्र के विकास की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से, पशुपालन एवं डेयरी विभाग अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित करता है जिसमें से कुछ योजनाएं 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं से संबंधित वार्षिक प्रशासनिक मंजूरी तथा अन्य जानकारी राज्य सरकारों को नियमित रूप से भेजी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए यह संभव होगा कि वह जनजातीय किसानों के लाभ की आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का फायदा उठाए।

[अनुवाद]

किसानों द्वारा अंगों की बिक्री

3594. श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री अधीर चौधरी :
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के विभिन्न भागों के वे किसान जिनकी फसलें या तो क्षतिग्रस्त हो गई हैं या जिन्हें फसल के लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहे हैं वे अब जीवित रहने के लिए गुर्दा आदि अपने अंगों को बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) पिछले लगभग एक वर्ष से कुछ कृषि जिंसों के मूल्यों में गिरावट आई है। सरकार ने किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए पहले ही कुछ सुधारात्मक उपाय किए हैं और इन उपायों में मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण, सार्वजनिक और सहकारी अभिकरणों द्वारा उनकी खरीद, राज्य सरकारों के अनुरोध पर बागवानी और छोटी मदों को शामिल करते हुए मंडी हस्तक्षेप स्कीम का क्रियान्वयन और आयातों को हतोत्साहित तथा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार का एक साधन के रूप में उपयोग शामिल हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को उनकी फसल खराब होने की स्थिति में वित्तीय सहायता देने के लिए वर्ष 1985 में व्यापक फसल बीमा स्कीम लागू की गई। यह स्कीम खरीफ, 1999 तक क्रियान्वित की गई। किसानों (ऋणी और गैर-ऋणी दोनों), अधिक फसलों और अधिक जोखिम संबंधी कवरेज बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने रबी 1999-2000 से देश में "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" नामक एक नई योजना लागू की है।

कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद कर देना

3595. श्री रूपचन्द पाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कार्य को बंद कर देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि-वानिकी को प्रोत्साहन

3596. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर झारखंड और गुजरात में कृषि-वानिकी और फलों के बगीचों को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। भू संसाधन विभाग गैर वनीय बंजर भूमि के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास विस्तार और प्रशिक्षण पर वर्ष 1993-94 से केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अधीन देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि वानिकी मॉडल के परीक्षण के लिए विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भा०कृ०अ०प० के संस्थानों को संदर्शी परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, बांसकाठा को इस स्कीम में कवर किया गया है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि वानिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना क्रियान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कुशीनगर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची को शामिल किया गया है। "कृषि वृहत प्रबंधन कार्ययोजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/संपूरण" पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्रों तथा नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों के अभिज्ञात पनधाराओं में कृषय और अकृष्य भूमियों में विविधीकृत कृषि प्रणाली शुरू करने के लिए झारखंड और गुजरात सहित सभी राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में फलों के विकास के लिए सहायता दी जा रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंचगव्य से दवाइयों का विनिर्माण

3597. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** पंचगव्य से दवाईयों का विनिर्माण के बारे में 29.11.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या : 1602 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन विभिन्न संस्थानों/संगठनों के क्या नाम हैं जिनके द्वारा मंत्रालय (जैसे दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर) से विभिन्न प्रकार की दवाईयां विनिर्मित की जा रही हैं; और

(ख) सरकार द्वारा अब तक उपेक्षित प्रणाली का विकास/संवर्द्धन करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) चूंकि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी दवाओं के निर्माण हेतु लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

पंचगव्य के घटकों को आयुर्वेद के प्राचीन साहित्य में निर्धारित फार्मूलेशनों में पहले ही शामिल किया गया है जो औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में अधिसूचित हैं। भारत की आयुर्वेद फार्मूलरी में पंचगव्य के घटकों वाले विभिन्न फार्मूलेशनों का उल्लेख है। कई फार्मेसियां इन औषधों को तैयार करके इनका विपणन कर रही हैं।

[हिन्दी]

एड्स-II परियोजना

3598. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एड्स-II परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 395.58 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने 291.58 लाख रुपए की बकाया राशि राज्य सरकार को जारी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां। हिमाचल प्रदेश के वर्ष 1999 2000 के दौरान एड्स II परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 395.58 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

(ख) से (ङ) बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के आधार पर हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1999-2000 के दौरान 318 लाख रुपए की राशि दी गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2000-2001 के लिए 27.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से हिमाचल प्रदेश को वर्ष के दौरान 227 लाख रुपए की राशि दी गई।

गन्ने का उत्पादन

3599. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को कोई प्रोत्साहन प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष गन्ने का कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या गन्ने का उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। गन्ना उत्पादन बढ़ाने के राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकतर 75:25 के अनुपात में वित्तपोषण के प्रतिमान पर 20 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में वर्ष 1995-96 में गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के सतत विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के अधीन औजारों (बैल वाहित/ट्रैक्टर चालित) और टपका सिंचाई के लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अधीन किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान करने हेतु इस स्कीम को 4 अक्तूबर, 2000 से कृषि वृहत् प्रबंधन स्कीम में मिला दिया गया है।

उपर्युक्त स्कीम के अलावा, चीनी मिलों को अपने क्षेत्रों में गन्ना विकास हेतु गन्ना विकास निधि नियमावली, 1983 के अधीन रियायती ब्याज दरों पर ऋण दिया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानित गन्ना उत्पादन निम्नवत है :-

वर्ष	उत्पादन (मि०मी० टन)
1997-98	279.54
1998-99	288.72
1999-2000 (अंतिम)	299.33

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान गन्ने का उत्पादन 305 मिलियन मी० टन के लक्ष्य के मुकाबले 299.23 मिलियन मी० टन रहा।

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी सूचना नहीं रखी जाती। गन्ने पर क्रय कर और उपकर राज्य सरकारों द्वारा लगाये और वसूले जाते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात के भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा पश्चात् संक्रमण

3600. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस चिंता की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें आपदा के शुरूआती दिनों में उन भूकंप पीड़ित व्यक्तियों से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने की बात कही गयी है जिनका वहां आपातकालीन चिकित्सा उपचार किया गया था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घायलों को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक संसाधनों और आवश्यकताओं का आंकलन करने में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के संबंध में प्रबन्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात के राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां इन क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं—रोग निगरानी कार्य का सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य क्षेत्र समन्वय, भूकम्प के परिणामस्वरूप जन स्वास्थ्य की परामर्शी क्षमता, राहत सहायता में सर्वोत्तम जन स्वास्थ्य प्रणालियों और न्यूनतम मानकों को अपनाना, जल गुणवत्ता पर विशिष्ट ध्यान देते हुए जल और स्वच्छता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 16 सदस्यों की टीम वाले 6 निगरानी केन्द्र स्थापित किए हैं और राज्य सरकारों को उपचारी उपायों के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यालय ने पोलियो और क्षयरोग कार्यक्रमों में लगे अपने चिकित्सा अधिकारियों को आपात कार्य में सहायता देने के लिए पुन: तैनात किया है। 25 वाहन भी कार्य में लगाए जा रहे हैं। प्रारंभिक अवधि में विश्व स्वास्थ्य सगठन ने 4,50,000 अमरीकी डॉलर मूल्य की दवाइयां और आपात किट प्रदान किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में सहायता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने 1,00,000 अमरीकी डालर रखे हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिण पूर्व एशिया, ने 50,000 अमरीकी डालर आबंटित किए हैं।

गन्ने का उत्पादन

3601. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और वातावरण होने के बावजूद गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्मों की कमी के कारण गन्ने का औसत उत्पादन कम है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के राज्यवार ब्यौरे सहित अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों की तुलना में बिहार में गन्ने की औसत उपज कितनी है;

(ग) क्या सरकार को बिहार सरकार से राज्य में गन्ना अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) हालांकि कई राज्यों की तुलना में बिहार में गन्ने का औसत उत्पादन कम है लेकिन यह कम उत्पादन अधिक उपज देने वाली किस्मों की कमी के कारण नहीं हुआ है।

(ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान गन्ने का अखिल भारतीय औसत उत्पादन क्रमश: 66.5, 7.11 और 72.6 टन प्रति हैक्टर हुआ था जबकि बिहार में क्रमश: 45.1, 45.9 और 48.5 टन प्रति हैक्टर हुआ था। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत में बिहार तथा अन्य राज्यों में गन्ने का औसत-उत्पादन

उपज (टन/है०)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
असम	41.5	41.1	40.0
आन्ध्र प्रदेश	75.4	72.6	78.0
बिहार	45.1	45.9	48.5
गुजरात	68.8	71.7	69.1
हरियाणा	55.7	53.2	55.0
कर्नाटक	82.9	91.5	91.2
केरल	92.9	92.9	72.6
मध्य प्रदेश	39.1	38.6	39.3
महाराष्ट्र	81.0	83.0	89.0
उड़ीसा	56.7	61.2	65.9
पंजाब	63.8	56.7	59.5
राजस्थान	48.3	49.9	47.7
तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	99.8	106.7	134.2
उत्तर प्रदेश	59.4	65.1	59.0
अन्य	34.0	34.6	36.8
समस्त भारत	66.5	71.1	72.6

एड्स/एच०आई०वी०

3602. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल एड्स कंट्रोल सोसायटी (एन०ए०सी०ओ०) की सूचना के अनुसार आज की तिथि तक देश में एड्स से कितने लोगों की मृत्यु हुई है;

(ख) वर्तमान में देश में कितने व्यक्ति एच०आई०वी० से संक्रमित हैं;

(ग) क्या सरकार "रेड लाइट एरिया" में रहने वाली युवा वेश्याओं और उनके बच्चों के लिए एच०आई०वी० की जांच अनिवार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की 31 दिसम्बर, 2000 तक सूचित मामलों के अनुसार देश में एड्स के कारण हुई रोगियों की मौत की संचयी संख्या 1772 है।

(ख) राष्ट्रव्यापी प्रहरी निगरानी से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देश में 1999 की स्थिति के अनुसार एच०आई०वी० संक्रमित लोगों की अनुमानित संख्या 37 लाख है।

(ग) से (ङ) जी, हां। देश में एच०आई०वी० संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अनिवार्य अथवा सांविधिक एच०आई० वी० परीक्षण के लिए अनिवार्य अथवा सांविधिक एच०आई०वी० परीक्षण, एक कार्यनीति नहीं है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:-

(i) एच०आई०वी० संक्रमण का उपचार अथवा उससे रोगमुक्ति नहीं है।

(ii) संक्रमण के संचार को रोकने के लिए परीक्षण पूर्व और परीक्षणोत्तर परामर्श सहित एच०आई०वी० परीक्षण स्वैच्छिक होना चाहिए।

(iii) सांविधिक एच०आई०वी० जोखिम वाले वर्गों को छुपने के लिए बाध्य करेगा।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

3603. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनुदान प्रदान किया गया है; और

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को ऐसा अनुदान स्वीकृत करने हेतु क्या मानदण्ड हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों से अनुदान प्राप्त उन 11850 गैर-सरकारी संगठनों के ब्यौरे योजना आयोग के वेबसाइट पर एनजीओ डाटा बेस–एचटीटीपी:/प्लानिंग कमीशन.निक.इन में दिया गया है। विवरण की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ख) ऐसे अनुदानों के अनुमोदन के लिए मापदंड में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भिन्नता होती है। तथापि, अपनाए गये कुछ सामान्य मापदंड निम्नलिखित हैं:-

(i) एक गैर-सरकारी संगठन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 जैसे उपयुक्त अधिनियमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों से पंजीकृत पहचान होनी चाहिए।

(ii) गैर-सरकारी संगठन को संबंधित क्षेत्रक जिसके लिए अनुदान की मांग की गई हो, के कार्य में कुछ अनुभव होना चाहिए।

विवरण

गैर-सरकारी संगठन, डाटा बेस योजना आयोग

राज्य	ग्रा० वि० मंत्रा० जुलाई 2000	मा० सं० वि० म० अक्तूबर 2000	स० न्या एवं अधि० 1998	स्वा० एवं परि० कल्याण सितम्बर 1998	वन व पर्या० मंत्रा० जून 1999	सां० यु०मा एवं खेल मई 2000	श्रम नवम्बर 2000
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	746	198	155	90	46	24	3
अरुणचल प्रदेश	4	8	7	0	1	0	0
असम	84	112	13	3	11	9	1
बिहार	663	111	63	98	139	53	0
छत्तीसगढ़	25	5	5	1	7	0	0
गोवा	3	0	4	0	0	0	0
गुजरात	177	75	26	5	21	2	1
हरियाणा	98	33	21	3	1	23	0
हिमाचल प्रदेश	53	18	2	3	4	4	0
जम्मू व कश्मीर	20	12	17	7	21	5	0
झारखण्ड	110	30	10	4	35	15	0
कर्नाटक	232	107	92	31	20	22	0
केरल	222	1	53	2	45	9	4
मध्य प्रदेश	193	164	37	52	43	50	1
महाराष्ट्र	289	159	80	38	16	14	0
मणिपुर	220	28	35	21	0	24	5
मेघालय	8	5	7	0	0	0	0
मिजोरम	22	2	10	0	0	0	0
नागालैण्ड	26	14	6	0	0	1	1
उड़ीसा	326	285	70	76	2	21	1
पंजाब	6	21	9	2	0	4	0
राजस्थान	206	60	33	9	18	16	0
सिक्किम	0	3	1	0	0	1	0
तमिलनाडु	515	162	104	118	23	32	0

1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा	8	20	8	0	0	2	0
उत्तर प्रदेश	1115	218	193	143	82	125	1
उत्तरांचल	94	11	12	4	22	5	0
पश्चिम बंगाल	803	133	75	14	84	47	1
अंडमान व निकोबार	2	1	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	5	12	13	4	0	3	0
दादरा व नगर हवेली	0	0	1	0	0	0	0
दमन व दीव	0	15	0	0	0	1	0
दिल्ली	191	48	77	33	17	79	24
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	4	11	3	0	2	1	0
कुल(11850)	6470	2082	1242	761	660	592	43

व्यापक स्वास्थ्य योजना

3604. डा० बी०बी० रमैया :
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जनवरी, 2001 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत सरकार की क्या वरीयताएं हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार चिकित्सा अनुदान आयोग स्थापित करने का भी है;

(छ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उक्त आयोग को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या पद्धतियों में महत्वपूर्ण अन्तरों का पता लगाया है और इन नाजुक अन्तरों विशेषतौर से प्रशिक्षित जनशक्ति की कमियों, अपर्याप्त आपूर्तियों, रेफरल परिवहन के लिए सम्पर्कों और चौबीसों घंटे प्रसव सेवाओं की कमियों के क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए विशिष्ट कार्यकलाप पहले ही शुरू कर दिए हैं।

सरकार का कई उपायों के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रस्ताव है, जो इस प्रकार है :-

(i) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी बुनियादी ढांचे को औषधों, अनिवार्य उपभोज्यों, यात्रा-लागतों के लिए प्रति सहायक नर्स धात्री के लिए आकस्मिक व्ययों को बढ़ा हुआ प्रावधान, प्रसाधन-गृहों और पीने के स्वच्छ जल, अनिवार्य उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था करके सुदृढ़ किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने और सामानों, उपकरण और औषधों इत्यादि की आवश्यकता पर आधारित अधिप्रापण के लिए विशिष्ट पाकेटों की पूरी न हुई आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए विभिन्न राज्यों में क्षेत्र परियोजनाएं चल रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए एक विस्तृत प्रचालनात्मक कार्यनीति को रूपरेखा नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में 100 से अधिक कार्यकलाप गिनाये गए हैं जो कवरेज और पहुंचग्राह्य सेवाओं में सुधार करेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक जनांकिकीय लक्ष्यों की सूची विवरण-I में दी गई है। कार्यनीतियों से संबंधित विषय-सारों का ब्यौरा विवरण-II में है। इसके अतिरिक्त, भावी योजना में ग्रामीण निर्धनों के स्वास्थ्य के लिए और अधिक व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2000 में उप-जिला और परिवार स्तरों पर जानकारी और परामर्श स्तर पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त आपूर्तियों और सेवाओं को दूर-दूर तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट चिकित्सकों और गैर चिकित्सीय भ्रातृसंघ समेत विविध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों को यथास्थानों पर लगाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ाने और विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।

(च) से (ज) स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा आयोग स्थापित करने का एक प्रस्ताव था। इस प्रयोजन के लिए कुछ सांकेतिक प्रावधान भी रखा गया था। तथापि, संसाधनों की कमी के कारण इस प्रस्ताव को आस्थगित रखा गया है।

विवरण-I

उद्धरण–नौवीं योजना दस्तावेज : बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य योजना

ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या

1. यह सुनिश्चित करना कि भौगोलिक रूप से चित्रित किए गए ग्रामीण क्षेत्रों को मानदंडों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा अस्पतालों/औषधालयों को ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी बुनियादी ढांचे की उपयुक्त श्रेणी में मिला करके तीन श्रेणीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं से कवर किया जाता है।

2. मौजूदा खंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपजिला/उपमंडलीय अस्पतालों, ग्रामीण अस्पतालों और उपजिला प्रसवोत्तर केन्द्रों को पुन: नामोदिष्ट और उनको उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करके महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल एककों में सूचित किएं गए भारी अन्तर को भरने के लिए उच्च प्राथमिक प्रदान करना।

3. सभी प्रथम रेफरल एककों में :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि निम्नलिखित विशेषज्ञताओं : चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा प्रसूति रोग विज्ञान, बाल चिकित्सा और असंवदेनता (एनिस्थीजिया) में विशेषज्ञ प्रशिक्षित डाक्टर हों।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कोई रिक्ति न हो (यदि आवश्यक हो, तो अंशकालिक नियुक्तियों की व्यवस्था करके) और यह कि रेफर किए गए रोगियों और जिन रोगियों को आपाती परिचर्या की आवश्यकता हो, को ऐसे समय तक उपचार अवश्य मिले जब तक कि उनको इसकी जरूरत हो और यह कि चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति को मानीटर करने के लिए अर्हता-प्राप्त पी०एस०एम० कार्मिक हों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध विशेषज्ञ को इन कार्यक्रमों की मानीटरिंग का अतिरिक्त उत्तरदायित्व (उदाहरणार्थ, बाल चिकित्सक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मानीटर करेगा) दिया जा सकता है; सेवा शर्तों में सुधार और डाक्टरों (विशेषज्ञ सहित) तथा अर्ध-चिकित्सीय कार्मिकों को अच्छा कार्य वातावरण प्रदान करके स्टाफ को ठहरने के लिए समर्थ बनाने तथा आबादी को अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना।

4. यह सुनिश्चित करना कि कौशल विकास करके महत्वपूर्ण अर्ध-व्यावसायिक पदों में कोई रिक्ति न हो और पहले से ही उपलब्ध जन शक्ति को पुन: लगाना; जहां नितान्त आवश्यक हो, जन शक्ति की कमी को अंशकालिक नियुक्तियां करके पूरा किया जा सकता है।

5. सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक उपकरण, उपभोज्यों, औषधों की खरीद के लिए उपलब्ध निधियों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जाये; निर्माण कार्य के लिए केवल तभी निधियां प्रदान की जा सकती हैं, जब नितान्त आवश्यक हो।

6. रेफरल सेवाओं को सुदृढ़ करना।

विवरण-II

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में उल्लिखित कार्य-योजना एवं कार्यनीति-प्रमुख बातें :

1. ग्राम स्तर पर सेवा प्रदानगी एक जगह पर उपलब्ध कराना।
2. बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना।
3. प्रसूति और नवजात शिशुओं की बीमारियों में जिला स्वास्थ्य कार्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्रों के बीच रेफरल नेटवर्क को सुदृढ़ करना।
4. व्यापक आपाती प्रसूति एवं नवजात शिशु परिचर्या प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना।
5. बुनियादी आपाती और प्रसूति एवं नवजात शिशु परिचर्या प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की क्षमता को सुदृढ़ करना।
6. मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदायकों के तकनीकी कौशल में सुधार।
7. सुरक्षित गर्भपात परिचर्या का विस्तार एवं बेहतर सुविधाएं।
8. उप जिला स्तर पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में कार्य करने के लिए प्रसूति अस्पतालों का विकास करना।
9. वैक्सीन से रोके जा सकने वाले सभी रोगों के लिए शत-प्रतिशत टीकाकरण।
10. पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाना।
11. गैर सरकारी क्षेत्र और उद्योगों के साथ सहयोग और वचनबद्धता।
12. वृद्ध लोगों के लिए सेवाएं।
13. सूचना शिक्षा एवं संचार में सुधार।

[हिन्दी]

बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देना

3605. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य सरकारों को विशेषकर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने बेरोजगारों को ऋण प्रदान किए गए;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को ऋण प्रदान करने के क्या मानदंड हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस धनराशि पर नियंत्रण रखने और उक्त योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु किसी निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या शिक्षित बेरोजगार युवा इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो इससे संबंधित प्रतिक्रिया सहित इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, आकस्मिक व्यय आदि के लिए निधि प्रदान करती है। तथापि आर्थिक सहायता हेतु निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यक्षता प्रदान नहीं की जाती है, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक, कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थी को प्रदान करने के लिए अधिकृत है। प्रशिक्षण उद्यमिता विकास, आकस्मिक व्यय आदि के लिए निधि प्रत्यक्षत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, आकस्मिक व्यय आदि हेतु 4744.93 लाख रुपये की राशि प्रदान की है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, गत तीन वर्षों 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को संस्वीकृत ऋणों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान करने हेतु निश्चित किए गए मानदंड संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों के उपयोग का समंजन उनसे प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाता है। जारी की गई निधियों के समन्वयन एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए तथ्य के पश्चात् अधिशेष/घाटा राशि परवर्ती रिलीजों में समायोजित कर लिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक को रिलीज की जाने वाली आर्थिक सहायता, निधि और जिसे उसके बदले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रियान्वयन बैंकों को प्रदान किया जाता है की रिलीज/उपयोग का अनुवीक्षण/विनियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

(छ) और (ज) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत 1993-94 से 1999-2000 के बीच 15.64 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण प्रदान किए गए थे।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं आकस्मिकता आदि के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी की गई निधियां

(हजार रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 के दौरान जारी निधियां	1998-99 के दौरान जारी निधियां	1999-2000 के दौरान जारी निधियां	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	18247.50	16050.50	15297.95	49595.95
2.	असम	5717.00	13872.27	5387.60	24976.87
3.	अरूणाचल प्रदेश	342.65	478.85	303.00	1124.50
4.	बिहार	3395.00	1726.00	1374.25	6495.25
5.	दिल्ली	0.00	126.00	0.00	126.00
6.	गोवा	180.00	175.77	199.55	555.32
7.	गुजरात	1957.50	6750.75	1434.50	10142.75
8.	हरियाणा	4204.25	3059.05	0.00	7263.30
9.	हिमाचल प्रदेश	484.00	653.00	1030.30	2167.30

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू एवं कश्मीर	186.50	71.65	763.55	1021.70
11.	कर्नाटक	11985.25	10239.62	13860.25	36085.12
12.	केरल	3125.25	11059.60	10247.35	24432.20
13.	मध्य प्रदेश	17199.09	13255.38	14233.95	44688.42
14.	महाराष्ट्र	6934.75	12105.85	27268.60	46309.20
15.	मणिपुर	536.75	598.70	101.75	1237.20
16.	मेघालय	420.75	320.50	461.12	1202.37
17.	मिजोरम	312.42	254.70	261.10	828.22
18.	नागालैंड	282.00	407.05	146.90	835.95
19.	उड़ीसा	6850.40	6211.35	6772.05	19833.80
20.	पंजाब	8613.10	6237.75	5869.25	20720.10
21.	राजस्थान	8196.50	9644.50	9413.80	27254.80
22.	तमिलनाडु	11806.50	6597.75	9428.90	27833.15
23.	त्रिपुरा	680.25	210.76	578.60	1469.60
24.	उत्तर प्रदेश	36894.91	36788.85	33040.70	106724.46
25.	पश्चिम बंगाल	8095.75	727.50	436.00	9256.25
26.	अंडमान एवं निकोबार	83.25	226.50	113.70	423.45
27.	चंडीगढ़	91.00	179.50	83.40	353.90
28.	दमन एवं दीव	190.50	31.00	21.25	242.75
29.	दादरा एवं नगर हवेली	48.75	22.50	37.60	108.85
30.	लक्षद्वीप	37.25	24.00	24.25	85.50
31.	पांडिचेरी	266.47	355.30	203.55	825.32
32.	सिक्किम	57.50	107.50	105.20	270.20
	कुल	157422.79	158569.99	158499.97	474492.75

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को राज्यवार स्वीकृत किए गए ऋण

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/संघ शा० प्रदेश	1997-98 बैंक द्वारा संस्वीकृत	1998-99 बैंक द्वारा संस्वीकृत	1999-2000 बैंक द्वारा संस्वीकृत	कुल बैंक द्वारा संस्वीकृत
1	2	3	4	5	6
	उत्तरी क्षेत्र				
1.	हरियाणा	6202	7888	7123	21213
2.	हिमाचल प्रदेश	2341	2340	2144	6825
3.	जम्मू एवं कश्मीर	2882	1473	1157	5512
4.	पंजाब	9354	9733	9547	28634
5.	राजस्थान	12779	14005	14867	41651
6.	चंडीगढ़	168	105	69	342
7.	दिल्ली	996	691	899	2586
	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र				
8.	आसाम	9355	10267	7826	27448
9.	मणिपुर	832	828	881	2541
10.	मेघालय	456	368	524	1348
11.	नागालैंड	403	165	66	634
12.	त्रिपुरा	549	974	1029	2552
13.	अरूणाचल प्रदेश	269	205	410	884
14.	मिजोरम	286	163	220	669
15.	सिक्किम	87	87	58	232
	पूर्वी क्षेत्र				
16.	बिहार	14071	10852	10254	35177
17.	उड़ीसा	7962	8684	7965	24611
18.	पश्चिम बंगाल	5103	3780	3314	12197
19.	अंडमान एवं निकोबार	70	94	125	289

1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय क्षेत्र				
20.	मध्य प्रदेश	30910	31169	29209	91288
21.	उत्तर प्रदेश	37798	44682	43769	126249
	पश्चिमी क्षेत्र				
22.	गुजरात	8223	11437	10654	30314
23.	महाराष्ट्र	38845	37106	34207	110158
24.	दमन एवं दीव	23	25	17	65
25.	गोवा	313	369	481	1163
26.	दादरा एवं नगर हवेली	75	37	36	148
	दक्षिणी क्षेत्र				
27.	आन्ध्र प्रदेश	26309	24218	20721	71248
28.	कर्नाटक	17283	17351	16652	51286
29.	केरल	13829	16031	16325	46185
30.	तमिलनाडु	15383	15723	13426	44532
31.	लक्षद्वीप	47	33	31	111
32.	पांडिचेरी	420	453	402	1275
	अखिल भारतीय	263623	271336	254408	789367

विवरण-III

1.	आयु	(1) सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 18 से 25 वर्ष।
		(2) उत्तर-पूर्वी राज्यों के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 18 से 40 वर्ष।
		(3) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष।
2.	शैक्षिक योग्यता	आठवीं पास/जिन्होंने सरकार द्वारा पंजीकृत/अनुमोदित संस्थाओं से किसी ट्रेड में कम से कम 6 महीने का प्रशिक्षण लिया है, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
3.	पारिवारिक आय	(1) न तो पति या पत्नी सहित लाभार्थी की आय और न ही लाभार्थी के माता पिता की आय प्रतिवर्ष रु० 40,000/- से अधिक होनी चाहिए।
4.	निवास	उस क्षेत्र का 3 वर्ष तक स्थायी निवासी रहा हो।
5.	चूककर्ता	किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का बाकीदार नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजसहायता से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना के अन्तर्गत पहले से ही सहायता प्राप्त व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

आयकर में छूट और महिलाओं की क्षमता

3606. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बहुत सी सेवाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-ए के अंतर्गत आयकर में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता का दोहन करने हेतु किसी कार्यदल की स्थापना की गई है या कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डी०डब्ल्यू० ए०सी०आर०ए०) के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं ने सूचना प्रौद्योगिकी में स्पष्टतया रुचि दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए और क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं और इस प्रौद्योगिकी से उनकी दशा में किस सीमा तक सुधार हुआ है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित 15 सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई तथा धारा 10ए/10यी के अंतर्गत आयकर में छूट की पात्र हैं।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक समिति के गठन के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों के विकास (डी०डब्ल्यू०ए०सी०आर०ए०) की योजना को 1 अप्रैल, 1999 से बंद कर दिया है। अत: सूचना प्रौद्योगिकी में रुचि दर्शाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

हार्डवेयर का निर्यात

3607. श्री प्रभात सामन्तराय :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हार्डवेयर के उन्नयन और 2008 तक इसके निर्यात को 10 बिलियन डालर तक बढ़ाने हेतु रणनीति बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है;

(ग) साफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच असंतुलन को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या गत वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित किए गए कार्यदल की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ आम-जन तक पहुंचाने और वर्ष 2008 तक कम से कम 100 मिलियन लोगों को इंटरनेट कनैक्शन से जोड़ने का महत्वकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास कार्यदल ने वर्ष 2008 तक 10 बिलियन अमरीकी डालर के हार्डवेयर निर्यात का लक्ष्य पहले ही निर्धारित किया है। अत: सूचना प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की दिनांक 15.01.2001 को हुई बैठक में इसके लिए किसी विशेष रणनीति का विचार नहीं किया गया।

(ग) सरकार ने इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके परिणामस्वरूप सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में असंगति को घटाने के लिए कुछ निश्चित उपाय किए हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाए

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्क संगत बनाया गया है और 5 प्रतिशत शुल्क के भुगतान पर किसी देहरी सीमा के बिना इसे सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

3. एसटीपी तथा ईएचटीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पदनामित अधिकारियों के अनुमोदन की शक्तियों को और 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाया गया है।

4. निर्यात उन्मुखी योजनाओं (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) के अंतर्गत इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं पेरिफेरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई है। अब ये मूल्यह्रास पहले के लगभग 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष में 90 प्रतिशत तक की समग्र सीमा तक होंगे।

5. निर्यातोन्मुखी इकाई (ईओयू/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाओं के अंतर्गत साफ्टवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/ईएचटीपी योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों के लिए निर्यात के लदान पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है। अनुमति पत्र में शामिल मदों के लिए हार्डवेयर इकाइयों की घरेलू शुल्क क्षेत्र बिक्री में ब्रॉडबैंडिंग की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण और व्यापार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

7. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत रूस को रुपए में होने वाले निर्यात में मूल्य संवर्धन मानदंडों को 100 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

8. कम्प्यूटरों पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है।

9. वर्ष 2001-02 के बजट में, सीमा शुल्क 35 प्रतिशत की उच्च दर पर जारी रहेगा। सामान्य रूप से, सभी आयातों के मामले में 10 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क अधिभार समाप्त कर दिया गया है किंतु विशेष अपवादों को छोड़कर

सभी आयातों पर 4 प्रतिशत की दर से विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी), लागू रहेगा। वर्ष 2000-2001 के बजट में कम्प्यूटर एवं पेरिफेरलों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था तथा यह जारी रहेगा। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर भी सीमा शुल्क शून्य प्रतिशत जारी रहेगा। वर्ष 2001-02 के बजट में, विश्व व्यापार संगठन (सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उत्पाद) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-I) की मदों पर 20-25 प्रतिशत के वर्तमान सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए विशिष्ट कच्चे माल के लिए रियायती दर पर सीमा शुल्क जारी रहेगा।

10. वर्ष 2001-02 के बजट में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को तर्कसंगत बनाकर बहु दर के स्थान पर 16 प्रतिशत का एकल दर कर दिया गया है तथा 16 प्रतिशत की दर से विशिष्ट उत्पाद शुल्क (सीईडी) का एकल दर कर दिया गया है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र/इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

13. बाह्य व्यावसायिक उधारियों (ईसीबी) पर ब्याज पर कर के अवरोधन से छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराई गई है।

14. धारा 80-1क (मूलसंरचनात्मक स्थिति) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त कराधान अवधि से छूट इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क प्रदानकर्ताओं को दी गई है।

15. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

16. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं से संबंधित है। इससे इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

परमाणु प्रतिरोधक क्षमता

3608. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका भारत से अपनी न्यूनतम परमाणु क्षमता बताने का अनुरोध कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार का क्या रवैया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) भारत और अमरीका सुरक्षा, अप्रसार और निरस्त्रीकरण मसलों पर चल रही वार्ता में शामिल हैं। यह वार्ता भारत द्वारा न्यूनतम नाभिकीय निवारक बनाये रखने के विषय में है। भारत का न्यूनतम निवारक कोई नियत मात्रा में हथियार रखने से संबंधित नहीं है; यह एक नीतिगत दृष्टिकोण है जो हमारे सुरक्षा वातावरण के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है।

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या

3609. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कुल कितनी लघु उद्योग इकाइयां रुग्ण हैं;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न लघु उद्योग विकास निगमों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित, वितरित और खर्च की गई तथा कितनी आय अर्जित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेषकर तमिलनाडु में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु अन्य क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 2000 के अंत में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 3,04,235 थीं। मार्च, 2000 के अंत में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों पर राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सभी राज्य लघु उद्योग विकास निगमों की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रुग्णता की समस्या से पूर्णतया अवगत है और इसने तमिलनाडु सहित देश में सम्भाव्य जीवन क्षमता वाले रुग्ण उद्योगों की समय पर पहचान करने एवं पुनर्वास को सरल बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों

के साथ-साथ राज्य-स्तरीय अंतर्संस्थानिक समितियों के रूप में संस्थानिक तंत्र, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास कक्ष और पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं।

विवरण

रुग्ण लघु उद्योगों पर राज्यवार आंकड़े

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 2000 के अन्त तक रुग्ण ल०उ० इकाइयों की संख्या
1	2
आसाम	11445
मेघालय	528
मिजोरम	41
बिहार	26909
अरूणाचल प्रदेश	120
पश्चिम बंगाल	143893
नागालैंड	168
मणिपुर	5577
उड़ीसा	7444
सिक्किम	25
त्रिपुरा	7170
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31
उत्तर प्रदेश	21235
दिल्ली	3309
पंजाब	1897
हरियाणा	2952
चंडीगढ़	156
जम्मू एवं कश्मीर	2002
हिमाचल प्रदेश	893
राजस्थान	7560
गुजरात	5928
महाराष्ट्र	9115
दमन एवं दीव	10
गोवा	161
दादरा एवं नगर हवेली	46
मध्य प्रदेश	6072
आन्ध्र प्रदेश	12461
कर्नाटक	5416
तमिलनाडु	11602
केरल	9017
पांडिचेरी	1052
कुल	304235

"प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994" का क्रियान्वयन

3610. श्री ए० नरेन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में अभी भी लिंग निर्धारण परीक्षण हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से राज्यों में "प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994" को पूर्णतया लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने हेतु कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लिंग निर्धारण परीक्षणों को प्रतिबंधित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) देश में भ्रूण का लिंग निर्धारण प्रतिबंधित है। भ्रूण के निर्धारण की व्याप्तता के विषय में कोई राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 जो 1 जनवरी, 1996 से लागू हुआ, भ्रूण को प्रकट करने की विशिष्ट रूप से मनाही करता है।

जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू है। अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में, अधिनियम के तहत समुचित प्राधिकरण को सहायता और सलाह देने के लिए सलाहकार समितियां गठित नहीं की गई हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बारम्बार

आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। लोगों और सेवा प्रदायकों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक प्रभावी जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में सूचना देने और शिकायत दर्ज कराने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं/गैर-सरकारी संगठनों को सुरक्षा प्रदान करने की सलाह भी दी गई है। प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों से, डाक्टरों/क्लीनिकों/कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों और जन-साधारण में, अधिनियम के प्रावधानों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए परियोजनाएं शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

3611. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति:**
श्री वाई०वी० राव :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आचार्य एन०जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय ने सरकार से आन्ध्र प्रदेश के छ: जिलों में नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है जिससे कि तम्बाकू उत्पादक किसानों को वैकल्पिक फसल व्यवस्था अपनाने में मदद मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादक किसानों की किस सीमा तक मदद करने पर सहमत हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय ने आन्ध्र प्रदेश के 6 जिलों नामत: खम्माम, आदिलाबाद, निजामाबाद, प्रकासम, कुडप्पा और कृष्णा में नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य में 16 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं जिसमें से 2 केन्द्र कुरनूल जिले में भी स्थापित किए गए हैं।

नान्डयाल, कुरनूल जिले में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र की कार्य प्रणाली को विश्वविद्यालय के सहयोग से इस प्रकार पुन: व्यवस्थित किया गया है कि केन्द्र समीपवर्ती कुडप्पा जिले में भी अपनी गतिविधियों को हाथ में ले सके। परिषद ने विश्वविद्यालय के मौजूदा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को मजबूत करने के लिए भी आदिलाबाद और प्रकासम जिलों सहित तीन जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्यों को हाथ में लेने हेतु भी मंजूरी दे दी है। कृष्णा जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र को स्थापित करने के संबंध में सैद्धान्तिक रूप से सहमति हो गई है।

(घ) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री ने अनाज, तिलहनों, दालों, सब्जियों और नकद फसलों (कैश क्राप) सहित विभिन्न संयोजनों वाली वैकल्पिक फसलों की भिन्न खेती प्रणालियों के अधीन कृष्णा और समीपवर्ती खम्माम और प्रकासम जिलों में बुवाई करने की सिफारिश की है।

साफ्टवेयर निर्यात

3612. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :**
श्री के०पी० सिंह देव :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में विभिन्न राज्यों में कितनी सॉफ्टवेयर इकाइयां हैं;

(ख) कौन-कौन से राज्य अब सॉफ्टवेयर का निर्यात कर रहे हैं;

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात में प्रत्येक राज्य का कार्य-निष्पादन कैसा रहा;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और वर्ष 2001-2002 के दौरान कितनी अर्जित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने और सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ाने हेतु इस उद्योग का विकेन्द्रीकरण करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं योजना के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) विभिन्न भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) केन्द्रों में पंजीकृत एसटीपीआई इकाइयों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) दो वर्षों अर्थात् 1998-99 तथा 1999-2000 में राज्यवार कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात के आंकड़े विवरण-II के रूप में संलग्न हैं। वर्ष 2000-2001 के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि, वर्ष 2000-2001 के अनुमान तथा वर्ष 20001-2002 के लक्ष्य विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

(च) सॉफ्टवेयर उद्योग लाइसेंस मुक्त है और देश में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।

(छ) और (ज) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात के लक्ष्य और इस क्षेत्र का वास्तविक निर्यात विवरण-IV के रूप में सलंग्न है।

विवरण-I

फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार एसटीपीआई केन्द्रों में पंजीकृत सॉफ्टवेयर इकाइयों का विस्तृत ब्यौरा

क्र० सं०	एसटीपीआई केन्द्र	इकाइयों की कुल संख्या
1.	बंगलौर	865
2.	भुवनेश्वर	146
3.	कोलकाता	206
4.	चेन्नै	643
5.	गांधीनगर	302
6.	गुवाहाटी	27
7.	हैदराबाद	1175
8.	जयपुर	69
9.	मोहाली	140
10.	नवी मुम्बई	809
11.	नोएडा	1208
12.	पुणे	519
13.	त्रिवेन्द्रम	219
	योग	6328

विवरण-II

वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं का निर्यात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का अनुमानित अंश

क्षेत्र	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों	1998-99 में निर्यात		1999-2000 में निर्यात	
		करोड़ रु०	मिलि.यूएस डॉलर	करोड़ रु०	मिलि.यूएस डॉलर
1	2	3	4	5	6
पूर्व	पश्चिम बंगाल	200.00	48.19	367.31	85.42
	उड़ीसा	80.00	19.28	109.54	25.47
	क्षेत्रीय योग	280.00	67.47	476.85	110.90
उत्तर	दिल्ली	2500.00	602.41	3927.47	913.36
	उत्तर प्रदेश	1000.00	240.96	1245.75	289.71
	हरियाणा	1100.00	265.06	972.93	226.26
	राजस्थान	9.00	2.17	20.64	4.80
	पंजाब	30.00	7.23	16.33	3.80
	मध्य प्रदेश	1.00	0.24	1.74	0.41
	क्षेत्रीय योग	4640.00	1118.07	6184.87	1438.34
दक्षिण	कर्नाटक	3450.00	831.33	4267.94	992.55
	तमिलनाडु	1300.00	313.25	1987.44	462.20
	आन्ध्र प्रदेश	650.00	156.63	1223.23	284.49
	केरल	70.00	16.87	24.11	5.61
	पांडिचेरी	5.00	1.20	1.11	0.26
	क्षेत्रीय योग	5475.00	1319.28	7503.93	1745.10
पश्चिम	महाराष्ट्र	2000.00	481.93	2688.38	625.21
	गुजरात	105.00	25.30	445.97	103.71
	क्षेत्रीय योग	2105.00	507.23	3134.35	728.92
	योग	12500.00	3012.05	17300.00	4023.26

विवरण-III

वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि

वर्ष/निर्यात	1998-99	1999-2000	2000-01 (अनुमानित)	2001-02 (संभावित)
मिलियन यूएस डॉलर	3012.00	4023.00	5978.00	8400.00
(% वृद्धि)	(56.42)	(33.57)	(48.60)	(40.52)
करोड़ रुपए	12500.00	17300.00	27500.00	39060.00
(% वृद्धि)	(65.33)	(38.40)	(58.90)	(42.04)
विनिमय दर 1 अमरीकी डालर=रुपए	41.50	43.00	46.00	46.50

विवरण-IV

नवीं योजना के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात के लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धि

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
प्रस्तावित लक्ष्य	5850.00	9250.00	14600.00	23100.00	36500.00
वास्तविक उपलब्धि	68.00.00	12500.00	17300.00	27500 (अनुमानित)	

कृषि जिंसों का आयात

3613. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कृषि जिंसों के आयात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका हमारे किसानों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विपणन

3614. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि विपणन के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु एक विपणन संबंधी स्थायी समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेशपद और मुख्य लक्ष्य क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि विपणन सुदृढ़ीकरण और विकास से संबद्ध विशेषज्ञ समिति का विचारार्थ विषय और उद्देश्य ये हैं :-

(i) कृषि उत्पादन में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण के संदर्भ में देश में कृषि विपणन की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा;

(ii) विभिन्न राज्य कृषि उत्पाद विपणन बोर्डों और कृषि उत्पाद मंडी समितियों के संगठनात्मक ढांचे और कार्यकरण की जांच करना तथा किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर अवसंरचना और सेवा प्रदान करने के लिए इन संगठनों को और अधिक प्रभावी तंत्र बनाने के लिए उपाय सुझाना;

(iii) प्रतिभूत वित्तपोषण (प्लेज फाइनेंसिंग), प्रत्यक्ष विपणन संवर्धन और वैकल्पिक विपणन प्रणालियों के लिए संस्तुति करना;

(iv) अवसंरचना में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकताओं का अध्ययन करना, फार्म में उपभोक्ता तक निर्बाध आपूर्ति प्रबंधन तथा अगले दस वर्षों के लिए विपणन प्रणाली के लिए अन्य सुविधाएं देना और सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों को ऐसे निवेश करने के लिए उत्साहित करने हेतु सिफारिशें करना;

(v) किसानों, निर्यातकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए बाजार आसूचना की आवश्यकताओं की जांच करना तथा इस संबंध में सिफारिशें करना;

(vi) कृषि विपणन प्रणाली हेतु मंडी विस्तार, अनुसंधान और प्रशिक्षण आवश्यकताओं की जांच तथा इस संबंध में सिफारिशें करना;

(vii) आधुनिक विपणन प्रणाली विकास के लिए ई-कामर्स, ई-बिजिनेस आदि के विशेष संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के कुशल उपयोग के लिए उपाय सुझाना; और

(viii) कृषि विपणन प्रणाली के विकास और आधुनिकीकरण से संबंधित अन्य मामलों पर सिफारिशें करना।

कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार

3615. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री अभिजीत सेन की अध्यक्षता में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने वाले मानदंड की समीक्षा और पुन: परिभाषित करने हेतु कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा

3616. श्री भाल चन्द्र यादव : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय से पूर्णत: संतुष्ट है; और

(ख) यदि हां, तो इनसे ग्रामीण क्षेत्रों को कितना लाभ हुआ है और राज्यों, विशेषत: उत्तर प्रदेश में इसके तहत कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत के.वी.आई.सी. 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत की दर से और 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच की परियोजना लागत हेतु 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि मार्जिन मनी के रूप में सहायता प्रदान करता है। कमजोर वर्गों के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए 30 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी प्रदान की जाती है और शेष राशि (25 लाख रुपये तक) के लिए यह 10 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत, मार्जिन मनी के.वी.आई.सी. द्वारा और ऋण बैंकों इत्यादि द्वारा दिए जाते हैं। के.वी.आई.सी. ने खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को अनुदान के रूप में 5667.92 लाख रुपये की राशि संवितरित की है और 1999-2000 तक 12.00 लाख व्यक्तियों के लिए क्यूमुलेटिव रोजगार सृजित किया है।

[अनुवाद]

ए०आई०सी०टी०ई० से भेषज पाठ्यक्रमों को अलग करना

3617. श्री एच०जी० रामुलू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने भेषज महाविद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भेषज महाविद्यालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय भेषज परिषद के दोहरे नियंत्रण/पर्यवेक्षण के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने भेषज महाविद्यालयों को केवल भारतीय भेषज परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से इन भेषज महाविद्यालयों को अलग करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) भारतीय फार्मेसी परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार फार्मेसी में डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मेसी कालेजों की राज्यवार सूची क्रमश: विवरण-I और II पर है।

(ख) और (ग) फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के प्रयोजन के लिए फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले ''फार्मेसिस्टों के लिए अध्ययन पाठयक्रम'' (डी फार्मा, बी फार्मा) का अनुमोदन भारतीय फार्मेसी परिषद करती है। इसके लिए भारतीय फार्मेसी परिषद ने फार्मेसी अधिनियम को धारा 10 के अंतर्गत शिक्षा विनियमन नामक मानक एवं विनियम निर्धारित किए हैं जिन्हें भारतीय फार्मेसी परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्थाओं को पूरा करना होता है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 में ''तकनीकी शिक्षा'' की परिभाषा में ''फार्मेसी'' शब्द को भी शामिल किया गया है। इस अधिनियम की धारा 10(के) के अनुसार, फार्मेसी कार्यक्रम सहित नए/मौजूदा तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के अनुमोदन का अधिकार एवं कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सौंपा गया है। इसलिए उपर्युक्त दोनों परिषदें फार्मेसी शिक्षा को विनियमित कर रही हैं।

(घ) और (ङ) सरकार फार्मेसी शिक्षा के विनियमन पर दोहरे नियंत्रण की समस्या के निराकरण के लिए उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर रही है।

विवरण-I

नई दिल्ली में परिषद की 01.067वीं बैठक (अगस्त, 2000) द्वारा यथा अनुमोदित फार्मेसी में डिप्लोमा प्रदान कर रहे संस्थानों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	संस्थान	प्रवेशों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	1011
2.	बिहार	7	443
3.	चंडीगढ़	2	100

1	2	3	4
4.	दिल्ली	8	500
5.	गोवा	1	60
6.	गुजरात	9	640
7.	हरियाणा	9	545
8.	हिमाचल प्रदेश	2	60
9.	कर्नाटक	81	5021
10.	केरल	20	1230
11.	मध्य प्रदेश	7	370
12.	मणिपुर	1	30
13.	महाराष्ट्र	67	3910
14.	उड़ीसा	19	1050
15.	पंजाब	20	1040
16.	राजस्थान	10	600
17.	सिक्किम	1	60
18.	तमिलनाडु	36	2460
19.	त्रिपुरा	1	60
20.	उत्तर प्रदेश	14	630
21.	पश्चिम बंगाल	7	285
22.	जम्मू एवं कश्मीर (धारा 14 के अंतर्गत)	1	60
	कुल	343	20,165

विवरण-II

नई दिल्ली में परिषद् की 01.067वीं बैठक (अगस्त, 2000) द्वारा यथा अनुमोदित फार्मेसी में डिग्री प्रदान कर रहे संस्थानों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	संस्थाएं	प्रवेशों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	570
2.	असम	1	20
3.	बिहार	5	130
4.	गोवा	1	40
5.	गुजरात	6	340
6.	हरियाणा	1	40
7.	कर्नाटक	43	2260
8.	केरल	3	130
9.	मध्य प्रदेश	3	140
10.	महाराष्ट्र	28	1460
11.	उड़ीसा	6	300
12.	पंजाब	1	20
13.	राजस्थान	4	170
14.	तमिलनाडु	25	1791
15.	उत्तर प्रदेश	2	85
16.	संघ राज्य क्षेत्र	1	50
17.	दिल्ली	2	70
18.	पश्चिम बंगाल	1	60
	कुल	143	7676

कृषि क्षेत्र में संकट

3618. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के० येरननायडू :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास कृषि क्षेत्र में संकटों से निपटने हेतु मंत्रियों की एक समिति के गठन का प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) सरकार ने फसल प्रतिमान के विविधीकरण हेतु नीतियों की समीक्षा करने, अधिक मूल्य स्थायित्व लाने, संस्थागत प्रबंध तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने तथा कृषि निर्यातों के संवर्धन हेतु वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल

गठित किया है। मंत्रियों के दल के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है।

इंडोनेशिया में नस्ली हिंसा

3619. **श्री जे०एस० बराड़** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नस्ली हिंसा ने अनेक लोगों को इंडोनेशिया से भागने पर मजबूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय लोग तथा भारतीय मिशन अथवा अन्य सुरक्षित स्थानों में शरण ले रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या कार्य-योजना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग

3620. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित पदों को धारण करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या उप सचिव के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात आई०ए०एस० अधिकारियों की तुलना में कितनी है;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे गए पदों की संख्या से पर्याप्त रूप से पता चलता है कि उप सचिव श्रेणी का संबंध उनके संवर्ग अथवा किसी अन्य संवर्ग से है; और

(ग) क्या 25 प्रतिशत निचले स्तर के पदों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा मंत्रालय-वार निर्धारित किया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 01.03.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 60 अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 122 अधिकारी उप सचिवों के नियमित पदों पर कार्य कर रहे थे। इस बारे में मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारियों से भरे हुए अवर सचिव और उप सचिव के पदों को छोड़कर, भारत-सरकार में अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी पद, अखिल भारतीय सेवाओं और उपर्युक्त योजना में हिस्सा ले रहीं, केन्द्रीय सरकार की समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों में से कार्य-काल से संबद्ध प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते हैं।

(ग) इस समय, मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के उप सचिवों के कम से कम 25 प्रतिशत पद, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारियों से भरे जाने अपेक्षित हैं। फिर भी, उप सचिव के पदों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं/समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी, निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करने पर, निदेशक के रूप में पुनर्पदनामित कर दिए जाते हैं। तद्नुसार, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में हर समय, उप सचिवों के 25 प्रतिशत पदों का केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारियों द्वारा धारण किया जाना सुनिश्चित करना संभव नहीं है। फिर भी, भारत सरकार में उप सचिवों की कुल संख्या में वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर उप सचिव के ग्रेड में कार्यरत अधिकारियों सहित, कम से कम 25 प्रतिशत उप सचिव, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के होने सुनिश्चित किए जाते हैं।

विवरण

उप सचिव के नियमित पदों पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय-सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा

क्रं० सं०	विभाग/मंत्रालय	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा
1	2	3	4
1.	मंत्रिमंडल सचिवालय	1	2
2.	कृषि मंत्रालय		
	कृषि और सहकारिता विभाग	2	3
	पशुपालन और डेयरी विभाग	1	शून्य
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग	शून्य	1
4.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
	रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	2	1
5.	नागर विमानन मंत्रालय	1	शून्य
6.	कायेला मंत्रालय	1	3
7.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
	वाणिज्य विभाग	1	16

1	2	3	4
	औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग	शून्य	2
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	शून्य	5
	उपभोक्ता मामलों का विभाग	1	शून्य
9.	रक्षा मंत्रालय	6	3
10.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	शून्य	1
11.	वित्त मंत्रालय		
	आर्थिक कार्य विभाग	2	3
	व्यय विभाग	शून्य	1
	राजस्व विभाग	5	1
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	शून्य	2
	स्वास्थ्य विभाग		
	परिवार कल्याण विभाग	शून्य	2
13.	भारी उद्योग विभाग	1	शून्य
14.	गृह मंत्रालय	5	17
15.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
	सेकण्डरी और उच्च शिक्षा विभाग	3	2
	महिला और बाल विकास विभाग	2	शून्य
16.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2	1
17.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	शून्य	1
18.	श्रम मंत्रालय	शून्य	1
19.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय विधायी विभाग	2	शून्य
	कम्पनी कार्य विभाग	1	शून्य
20.	खान मंत्रालय	शून्य	2
21.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	5	12
	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग		
	प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग		
	पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग		
22.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	शून्य	1
23.	योजना आयोग	शून्य	1
24.	विद्युत मंत्रालय	2	2
25.	सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2	शून्य
26.	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
	ग्रामीण विकास विभाग	शून्य	7
27.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1	शून्य
	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (बायो टैक्नोलोजी)	1	शून्य
28.	लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	शून्य	5
29.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	3	2
30.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1	शून्य
31.	इस्पात मंत्रालय	शून्य	1
32.	नौवहन मंत्रालय	शून्य	4
33.	वस्त्र मंत्रालय	1	6
34.	संस्कृति विभाग	शून्य	3
35.	जनजातीय कल्याण मंत्रालय	शून्य	1
36.	शहरी विकास विभाग	2	3
37.	जल संसाधन मंत्रालय	1	शून्य
38.	संघ लोक सेवा आयोग	2	शून्य
39.	विदेश मंत्रालय	शून्य	1
40.	रेल मंत्रालय	शून्य	1
41.	राष्ट्रपति सचिवालय	शून्य	1
42.	अन्तरिक्ष विभाग	शून्य	1
	कुल	60	122

केन्द्रीय कृषि सेवा

3621. श्री अबुल हसनत खां : क्या कृषि मंत्री 7.7.1998 और 3.3.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3056 और 1119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय कृषि सेवा के सृजन के संबंध में केन्द्रीय पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया तथा उनकी जांच की गई। इस संबंध में बहुत से कारकों पर विचार किया जाना है, जिसके लिए और अधिक सूचना अपेक्षित है। इस मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से अंतिम निर्णय लेने के लिए विभिन्न प्रभागों से सूचना एकत्र की जा रही है। निर्णय लिए जाने पर इसे सभा पटल पर रखा दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आई०ए०एस० अधिकारी

3622. श्री मनोज सिन्हा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वितरण के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से परामर्श किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित अधिकारियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश-पुनर्गठन-अधिनियम, 2000 की धारा 67(4) के प्रावधानों के अनुसार, अविभाजित मध्य प्रदेश-संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य, नियत दिन से पहले ही नए राज्य-संवर्ग में आबंटित किए जाने थे। केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर, 2000 की पहली तारीख को नियत दिन के रूप में अधिसूचित किया, जिस दिन छत्तीसगढ़ का नया राज्य बना। उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का छत्तीसगढ़-संवर्ग में आबंटित किया जाना, अक्टूबर, 31, 2000 को अधिसूचित किया गया। चूंकि उपर्युक्त अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं था अत:, छत्तीसगढ़ सरकार से परामर्श किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

(ग) और (घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़-संवर्ग के 100 प्राधिकृत पदों के संबंध में मध्य प्रदेश-पुनर्गठन-अधिनियम, 2000 के अंतर्गत गठित परामर्शदायी समिति की सिफारिशों के आधार पर लिए गए सरकार के निर्णय के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 93 अधिकारी आबंटित किए गए हैं। उपुर्यक्त संवर्ग में 07 अधिकारियों की कमी अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पूरी की जा सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी अधिनियमों के कार्यान्वयन हेतु धनराशि

3623. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता के तौर पर 647.95 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करने और आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम को देय 48.09 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धनराशि को कब तक स्वीकृत किए जाने और जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता निर्मुक्त करने संबंधी आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों को राशि का 50 प्रतिशत केन्द्रीय शेयर के रूप में प्रदान करने संबंधी विद्यमान पद्धति जारी रहेगी। तद्नुसार, वर्ष 2000-2001 के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को यथानुमत्य 208.60 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है।

राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एम सी डी सी) को शेयर पूंजी सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम को 2000-2001 के दौरान 49 प्रतिशत केन्द्रीय शेयर के प्रति 792.65 लाख रुपये निर्मुक्त किये गये हैं।

स्वायत्तशासी निकायों हेतु भर्ती नियम

3624. डा० (श्रीमती) सुधा यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों के लिए भर्ती संबंधी नियम और सेवा-शर्तें तथा चयन-प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार के नियमों की भावना के अनुरूप नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र-सरकार ने किस आधार पर स्वायत्तशासी निकायों के भर्ती-नियमों को स्वीकृति दी है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों के पदों के भर्ती-नियम अनुमोदित करते समय, मंत्रालयों/विभागों द्वारा भर्ती-नियम बनाने/संशोधित करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों और उस कानून के प्रावधानों अथवा संविधान के चार्टर का ध्यान में रखा जाना अपेक्षित होता है जिसके अनुसार, स्वायत्त निकाय सृजित/स्थापित किए गए हों।

[हिन्दी]

धान का उत्पादन

3625. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार में धान के उत्पादन का ब्यौरा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : वर्ष 2000-2001 के दौरान धान के राज्यवार उत्पादन का विवरण अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वर्ष 1999-2000 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में चावल उत्पादन का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

(लाख मी० टन)

राज्य	उत्पादन
1	2
पंजाब	87.16
हरियाणा	25.94
उत्तर प्रदेश	129.12
आंध्र प्रदेश	104.90
बिहार	77.42

[अनुवाद]

भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री

3626. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में तबाही मचाने वाले भूकंप के आने के बाद भुज विमानपत्तन पर विदेशों से भेजी गई सैंकड़ों टन राहत सामग्री, भोजन, चीनी, नमक, कम्बल, टेन्ट कई दिनों तक खुले में पड़े रहे;

(ख) यदि हां, तो संकट से निपटने के दौरान कुप्रबंध के क्या कारण हैं; और

(ग) आपदा प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) निचले स्तर तक राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

[हिन्दी]

भारतीय दूतावास को बंद करना

3627. श्री तूफानी सरोज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बॉन (जर्मनी) में अपना दूतावास बंद कर दिया है और इसे म्युनिख में स्थानांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां रहने वाले अनिवासी भारतीयों ने इस कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और

(ख) अक्टूबर, 1989 में जर्मनी का एकीकरण, जून 1991 में ड्यूटश् बुन्ड्सटैग (जर्मन संसद) का बॉन से बर्लिन राजधानी ले जाने का परवर्ती निर्णय, फिर अगस्त 1999 में राजधानी का बर्लिन में वास्तविक स्थानांतरण किये जाने के फलस्वरूप अक्टूबर 1999 में संघीय जर्मन गणराज्य में भारत के राजदूतावास को बॉन से बर्लिन स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ी। अक्टूबर 1999 से ही बचे-खुचे कॉंसली और प्रशासनिक मामलों की देख-रेख कर रहा एक कार्यालय बॉन में कार्य कर रहा है जिसके कामकाज को म्यूनिख स्थित भारतीय कॉंसलावास के प्रचालित होते ही वहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उस कार्यालय को बंद कर दिया जाएगा। म्यूनिख बभारिया राज्य की राजधानी है जो जर्मनी का सबसे बड़ा संघीय राज्य है और आर्थिक रूप से सबसे तेज गति से बढ़ रहा राज्य है। दक्षिणी जर्मनी में भारत का कोई भी कॉंसलावास नहीं है। म्यूनिख का नया कॉंसलावास जर्मनी के किसी गतिशील, हाईटेक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भाग में पहला कॉंसलावास होगा।

(ग) और (घ) जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफालिया जहां बॉन अवस्थित है, राज्य के कई भारतीय संगठनों ने बॉन में अथवा उत्तरी राइन वेस्टफालिया राज्य के अन्य शहरों में बारी-बारी से एक कॉंसलावास अथवा भारतीय दूतावास का एक कार्यालय बनाये रखने के पक्ष में प्रतिवेदन दिया है। इस क्षेत्र के लोगों की कॉंसली, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी रक्त बैंक

3628. श्री रामजीवन सिंह :
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-सरकारी अस्पतालों और उपचर्या गृहों में रक्त बैंकों की अनुपस्थिति में शहरों में नकद भुगतान पर रक्त बेचने वाले गैर-सरकारी रक्त बैंकों के बढ़ने की जानकारी है जबकि यह एक अवैध प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के व्यापार में लगे गैर-सरकारी रक्त बैंकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) दिल्ली में प्राइवेट रक्त बैंकों द्वारा रक्त की अवैध बिक्री किए जाने की कोई घटना सूचित नहीं की गई है। दिल्ली में 14 प्राइवेट अस्पतालों में लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक हैं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कॉयर उद्योग का विकास

3629. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कॉयर उद्योग विशेषकर, कॉयर मैट्स के विकास के बारे में परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) कॉयर बोर्ड को विगत में केरल सरकार से कॉयर उद्योग और विशेषतौर से कॉयर मैट के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए रिक्त आरक्षित पद

3630. श्री पी०आर० खूंटे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत मंत्रालय-वार और विभाग-वार विकलांगों के लिए कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत उनसे जुड़े विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित पद अभी तक नहीं भरे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सब पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) 65 मंत्रालयों/विभागों में से 62 मंत्रालयों/विभागों से मिली जानकारी के अनुसार, 01.01.1999 को नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रखे गए 6634 पद रिक्त थे। इन पदों का मंत्रालय-वार

और विभाग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जा रहा है।

(ग) उपुर्यक्त रिक्तियों के बकाया रहने के कारणों में, किसी रिक्ति के होने तथा उसे भर्ती-अभिकरणों को सूचित किए जाने में अंतराल होना, रिक्त पदों के भरे जाने पर लगी सामान्य रोक जिसे वित्त-मंत्रालय ने, नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में हटा लिया है, उस नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का नहीं मिल पाना इत्यादि है जिसके लिए रिक्तियां उद्दिष्ट हों।

(घ) बकाया चली आ रहीं इन रिक्तियों के भरे जाने की कोई भी समय-सीमा नहीं दर्शाई जा सकती।

विवरण

01.01.1999 को मौजूद स्थिति के अनुसार

क्र० सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	प्रशासनिक सुधार और लेखा-शिकायत-विभाग	01
2.	कृषि और सहकारिकता विभाग	28
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	06
4.	परमाणु ऊर्जा विभाग	16
5.	पशुपालन और डेयरी विभाग	143
6.	जैव-प्रौद्योगिकी (बायो टैक्नोलोजी) विभाग	—
7.	मंत्रिमण्डल-सचिवालय	04
8.	रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	—
9.	नागर विमानन विभाग	02
10.	उपभोक्ता मामले विभाग	179
11.	कोयला विभाग	—
12.	वाणिज्य मंत्रालय	08
13.	कम्पनी कार्य विभाग	02
14.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	232
15.	रक्षा मंत्रालय	659
16.	आर्थिक कार्य विभाग	223
17.	शिक्षा विभाग	03
18.	भारत का निर्वाचन आयोग	06
19.	सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	02
20.	वन और पर्यावरण मंत्रालय	09
21.	व्यय विभाग	08
22.	विदेश मंत्रालय	12
23.	उर्वरक विभाग	0
24.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग	08
25.	खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय	0
26.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	228
27.	भारी उद्योग मंत्रालय	0
28.	गृह मंत्रालय	35
29.	उद्योग नीति और संवर्धन मंत्रालय	10
30.	श्रम मंत्रालय	126
31.	विधि कार्य विभाग	04
32.	विधायी विभाग	03
33.	खान विभाग	213
34.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	05
35.	महासागर विकास विभाग	02
36.	संसदीय कार्य विभाग	0
37.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	05
38.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग	01
39.	योजना आयोग	01
40.	डाक विभाग	2021
41.	विद्युत मंत्रालय	06
42.	राष्ट्रपति-सचिवालय	178
43.	प्रधान मंत्री कार्यालय	0
44.	लोक उद्यम विभाग	0
45.	रेल मंत्रालय	1254
46.	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय	136
47.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	147

1	2	3
48.	अंतरिक्ष विभाग	10
49.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	0
50.	इस्पात विभाग	01
51.	आपूर्ति विभाग	10
52.	भूतल परिहवन विभाग	04
53.	दूरसंचार विभाग	281
54.	वस्त्र विभाग	01
55.	पर्यटन विभाग	03
56.	संघ लोक सेवा आयोग	08
57.	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय	05
58.	उप राष्ट्रपति सचिवालय	19
59.	जल संसाधन मंत्रालय	391
60.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	03
61.	महिला और बाल विकास विभाग	0
62.	युवा और खेलकूद मंत्रालय	05
	कुल	6634

[अनुवाद]

कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाना

3631. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मंत्रालयों/स्वायत्तशासी निकायों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक इस प्रयोजनार्थ किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है; और

(घ) प्रत्येक मंत्रालय/स्वायत्तशासी निकाय में ऐसे अधिकारियों के कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में शिकायतों के निवारण (कर्मचारियों की शिकायतों सहित) की प्रणाली विकेन्द्रीकृत आधार पर कार्य करती है। शिकायतों के निवारण हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने, सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि वे अपने अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिये कर्मचारी निवारण तंत्र गठित करें तथा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में, उप सचिव/निदेशक स्तर का और उसके अधीनवर्ती संगठनों में कार्यालयाध्यक्ष अथवा उसके समान स्तर का अधिकारी, कर्मचारी शिकायत अधिकारी के रूप में पदनामित करें।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों ने कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र गठित कर लिये हैं और कर्मचारियों की शिकायतों के लिए अधिकारी पदनामित कर दिये हैं। स्वायत्तशासी निकायों में कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित अधिकारी नियुक्त करने के बारे में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार

3632. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के० येरननायडू :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करके ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने महाराष्ट्र समेत देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत, जोकि परियोजना-उन्मुखी हैं न कि राज्य विशेष, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण समेत इस क्षेत्र के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, मानव संसाधन विकास एवं अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

2001-2002 के बजट में प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों के मामले में उत्पाद शुल्क, जो इस समय 16 प्रतिशत है को घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक सम्पदाओं को कर अवकाश देने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति में इस क्षेत्र के विकास

के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करने और ग्रामीण युवकों आदि के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की परिकल्पना की गई है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में संशोधन

3633. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधि और प्रसाधन सामग्री संबंधी नियमों में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नकली औषधियों को बाजार से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय ने औषधि अधिनियम को ठीक करने के लिए राज्य सरकारों से किस सीमा तक सहायता प्राप्त की है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) नकली औषधि की समस्या का मुकाबला मुख्य रूप से राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जो ऐसे कार्यकलाप को रोकने के लिए निगरानी करके और जब ऐसे कार्यकलाप प्रकाश में आते हैं तो उन पर औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन मुकदमा चलाकर उक्त अधिनियम के उपबंध को प्रवृत्त करते हैं।

भारत के औषध नियंत्रक ने राज्य औषध नियंत्रकों को इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी है :-

(क) राज्य औषध सलाहकार समितियों का गठन/उन्हें पुनः सक्रिय करना।

(ख) पुलिस की सहायता से अलग आसूचना-सह-कानूनी तंत्र की स्थापना।

(ग) नकली औषध के मामलों से निपटने के लिए अनुभवी काउंसल कार्यरत करना।

(घ) संदिग्ध डीलरों की निगरानी।

(ङ) फार्मास्युटिकल उद्योग के साथ नियमित रूप से तालमेल बनाकर उनका सहयोग लेना।

(च) राष्ट्रीय औषध गुणवत्ता मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्यक्रम के अधीन सर्वेक्षण नमूनों का एकत्रण।

उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बाजार से नकली औषधों को समाप्त करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं।

सरकार ने न तो औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और न ही इस प्रयोजन के लिए कोई विधान विचाराधीन है।

तबाह फसलों हेतु बीमा

3634. श्री के०पी० सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के सभी किसानों ने अपनी फसलों को हुए नुकसान के लिए बीमा प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने किसानों ने अब तक अपना बीमा प्राप्त कर लिया है; और

(ग) शेष कितने किसानों को बीमा मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं। खरीफ मौसम 2000 के दौरान उड़ीसा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बीमा दावों का निपटान अभी क्रियान्वयक अभिकरण अर्थात् भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा किया जाना है। दावों का भुगतान, संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले उपज आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा। उड़ीसा सरकार को अपने राज्य की प्रमुख फसल अर्थात् धान के उपज संबंधी आंकड़े अभी प्रस्तुत करने हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

औषधियों का अत्यधिक मूल्य

3635. श्री विजय हान्दिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि औषधियों के अत्यधिक मूल्य के कारण एड्स रोगी औषधियां नहीं खरीद पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है अथवा पहले ही उठा चुकी है;

(ग) क्या सरकार का विचार सन् 2005 में विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अंतर्गत लगने वाले प्रतिबंधों के कारण औषधियों के मूल्य में और अधिक संभावित वृद्धि के मद्देनजर उन्हें घटी दरों पर उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ऐंटीरेट्रोवायरल औषधियां रोगियों को एच आई वी संक्रमण से संक्रमणमुक्त नहीं करतीं। साथ ही, ये औषधियां गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। तथापि सरकार ने इन औषधियों पर सीमा शुल्क में छूट प्रदान की है। इसके अलावा, अवसरवादी संक्रमणों का उपचार सभी सार्वजनिक क्षेत्र अस्पतालों में नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन

3636. श्री दिनशा पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने निर्धनता संबंधी सर्वेक्षण के 55वें चक्र की अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण परिणामों की सभी तरफ आलोचना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 1999-2000 के दौरान आयोजित परिवार उपभोक्ता व्यय के बारे में 55वें दौर सर्वेक्षण के मुख्य परिणाम जारी कर दिए हैं। इन परिणामों में, परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय और मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय वर्गों के अनुसार व्यक्तियों का वितरण शामिल है। योजना आयोग द्वारा उक्त सर्वेक्षण परिणामों पर आधारित भिन्न-भिन्न राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत का अनुमान लगा लिया गया है और विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार को सर्वेक्षण परिणामों की कोई आलोचना प्राप्त नहीं हुई है यद्यपि गरीबी अनुमानों की 55वें दौर सर्वेक्षण पर आधारित अनुमानों से तुलनात्मकता के बारे में कुछ विचार अभिव्यक्त किए गए हैं।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.77
2.	अरूणाचल प्रदेश	33.47
3.	असम	36.09
4.	बिहार	42.60
5.	गोवा	4.40
6.	गुजरात	14.07
7.	हरियाणा	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	7.63
9.	जम्मू व कश्मीर	3.48
10.	कर्नाटक	20.04
11.	केरल	12.72
12.	मध्य प्रदेश	37.43
13.	महाराष्ट्र	25.02
14.	मणिपुर	28.54
15.	मेघालय	33.87
16.	मिजोरम	19.47
17.	नागालैण्ड	32.67
18.	उड़ीसा	47.15
19.	पंजाब	6.16
20.	राजस्थान	15.28
21.	सिक्किम	36.55
22.	तमिलनाडु	21.12
23.	त्रिपुरा	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	27.02

1	2	3
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.99
27.	चण्डीगढ़	5.75
28.	दादरा तथा नगर हवेली	17.14
29.	दमन तथा दीव	4.44
30.	दिल्ली	8.23
31.	लक्षद्वीप	15.60
32.	पांडिचेरी	21.67
33.	समस्त भारत	26.10

सब्जियों में औक्सीटोसीन का प्रयोग

3637. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सब्जियों में आक्सीटोसीन का प्रयोग के बारे में 21.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4228 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को सब्जियों में अथवा कृषि तथा बागवानी में ऑक्सिटोसिन के सूचित प्रयोग की जानकारी नहीं है।

इस रासायनिक पदार्थ का मानव स्वास्थ्य पर कोई सूचित प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। गर्भवती महिलाओं और प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले जीव-जन्तुओं, खरगोशों, कुत्तों और मवेशियों में आसान प्रसव हेतु गर्भाशय संकुचनों को अभिप्रेरित (इन्ड्यूस) करने के लिए ऑक्सिटोसिन का सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिटोसिन को जब इंजेक्शन द्वारा जन्तुओं में प्रवेश कराया जाता है तो यह यकृत तथा वृक्क में पहचान न किए जा सकने वाले स्तर तक शीघ्रता से चयापचयित (मैटोबोलाइज्ड) हो जाता है। ऑक्सिटोसिन का अर्धजीवन (हाफ लाइफ) 3 से 12 मिनट के बीच अलग-अलग होता है। मानवों में आक्सिटोसिन मुख से लेने पर अवशोषित नहीं होता है क्योंकि यह जठरांतर मार्ग (गैस्ट्रोइनटेस्टीनल ट्रेक्ट) में पेपटाइड डाइजेस्टिंग एन्जाइमों द्वारा एमिनोएसिडों में बदल जाता है। दूध में फिल्टर हो सकने अथवा मांस को संदूषित कर सकने के इसके आसार भी काल्पनिक हैं।

(ग) इस औषध के किसी भी गलत प्रयोग को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) ऑक्सिटोसिन को अनुसूची (ज) औषध के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसे केवल पंजीकृत चिकित्सा/पशुचिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे पर ही बेचा जा सकता है।

(2) यह मंत्रालय ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन के केवल सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही विपणन को अनिवार्य बनाने का विचार रखती है। औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 105 में संशोधन करने के आशय वाली एक अधिसूचना 1.12.2000 को जारी की गई है।

(3) सभी राज्य औषध नियंत्रकों को ऑक्सिटोसिन के विनिर्माण तथा वितरण को विनियमित और मॉनिटर करने हेतु अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

(4) पशुपालन विभाग ने इस औषध के उचित प्रयोग के बारे में राज्यों में किसानों को शिक्षित करने हेतु पशुपालन तथा पशुचिकित्सा सेवाओं के सभी निदेशकों को अनुदेश भी जारी किए हैं। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे वितरकों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा इस औषध के प्रयोग को विनियमित करने हेतु राज्य औषध नियंत्रक से संपर्क करें।

भारत-जापान समझौता

3638. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान कर्नाटक सरकार ने उनके साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा परियोजना को बंद करना

3639. **श्रीमती सुशीला सरोज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की कोई परमाणु ऊर्जा परियोजना बंद कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। क्योंकि नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में मध्य प्रदेश में किसी परमाणु विद्युत परियोजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

फसल को हुई क्षति का आंकलन

3640. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फसल बीमा हेतु फसल को हुई हानि के लिए विकास खण्ड की बजाय गांव को इकाई बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का बीमा की छोटी इकाई अर्थात् ग्राम पंचायत के स्तर पर तीन वर्ष के भीतर कार्यान्वयन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। इस योजना को क्रियान्वित करने वाले राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर अपेक्षित संख्या में फसल कटाई के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपज की दर का मूल्यांकन भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रायोगिक आधार पर विकसित एक वैकल्पिक विधि जिसे ''लघु क्षेत्रीय फसल प्राक्कलन दृष्टिकोण'' कहते हैं, से किया जायेगा। इस नये दृष्टिकोण से बिना फसल कटाई प्रयोग के ही, बीमा की उच्चतर इकाई (ब्लाक/जिले) में उपलब्ध उपज दर का प्रयोग ग्राम पंचायत स्तर पर भी किया जा सकेगा।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि विस्तार केन्द्र

3641. श्री जय प्रकाश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने-कितने कृषि विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार के पास विश्व बैंक की सहायता से कुछ कृषि विस्तार केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में राज्य-वार ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) राज्यों में ऐसे कोई केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं। हालांकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। इनका राज्यवार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) नवम्बर 1998 से पांच वर्षों के लिए शुरू विश्व बैंक से सहायतित राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के ''प्रौद्योगिकी प्रसारण में अभिनव'' घटक के अंतर्गत निम्नलिखित केन्द्र/अभिकरणों की स्थापना की जा रही है :-

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विकास केन्द्रों के अतिरिक्त कामकाज को संभालने के लिये 53 जोनल कृषि अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने पर विचार कर रहा है। संबंधित ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

- कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के अंतर्गत 40 कृषि प्रौद्योगिकी एवं सूचना केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। संबंधित ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है।

- नई संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रायोगिक आधार पर सात राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब में अग्रणी परीक्षण किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक राज्य से चार-चार जिले कवर किये गये हैं लेकिन बिहार से केवल 3 और झारखण्ड से केवल एक जिले को कवर किया गया है।

- जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरणों और ब्लाक स्तर पर सूचना एवं सलाह केन्द्रों का गठन किया जा रहा है जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार में सहयोग देना है।

- केवल झारखण्ड को छोड़कर इस परियोजना वाले प्रत्येक राज्यों में राजकीय कृषि प्रबंध एवं विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है/का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जिससे कि राज्यों के वरिष्ठ कर्मियों की विस्तार प्रबंध कुशलता में सुधार लाया जा सके।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों के कृषि विकास केन्द्र

क्र०सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	योग
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	16
3.	अरूणाचल प्रदेश	1
4.	असम	4
5.	बिहार	21
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	10
9.	हरियाणा	12
10.	हिमाचल प्रदेश	8
11.	जम्मू और कश्मीर	4
12.	कर्नाटक	11
13.	केरल	9
14.	लक्षद्वीप	1
15.	मध्य प्रदेश	20
16.	महाराष्ट्र	23
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैण्ड	1
21.	उड़ीसा	12
22.	पांडिचेरी	2
23.	पंजाब	10
24.	राजस्थान	31
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	16
27.	त्रिपुरा	2
28.	उत्तर प्रदेश	30
29.	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	261

विवरण-II

कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त काम-काज को संभालने के लिए जोनल कृषि अनुसंधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए अभिज्ञात किए गए जिले

क्र० सं०	राज्य	अभिज्ञात जिलों की संख्या	विश्वविद्यालय/ संस्थान का नाम	जिले
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3	अंगरारू, हैदराबाद	1. नेलौर
				2. प्रकासम
				3. अदीलाबाद
2.	असम	6	एएयू जोरहट	4. नौगांव
				5. करबी अंगलौंग
				6. लखीमपुर
				7. करीमगंज
				8. कामरूप
				9. तीनसुखिया
3.	बिहार	3	आरएयू, पूसा	10. रोहतास
				11. भागलपुर
			बीएयू, रांची	12. संथाल परगना
4.	गुजरात	3	जीएयू	13. सूरत
				14. राजकोट
				15. जूनागढ़
5.	हिमाचल प्रदेश	3	एचपीकेवीवी, पालमपुर	16. लाहौल और स्पीती
				17. बिलासपुर
			वाईएचपीयूएच एण्ड पी	18. सोलन

1	2	3	4	5
6.	जम्मू व कश्मीर	1	एसकेयू एण्ड एटी	19. कारगिल
7.	कर्नाटक	8	यूएएस, बंगलौर	20. शिमोगा
				21. टमकूर
				22. मण्ड्या
				23. बंगलौर (ग्रामीण)
				24. चित्रदुर्ग
			यूएएस,धारवाड़	25. गुलबरगा
				26. उत्तर कन्नड
				27. बीजापुर
8.	केरल	2	केएयू, थ्रीस्सर	28. कोट्टायम
			सीपीसीआरआई, कसरगुड	29. एल्लेपेय
9.	मध्य प्रदेश	4	जेएनकेवीवी,जबलपुर	30. मोरेना
				31. होसंगाबाद
				32. वेस्टर्निमड (खारगांव)
				33. सागर
10.	महाराष्ट्र	4	पीकेवी, अकोला	34. यावतमल
				35. चन्द्रपुर
			केकेवी, दपोली	36. रायगढ़ रूहा
			एमएयू, परबनी	37. उसमानाबाद
11.	उड़ीस्स	2	ओयूएटी, भुवनेश्वर	38. भद्रक
				39. नवरंगपुर
12.	पंजाब	1	पीएयू, लुधियाना	40. रोपड़
13.	राजस्थान	1	आरएयू, बीकानेर	41. श्रीगंगानगर
14.	तमिलनाडु	3	टीएनएयू, कोयम्बटूर	42. कन्याकुमारी
				43. पुड्डूकोटया
				44. रामनाद
15.	उत्तर प्रदेश	8	जीबीपीयूएटी,पंतनगर	45. नैनीताल
			सीएसएयूए एण्ड टी	46. मैनपुरी
			कानपुर	47. महोबा
				48. कानपुर-देहात
			एनडीयूए एण्ड टी	49. गोरखपुर
			फैजाबाद	50. फैजाबाद
				51. महाराजगंज
				52. सोनभद्र
16.	पश्चिम बंगाल	1	बीसीकेवीवी,मोहनपुर	53. कूच बिहार

विवरण-III

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की सूची

क्र०सं०	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम
1	2
1.	एसकेयूएएस एवं टी, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)
2.	यूएएस, बंगलौर (कर्नाटक)
3.	आइजीकेवी, रायपुर (मध्य प्रदेश)
4.	जेएनकेवीवी, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
5.	एमएयू, परभाणी (एमएस)
6.	एमपीकेवीवी, रोहडी, अहमदनगर (एमएस)
7.	पीडीकेवी, अकोला (एमएस)
8.	टीएनवी एण्ड एएसयू, चैन्नई (तमिलनाडु)
9.	सीएसएयूए एण्ड टी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
10.	बीसीकेवीवी, मोहनपुर, नादिया (पश्चिम बंगाल)
11.	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
12.	सीपीआरआई, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
13.	सीआइएफटी, विलिंगडन द्वीप कोचीन (केरल)
14.	सीएआरआई, एरनाकुल्लम (केरल)
15.	सीपीसीआरआई, केसरगुड (केरल)
16.	सीआइएई, भोपाल (मध्य प्रदेश)

1	2

17. सीआइसीआर, नागपुर (महाराष्ट्र)

18. आईसीएआर आरइएस, कॉम्प्लेक्स एनइएच रिजन, उमराय रोड, बारापनी, मेघालय

19. सीआइएफए, कौशलयागंगा, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

20. सीएजेडआरआई, जोधपुर (राजस्थान)

21. पीएयू, लुधियाना (पंजाब)

22. एचपीकेवीवी, पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)

23. टीएनएयू, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

24. एचएयू, हिसार (हरियाणा)

25. एपीएयू, राजेन्द्र नगर हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

26. आरएयू, पूसा समस्तीपुर (बिहार)

27. वाइएसपीयूएचएफ, सोलन (हिमाचल प्रदेश)

28. एएयू, जोरहट (असम)

29. यूएएस, धारवाड़ (कर्नाटक)

30. आरएयू, बीकानेर (राजस्थान)

31. जीएयू, सरदार कृषि नगर, बनासकांठा (गुजरात)

32. आरएआरआई, पूसा (नई दिल्ली)

33. एनएनआर, बंगलौर (कर्नाटक)

34. एनएमआर, कालीकट (केरल)

35. एनडीआरआई, करनाल (हरियाणा)

36. केएयू, थ्रीस्सर (केरल)

37. केकेवी, दपोली, रत्नागिरी (एमएस)

38. जीबीपीयूए एण्ड टी, पंतनगर (उत्तर प्रदेश)

39. एनडीयूए एवं टी, कुमारगंज, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

40. आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली (उत्तर प्रदेश)

[अनुवाद]

कॉयर बोर्ड द्वारा धन वापसी

3642. श्री टी० गोविन्दन : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉयर बोर्ड के पास केरल सरकार की 18 करोड़ रुपये की राशि 1994 से बकाया पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केरल सरकार ने कॉयर बोर्ड के 1994 से लंबित पड़े छूट प्रतिपूर्ति संबंधी 10.59 करोड़ रुपये के दावे को वरीयता दी है। राज्य सरकारों को छूट के संबंध में केन्द्रीय सरकार का शेयर वार्षिक बजटीय व्यवस्था के अनुसार सीमित है, बजटीय आबंटन से अधिक दावों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

3643. श्री सुबोध मोहिते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर सी एच पी) के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) 9वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए 15.10.1997 को शुरू किए गए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को वैक्सीनों, औषधों और उपस्करों की आपूर्ति के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के संविदा स्टाफ/परामर्शदाताओं की नियुक्ति और अन्य संबंधित कार्यकलापों जैसे चौबीसों घन्टे प्रसव सेवाओं, रैफरल वाहन (दीनहीन परिवारों की गर्भवती महिलाओं को ले जाने के लिए), सिविल कार्यों, सहायक नर्स धात्रियों को गतिशीलता सहायता, सूचना, शिक्षा व संचार, प्रबन्ध सूचना प्रणाली और गैर-सरकारी संगठन कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को प्रदान की गई वर्ष-वार सहायता और सूचित व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रारंभिक वर्षों में कम व्यय के कारण इसके बाद दिए गए हैं। यद्यपि यह कार्यक्रम अक्टूबर, 1997 में शुरू किया गया था तथापि, आदर्श आचार संहिता के लागू होने की वजह से वास्तविक कार्यान्वयन केवल मार्च, 1998 के अंत में ही शुरू किया जा सका। दूसरा वर्ष (1998 1999) मुख्यत: तैयारी कार्यकलापों जैसे कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण माड्यूलों

को तैयार करने, प्रापण, प्रशिक्षण और सर्वेक्षणों के लिए नोडल संस्थाओं की नियुक्ति द्वारा संस्थागत सुदृढ़ीकरण, निधि प्रवाह प्रणालियों की स्थापना और कार्यक्रम की समझ के संवर्धन में बीत गया। तीसरे वर्ष में कार्यकलापों को तेज किया गया परन्तु कई राज्यों में विशेषत: कुछ बड़े राज्यों में कार्यान्वयन यूनिटों को निधि प्रवाह के दबाव (राज्य वित्त विभाग/स्वैच्छिक कार्य की स्थायी समिति द्वारा निधियां जारी न किया जाना), कार्मिकों की भर्ती में अड़चनें, जिलों से एम ओ ई प्राप्त करने में अड़चन और पर्याप्त परियोजना पर्यवेक्षण की कमी के कारण कार्यान्वयन प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ।

कार्यक्रम के निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से राज्यों को कार्यान्वयन में अधिक लचीलापन और अधिकार देकर स्कीमों को सरल और कारगर बनाया गया है। निधि प्रवाह संबंधी अड़चनों को दूर कर दिया गया है। कार्यक्रम का अनुवीक्षण प्रबन्ध सूचना प्रणाली को कड़ा करके और निष्पादन के समीपवर्ती अनुवीक्षण को विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से सुधारा गया है। किसी विशेष राज्य के लिए मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को पद नामित करके कार्यक्रम के राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण में सुधार किया गया है। इसके अलावा भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई आई एम) लखनऊ द्वारा प्रायोगिक आधार पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान की जायेगी। कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने और उन पर ध्यान देने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु कार्यक्रम निष्पादन की नियमित समीक्षाएं की जाती हैं। इसके कारण कार्यक्रम के निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। विश्व बैंक जो मुख्य वित्तपोषक एजेंसी है, ने जनवरी, 2001 में कार्यक्रम के निष्पादन पर सन्तोष व्यक्त किया है।

विवरण

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम–जारी की गई निधियों और सूचित किए गए व्यय के ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98 जारी	1997-98 व्यय	1998-99 जारी	1998-99 व्यय	1999-2000 जारी	1999-2000 व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	945.92	143.81	463.44	82.44	1,854.12	404.09
2.	अरूणाचल प्रदेश	237.38	93.62	261.05	121.86	155.24	147.41
3.	असम	556.06	160.38	262.37	166.13	675.18	747.42
4.	बिहार	958.59	105.05	728.49	287.24	1,233.34	426.03
5.	गोवा	54.87	11.28	33.24	0.15	32.33	14.00
6.	गुजरात	748.48	95.18	813.66	96.68	710.41	128.80
7.	हरियाणा	801.34	91.93	482.30	359.49	691.81	510.44
8.	हिमाचल प्रदेश	253.59	62.23	383.25	104.17	267.44	264.93
9.	जम्मू व कश्मीर	306.29	48.30	120.87	19.14	246.46	187.51
10.	कर्नाटक	751.42	145.95	383.11	156.63	489.17	483.35
11.	केरल	489.18	89.98	771.29	170.85	592.56	517.64
12.	मध्य प्रदेश	1,285.20	330.13	1,074.99	611.27	1,762.99	1,253.46
13.	महाराष्ट्र	939.47	181.64	750.69	681.59	1,099.39	752.45
14.	मणिपुर	188.06	83.15	85.43	87.53	500.24	99.61
15.	मेघालय	177.07	46.85	66.89	50.61	92.78	68.93
16.	मिजोरम	91.76	38.50	467.11	352.14	543.46	265.26

1 2	3	4	5	6	7	8
17. नागालैंड	144.90	56.04	80.52	9.50	126.81	168.01
18. उड़ीसा	716.56	195.58	560.59	175.06	1,023.94	155.83
19. पंजाब	601.48	95.96	162.45	138.78	296.75	220.31
20. राजस्थान	1,103.10	151.97	695.96	150.31	1,206.13	208.24
21. सिक्किम	91.38	31.90	91.31	90.52	44.74	55.95
22. तमिलनाडु	1,127.12	171.80	329.14	588.25	1,026.40	980.68
23. त्रिपुरा	97.38	74.52	254.09	4.50	238.19	168.96
24. उत्तर प्रदेश	1,647.06	396.64	1,395.69	237.13	3,844.59	1,109.61
25. पश्चिम बंगाल	478.00	127.13	579.65	193.73	1,218.49	471.38
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	24.62	13.97	100.47	13.88	27.06	39.56
27. चंडीगढ़	40.22	18.47	28.22	22.33	118.11	20.70
28. दादरा एवं नगर हवेली	17.97	11.37	32.24	11.84	23.99	10.77
29. दमन एवं दीव	45.66	16.92	27.01	23.40	32.05	14.36
30. दिल्ली	129.33	47.36	157.87	54.70	103.84	128.33
31. लक्षद्वीप	17.56	3.23	32.47	5.03	22.57	11.69
32. पांडिचेरी	92.26	25.26	38.14	13.60	45.06	51.28
कुल	15,159.26	3,166.09	11,713.99	5,080.37	20,345.56	10,086.98

(आंकड़े अनंतिम)

विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण

3644. श्री मोइनुल हसन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा अशक्त विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण लागू करने के प्रति दिखाई गई उदासीनता के प्रति गंभीर चिंता जताई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत **और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) :** (क) और (ख) श्री जावेद आबिदी द्वारा दायर रिट याचिका सिविल सं० 430/2000 पर, उच्चतम न्यायालय ने मंत्रिमण्डल-सचिव को, निशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण आर पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 के और इस अधिनियम की, नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने से संबंधित धारा 33 के समुचित कार्यान्वयन के बारे में अंतिम निर्णय लेने और उसे ठोस रूप दिए जाने के प्रयोजन से संबंधित विभागों के सचिवों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मंत्रिमण्डल-सचिव ने सचिवों की समिति की तीन बैठकों में, इस बारे में स्थिति की समीक्षा कर ली है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता-मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा विधि कार्य-विभाग के सचिवों का एक दल गठित किया है। उपर्युक्त दल ने नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने की दृष्टि से, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों से, सामूहिक रूप से बहुत सी बैठकें की हैं। उपर्युक्त दल ने सभी संबंधित पक्षों को नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता सहित, उपर्युक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के सांविधिक दायित्व, इसकी अत्यावश्यकता और इसके महत्व के बारे में अवगत करवा दिया है।

सरकार, उपर्युक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का निष्ठा, गंभीरता और दृढ़ता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लघु फार्म उत्पादों का निर्यात

3645. डा० वी० सरोजा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु फार्म निर्यात उत्पादों को निर्यात उपकर से छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) भारत सरकार कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अंतर्गत कुछ विशिष्ट जिंसों के निर्यात पर और उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 के अंतर्गत काजू गिरी के निर्यात पर उपकर लगा रही है। इन दोनों अधिनियमों के तहत संग्रहीत उपकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए दे दिया जाता है। यह उपकर कस्टम्स प्राधिकारियों द्वारा निर्यातकों से वसूला जाता है। इन अधिनियमों में संशोधन करने और छोटे फार्मों को निर्यात पर इस उपकर से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा इसलिए है कि यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि निर्यात किये जाने वाला कौन सा उत्पाद खेतों में पैदा किया गया है। इसके अलावा, उपकर निर्यातकों पर काल्पनिक मूल्यों पर लगाया जाता है और इससे छोटे किसान उपकर से किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होते हैं।

कीटनाशी अधिनियम में संशोधन

3646. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवैसी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 में कुछ संशोधन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं

(ग) संशोधन कब तक कर लिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार काफी समय से कीटनाशी अधिनियम और कीटनाशी नियम में इन संशोधनों को किए जाने का अनुरोध करती रही है; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार समेत देश के विभिन्न भागों से आये सुझावों के आधार पर 5.8.2000 को कीटनाशी (संशोधन) अधिनियम, 2000 अधिसूचित किया गया है जिसका उद्देश्य इस अधिनियम के उल्लंघन करने वाले को कठोर दण्ड देना, न्यायिक मामलों को शीघ्र निर्णीत कराना और इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को और कठोर बनाना है। यह संशोधन सरकार को तकनीकी ग्रेड के हानिकारक कीटनाशियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है।

कीटनाशी नियमावली 1971 में भी 20.5.1999 की सा०का०नि० अधिसूचना सं० 371(ई) और 372(ई) के तहत संशोधन किया गया है ताकि इस विनियम की कुछ प्रक्रियाओं को सरल बनाया और कुछ प्रावधानों को कारगर बनाया जा सके। अधिसूचना सं० 371(ई) के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए शुल्क को संशोधित करके युक्ति संगत बनाया गया है। अधिसूचना सं० 372(ई) के माध्यम से सभी कीटनाशियों के लिए आई०एस०आई० प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाया गया है ताकि किसानों को गुणवत्ताप्रद कीटनाशी उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि, इन दोनों अधिसूचनाओं को कई उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गयी है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

अपमिश्रण

3647. श्री रघुनाथ झा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 24 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन विनिर्माताओं के नमूने अपमिश्रित पाए गए थे, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) प्राप्त सूचना के अनुसार 1997, 1998 और 1999 के वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए पैक बन्द फ्रूट जूस के 1010 नमूनों में से पांच नमूनों में कृत्रिम रंगों की मिलावट पाई गई थी। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। सभी मामलों में अभियोजन कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए, मिलावटी पाए गए पैक बन्द जूस के नमूनों की संख्या और जिन मामलों में मुकदमा शुरू किया गया उनकी संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उठाए गए नमूनों की संख्या	मिलावटी पाए गए	मुकदमा शुरू किया गया
1	2	3	4	5
1.	लक्षद्वीप	—	—	—

1	2	3	4	5
2.	दमन	–	–	–
3.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	–	–	–
5.	पांडिचेरी	7	–	–
6.	राजस्थान	पर्याप्त	3	3
7.	कर्नाटक	21	–	–
8.	गुजरात	–	–	–
9.	मणिपुर	3	–	–
10.	अरुणाचल प्रदेश	15	–	–
11.	महाराष्ट्र	92	–	–
12.	उड़ीसा	2	–	–
13.	मिजोरम	–	–	–
14.	गोवा	25	(गलत ब्रांड के)	–
15.	त्रिपुरा	–	–	–
16.	केरल	–	–	–
17.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–
18.	दिल्ली	20	2	2
19.	आंध्र प्रदेश	–	–	–
20.	असम	–	–	–
21.	हिमाचल प्रदेश	16	–	–
22.	सिक्किम	6	–	–
23.	हरियाणा	–	–	–
24.	पश्चिम बंगाल	11	–	–
25.	पंजाब	775	–	–
26.	नागालैण्ड	17	–	–
	कुल	1010	5	5

कृषि आधारित उद्योगों में निवेश

3648. **श्री गुनीपाटी रामैया** : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति विश्व बाजार से प्रतियोगितात्मक है;

(ख) क्या विकसित देशों ने भारत में कृषि आधारित उद्योगों में निवेश के प्रति रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) खादी और ग्रामोद्योग (के०वी०आई०) सेक्टर में कृषि आधारित ग्रामोद्योगों को विश्व बाजार में अभी प्रतिस्पर्धात्मक बनना है।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग को विदेशी निवेश के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक हेतु अतिरिक्त निधियां

3649. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा बाजार से जुटाई गई राशि में से 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार से जुटाई गई चालू राशि में से राज्य को केवल 825.85 करोड़ रुपये ही आबंटित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस मांग को मानने के लिए अब सहमत हो गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष हेतु कर्नाटक के लिए निवल मार्किट उधार (एसएलआर) 825.58 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वित्त मंत्रालय ने वार्षिक योजना 2000-01 के लिए मुक्त मार्किट उधार के आबंटन में वृद्धि नहीं की है तथा 1999-2000 के स्तर पर ही कायम रहने के लिए योजना आयोग को सूचित किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक की वार्षिक योजना 2000-01 के लिए कोई अतिरिक्त मार्किट उधार विचारित नहीं की जा सकी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट फार्म कार्पोरेशन

3650. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की स्टेट फार्म कार्पोरेशन के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख में स्टेट फार्म कार्पोरेशन के अधीन भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में कुल कितना निवेश किया है;

(घ) क्या स्टेट फार्म कार्पोरेशन की जमीन को विभिन्न विश्वविद्यालयों को देने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम के पुनर्गठन और पुनरुद्धार के विकल्पों के बारे में अध्ययन के लिये एस०बी०आई० कैपिटल मार्केट लि० को सलाहकार नियुक्त किया है।

इस सलाहकार से प्रचालनात्मक और वित्तीय प्रतिमानों की दृष्टि से राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम, दोनों के बारे में अध्ययन करके उनके पुनर्गठन/विलयन के विकल्प सुझाने के लिए कहा गया है। भारतीय राज्य फार्म निगम के पास उपलब्ध भूमि का ब्यौरा निम्नवत है :-

भारतीय राज्य फार्म निगम	क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, सूरतगढ़	6296
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, सरदार गढ़	4548
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, जेटसर	5394
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, हिसार	2710
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, बहराइच	3828
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, रायबरेली	191
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, रायचुर	2960
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, चेंगम	3904
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, अरालम	3060
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, कोकिलाबाड़ी	1986
केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, बाडपेटा	100
योग	34977

(ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय राज्य फार्म निगम में भारत सरकार के निवेश का ब्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रु० में)

(i) अंश पूंजी	24.19
(ii) ऋण	7.82
(iii) ऋण पर ब्याज	6.83
(iv) आरक्षित पूंजी (दिया गया अनुदान)	32.83

वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के जरिए क्रमशः 58.96 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि सहायता अनुदान के रूप में तथा 15.00 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय राज्य फार्म निगम के लिए खरीदी गई जमीन के मूल्य को ऊपर दिये गये आंकड़ों में नहीं शामिल किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी

3651. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान आंध्र प्रदेश में नए उद्यमियों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए कोई संगोष्ठी या कैम्प आयोजित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2000-2001 में ऐसे और अधिक कैम्प आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(ङ) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा मछलीपटनम, आंध्र प्रदेश में भी कोई कैम्प आयोजित किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित की गई संगोष्ठियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 में आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कैम्पों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

विवरण-I

(1) हैदराबाद में 20.06.2000 को 'ई-कामर्स इम्पलीकेशन्ज, पालीसीज एंड प्रासीज़रज' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

(2) विशाखापत्तनम में 17.07.2000 से 28.07.2000 के बीच 'बिजनेस थ्रू इंटरनेट एंड कम्प्यूटरज' पर एक प्रबन्धकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(3) हैदराबाद में 11.12.2000 से 22.12.2000 के बीच 'मार्किटिंग थ्रू इंटरनेट' पर एक प्रबन्धकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(4) विशाखापत्तनम में 2.01.2001 से 12.1.2001 के बीच 'ई-कामर्स' पर एक प्रबन्धकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(5) विशाखापत्तनम में 6.2.2001 से 16.2.2001 के बीच 'वेब डिजाइनिंग' पर एक प्रबन्धकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(6) हैदराबाद में 6.2.2001 से 8.2.2001 तक 'एक्सपोर्ट प्रासीजर एंड डाक्यूमेन्टेशन' पर एक प्रबन्धकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर निर्यातों के संबंध में प्रकाश डाला गया।

(7) हैदराबाद में 7.12.2000 से 16.3.2001 तक 'फैशनेबल गारमेंट्स के उत्पादन एवं निर्यात' पर तीन महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कम्प्यूटर के माध्यम से गारमेंट्स को डिजाइन करने पर भी कार्य होगा।

विवरण-II

(1) तिरूपति में मार्च, 2001 के दौरान 'मार्किटिंग थ्रू इन्टरनेट' पर एक प्रबन्धकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाने की योजना है।

(2) हैदराबाद में 26.02.2001 से 01.06.2001 तक 'फैशनेबल गारमेंट्स के उत्पादन एवं निर्यात' पर तीन महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कम्प्यूटर के माध्यम से गारमेंट्स को डिजाइन करने पर भी कार्य होगा।

(3) हैदराबाद में 26.02.2001 से 23.03.2001 तक डी०टी०पी० एवं स्क्रीन प्रिंटिंग पर एक महीने का 'उद्यमिता विकास कार्यक्रम' चलाया जा रहा है।

मेडिकल कालेजों में विदेशी आवेदकों को दाखिला

3652. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कितने विदेशी आवेदक थे;

(ख) इनमें से कितने आवेदकों की संवीक्षा की गई और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में चयन के लिए क्या मापदण्ड अपनाया जाता है; और

(ग) उक्त पाठ्यक्रमों के लिए कितने छात्रों का चयन किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विदेशियों से आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं। भारत के चिकित्सा/दन्त चिकित्सा कालेजों में विदेशी छात्रों के प्रवेश को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन मामले में तैयार की गई योजना तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों द्वारा अधिशासित किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार राज्य सरकार सरकारी मेडिकल/दन्त चिकित्सा कालेजों में कुल प्रवेश क्षमता के 15 प्रतिशत तक विदेशी/अनिवासी छात्रों को दाखिला दे सकती है। निजी रूप से संचालित मेडिकल/दन्त चिकित्सा कालेज वर्ष में अपनी प्रवेश क्षमता के 15 प्रतिशत तक विदेशी छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। किन्तु उन्हें विदेशी/अनिवासी छात्रों के मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना होता है।

शैक्षणिक सत्र, 2000-2001 के दौरान, इन निजी रूप से संचालित मेडिकल तथा दन्त चिकित्सा कालेजों द्वारा संबंधित प्राचार्यों के जरिए विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हुए एम०बी०बी०एस० के लिए 116 तथा बी०डी०एस० के लिए 10 आवेदन प्राप्त किए गए जिनमें से एम०बी०बी०एस० के लिए 115

तथा बी०डी०एस० के लिए 9 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए।

उपर्युक्त के अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में रखी गई एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० सीटों के केन्द्रीय पूल से द्विपक्षीय तथा राजनयिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय को आबंटित सीटों के जरिए आई०एम०एस०, बी०एच०यू०, वाराणसी में 5 स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें तथा 30 एम०बी०बी०एस० तथा एक बी०डी०एस० सीट स्वयं वित्त पोषित विदेशी छात्रों के लिए आबंटित की गई।

अपमिश्रित मिनरल वाटर

3653. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 24 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिनरल वाटर के पचास प्रतिशत नमूनों के अपमिश्रित पाए जाने की स्थिति में सरकार ने दिल्ली के बाजारों और अन्यत्र शुद्ध, सुरक्षित और पेय मिनरल वाटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) जिन विनिर्माताओं के नमूने अपमिश्रित पाए गए, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान अब तक कितने नमूने लिए गए हैं और उनमें से कितने अपमिश्रित पाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) खनिज जल के मानकों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधित किया गया है। ये मानक 29.3.2001 को लागू हो जायेंगे। खनिज जल की गुणवत्ता पर अधिक प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए 29.3.2001 के बाद खनिज जल का विनिर्माण और बिक्री भी भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के अधीन होगी।

(ख) और (ग) नमूनों के मिलावटी पाए जाने के संबंध में कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 2000-2001 के दौरान उठाए गए नमूनों और उन पर की गई कार्यवाई से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर उपकरण

3654. डा० बलिराम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन. ए. टी. पी.) के तहत 20 करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरणों का क्रयादेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रयादेश ऐसी फर्म को दिया गया जिसने बोली प्रतिभूति/बयाना राशि रुपयों में अदा की थी, जबकि उपरोक्त खरीद की राशि डॉलर में मांगी गई थीं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह खरीद की शर्तों के विपरीत नहीं था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। तथापि, कम्प्यूटरों और सहायक उपकरणों (पेरिफेरल्स) की खरीद संबंधी संविदा का मूल्य 12,56,91,876.56 रुपये था।

(ख) 12,56,91,876.56 रुपये की लागत वाली 13 वस्तुओं (ए०एम०टी०सी० सहित) की खरीद के लए संविदा संख्या 12(6)/99-एन०ए०टी०पी०, दिनांक 09.02.1999 के अधीन मिलिटेड को आर्डर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं। बोली-दस्तावेज के अनुसार 25,00,000/- रुपये अथवा समकक्ष कोषी को बोली की जमानत (विड सिक्योरिटी) के रूप में जमा कराया जाना अपेक्षित था। यह राशि बोली में दी गई करेंसी में अथवा अमरीकी डालर के प्रति मुक्त रूप में परिवर्तनीय किसी भी करेंसी में जमा कराई जानी थी।

मैसर्स सिमेनस निक्योड्रोफ इनफोरमेशन सिस्टम लिमिटेड ने बोली के मूल्य को आंशिक रूप से अमरीकी डालर में और आंशिक रूप से ही भारतीय रुपयों में जमा कराया था और बोली की जमानत-राशि को भारतीय रूप में जमा किया था। आर्डर भी आंशिक रूप से अमरीकी डालरों में और आंशिक रूप से ही भारतीय रुपयों में दिया गया था।

(घ) जी, नहीं। यह खरीद संबंधी शर्तों के विपरीत नहीं है और विश्व बैंक द्वारा मंजूरी देने के पश्चात् ही संविदा को अंतिम रूप दिया गया था।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तकनीक के अभाव में खाद्य पदार्थों का खराब होना

3655. श्री रामजीलाल सुमन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर के वैज्ञानिक डा० वी० प्रकाश का यह वक्तव्य सराहनीय है कि देश में आवश्यक तकनीक के अभाव में प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि नहीं; तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है; और

(ग) देश में तकनीक के अभाव में कौन-कौन से खाद्यान्न खराब हुए और इनकी अलग-अलग मात्रा और मूल्य क्रमशः कितना था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण इतनी हानि नहीं हुई है जितनी हानि किसानों द्वारा इसको लागू करने और इसका उपयोग करने के कारण हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुल 215 मिलियन टन औसत राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति अनाज, दालों और तिलहनों सहित खाद्यान्नों में कटाई उपरांत 10 प्रतिशत की हानि हुई है जिसकी धनराशि 10,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से 21,500 करोड़ रुपये बैठती है।

[अनुवाद]

भारत-इजराइल संबंध

3656. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इजराइल ने हाल ही में आतंकवाद का मुकाबला करने और द्विपक्षीय और मध्य-पूर्व सहित अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग करने हेतु विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) वर्ष 2000 में गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी और विदेश मंत्री श्री जसवन्त सिंह को इजरायल यात्रा के दौरान आतंकवाद रोधी सहयोग पर वार्ता शुरू करने पर सहमति हुई थी। बातचीत के ब्यौरे दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। जनवरी, 2001 में अपनी भारत यात्रा के दौरान इजरायल के क्षेत्रीय सहयोग मंत्री श्री शिमोन पेरेस ने मध्य-पूर्व में चल रही गतिविधियों पर भारतीय नेताओं के साथ विचार-विनिमय किया था। भारत पश्चिम एशिया में, जो भारत के विस्तारित पड़ोस में है, शान्ति, स्थिरता और विकास में अत्यधिक रुचि रखता है। सरकार का यह मानना है कि मध्य-पूर्व शान्ति प्रक्रिया में शामिल मुद्दे अत्यन्त जटिल और संवेदनशील हैं और इसलिए सभी पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये संयम बरतें, उकसाने वाली कार्रवाई न करें और ऐसी कार्रवाई से बचें जो शान्ति की संभावना को अस्थिर बनाती हों।

[हिन्दी]

कैलाश मानसरोवर यात्रियों को राजसहायता

3657. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कैलाश मानसरोवर यात्रियों को राजसहायता देने के संबंध में कोई अनुरोध/ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें राजसहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले के लियुलेख दर्रे से होकर परम्परागत मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा समंवित करता है, यह यात्रा विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अभिकरणों की सहायता से आयोजित की जाती है। कुमायूं मंडल विकास निगम भारतीय क्षेत्र में रहने तथा खाने की व्यवस्था करता है। विदेश मंत्रालय कुमायूं मण्डल विकास निगम को यात्रियों पर किए जाने वाले खर्च के आंशिक भाग को वहन करने के लिए 3250/- रुपए प्रति यात्री की दर से देता है। सरकार लियुलेख दर्रे तक निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं सहायता तथा सुरक्षा, बीमा तथा यात्रा की अवधि में संचार सम्पर्क प्रदान करती है। यात्रा के प्रत्येक जत्थे के साथ एक संपर्क अधिकारी भेजा जाता है। दिल्ली सरकार यात्रियों को यात्रा पर जाने तथा यात्रा से लौटने के समय अशोक यात्री विकास नई दिल्ली में 4-5 दिन के लिए निःशुल्क ठहराती है। सरकार यात्रियों के लिए सुविधाओं को सुधारने एवं उनका उन्नयन बनाने का प्रयास करती है।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3658. श्री के० येरननायडू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण के मद्देनजर सरकार ने इन इकाइयों में निजीकरण के बाद भर्ती और पदोन्नति संबंधी नीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों हेतु निजीकरण पूर्व के नियमों के प्रावधान पूर्ववत रखना सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) वर्ष, 2000-2001 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किए गए जिक्र के अनुसार, सरकार श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विनिवेश के उन मामलों में शेयर-क्रय-अनुबन्ध और युद्ध-नीतिक भागीदार

से शेयर धारक अनुबन्ध में उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं जिनमें प्रबन्धन-नियंत्रण का अन्तरण किया जाना हो। उपर्युक्त अनुबन्धों में विशेषत: यह दर्शाने वाला विवरण होता है कि युद्ध-नीतिक भागीदार यह मानता है कि सरकार, अपनी रोजगार-नीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के हित के संरक्षण की दृष्टि से, कुछ सिद्धान्तों का निर्वाह करती है और युद्ध-नीतिक भागीदार, अपनी कम्पनी द्वारा, उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों को रोजगार के समुचित अवसर मुहैया करवाने के भरपूर प्रयास करेगा।

अश्लील वेबसाइट

3659. श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सारी अश्लील वेबसाइटों के एड्रैस इंडिया के नाम के साथ पंजीकृत हैं;

(ख) क्या इन वेबसाइटों में भारत-विरोधी प्रचार होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इंटरनेट पर ''अवांछित'' सामग्री के विनियमन और इस पर रोक लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इंटरनेट सर्किटों पर इस प्रकार का नियंत्रण तकनीकी रूप से संभव है; और

(छ) यदि हां, तो मानदंडों को कब से लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) से प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इंटरनेट पर अवांछित सामग्री के विनियमन के लिए पर्याप्त उपबंध है। अलग से कोई मानदंड नहीं बनाए गए हैं।

(च) कोई सुस्पष्ट छन्नक प्रौद्योगिकी नहीं है।

(छ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां

3660. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1993 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया पदों को भरने के लिए डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपने मंत्रालय से संबंधित बकाया रिक्तियों के संबंध में 1993 से क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इसके स्वायत्तशासी/सांविधिक/संबद्ध कार्यालयों के अंतर्गत श्रेणी एक, दो, तीन और चार में और 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बकाया रिक्तियों का ब्यौरा क्या है, इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणी एक, दो, तीन और चार की बकाया रिक्तियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) इस मंत्रालय के अधीन सभी स्वायत्तशासी/सांविधिक/संबद्ध कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनन्नास की खेती

3661. श्री पी०सी० थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनन्नास की खेती करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों की मूल्य संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनन्नास का समर्थन मूल्य घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनन्नास उत्पादकों की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) अनन्नास के उत्पादकों को पिछले वर्षों के मुकाबले वर्ष 2000 में अपने उत्पादों की कीमतें अधिक मिल रही हैं। अनन्नास का वार्षिक मूल्य औसत थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 1999 के 185.7 से बढ़कर वर्ष 2000 में 210.8 तक पहुंच गया है। इस तरह इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष

1999 और 2000 के महीनों के अंत में अनन्नास के थोक मूल्य सूचकांक का संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) अनन्नास एक बागवानी फसल है और यह जल्दी खराब हो जाता है अत: इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर और यदि वे हानि, यदि कोई हो तो, उसका 50 प्रतिशत हिस्सा वहन के लिए तैयार है, तो अनन्नास को इस स्कीम में कवर किया जा सकता है।

(ङ) एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित उष्ण कटिबंधीय, समशीतोषण तथा शुष्क क्षेत्रीय फसल विकास स्कीम क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधार, नर्सरियों की स्थापना, टिशू कल्चर यूनिट, प्लाण्ट हेल्थ क्लीनिक, इशू फोरकास्टिंग सेन्टर, टिशू/पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला, यंत्रीकरण और कृषक प्रशिक्षण जैसी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विवरण

माह/वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	वार्षिक औसत
1999	179.7	187.3	186.1	215.6	298.9	185	172.1	177.6	185.4	177.4	171	182.2	185.7
2000	184	193.7	212.6	205.6	215.2	240.9	215.5	209.5	210	214.3	214.8	213.8	210.8

चिकित्सा विश्वविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर कार्यक्रम का विकास

3662. श्री नरेश पुगलिया :
श्री चन्द्रकान्त खैरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोग ने कुछ राज्यों के चिकित्सा विश्वविद्यालयों को उनके सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर कार्यक्रम को विकसित करने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिसम्बर, 2000 में उपरोक्त विषय के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया था?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

साइबर कानून

3663. श्री रामशकल : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने साइबर कानून बनाने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नियम और विनियम कब तक बन जाएंगे और लागू हो जायेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 88 के अनुसार साइबर विनियम सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति का वर्तमान गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस समिति की भूमिका धारा 88 की उपधारा (3) में निर्धारित की गई है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"धारा 88(3) : साइबर विनियम सलाहकार समिति यह सलाह देगी :-

(i) केन्द्र सरकार को आमतौर पर इस अधिनियम से संबंधित किसी भी नियम के बारे में अथवा इससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन से; और

(ii) नियन्त्रक को इस अधिनियम के अंतर्गत विनियम बनाने में"।

(ग) से (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम तैयार कर लिए गए हैं तथा दिनांक 17.10.2000 को अधिसूचित कर दिए गए हैं।

विवरण

भारत सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2000

अधिसूचना

सा०का०नि० 790(ई)-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा "साइबर विनियम सलाहकार समिति" का गठन करती है, जिसके निम्नलिखित शामिल होंगे :-

1.	मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी	अध्यक्ष
2.	सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
3.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
5.	वित्त सचिव	सदस्य
6.	सचिव, रक्षा मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
9.	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
10.	श्री टी०के० विश्वनाथन इस समय सदस्य सचिव, विधि आयोग	सदस्य
11.	अध्यक्ष, नैस्कॉम	सदस्य
12.	अध्यक्ष, इंटरनेट सेवा प्रदानकर्त्ता संघ	सदस्य
13.	निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो	सदस्य
14.	प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक	सदस्य
15.	सूचना प्रौद्योगिकी सचिव राज्यों से बारी-बारी से	सदस्य
16.	महानिदेशक, पुलिस राज्यों से बारी-बारी से	सदस्य
17.	निदेशक, आईआईटी आईआईटी से बारी-बारी से	सदस्य
18.	सीआईआई के प्रतिनिधि	सदस्य
19.	फिक्की के प्रतिनिधि	सदस्य
20.	एसोकॉम के प्रतिनिधि	सदस्य
21.	वरिष्ठ निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. केन्द्र सरकार के नियमानुसार गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का वहन प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

3. समिति विशिष्ट बैठकों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकती है।

सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती

3664. श्री जोरा सिंह मान :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक सरकारी विभाग में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय लिए जाने के समय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या का आंकलन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या क्या है;

(घ) दिसम्बर, 2000 के अंत तक अनुमानत: तत्संबंधी संख्या कितनी थी; और

(ङ) प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, लिपिकों और संदेशवाहकों की अलग-अलग संख्या क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथ योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) सरकार ने, 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन स्वायतशासी निकायों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित, सभी कार्यालयों के स्वीकृत पदों की संख्या में एक समान रूप से 10 प्रतिशत कटौती करने के आदेश थे। 1 मार्च, 1991 को, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (संघ-शासित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित) की अनुमानित संख्या 40,81,852 थी। जिन मंत्रालयों/विभागों ने पदों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती करने के निर्णय को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया था, उन्हें अगस्त, 1999 में इस निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित करने के बारे में लिखा गया था।

(घ) और (ङ) 1 मार्च, 2000 को स्थिति के अनुसार संघ-शासित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के (सिविलियन) कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 37,76,666 थी। इस संख्या का समूहवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

समूह	अनुमानित संख्या
1	2
'क'	77,680

1	2
'ख'	1,74,675
'ग'	23,87,625
'घ'	11,36,686
जोड़	37,76,666

[अनुवाद]

आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका

3665. श्री माधवराव सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 फरवरी, 2001 के 'द इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित समाचार के मुताबिक पाकिस्तानी सेना जम्मू और कश्मीर में विशेषकर नियंत्रण रेखा के पार भारत में चोरी-छुपे आतंकवादी लाने अथवा भेजने के कार्य में पूरी तरह से लिप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तानी हरकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों को पाकिस्तान द्वारा जम्मू एवं कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में सीमा-पार आतंकवाद के समर्थन और घुसपैठ की व्यापक जानकारी है। बहुधा यह पाकिस्तान से संबंधित मीडिया कवरेज में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रिका 'टाइम' में प्रकाशित और 29 जनवरी, 2001 के इन्डियन एक्सप्रेस में उल्लिखित लेख इस कवरेज का उदाहरण है।

सरकार पाकिस्तान द्वारा सीमापार आतंकवाद का मुकाबला करने और भारत की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार पाकिस्तान से भी आतंकवाद का समर्थन बंद करने का आह्वान करती रही है ताकि एक उपयुक्त वातावरण बनाया जा सके जो सार्थक वार्ता की बहाली के लिए स्पष्ट आवश्यकता है।

[हिन्दी]

डॉक्टरों की नियुक्ति

3666. श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/आर०पी० सेन्टर, नई दिल्ली में नवम्बर, 1994 से पहले के आरक्षित पदों को भरने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) चयन समिति द्वारा विचार की जा रही अधिसूचना के प्रत्युत्तर में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, और आज की तारीख में किन पदों के लिए इन आवेदनों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और आर०पी० सेंटर, नई दिल्ली में निर्धारित आरक्षण कोटा के मुताबिक अनुसूचित जातिग्रों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पदों को भरने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) नवंबर, 1994 से पहले, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण नीति का पालन किया गया। नवंबर, 1994 के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.1994 को दिए गए एक अंतरिम आदेश अर्थात् "अगली तारीख तक आरक्षण लागू न किया जाए" के कारण सहायक प्रोफेसर के किसी प्रवेश स्तरीय पद को नियमित आधार पर भरा नहीं गया है। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को अब तक रद्द नहीं किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगी परिचर्या, अध्यापन और अनुसंधान कार्यकलापों को क्षति न पहुंचे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के 126 पदों पर नियमित नियुक्तियां करने हेतु न्यायालय के दिशानिर्देशों/आदेशों के अध्यधीन सितंबर, 1999 में विज्ञापन दिया गया था। विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के 126 पदों के लिए प्राप्त 1788 आवेदनों में से 158 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के और 35 अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थन के शासी निकाय ने 19.2.2000 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि "न्यायालय द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाने के समय तक कोई साक्षात्कार न लिया जाए।" इस मामले पर शीघ्र निर्णय हेतु भारत के महासॉलिसिटर के स्तर पर उपर्युक्त न्यायिक मामले को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पशु स्वास्थ्य परिचर्या

3667. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पशु स्वास्थ्य परिचर्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोग निदान प्रयोगशाला पूरी तरह से उपकरणों से सुसज्जित नहीं है और कार्य नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पशु स्वास्थ्य परिचर्या पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राज्यों के पास विभिन्न स्तरों पर अपनी पशु रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है। नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक केन्द्रीय तथा चार क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(घ) और (ङ) इस प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों को पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है। 1999-2000 के दौरान क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को 81.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी तथा 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशलाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रदत्त 300.00 लाख रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

(च) पशुपालन राज्य का विषय है तथा पशु स्वास्थ्य देखभाल की गतिविधियां राज्यों द्वारा की जाती हैं। तथापि, केन्द्र सरकार निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है : (1) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, (2) पशु रोग प्रबंधन तथा नियामक औषधि; तथा (3) राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना।

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

3668. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां इस समय केन्द्र प्रयोजित 'राष्ट्रीय वर्षा सिंचित पनधारा विकास परियोजना' क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) नौवीं योजना के दौरान इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में, विशेषकर उड़ीसा में, इस योजना के अंतर्गत कितना काम हुआ है और कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) इस समय वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०) 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में चलायी जा रही है। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 1020.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा समेत सभी 28 राज्यों 2 संघ शासित क्षेत्रों में किये जा रहे कार्य इस प्रकार हैं :- कृषि, योग्य तथा गैर-कृषि योग्य भूमि का सुधार, जल निकासी सुधार, घरेलू उत्पादन व्यवस्था, कृषि वानिकी/बारानी बागवानी और पशुधन प्रबंध। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गत तीन वर्षों के दौरान 559.40 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं (जिसमें उड़ीसा के लिए प्रदत्त 19.50 करोड़ रुपये भी शामिल हैं)।

इस स्कीम को 4.10.2000 से वृहद प्रबंधन में मिला दिया गया है अत: अब इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।

विवरण

वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत कवर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	अरूणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	छत्तीसगढ़
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश
10.	जम्मू और कश्मीर
11.	झारखण्ड
12.	कर्नाटक
13.	केरल
14.	मध्य प्रदेश

1	2
15.	महाराष्ट्र
16.	मणिपुर
17.	मेघालय
18.	मिजोरम
19.	नागालैण्ड
20.	उड़ीसा
21.	पंजाब
22.	राजस्थान
23.	सिक्किम
24.	तमिलनाडु
25.	त्रिपुरा
26.	उत्तर प्रदेश
27.	उतरांचल
28.	पश्चिम बंगाल
29.	दादरा और नागर हवेली
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

[हिन्दी]

पशुचारे का उत्पादन

3669. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुचारे के उत्पादन के लिए जम्मू-कश्मीर में किसी केन्द्रीय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में उक्त योजना की उपलब्धियों का कोई आंकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां चारे की कमी है, चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार केन्द्र/राज्य सरकारों के बीच लागत हिस्सेदारी के आधार पर निम्नलिखित घटकों के साथ आहार तथा चारे के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, नामत: चारा फसलों के लिए केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम तथा आहार और चाय विकास के लिए राज्यों को सहायता।

(1) चारा बीजों के उत्पादन के लिए राज्य फार्मों का सुदृढ़ीकरण (75:25)।

(2) चारा बैंकों की स्थापना (75:25)।

(3) पंजीकृत उत्पादकों के जरिए चारा बीज उत्पादन (25:75)।

(4) भूसा/सेल्यूलोसिक अवशिष्टों का संवर्धन (100:00)।

(5) बायो-मास उत्पादन बढ़ाने के लिए सिल्वीपाश्चर प्रणाली की स्थापना (100:00)।

(6) घास रिजर्वों सहित चारा भूमि का विकास (100:00)।

(7) क्षेत्र, उत्पादन तथा चारा फसलों की आवश्यकता का नूमना सर्वेक्षण (100:00)।

इसके अतिरिक्त जम्मू में कैम्प कार्यालय के साथ श्रीनगर में एक चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन एकक के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त ''ख'' में उल्लिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अतिरिक्त, राज्य सरकार सिल्वीपाश्चर/पाश्चर विकास तथा प्रदर्शन आयोजन के जरिए चारा विकास का काम शुरू कर रही है।

[अनुवाद]

मुरारी समिति

3670. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरारी समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) अब तक लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) मुरारी समिति द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) सिफारिशों के क्रियान्वयन का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति संबंधी समीक्षा समिति की सिफारिशें

1. संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण मात्स्यिकी द्वारा मछली

पकड़ने के लिए जारी सभी परमिट कानूनी प्रक्रियाओं, जैसा कि अपेक्षित हो, के अधीन तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए।

2. संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण मात्स्यिकी यानों को मछली पकड़ने के लिए भविष्य में कोई नवीकरण, विस्तार अथवा नए लाइसेंस/परमिट जारी नहीं किए जाने चाहिए।

3. मछली पकड़ने के लिए सभी लाइसेंस/परमिट सार्वजनिक दस्तावेज बनाए जायें तथा उनकी प्रति पंजीकृत प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाए।

4. जिन क्षेत्रों का दोहन पहले ही किया जा रहा है, उनकी तथा पारंपरिक क्राफ्टों अथवा 20 मीटर आकार से कम के यांत्रिकृत यानों को संचालित कर रहे मछुआरों द्वारा जिन क्षेत्रों का मध्यकाल में दोहन किया जा सकता है, उनकी 20 मीटर लम्बाई से ऊपर के किसी भी यान द्वारा दोहन के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए सिवाय इस समय संचालित भारतीय यानों के जो सिफारिश 1 और 7 के अधीन केवल तीन वर्ष के लिए चालू क्षेत्रों में संचालित कर सकते हैं।

5. चूंकि 20 मीटर से कम आकार वाली भारतीय यांत्रिकृत नौकाओं के पास पश्चिम तट पर लगभग 70-90 मीटर गहराई में मछली पकड़ने की क्षमता है, अत: 150 मीटर गहराई के तट से दूरी 20 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले सभी यानों के लिए प्रतिबंधित होनी चाहिए। सिवाय पैरा 4 में उल्लिखित यानों के जहां 150 मीटर गहराई वाला क्षेत्र तट से 100 नाटीकल मील से कम है वहां 100 नाटीकल मील तक की दूरी 20 मीटर लम्बाई से कम वाले भारतीय यानों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कन्याकुमारी से लेकर पूर्वी तट पर, 20 मीटर से कम आकार वाले भारतीय यान 100 मीटर गहराई अथवा तट से 50 नाटीकल मील तक, जो भी दूर हो, जा सकेंगे सिवाय पैरा-4 में दी गई छूट के। गहराई वाले क्षेत्र को समन्वयकों द्वारा भी परिभाषित किया जाएगा जिसमें तट से दूरी निर्दिष्ट की जाएगी, दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यालय/तट रक्षक/भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा।

6. अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों के संबंध में तट से 50 नाटीकल मील की दूरी पैरा-4 के प्रावधानों के साथ केवल 20 मीटर लम्बाई से कम वाले भारतीय यानों के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो, द्वीपसमूहों के बीच जल को केवल भारतीय यानों के लिए आरक्षित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, चाहे कुछ भाग 50 नाटीकल मील से भी अधिक क्यों न हो जाए, सीमा को परिभाषित किया जाएगा।

7. 20 मीटर लम्बाई से ऊपर के जलयानों के लिए खुले क्षेत्र में ट्यूना तथा ट्यूना जैसी मछलियां, स्क्विड तथा कटल फिश, मध्य-जल अथवा वेलापवर्ती क्षेत्र में गहरे समुद्र की फिन मछलियां तथा महासागरीय ट्यूना का ट्यूना लांग लाइनिंग, ट्यूना पर्स सीनिंग, स्क्विड जिगिंग तथा मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा दोहन के लिए संसाधन विशिष्ट जलयानों को इस शर्त पर अनुमति दी जाए कि ये वस्तुत: भारतीय पंजीकृत जलयान हैं। भारतीय स्वामियों की कम से कम 51 प्रतिशत ऋण के साथ-साथ इक्विटी होनी चाहिए।

8. विभिन्न मत्स्यन ग्राउंड के लिए बेड़े के आकार को अधिकतम सतत उत्पादन तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए।

9. हमारे जल क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण, मछुआरों की सुरक्षा तथा समुद्र, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में विवाद को कम करने के उद्देश्य से संसद को मत्स्यन समुदाय से विचार-विमर्श करके विनियम बनाना चाहिए।

10. पारंपरिक, छोटे मशीनीकृत, बड़े गहरे समुद्र में जाने वाले जलयानों में विवाद को रोकने लिए तट रक्षक द्वारा कड़ी निगरानी की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी जलयानों द्वारा अनधिकृत मछली पकड़ने को रोकने तथा स्वदेशी जलयानों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र की निगरानी को रोकने के लिए तट रक्षक को अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली, निगरानी तथा हथियार एवं उचित कार्यप्रणाली के साथ सुदृढ़ीकरण, विस्तार, तकनीकी रूप से उन्नयन किया जाए।

11. यंत्रीकृत नावों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय बेड़ों के लिए परंपरागत मछुआरों द्वारा प्रयोग किए गए प्रौद्योगिकीय दक्षता और उपकरण के संवर्धन के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने के साथ-साथ धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि प्रत्येक कानून और प्रणाली द्वारा आरक्षित क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक मछली पकड़ सकें। नौचालन और मछली पकड़ने के उपकरण दोनों के लिए ही इस उद्देश्य से ड्यूटी रियायतें और रियायती धनराशि उपलब्ध कराई जाए कि परंपरागत क्षेत्र को प्राथमिकता देने के साथ सभी तीन श्रेणियों का स्टेट आफ दी आर्ट के स्तर से प्रतिस्पर्धात्मक उन्नयन हो सके।

12. परंपरागत और छोटे यंत्रीकृत क्षेत्रों को ईंधन की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति तथा हाई स्पीड डीजल और केरोसीन प्रदान करके तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुए राजसहायता प्रदान करके सहायता दी जाए।

13. सभी प्रकार की समुद्री मात्स्यिकी एक ही मंत्रालय के अधीन होनी चाहिए। सरकार को इस तरह का भारतीय मात्स्यिकी प्राधिकरण को स्थापित करने पर विचार करना चाहिए जो इस तरह काम करे जैसा दूसरे देशों में गठित इस प्रकार के प्राधिकरण करते हैं और नीतियों के तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार हो सकें।

14. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का भी आधुनिक तकनालौजी और उपकरण के प्रयोग से तकनीकी रूप से संवर्धन करना चाहिए ताकि यह सभी प्रकार की मछली की स्थिति, विभिन्न प्रौद्योगिकियों और पारिस्थितिकीजन्य परिवर्तनों के अध्ययन प्रभाव का पता लगा सके और व्यवस्था कर सके। इस उद्देश्य के लिए भारतीय दूर संवेदन एजेंसियों और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के बीच परस्पर समन्वय और सहयोग होना चाहिए।

15. बाई-कैच फेंकने के कारण मात्स्यिकी संसाधनों की होने वाली बरबादी को रोकने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के सृजन को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे मछुआरों तथा उनकी सहकारिताओं के उत्पादों के मूल्य परिवर्धन के लिए मत्स्य योजना एवं आहार निर्माण इकाइयों, मत्स्य प्रसंस्करण सुविधाओं, बर्फ की फैक्टरियों, शीत गृहों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

16. पूर्व एवं पश्चिम तटों के साथ-साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप के द्वीपसमूहों में मौजूदा तथा आधुनिक उन्नत यानों के लिए मत्स्यन बंदरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सृजित किया जाना चाहिए।

17. विपणन तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए बड़े यानों के उन्नयन तथा अधिग्रहण के लिए मछुआरों/मछुआरिनों तथा उनकी सहकारिताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

18. सरकार को मछली के रख-रखाव तथा प्रसंस्करण पहलुओं के अतिरिक्त नए उपकरणों, बड़े यानों को चलाने तथा नयी मत्स्यन तकनीकी में मछुआरों/मछुआरिनों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

19. उद्योगों द्वारा निकलने वाले गंदगी/बहि:स्रावों/गंदे पानी के खतरे से निपटने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

20. सरकार को छ: महीने के भीतर समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेना चाहिए।

21. गहरे समुद्र में मत्स्य नीति की प्रत्येक 3-5 वर्ष पर समयबद्ध रूप से पुनरीक्षा होनी चाहिए।

विवरण-II

मुरारी समिति (1996) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

1. मुरारी समिति को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति, 1991 की समीक्षा करने के लिए फरवरी, 1995 में नियुक्त किया गया था क्योंकि पारंपरिक मछुआरों द्वारा नीति के खिलाफ बहुत सी आपत्तियां उठाई गई थीं। समिति ने 21 सिफारिशें की थी जिन्हें सरकार ने सिफारिश संख्या 1 को छोड़कर आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया था। सिफारिश संख्या 1 के संबंध में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का यह निर्णय था कि मौजूदा वैध परमिटों/अनुमतियों की विधि मंत्रालय के परामर्श से पृथक-पृथक मामलों में निर्णित अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा आदेशों और अथवा/प्रदत्त अनुमोदनों में निर्धारित शर्तों के किसी उल्लंघन के लिए तथा इस प्रकार के अनुमोदनों को रद्द करने अथवा अन्यथा के लिए की गई कार्रवाई पर समुद्री क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान के प्रकाश में पृथक-पृथक जांच की जाए। इस निर्णय को तद्नुसार लागू किया गया था।

2. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति, 1991 को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। संयुक्त उद्यम, पट्टे, टैस्ट फिशिंग तथा चार्टर के तहत नवम्बर, 1996 से कोई भी नया परमिट/विस्तार अथवा परमिटों/अनुमतियों का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

3. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफ एस आई), मुम्बई को संयुक्त उद्यम, पट्टे तथा चार्टरिंग के तहत सभी वैध परमिटों/अनुमतियों जिन्हें सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को अभिरक्षक के रूप में नामजद किया गया है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को इस उद्देश्य के लिए परमिटों/अनुमतियों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई थीं।

4. इससे संबंधित समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियमों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

5, 6 एवं 7 इन सिफारिशों में उठाए गये मुद्दे मत्स्यन जलयानों के विभिन्न वर्गीकरणों से संबंधित मछली पकड़ने के क्रियाकलापों की सीमा निर्धारित करने के संबंध में है। दिसम्बर, 1999 में इस मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है जो एक बृहत समुद्री मत्स्यन नीति का मसौदा तैयार करने के लिए इन सिफारिशों की जांच करेगा। यह

दल व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति के मसौदे को अंतिम रूप दे रहा है।

8. सितम्बर, 1996 में कृषि मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया था ताकि 20 मीटर लम्बाई से कम वाले विभिन्न श्रेणियों के मत्स्यन जलयानों की क्षेत्रवार आवश्यकताओं का जायजा लिया जा सके तथा मात्स्यिकी संसाधनों आदि का संरक्षण किया जा सके। समिति ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है।

9. ई ई जैड में भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन के लिए कानून बनाने के उद्देश्य से कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा मंत्रिमंडल ने टिप्पणी का एक मसौदा तैयार कर लिया है।

10. भारतीय ई ई जैड में मत्स्यन जलयानों के संचालन की निगरानी करने के लिए संचार उपकरणों की अधिप्राप्ति के उद्देश्य से तटरक्षकों को सहायता दी जा रही है। अभी तक इस प्रयोजन के लिए तटरक्षकों को 4.87 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा, समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करने के लिए मंत्रालय एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है जिससे गश्ती नौकाओं आदि की खरीद के माध्यम से उनके समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

11 एवं 12. कृषि मंत्रालय इंजन की लागत तथा 20 मीटर लम्बाई से कम वाले यांत्रिकृत नौकाओं के एच एस डी तेल पर केन्दीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए राजसहायता प्रदान करके परंपरागत जलयानों के मोटरीकरण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

13. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा प्रसंस्करण सहित समुद्री मात्स्यिकी के मामले को कृषि मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।

14. एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को सहायता दी जा रही है तथा नए सर्वेक्षण जलयानों की खरीद के लिए ई एफ सी ज्ञापन तैयार किया गया है। एन आर एस ए तथा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के साथ पर्याप्त सम्पर्क भी स्थापित किए गए हैं।

15. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, मत्स्यन प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास के अलावा मछली के प्रशीतन भंडारों तथा प्रसंस्करण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

16. कृषि मंत्रालय मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। योजना के अंतर्गत छः बड़े मत्स्यन बंदरगाहों, 46 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 171 मछली उतारने वाले केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 6 बड़े मत्स्यन बंदरगाहों, 32 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 130 मछली उतारने वाले केन्द्रों का निर्माण पूरा हो चुका है।

17. राज्य सरकारें एन सी डी सी, फिशकॉपफेड आदि की सहायता से विभिन्न योजनाएं चला रही हैं।

18. कृषि मंत्रालय केन्द्रीय योजना का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि मछुआरों और मछुआरिनों की दक्षता को और अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने प्रसंस्करण आदि में मछुआरा समुदाय को प्रशिक्षित करने तथा परंपरागत मत्स्यन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करने और विपणन के लिए भी एक योजना शुरू की है।

19. यह सिफारिश सामान्य स्वरूप की है जिसमें समुद्री जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए कहा गया है। यह विषय पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित है।

20 एवं 21. जैसा कि स्पष्ट है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई मुरारी समिति की सिफारिशों को लागू और क्रियान्वित किया जा रहा है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति के संबंध में मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है जिसे समुद्री मात्स्यिकी के लिए एक बृहत नीति तैयार करने के कार्य का दायित्व सौंपा गया है। यह दल व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति के मसौदे को अंतिम रूप दे रहा है।

कैंसर का होमियोपैथी उपचार

3671. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर और एड्स के रोगियों का होमियोपैथी उपचार संभव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने और विशेषकर जानलेवा रोगों में इसका प्रयोग करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् ने कैंसर

के उपचार के लिए नैदानिक अनुसंधान शुरू किया था और नैदानिक परीक्षणों को वित्त पोषित भी किया। लेकिन इसके परिणाम निश्चित रूप से निर्णयात्मक नहीं थे। परिषद् ने एच०आई०वी०/एड्स के नैदानिक उपचार प्रबंध में होम्योपैथिक दवाइयों की भूमिका का निर्धारण करने हेतु एक मार्गदर्शी अध्ययन भी शुरू किया है, जो प्रगति पर है।

आपूर्ति और मांग के अंतर को कम करना

3672. **श्री अशोक ना० मोहोल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आपूर्ति और मांग के अंतर को कम करने के लिये कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) किसी भी योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रकों में पूर्ति और मांग के अंतर को कम करना है, जो बाजार दोष की मौजूदगी की वजह से बाजार आधारित अर्थ-व्यवस्था में अपने आप सही नहीं हो सकता। नौवीं पंचवर्षीय योजना इसी आधार वाक्य पर तैयार की गई है।

(ख) और (ग) आपूर्ति कमियों पर काबू पाने के उद्देश्य से, विशेष रूप से आधारिक संरचना के विकास में निजी क्षेत्रक को शामिल करने के महत्व को पहले ही नौवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से दर्शाया गया है। योजना आयोग ने हाल ही में दसवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है।

भारत-इटली संबंध

3673. **श्री अरूण कुमार :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारत और इटली के बीच हाल ही में हस्ताक्षर किये गये समझौतों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : भारत और इटली के बीच हाल में हुए करारों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

1. जून, 2000 में हस्ताक्षरित पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर करार का उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र के आदान-प्रदान बढ़ाने और प्रोन्नत करने के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना तथा भारत और इटली के बीच पर्यटन उद्योग में संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

2. जनवरी, 1998 में हस्ताक्षरित आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापकों तथा मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध सहयोग पर करार का उद्देश्य आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापकों तथा प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष में संयुक्त प्रयासों को बढ़ाना है।

3. लघु और उद्यमों के प्रोन्नयन के लिए जनवरी, 1998 में एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ था। बाद में इटली के विदेश व्यापार मंत्री की यात्रा के दौरान हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) और सी ओ एन एफ ए बी आई (इटली के लघु और मझोले आकार के उद्योगों का परिसंघ) के बीच सहयोग पर एक करार पर हस्ताक्षर हुए। इस करार का उद्देश्य दोनों देशों के लघु और मझोले उद्यमों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

नसबंदी

3674. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री तूफानी सरोज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नसबंदी मामलों में आई औसतन गिरावट नसबंदी मामलों में आई औसतन गिरावट से कहीं अधिक रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में नसबंदी के मामले में अत्यधिक कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान नसबंदी से संबंधित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार छोटे परिवार के मानदंड को प्रोत्साहित करने के लिये कोई विशेष योजना तैयार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) हाल ही की अवधि में नसबंदी और नलबंदी की स्वीकार्यता में कमी नहीं हुई है। वर्ष 1997-98 के दौरान नसबंदी के कुल मामले 71,325 थे जो 1999-2000 के वर्ष के दौरान बढ़कर 88010 हो गए। नलबंदी के मामले में यह संख्या 1997-98 के दौरान 4,167,162 और वर्ष 1999-2000 के दौरान 4,502,560 थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यों में वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के बंध्यीकरण के मामलों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंध्यीकरण के संबंध में हुई राज्यवार उपलब्धियां और प्रतिशत परिवर्तन तथा 2000-2001 के दौरान (अप्रैल से दिसम्बर) कार्य-निष्पादन संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(च) भारत सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को कार्यान्वित कर रही है जिसमें छोटे परिवार के मानदण्डों को अपनाने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक और प्रेरक उपाय शामिल किए गए हैं।

(छ) छोटे परिवार के मानदण्डों को अपनाने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक और प्रेरक उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान बंध्यीकरण के संबंध में राज्यवार उपलब्धि

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धियां				प्रतिशत परिवर्तन	
		1997-98	1998-99*	1999-2000*	2000-2001*	1997-98 के मुकाबले 1998-99 में	1998-99 के मुकाबले 1999-2000 में
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**बड़े राज्य**						
1.	आंध्र प्रदेश	629031	733391	790380	419630	16.6	7.8
2.	असम	12050	14171	25880	6932	17.8	82.6
3.	बिहार	195716	135127	215857	37273	-31.0	59.7
4.	गुजरात	242364	250379	260223	158700	3.3	3.9
5.	हरियाणा	94042	91219	96443	68341	-3.0	5.7
6.	कर्नाटक	395624	372574	413092	310470	-5.8	10.9
7.	केरल	139804	140285	154168	121601	0.3	9.9
8.	मध्य प्रदेश	367092	358492	407658	170933	-2.3	13.7
9.	महाराष्ट्र	571476	532714	558176	454906	-6.8	4.8
10.	उड़ीसा	127046	123091	108465	44852	-3.1	-11.9
11.	पंजाब	108625	113935	126061	61587	4.9	10.6
12.	राजस्थान	224140	229019	226272	157220	2.2	-1.2
13.	तमिलनाडु	332991	335967	373695	280464	0.9	11.2
14.	उत्तर प्रदेश	307799	346333	377746	189362	12.5	9.1
15.	पश्चिम बंगाल	321969	269861	289076	129783	-16.2	7.1
II.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**						
1.	अरूणाचल प्रदेश	2353	1983	1596	967	-15.7	-19.5
2.	दिल्ली	37699	35159	42241	23317	-6.7	20.1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गोवा	4158	4358	5101	3816	4.8	17.0
4.	हिमाचल प्रदेश	32474	30760	31783	14750	-5.3	3.3
5.	जम्मू व कश्मीर	12510	11471	11040	10578	-8.3	-3.8
6.	मणिपुर	2640	2895	1321	483	9.7	-54.4
7.	मेघालय	1061	1304	1710	1531	22.9	31.1
8.	मिजोरम	2223	2085	3238	2545	-6.2	55.3
9.	नागालैण्ड	545	1552	1233	एनआर	184.8	-20.6
10.	सिक्किम	1113	1104	1348	588	-0.8	22.1
11.	त्रिपुरा	* 8449	6949	8165	4724	-17.8	17.5
12.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1966	1977	1943	1142	0.6	-1.7
13.	चंडीगढ़	3062	3335	3474	2007	8.9	4.2
14.	दादरा व नगर हवेली	479	587	70.4	267	22.5	19.9
15.	दमन व दीव	536	433	458	375	-19.2	5.8
16.	लक्षद्वीप	33	33	38	28	0.0	15.2
17.	पांडिचेरी	9705	9452	11617	8481	-2.6	22.9
III.	**अन्य अभिकरण**						
1.	रक्षा मंत्रालय	18888	17761	18074	12478	-6.0	1.8
2.	रेल मंत्रालय	28851	26970	22294	9703	-6.5	-17.3
	अखिल भारत	4238514	4206726	4590570	2709834	-0.7	9.1

*आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

लोक सभा प्रश्न संख्या 3674 के भाग छ का उत्तर

जनसंख्या नीति-2000 के अनुसार छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाने के लिए संवर्धनात्मक और प्रेरणात्मक उपाय

निम्नलिखित संवर्धनात्मक और प्रेरणात्मक उपाय शुरू किए जाएंगे:-

(i) छोटे परिवार के मानदंड का व्यापक प्रचार करने, शिशु मृत्यु-दर व जन्म-दर में कमी लाने और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी कराकर साक्षरता को बढ़ावा देने में अनुकरणीय कार्य-निष्पादन के लिए पंचायतों और जिलों परिषदों को पुरस्कार दिया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

(ii) बालिका की जीवन-रक्षा और परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली बालिका समृद्धि योजना चलती रहेगी। 1 या 2 जन्म क्रम में बालिका के जन्म पर 500 रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(iii) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मातृत्व लाभ योजना चलती रहेगी। 19 वर्ष की आयु के बाद मां बनने वाली महिलाओं को सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे के जन्म पर 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। भविष्य में नकद पुरस्कार के संवितरण को प्रसव-पूर्व जांच, प्रशिक्षित जन्म परिचर द्वारा संस्थागत प्रसव, जन्म के पंजीकरण और बी.सी.जी. टीकाकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(iv) परिवार कल्याण से सम्बद्ध एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पति जो बंध्यकरण करा लेते हैं और जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं, 5000 रुपये तक के (बच्चों सहित) स्वास्थ्य बीमा (अस्पताल में भर्ती होने) के लिए और बंध्यकरण कराने वाले के पति/पत्नी एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, के पात्र होंगे।

(v) गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पति, जो विवाह की कानूनी आयु के बाद विवाह करते हैं, जो विवाह का पंजीकरण कराते हैं, जिनका पहला बच्चा मां की 21 वर्ष की आयु के बाद पैदा होता है, जो छोटे परिवार के मानदंड को स्वीकार करते हैं, जो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजन का स्थायी (टर्मिनल) तरीका अपनाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।

(vi) ग्रामीण स्तर के स्व-सहायता दलों, जो सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं, द्वारा आय सर्जक कार्यकलापों के लिए एक सचल प्रचालनात्मक (रिवोल्विंग) निधि स्थापित की जाएगी।

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में शिशुदान और बाल परिचर्या केन्द्र खोले जाएंगे। यह वैतनिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को सुकर बनाएगा और उसे बढ़ावा देगा।

(viii) विविध प्रसव केन्द्रों में परामर्शी सेवाओं सहित वहनीय विकल्प सुलभ कराये जाएंगे ताकि स्वीकारकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक और सोची-समझी सहमति दी जा सके।

(ix) सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा।

(x) नई सामाजिक विपणन योजनाओं के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को वहनीय बनाया जाएगा।

(xi) ग्रामीण स्तरों पर स्थानीय उद्यमियों को उदार ऋण प्रदान किया जाएगा और रेफरल परिवहन की मौजूदा व्यवस्थाओं को अनुपूरित करने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं चलाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

(xii) लड़कियों के लिए स्व-रोजगार प्रदायक बढ़ी हुई व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(xiii) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1976 को कड़ाई से लागू करना।

(xiv) प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 को कड़ाई से लागू करना।

(xv) सहायक नर्स-धात्रियों की गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उदार ऋणों में वृद्धि की जाएगी।

(xvi) 42वें संविधान संशोधन ने 1971 की जनगणना के स्तरों पर (जनसंख्या आधार पर) लोक सभा में प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर कर दी है। इस समय प्रतिनिधियों की संख्या का यह स्थिरीकरण 2001 तक वैध है और जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्य पर निर्भीकता से कार्रवाई करने के लिए इस कदम ने राज्य सरकारों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया है। प्रतिनिधियों की संख्या के इस स्थिरीकरण को 2026 तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

योजना आयोग का पुनर्गठन

3675. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :
श्री अनन्त नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास योजना आयोग के पुनर्गठन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग के लिए और अधिक बड़ी भूमिका तय करने का सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके विचारणीय विषय क्या हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां। योजना आयोग वर्तमान में यह निर्धारित करने की प्रक्रिया में लगा है कि परिवर्तित घरेलू और भूमंडलीय परिदृश्य में आयोग की अत्यन्त प्रभावी भूमिका क्या होगी। इस संबंध में बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग की भूमिका पर तैयार किए गए एक नोट पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितम्बर, 2000 को हुई पूर्ण योजना आयोग की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। मोटे तौर पर यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया था और अब इस पर उपाध्यक्ष और केन्द्रीय वित्त मंत्री के बीच आगे विचार-विमर्श किया जाना है।

(ख) बदलते हुए घरेलू आर्थिक नीति के परिवेश में और उभरती हुई भूमंडलीय व्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था के समान रूप से द्रुत गति से हो रहे एकीकरण की दृष्टि से, विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश आयोजना ही अब एकमात्र, अथवा प्रमुखतर अथवा अति

प्रभाव साधन नहीं रहा है। वास्तव में, सरकार की और इसलिए योजना की भी भूमिका एक ऐसे वातावरण के निर्माण को सुविधाजनक बनाने की दिशा में होनी चाहिए जो व्यक्तिगत पहल को प्रोत्साहित करे और सभी को अवसर प्रदान करके आर्थिक कार्य-कलाप में सामान्य रूप से और उत्पादन प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से दूर रहे। अत:, आयोजना को प्रतियोगी क्षेत्रकों और क्षेत्रों के बीच मात्र बजटीय आबंटनों से आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके लिए केवल इतना ही काफी नहीं होगा अपितु समय और अन्तरालों के अनुसार नीतिगत सामंजस्य सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाने होंगे। इससे योजना आयोग से यह अपेक्षित है कि वह 'थिंक टैंक'-एक सुविज्ञ आधार के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ बनाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कुक्कुट फार्म

3676. श्री एम० चिन्नासामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय कुक्कुट फार्मों को पुनर्गठित करने की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभाग ने प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय की समीक्षा शुरू करने तथा जहां कहीं भी किसी गतिविधि को बंद करना है वहां स्टाफ के पुनर्नियोजन के प्रस्तावों के साथ उनके दायित्वों (जहां कहीं आवश्यक है, वहां उन्हें संशोधित करके) के प्रकाश में कार्यकुशलता में सुधार लाने के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें करने का निर्णय लिया है।

नया नारियल प्रौद्योगिकी मिशन

3677. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नारियल के उत्पादन हेतु नया प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) नारियल प्रौद्योगिकी मिशन को प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों यथा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, असम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह आदि में क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

खाद्यान्न उत्पादन

3678. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की कमी आने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक सर्वेक्षण 2000-2001 के अनुसार कृषि क्षेत्र के निवेश में भी कमी आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उत्पादन को कृषि से जोड़ने हेतु आगे आने और कृषि संबंधी उत्पादों पर से सभी प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कितना खाद्यान्न-उत्पादन करने का अनुमान है और किन-किन फसलों के उत्पादन में कमी आने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1999-2000 के 208.87 मिलियन मी० टन के मुकाबले वर्ष 2000-2001 में 199.02 मिलियन मी० टन होने का अनुमान है। इस प्रकार चालू कृषि वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है। हालांकि यह वर्ष 2000-2001 के अग्रिम अनुमान पर आधारित है और कृषि वर्ष की समाप्ति पर इसमें परिवर्तन हो सकता है। वर्ष 2000-01 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि जैसे कुछ राज्यों में मौसम संबंधी स्थितियों की गड़बड़ी के कारण कमी आ सकती है। कृषि में इस प्रकार आने वाला वार्षिक उतार चढ़ाव कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि, यदि दीर्घकाल की दृष्टि से देखें तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन का रुख ऊपर की ओर रहा है।

(ख) आर्थिक सर्वेक्षण 2000-01 के अनुसार, कृषि क्षेत्र में होने वाला सकल पूंजी निर्माण (निवेश) वर्ष 1993-94 के 13523 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 18656 करोड़ रुपये (तत्कालिक अनुमान) तक पहुंच गया है। हालांकि, कुल निवेश में सार्वजनिक निवेश का हिस्सा वर्ष 1993-94 के 33 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999-2000 में 25 प्रतिशत तक आ गया है।

(ग) और (घ) आयात निर्यात नीति को, जिसमें कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध भी शामिल हैं, भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि आय में बढ़ोत्तरी लाने, विदेशी मुद्रा का अर्जन करने और घरेलू उपलब्धता का संवर्द्धन की दृष्टि से निर्धारित किया जाता है। कृषि उत्पादों के आयात निर्यात नीति की नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है और घरेलू उत्पादकों, उपभोक्ताओं और उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप किये जाते हैं।

(ङ) 1999-2000 की तुलना में 2000-2001 के दौरान (अग्रिम अनुमान) हुए खाद्यान्न उत्पादन का फसलवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(मिलियन टन)

फसल	2000-01	1999-2000
चावल	86.76	89.48
गेहूं	70.01	75.57
मोटे अनाज	29.92	30.47
दलहन	12.33	13.35
कुल खाद्यान्न	199.02	208.87

[हिन्दी]

राजस्थान में अकाल

3679. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में आए अकाल पर केन्द्रीय दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(घ) राजस्थान को अकाल राहत सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) सूखे की स्थिति में राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर, चालू वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से इस राज्य को 85 करोड़ रुपये की सहायता निर्मुक्त की गयी है।

[अनुवाद]

सरकारी नौकरी में वरिष्ठता के मानदंड

3680. श्री रामजी मांझी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 2001 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'कैडर एन्ट्री रूल्स टु डिटरमिन सिनिऑरिटी, एससी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली सरकार के विकास विभाग के एक्स कैडर के कुछ कर्मचारियों को डीएएसएस कैडर के सामान्य कैडर के कर्मचारियों के साथ विलय कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर उक्त विलय को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

प्रश्न के भाग (क) में संदर्भित समाचार श्री पी० मोहन रेड्डी बनाम ई ए ए चार्ल्स और अन्य [जे टी 2001(3) एस सी 1] के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.02.2001 के निर्णय से संबंधित है। यह मामला आंध्र प्रदेश में उप तहसीलदारों की वरिष्ठता निर्धारित किए जाने से संबंधित है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

> "यद्यपि कोई कर्मचारी किसी ग्रेड में किसी पद विशेष पर रहने का निहित अधिकार रखने का दावा नहीं कर सकता परंतु इस स्थिति के बावजूद उसे अपने संवर्ग में रहने के समय लागू नियमों के अनुसार अपनी वरिष्ठता निर्धारित करवाने का अधिकार है। संशोधित मानदण्डों अथवा नियमों के आधार पर संवर्ग में वरिष्ठता पुन: निर्धारित किए जाने का प्रश्न तभी उठेगा जब कोई प्रश्नाधीन संशोधन पूर्व प्रभाव से लागू किया जाए। यदि नियम के पूर्व प्रभाव से लागू किए जाने को किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी

जाए तो न्यायालय इस बात की जांच-पड़ताल करने और मामले में कानून के अनुसार निर्णय लेने का हकदार होगा। यदि नियम का पिछली तारीख से लागू किया जाना अन्ततः रद्द कर दिया जाए तो संशोधित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक रूप से वरिष्ठता-सूची फिर से तैयार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा, परंतु फिर भी, यदि किसी न्यायालय द्वारा नियम के पिछली तारीख से लागू किए जाने को वैध ठहरा दिया जाए तो संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संवर्ग में उन कर्मचारियों की ही वरिष्ठता फिर से निर्धारित की जाए जो उस संवर्ग में बने हुए हों, न कि उन कर्मचारियों की वरिष्ठता जो कि उस तारीख (समय) तक किसी अन्य संवर्ग में पहले ही पदोन्नत हो गए हों। इसके अलावा, वरिष्ठता के एक नियम विशेष पर न्यायालय द्वारा विचार कर लिए जाने और उसके संबंध में कुछ निर्देश दे दिए जाने के बाद, वरिष्ठता-सूची तैयार करने के मामले में उस निदेश का तब तक अनुपालन किया जाना अपेक्षित है जब तक कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा कोई वैध नियम जारी नहीं कर दिया जाए और इस बारे में अन्यथा व्यवस्था नहीं कर दी जाए।

यदि किसी नियम अथवा प्रशासनिक अनुदेश में, किसी विनिर्दिष्ट अवधि में वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने अथवा आपसी वरिष्ठता का निर्धारण किए जाने के संबंध में समादेश कर दिया जाए तो उस समादेश का तब तक पालन किया जाए जब तक कि उस का पालन नहीं किए जाने का कोई वैध कारण नहीं बताया जाए।

के०वी० सूवा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार [जे टी 1988 (1) एस सी 404] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर दिनांक 10.04.1980 से सितम्बर, 1992 तक की अवधि में नियुक्त उप तहसीलदारों की वरिष्ठता, संशोधन से पहले के नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी अपेक्षित है। संशोधित नियम, सितम्बर, 1992 में अस्तित्व में आए और यदि, वस्तुतः, तब ऐसी वरिष्ठता तैयार नहीं की गई हो उस स्थिति में भी यह संशोधन से पहले के नियमों में दर्शाए गए मानदण्डों के अनुसार, तैयार की जानी अपेक्षित है, न कि संशोधित नियमों के अनुसार जोकि सितम्बर, 1992 में अस्तित्व में आए, जैसी कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय में व्यवस्था दी गई है। अतः उपर्युक्त उच्च न्यायालय स्पष्टतः गलती पर था और उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय, इस प्रकार, अपास्त (रद्द) कर दिया जाता है। पदोन्नत उप तहसीलदारों द्वारा दायर साधारण अपीलें खारिज करने का, अधिकरण का निर्णय पूर्णतः न्यायोचित और युक्तिसंगत था। उपर्युक्त तर्कपूर्ण आधार वाक्यों के मद्देनजर, सीधे भर्ती किए गए उप तहसीलदारों द्वारा दायर सिविल अपीलें स्वीकार कर ली जाती हैं और प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष पदोन्नत उप तहसीलदारों द्वारा दायर साधारण अपीलें खारिज समझी जाती हैं।''

आचार संहिता

3681. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा 'रेग्यूलेशंस ऑन प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिक्वेट एण्ड एथिक्स, 2000' के संबंध में सौंपे गए प्रारूप को अब तक मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए 'व्यावसायिक आचरण शिष्टाचार एवं नैतिक नियम संबंधी विनियम 2000' को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्य संबंधित विभागों से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अवसंरचना प्रौद्योगिकी कोष (आई०टी०एफ०)

3682. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगों के लिए अवसंरचना प्रौद्योगिकी कोष को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कोष से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि मंजूर की गई/जारी की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) संघ सरकार ने लघु उद्योगों हेतु आधारभूत संरचना प्रौद्योगिकी निधि संस्वीकृत नहीं की है। संभवतया, यह संदर्भ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए है जिसकी स्थापना 1995 में 200 करोड़ रुपये की समग्र निधि से की गई थी, की प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना से है जिसके अंतर्गत लघु उद्योग इकाइयों को अपनी उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण और अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2000 तक संस्वीकृत और संवितरित राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

टीडीएमएफ के अंतर्गत सिडबी द्वारा संस्वीकृत और संवितरित राज्यवार सहायता

(रु० लाख में)

राज्य	1995-2000	
	संस्वीकृत	संवितरित
आंध्र प्रदेश	854.50	457.16
असम	42.00	0.00
बिहार	107.00	30.00
दिल्ली	1616.00	70.00
गोवा	107.00	0.00
गुजरात	1909.00	1067.18
हरियाणा	864.00	333.58
जम्मू व कश्मीर	73.00	0.00
कर्नाटक	1062.00	257.00
केरल	637.00	252.30
मध्य प्रदेश	345.00	205.00
महाराष्ट्र	2951.25	920.19
उड़ीसा	80.00	0.00
पंजाब	1243.00	609.36
राजस्थान	312.00	110.49
तमिलनाडु	4839.00	3400.48
उत्तर प्रदेश	530.00	312.41
पश्चिम बंगाल	140.00	110.65
संघ राज्य क्षेत्र		
दमन और दीव	85.00	0.00
चण्डीगढ़	50.00	0.00
पांडिचेरी	110.00	92.00
कुल	17956.75	8227.80

[हिन्दी]

बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन

3683. श्री राजो सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान बिहार के लिए स्वीकृत और परियोजना-उन्मुखी योजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रंसस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण के वास्ते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त क्षेत्र, निजी/सहायताप्राप्त क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों/सहकारिताओं को अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी अन्य एजेंसियां भी अपनी स्कीमों के तहत सहायता प्रदान करती हैं।

(ख) 9वीं योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान बिहार में परियोजना-उन्मुखी स्कीमों के लिए दी गई सहायता निम्नलिखित अनुसार है:-

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	वर्ष	दी गयी सहायता
1.	1997-98	52.00
2.	1998-99	–
3.	1999-2000	9.78

[अनुवाद]

कृषि महाविद्यालय, बिहार का दर्जा बढ़ाया जाना

3684. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से सबौर में कृषि महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(ग) सरकार का विचार कब तक इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु विद्युत स्टेशन की स्थापना

3685. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय 200 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु विद्युत स्टेशन, जैसा कि पिछले समय में किया गया, के स्थान पर 500 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु विद्युत स्टेशन की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्तमान में 500 मेगावाट और 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दोनों तरह के दाबित भारी पानी रिएक्टरों के परमाणु बिजलीघरों को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले रिएक्टरों की स्थापना बड़ी आकार वाली इकाइयां लगाने की जिसे नेशनल ग्रिड स्वीकार कर सके, और परम्परागत ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अपनाई गई इकाई के आकारों के अनुरूप है।

(ग) और (घ) 500 मेगावाट और 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली दाबित भारी पानी रिएक्टर परियोजनाओं को स्वदेशी रूप से स्थापित किया जाता है। इस संबंध में भारत सरकार और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच नवम्बर, 1988 में एक अंतर्सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अंतर्गत हलके पानी रिएक्टरों की श्रेणी से संबंधित 2×1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले रिएक्टरों का निर्माण करने की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार और रूसी परिसंघ सरकार के बीच जून, 1998 में अंतर्सरकारी सहकार करार के 'अनुपूरक' पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, इस परियोजना के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया और इसे सन् 2001 के मध्य तक पूरा कर लिए जाने की आशा हैं। उक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के बारे में अंतिम निर्णय ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के परिणामों पर निर्भर करेगा।

हैजा रोधी टीके

3686. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान ने कोई हैजा रोधी टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत इस प्रकार के टीके को विकसित करने वाला पहला देश है; और

(घ) यदि हां, तो इसका प्रयोग कब तक आरंभ कर दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा हैजा वैक्सीन का विकास अनुसंधान चरण में है तथा जीव-जन्तु संबंधी प्रयोग किए जा रहे हैं। तथापि, माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़, राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, कोलकाता तथा भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान, कोलकाता द्वारा संयुक्त रूप से देशी मुखीय रिकम्बिनेंट हैजा कैंडीडेट वैक्सीन विकसित की गई है। चरण-1 क्लिनिकल जांचों में कैंडीडेट वैक्सीन के निरपद पाए जाने के बाद विस्तारित चरण-1 क्लिनिकल जांचें की जा रही हैं। कैंडीडेट वैक्सीन, यदि यह प्रभावी पायी जाती है, को चरण-2 तथा चरण-3 क्लिनिकल जांचों से गुजरना पड़ेगा। यदि यह सफल पायी जाती है तो इस वैक्सीन को, भारत के औषध महानियंत्रक से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, वाणिज्यिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

ऑक्सीटॉसिन (पीयूष हार्मोन) का दुरुपयोग

3687. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ऑक्सीटॉसिन (पीयूष हार्मोन) के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम 105 के अंतर्गत मादक द्रव्यों की पैकिंग के संबंध में मादक द्रव्य और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संशोधन ऑक्सीटॉसिन (पीयूष हार्मोन) इंजेक्शन की बिक्री केवल एकल ब्लीस्टर पैक में करने को अनिवार्य बना देगा; और

(ग) यदि हां, तो इससे ऑक्सीटॉसिन (पीयूष हार्मोन) के दुरुपयोग को रोकने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में प्रारूप नियमों वाली अधिसूचना दिनांक 1.12.2000 के सा०का०नि० संख्या 905 (असाधारण) के तहत प्रकाशित किए गए हैं जिसमें अन्तिम अधिसूचना जारी करने से पहले लोगों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

(ग) इस उपाय से इस औषध की उपलब्धता पर रोक लगाने की बात सोची गई है ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके।

मैलाथीन के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करना

3688. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मैलाथीन हेतु राशि देने पर विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य ने मलेरिया नियंत्रण अभियान बंद कर दिया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विलंब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, नहीं। मलाथियन एक विकेन्द्रीकृत मद है और इसका प्रापण राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से किया जाना होता है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भर्ती पर प्रतिबंध

3689. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकार के सभी विभागों में भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्र सरकार की सेवाओं में भर्ती पर रोक नहीं लगाई है और आवश्यकता के अनुसार भर्ती की जा रही है। फिर भी, वित्त मंत्री द्वारा 28.02.2001 को अपने बजट भाषण में की गई उद्घोषणा के अनुसार, सिविल कर्मचारियों की कुल संख्या 1 प्रतिशत तक ही नई भर्ती करके 5 वर्ष में कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत की और कमी की जानी प्रस्तावित है।

नई कृषि नीति

3690. **श्री अजय सिंह चौटाला** :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के मद्देनजर सरकार का विचार नयी कृषि नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्वरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पूंजी आवक और फसल उत्पादन के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने हेतु ठेका आधारित कृषि और भूमि को पट्टे पर देने के समझौतों के माध्यम से गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इनका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ङ) क्या उक्त नयी कृषि नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जुलाई, 2000 में घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति में विश्व व्यापार संगठन संबंधी सभी मुद्दों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अत: सरकार किसी नयी कृषि नीति को लाने पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) अनुबंधित कृषि और भूमि को पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था के माध्यम से निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि प्रौद्योगिकी के त्वरित अंतरण, पूंजी निवेश और फसल उत्पादन हेतु विश्वसनीय बाजार व्यवस्था के लिए अनुमति दी जा सके तथा छोटी व अनार्थिक जोतों की समस्याओं को दूर किया जा सके और कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

(ङ) राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं और सूखे की स्थितियों का सामना करने हेतु ये विशेष प्रावधान किये गये हैं– राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, सूखा प्रवण उपाय, आपातकालीन कृषि नियोजन, सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास, पनधारा विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र और मरूस्थल विकास कार्यक्रम और ग्रामीण अवसंरचना विकास कार्यक्रम।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना

3691. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री बाबूभाई के० कटारा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत और राजकोट में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निश्चित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कितने राज्यों में एक से अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोले गये;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार नया पासपोर्ट कार्यालय शहर के बीच में होना चाहिए, आसपास के मौजूदा कार्यालयों पर विचार किया जाना चाहिए और औसतन प्रतिवर्ष 50,000 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि सूरत इन मानदण्डों पर खरा उतरता है इसलिए केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में कुछ अतिरिक्त पदों के सृजन का अनुमोदन हो जाने के बाद सूरत में एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा।

(घ) और (ङ) ऐसे राज्यों की संख्या, जहां पिछले पांच वर्षों में एक से अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोले गए और उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

राज्य	पासपोर्ट कार्यालय	खोले जाने का वर्ष
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	1997
महाराष्ट्र	थाणे	1996
महाराष्ट्र	पुणे	1999
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	1997

(च) ये पासपोर्ट कार्यालय इसलिए खोले गए हैं कि इन स्थानों और इनके आस-पास के क्षेत्रों से प्राप्त नए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या 50,000 से अधिक या उसके लगभग थी या फिर पुराना पासपोर्ट कार्यालय उस क्षेत्र से काफी दूरी पर स्थित है।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार

3692. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 17 जनवरी, 2001 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) की जांच के अधीन भ्रष्टाचार के मामलों में, विशेषकर, बिहार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने प्रत्येक राज्य में भ्रष्टाचार के कितने मामलों की सूचना दी;

(ग) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार-संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्यों में अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर, उसके द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान दर्ज किए गए भ्रष्टाचार निरोधी मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
1998	897
1999	926
2000	920
2001 (28.02.2001 तक)	140

इस बारे में वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने मुकदमों की सुनवाई के प्रयोजन से कुछ न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किया है। इस समय, विशेषत: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ही मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों के 24 न्यायालय हैं। विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में कामकाज की अधिकता और बहुत से मामलों की सुनवाई के लिए बहुत समय तक लंबित चलते रहने की स्थिति

के मद्देनजर, सरकार द्वारा, समय-समय पर, विशेषत:, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ही मामलों की सुनवाई के लिए और अधिक विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। वर्ष, 2000 के दौरान, विशेषत: केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के ही मामलों की सुनवाई हेतु, महाराष्ट्र में विशेष न्यायाधीशों के तीन न्यायालय स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई और इन न्यायालयों ने 31.7.2000 से मुम्बई में कार्य करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त गुजरात में, चार विशेष न्यायालय, अहमदाबाद में स्थापित किए जाने हेतु मंजूर किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1998 से वर्ष 2001 तक की अवधि के दौरान दर्ज किए गए भ्रष्टाचार-निरोधी मामलों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	वर्ष, 1998	वर्ष, 1999	वर्ष, 2000	वर्ष, 2001 (28.02.2001)
1.	दिल्ली	125	120	132	25
2.	गुजरात	42	40	40	6
3.	कर्नाटक	45	38	40	5
4.	मध्य प्रदेश	42	62	46	3
5.	राजस्थान	68	75	73	13
6.	उत्तर प्रदेश	45	49	46	2
7.	तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	68	62	66	6
8.	महाराष्ट्र	79	100	95	14
9.	उड़ीसा	54	56	39	1
10.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	83	64	62	11
11.	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	33	40	50	3
12.	बिहार	41	47	62	11
13.	गोवा	2	13	13	4
14.	असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य	53	46	46	9
15.	आन्ध्र प्रदेश	64	62	63	17
16.	जम्मू और कश्मीर	25	21	19	3
17.	केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	28	31	28	7
	कुल	897	926	920	140

बाजार हस्तक्षेप योजना

3693. श्री एच०जी० रामुलू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत पाम आयल के ताजा फलों के 5000 मीट्रिक टन गुच्छों को खरीदने की मंजूरी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की/करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2000 मौसम के दौरान कर्नाटक में पाम आयल के ताजा फलों के 5000 मीट्रिक टन गुच्छों हेतु मंडी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित की गयी थी।

विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव

3694. श्री जे०एस० बराड़ : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कृषि और ग्रामीण उद्योग पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) समझौते के प्रभाव का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि और ग्रामीण उद्योगों के संरक्षण के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार, देश की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के प्रभाव का निरन्तर अनुवीक्षण कर रही है जिसमें कृषि तथा ग्रामीण उद्योग भी शामिल हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध ा (क्यू०आर०) हटाने से लघु उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने पर भी उद्योगों को एक सीमित सीमा तक शुल्क बढ़ाने, पाटनरोधी शुल्क तथा उसके समतुल्य शुल्क लगाने, आयात में प्रवाह के मामलों में सुरक्षा उपाय करने आदि के रूप में संरक्षण उपलब्ध है।

(ग) हमारे उद्योग विश्व प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें इसके लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, क्लस्टर एपरोच के माध्यम से आधारभूत सहायता, ऋण की समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबंधन प्रक्रिया अपनाना, व्यापार उदारीकरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने हेतु इलैक्ट्रॉनिक आधारभूत तथा आई टी प्रचालनों का उपयोग शामिल है।

वेतनमान में संशोधन

3695. श्री संतोष मोहन देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की फास्ट ट्रैक समिति ने डैनिक्स/डैनिप्स संवर्ग के वेतनमानों में सी०एस०एस० की तुलना में संशोधन पर विचार करते हुए यह मत प्रकट किया है कि 6500-10,500/- (संशोधन पूर्व 2000-3200) का वेतनमान सामान्यत: समूह 'ख' के अराजपत्रित वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में लागू होता है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गयी भूल को सुधारने हेतु सी०एस०एस० सहायक (समूह 'ख' के अराजपत्रित वर्ग) के वेतनमान में संशोधन करके इस संवर्ग को 6500-10,500/- रुपये का संशोधित वेतनमान न देने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) फास्ट ट्रैक समिति के गठन के बारे में भारत-सरकार के दिनांक 21.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं०-2/24/97-पी०आई०सी० में केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के सहायकों के वेतनमान के संशोधन का मुद्दा सम्मिलित नहीं था। वेतन आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों को संशोधन से पहले का 1640-2900/- रुपये का वेतनमान दिए जाने की सिफारिश की जो वित्त मंत्रालय के दिनांक सितम्बर 30, 1997 के संकल्प सं०-50(1)/आई०सी०/97 के अनुसार 5,500-9000/- रुपए के प्रतिस्थापन वेतनमान के रूप में, अधिसूचित किया गया। उपर्युक्त वेतनमान, अराजपत्रित समूह 'ख' के रूप में वर्गीकृत करके, 01.01.1996 से दिया गया है।

आई०ए०एस० की भर्ती

3696. श्री मनोज सिन्हा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविभाजित मध्य प्रदेश के आई०ए०एस० कैडर में सीधी भर्ती से 'बाहरी' अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की संख्या क्रमश: 49 और 6 थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुपात में इस संख्या की गणना छत्तीसगढ़ में की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का समुचित अभ्यावेदन सुनिश्चित करने के लिए सीधी भर्ती से लिए गए छत्तीसगढ़ के बाहरी अधिकारियों की सूची को कब तक पुनरीक्षित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पहले के अविभाजित मध्य प्रदेश में उपलब्ध, सीधे भर्ती अधिकारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की प्रतिशतता क्रमश: 18 प्रतिशत और 3 प्रतिशत थी।

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ को आवंटित किए जाने वाले अधिकारियों में सीधे भर्ती 52 अधिकारी, छत्तीसगढ़ से बाहर के थे। अविभाजित मध्य प्रदेश में चल रही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की प्रतिशतता बरकरार रखने के प्रयोजन से, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 9 अधिकारी और अन्य पिछड़े वर्गों के 02 अधिकारी छत्तीसगढ़ संवर्ग को आबंटित किए गए। फिर भी, विवाहित युगल से संबंधित नीति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अनुसूचित जाति के अधिकारी का संवर्ग छत्तीसगढ़ से बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया।

आवासीय विद्यालयों के लिए कोष

3697. डा० एन० वेंकटस्वामी :
श्री एच०जी० रामुलू :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण के लिए अपने हिस्से की केन्द्रीय सहायता जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष का और चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के संबंध में इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सहायता को कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को संगत ब्यौरों के साथ प्राप्त प्रस्तावों तथा गत वर्ष में मंजूर की गई राशि की उपयोगिता के आधार पर क्रमश: अनुसूचित जाति के लड़कों, अनुसूचित जाति की लड़कियों, अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय (आश्रम) स्कूलों के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है।

वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधि को दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण I, II, III, IV तथा V के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए के होस्टलों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (19.3.2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	122.40	शून्य
2.	असम	5.50	शून्य	5.00	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	20.00	45.00
5.	गुजरात	शून्य	66.091	शून्य	शून्य
6.	हरियाणा	4.00	शून्य	शून्य	शून्य
7.	जम्मू व कश्मीर	19.51	शून्य	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	शून्य	36.18	483.82	289.00
9.	केरल	शून्य	50.00	शून्य	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	666.75	574.53	254.19	765.00
11.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	30.00	शून्य	7.84	शून्य
14.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	पंजाब	30.00	20.00	शून्य	शून्य
16.	राजस्थान	129.66	243.20	शून्य	शून्य
17.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	211.75	शून्य
18.	त्रिपुरा	20.00	10.00	10.00	शून्य
19.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	905.42	1000.00	1115.00	1099.00

Scanned by CamScanner

विवरण-II

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (19.3.2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.90	266.00	398.10	शून्य
2.	असम	9.00	शून्य	3.50	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	25.00	शून्य	16.63
8.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	24.36	194.51	35.44	35.44
10.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	182.74	शून्य	277.99	437.51
12.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	24.973	शून्य
15.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	राजस्थान	शून्य	84.15	शून्य	शून्य
18.	तमिलनाडु	339.00	114.00	शून्य	258.34
19.	त्रिपुरा	शून्य	10.00	10.00	22.05
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	600.00	693.66	750.00	768.97

विवरण-III

अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टलों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (19.3.2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	45.45	49.00	87.30	शून्य
2.	असम	16.00	50.00	शून्य	शून्य
3.	बिहार	शून्य	75.00	शून्य	शून्य
4.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	60.00	शून्य	शून्य
5.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	2.29	3.00	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	15.00	108.30	87.22	शून्य
8.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	27.50	29.44	शून्य	शून्य
10.	केरल	शून्य	22.05	22.05	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	शून्य	100.00	शून्य	शून्य
12.	मेघालय	13.75	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	12.50	66.24	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर	13.00	13.00	26.00	शून्य
15.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	32.50
16.	उड़ीसा	35.00	17.31	शून्य	शून्य
17.	राजस्थान	159.60	192.10	319.20	शून्य
18.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	50.00	शून्य
19.	त्रिपुरा	15.25	35.86	103.65	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	9.00	शून्य	शून्य
21.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	353.05	829.59	698.42	32.50

विवरण-IV

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (19.3.2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	60.20	236.44	178.88	शून्य
2.	असम	16.00	50.00	शून्य	शून्य
3.	बिहार	शून्य	75.00	शून्य	शून्य
4.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	60.00	शून्य	शून्य
5.	दमन व दीव	20.00	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	4.02	6.25	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	15.00	37.845	79.90	शून्य
8.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	15.00	शून्य	शून्य	शून्य
10.	केरल	शून्य	22.05	14.70	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	शून्य	100.00	शून्य	शून्य
12.	मेघालय	13.75	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	10.00	33.07	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर	3.00	शून्य	शून्य	शून्य
15.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	32.50
16.	उड़ीसा	45.00	17.50	13.15	शून्य
17.	राजस्थान	150.00	70.77	शून्य	शून्य
18.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	100.00	शून्य
19.	त्रिपुरा	17.30	51.64	शून्य	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	11.2	11.00	शून्य	शून्य
21.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	376.45	769.335	392.88	32.50

विवरण-V

अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (19.3.2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	218.46	113.00	225.86	शून्य
2.	असम	शून्य	25.20	शून्य	शून्य
3.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	175.29	83.17	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	केरल	शून्य	67.00	116.50	शून्य
8.	मध्य प्रदेश	शून्य	100.21	शून्य	शून्य
9.	महाराष्ट्र	104.5	157.38	शून्य	शून्य
10.	मणिपुर	3.00	शून्य	3.00	शून्य
11.	उड़ीसा	50.00	40.00	शून्य	शून्य
12.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	53.75	शून्य
14.	त्रिपुरा	93.46	85.44	50.00	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश	शून्य	175.445	शून्य	शून्य
	कुल	469.42	938.97	532.28	शून्य

अत्यधिक असहनीय बेरोजगारी

3698. डा० (श्रीमती) सुधा यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के 25 वर्ष से अधिक आयु वाले आश्रित बेरोजगार बेटों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०) के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है;

(घ) क्या सरकार "सभी के लिए स्वास्थ्य" की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा करेगी और 25 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित बच्चों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, नहीं। 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 2542 में सिविल विविध याचिका संख्या 115/97 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.9.97 के स्थगन आदेश को देखते हुए इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 25 वर्ष से अधिक आयु वाले आश्रित बेरोजगार पुत्र भी कवर हैं।

(ख) आश्रित पुत्रों के लिए आयु सीमा पहले स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 31.12.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या बी-12014/7/92-सी० जी०एच०एस०(पी) के तहत नियत की गई थी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 17.9.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-24/96-सी एंड पी/सी जी एच एस/सी जी एच ए (पी) के तहत 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 2542 में सिविल विविध याचिका संख्या 115/97 में दिनांक 22.9.97 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के अनुसार आश्रित पुत्रों के लिए 25 वर्ष की उच्चतम आयु सीमा हटा दी गई थी।

(ग) एन एस एस 55वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी की दर (श्रमिक बल की प्रतिशतता के रूप में बेरोजगार) 2.23 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के आश्रित पुत्रों के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा को हटाने से संबंधित मामला न्यायाधीन है और इसलिए इस स्तर पर इस निर्णय की समीक्षा करना सरकार के लिए संभव नहीं होगा।

संघ लोक सेवा आयोग के अधीन राज्य सेवा आयोग

3699. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में समान पदों के लिए परीक्षा/चयन का एक समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग (यू०पी०एस०सी०) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। संघ लोक सेवा आयोग, एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं, संचालित करने के कार्य सौंप गए हैं। संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेद के अंतर्गत ही, संबंधित राज्यों की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं संचालित करने हेतु राज्य लोक सेवा आयोग गठित किए गए हैं। चूंकि राज्य लोक सेवाएं और राज्य लोक सेवा आयोग, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य-सूची में शामिल हैं तथा संघ-लोक-सेवाएं और संघ-लोक-सेवा-आयोग, उपर्युक्त अनुसूची की संघ-सूची में हैं, अत: राज्य लोक सेवा आयोगों को संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में लाया जाना न तो संभव है और न ही वांछनीय।

हैदराबाद में पादप सामग्री का आयात

3700. श्री वाई०वी० राव
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से पादप सामग्री का आयात करने के लिए हैदराबाद विमानपत्तन पर बुनियादी ढांचा और कर्मचारी प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हैदराबाद विमानपत्तन को पौधों को संगरोध और धूमन के लिए अलग रखने के स्थान के रूप में अधिसूचित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने पौधों तथा पौध सामग्री के आयात हेतु केन्द्र सरकार से हैदराबाद में एक पौध संगरोध एवं धूमन केन्द्र की स्थापना करने का आग्रह किया है।

(ग) से (ङ) बुआई/प्रसार हेतु पौधों तथा पौध सामग्री आयात हेतु हैदराबाद विमानपत्तन अधिसूचित नहीं है। विदेशों से पौधों एवं पौध सामग्री आयात संबंधी व्यापारिक आवश्यकताओं तथा पौध संगरोध जोखिमों को देखते हुए हैदराबाद विमानपत्तन पर 1978 में एक पौध संगरोध केन्द्र स्थापित किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से यह केन्द्र उपभोग के प्रयोजनार्थ आयातित पौधों एवं पौध सामग्री के निरीक्षण/उपचार का कार्य करता रहा है।

[हिन्दी]

चिकित्सा पर्यटन

3701. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

Scanned by CamScanner

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'चिकित्सा पर्यटन' से संबंधित कोई नई योजना तैयार की है और विदेशों में इन योजनाओं का प्रचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब तक क्या प्रयास किये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ने पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग के सहयोग से चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा देने की बात सोची है। पर्यटन गाइड में उपचार केन्द्रों और ख्याति प्राप्त शैक्षिक संस्थानों सहित होटलों, भ्रमण स्थलों और अन्य केन्द्रों में पंचकर्मा उपचार की व्यवस्था करना, पर्यटन रुचि के स्थानों पर आयुर्वेद पार्कों की स्थापना करना कुछ उपाय हैं, जिनका चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा देने का उल्लेख है।

[अनुवाद]

नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

3702. **श्री अनंत गुढे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में चालू परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित और हासिल लक्ष्य के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले पांच वर्षों के लिए राज्यवार विचाराधीन नई परियोजनाओं और तैयार की गई संदर्शी कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 (टीएपीपी-3 एंड 4) 2×500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली इकाइयों के नाम से में केवल एक परियोजना चलाई जा रही है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग और सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर इस परियोजना के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की जाती है। परियोजना की दो इकाइयां क्रमशः अप्रैल, 2006 और जनवरी, 2007 तक वाणिज्यिक स्तर पर कार्य करना शुरू कर देंगी।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु विद्युत की क्षमता बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव में रूसी परिसंघ की सहायता से तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थल पर 2×1000 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु विद्युत बिजलीघर के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के अलावा तारापुर (तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4) में 2×500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले संयंत्र और कैगा (कैगा-3 और 4) में 2×220 मेगावाट क्षमता वाली दो और यूनिटों को चालू करने तथा नौवीं योजना के अंत तक 500 मेगावाट क्षमता वाले एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित कार्य को शुरू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान योजनाओं के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में दो परियोजनाओं अर्थात् कैगा-5 और 6 (2×220 मेगावाट) और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-5 और 6 (2×500 मेगवाट) को शुरू करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध हों।

ग्रामीण औद्योगिकीकरण

3703. **श्रीमती हेमा गमांग :** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रशिक्षित आदिवासी युवकों को ग्रामीण उद्योग शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नयी पहल की गई है/करने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी० आई०सी०) ने उड़ीसा राज्य में जनजातीय युवाओं सहित ग्रामीण कारीगरों को खादी और ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक ग्रामीण उद्योग कलस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया है। दो क्लस्टर्स, खुर्दा और फूलबनी जिलों में एक एक की पहचान पहले ही की जा चुकी है। जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है, के०वी०आई०सी० का भुवनेश्वर स्थित मल्टी डिसिप्लिनरी प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षुओं को जीवनक्षम ग्रामोद्योग परियोजनाएं शुरू करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

कीटनाशकों का प्रयोग

3704. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में बेची जाने वाली सब्जियों को कीड़ों से बचाने

Scanned by CamScanner

और उन पर चमक पैदा करने के लिए उन पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सब्जियों पर कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने और उन्हें खाद्य और औषधियों का अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) सब्जियों सहित विभिन्न खाद्यान्न जिन्सों में कीटनाशी अवशेषों की सहिष्णुता सीमा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित की गई है। इसका उल्लंघन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

सब्जियों सहित विभिन्न खाद्य जिन्सों में कीटनाशी अवशेषों की उपस्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों का है।

यू०एन०डी०पी० सहायता

3705. **श्री किरीट सोमैया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक गतिविधियों के लिए यू०एन०डी०पी० सहायता को 500 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाने हेतु योजना आयोग के और यू०एन०डी०पी० के अधिकारियों के बीच कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू०एन०डी०पी० के अंतर्गत मांगी गयी सहायता को मंजूरी मिल गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बैठक में मानव संसाधन विकास रिपोर्ट के मुद्दे पर भी चर्चा की गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। यू०एन०डी०पी० प्रशासक तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग के बीच एक बैठक दिनांक 16 फरवरी, 2001 को हुई थी। तथापि, यू०एन०डी०पी० की समग्र सहायता 250 मिलियन डालर से 500 मिलियन डालर तक बढ़ाने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) राज्य मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) की तैयारी पर चर्चा की गई जबकि राज्यों को जिला स्तर पर अपूर्ण डाटा के विश्लेषण के साथ उनके एचडीआर तैयासर करने के प्रयास में योजना आयोग एवं यूएनडीपी दोनों सहायता करते हैं। इस पर सहमति हुई थी कि राज्य तथा राष्ट्रीय एचडीआर दोनों नीतिगत साधन हैं, जिनका योजना प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा।

बचत-सह-सहायता योजना

3706. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं ओर अंतर्देशीय मछुआरों को मछुआरा बचत-सह-सहायता योजना में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा बचत-सह-सहायता योजना में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मुरारी समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने और महिलाओं और अंतर्देशीय मछुआरों को उक्त योजना में शामिल किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के बचत-सह-राहत घटक में वित्तीय वर्ष 2000-2001 से अंतर्देशीय मछुआरों को शामिल किया गया है। इसमें अब तक मत्स्य विपणन अथवा अन्य सम्बद्ध कार्यों में लगी हुई महिला कर्मियों सहित मत्स्य कर्मियों को शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार ने इस मामले को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों के साथ उठाया था। केवल तीन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष से संशोधित किया गया है ताकि इसमें अंतर्देशीय मछुआरों को भी शामिल किया जा सके। अंतर्देशीय मछुआरों के मामले में, एक वर्ष में नौ महीनों के लिए 50 रुपए प्रतिमाह के अंशदान की वसूली जाएगी तथा इसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से समान अंशदान दिया जाएगा। इस राशि

को मानसून/बंद अवधि के दौरान तीन-तीन सौ रुपए की तीन मासिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।

(च) मुरारी समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण-I तथा उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-II में दी गई है। मछुआरों से संबंधित सूचना पर सिफारिशें विवरण-I तथा II के क्रम संख्या 17 व 18 में दी गई हैं।

विवरण-I

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति संबंधी समीक्षा समिति की सिफारिशें

1. संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण मात्स्यिकी द्वारा मछली पकड़ने के लिए जारी सभी परमिट कानूनी प्रक्रियाओं, जैसा कि अपेक्षित हो, के अधीन तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए।

2. संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण मात्स्यिकी यानों को मछली पकड़ने के लिए भविष्य में कोई नवीकरण, विस्तार तथा नए लाइसेंस/परमिट जारी नहीं किए जाने चाहिए।

3. मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस/परमिट सार्वजनिक दस्तावेज बनाए जायें तथा उनकी प्रति पंजीकृत प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाए।

4. जिन क्षेत्रों का दोहन पहले ही किया जा रहा है उनकी तथा पारंपरिक क्राफ्टों अथवा 20 मीटर आकार से कम के यांत्रिकृत यानों को संचालित कर रहे मछुआरों द्वारा जिन क्षेत्रों का मध्यकाल में दोहन किया जा सकता है, उनकी 20 मीटर लम्बाई से ऊपर के किसी भी यान द्वारा दोहन के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए सिवाय इस समय संचालित भारतीय यानों के जो सिफारिश 1 और 7 के अधीन केवल तीन वर्ष के लिए चालू क्षेत्रों में संचालित कर सकते हैं।

5. चूंकि 20 मीटर से कम आकार वाली भारतीय यांत्रिकृत नौकाओं के पास पश्चिम तट पर लगभग 70-90 मीटर गहराई में मछली पकड़ने की क्षमता है, अत: 150 मीटर गहराई के तट से दूरी 20 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले सभी यानों के लिए प्रतिबंधित होनी चाहिए सिवाय पैरा 4 में उल्लिखित यानों के जहां 150 मीटर गहराई वाला क्षेत्र तट से 100 नाटीकल मील से कम है वहां 100 नाटीकल मील तक की दूरी 20 मीटर लम्बाई से कम वाले भारतीय यानों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कन्याकुमारी से लेकर पूर्वी तट पर, 20 मीटर से कम आकार वाले भारतीय यान 100 मीटर गहराई अथवा तट से 50 नाटीकल मील तक, जो भी दूर हो, जा सकेंगे सिवाय पैरा-4 में दी गई छूट के। गहराई वाले क्षेत्र को समन्वयकों द्वारा भी परिभाषित किया जाएगा जिसमें तट से दूरी निर्दिष्ट की जाएगी, दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यालय/तट रक्षक/भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा।

6. अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों के संबंध में तट से 50 नाटीकल मील की दूरी पैरा-4 के प्रावधानों के साथ केवल 20 मीटर लम्बाई से कम वाले भारतीय यानों के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो, द्वीपसमूहों के बीच जल को केवल भारतीय यानों के लिए आरक्षित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, चाहे कुछ भाग 50 नाटीकल मील से अधिक क्यों न हो जाए, सीमा को परिभाषित किया जाएगा।

7. 20 मीटर लम्बाई से ऊपर के जलयानों के लिए खुल क्षेत्र में टूना तथा टूना जैसी मछलियां, स्क्विड तथा कटल फिश, मध्य-जल अथवा वेलापवर्ती क्षेत्र में गहरे समुद्र की फिन मछलियां तथा महासागरीय टूना का टूना लांग लाइनिंग, टूना पर्स सीनिंग, स्क्विड जिगिंग तथा मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा दोहन के लिए संसाधन विशिष्ट जलयानों को इस शर्त पर अनुमति दी जाए कि ये वस्तुत: भारतीय पंजीकृत जलयान हैं। भारतीय स्वामियों की कम से कम 51 प्रतिशत ऋण के साथ-साथ इक्वटी होनी चाहिए।

8. विभिन्न मत्स्यन ग्राउंड के लिए बेड़े के आकार को अधिकतम सतत उत्पादन तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए।

9. हमारे जल क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण, मछुआरों की सुरक्षा तथा समुद्र, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विवाद को कम करने के उद्देश्य से संसद को मत्स्यन समुदाय से विचार-विमर्श करके विनियम बनाना चाहिए।

10. पारंपरिक, छोटे मशीनीकृत, बड़े गहरे समुद्र में जाने वाले जलयानों में विवाद को रोकने के लिए तट रक्षक द्वारा कड़ी निगरानी की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी जलयानों द्वारा अनधिकृत मछली पकड़ने को रोकने तथा स्वदेशी जलयानों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र की निगरानी को रोकने के लिए तट रक्षक को अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली, निगरानी तथा हथियार एवं उचित कार्यप्रणाली के साथ सुदृढ़ीकरण, विस्तार, तकनीकी रूप से उन्नयन किया जाए।

11. यंत्रीकृत नावों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय बेड़ों के लिए परंपरागत मछुआरों द्वारा प्रयोग किए गए प्रौद्योगिकीय दक्षता और उपकरण के संवर्धन के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने के साथ-साथ धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि प्रत्येक कानून और प्रणाली द्वारा आरक्षित

क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक मछली पकड़ सकें। नौचालन और मछली पकड़ने के उपकरण दोनों के लिए ही इस उद्देश्य से ड्यूटी रियायतें और रियायती धनराशि उपलब्ध कराई जाए कि परंपरागत क्षेत्र को प्राथमिकता देने के साथ तीन श्रेणियों का स्टेट आफ दी आर्ट के स्तर से प्रतिस्पर्धात्मक उन्नयन हो सके।

12. परंपरगत और छोटे यंत्रीकृत क्षेत्रों को ईंधन की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति तथा हाई स्पीड डीजल और केरोसीन प्रदान करके तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुए राजसहायता प्रदान करके सहायता दी जाए।

13. सभी प्रकार की समुद्री मात्स्यिकी एक ही मंत्रालय के अधीन होनी चाहिए। सरकार को इस तरह का भारतीय मात्स्यिकी प्राधिकरण को स्थापित करने का विचार करना चाहिए जो इस तरह काम करे जैसा दूसरे देशों में गठित इस प्रकार के प्राधिकरण करते हैं और नीतियों के तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार हो सकें।

14. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का भी आधुनिक तकनालौजी और उपकरण के प्रयोग से तकनीकी रूप से संवर्धन करना चाहिए ताकि यह सभी प्रकार की मछली की स्थिति, विभिन्न प्रौद्योगिकियों और पारिस्थितिकीजन्य परिवर्तनों के अध्ययन प्रभाव का पता लगा सके और व्यवस्था कर सके। इस उद्देश्य के लिए भारतीय दूर संवदेन एजेंसियों और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के बीच परस्पर समन्वय और सहयोग होना चाहिए।

15. बाई-कैच फेंकने के कारण मात्स्यिकी संसाधनों की होने वाली बरबादी को रोकने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के सृजन को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे मछुआरों तथा उनकी सहकारिताओं के उत्पादों के मूल्य परिवर्धन के लिए मत्स्य योजना एवं आहार निर्माण इकाइयों, मत्स्य प्रसंस्करण सुविधाओं, बर्फ की फैक्टरियों, शीत गृहों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

16. पूर्व एवं पश्चिम तटों के साथ-साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप के द्वीपसमूहों में मौजूदा तथा आधुनिक उन्नत यानों के लिए मत्स्यन बंदरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सृजित किया जाना चाहिए।

17. विपणन तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए बड़े यानों के उन्नयन तथा अधिग्रहण के लिए मछुआरों/मछुआरिनों तथा उनकी सहकारिताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

18. सरकार को मछली के रख-रखाव तथा प्रसंस्करण पहलुओं के अतिरिक्त नए उपकरणों, बड़े यानों को चलाने तथा नयी मत्स्यन तकनीकी में मछुआरों/मछुआरिनों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

19. उद्योगों द्वारा निकलने वाले गंदगी/बहि:स्रावों/गंदे पानी के खतरे से निपटने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

20. सरकार को छ: महीने के भीतर समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेना चाहिए।

21. गहरे समुद्र में मत्स्य नीति की प्रत्येक 3-5 वर्ष पर समयबद्ध रूप से पुनरीक्षा होनी चाहिए।

विवरण-II

मुरारी समिति (1996) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

1. मुरारी समिति को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति, 1991 की समीक्षा करने के लिए फरवरी, 1995 में नियुक्त किया गया था क्योंकि पारंपरिक मछुआरों द्वारा नीति के खिलाफ बहुत सी आपत्तियां उठाई गई थीं। समिति ने 21 सिफारिशें की थी जिन्हें सरकार ने सिफारिश संख्या 1 को छोड़कर आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया था। सिफारिश संख्या 1 के संबंध में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का वह निर्णय था कि मौजूदा वैध परमिटों/अनुमतियों की विधि मंत्रालय के परामर्श से पृथक-पृथक मामलों में निर्णित अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा आदेशों और अथवा/प्रदत्त अनुमोदनों में निर्धारित शर्तों के किसी उल्लंघन के लिए तथा इस प्रकार के अनुमोदनों को रद्द करने अथवा अन्यथा के लिए की गई कार्रवाई पर समुद्री क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान के प्रकाश में पृथक-पृथक जांच की जाए। इस निर्णय को तदनुसार लागू किया गया था।

2. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति, 1991 को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। संयुक्त उद्यम, पट्टे, टैस्ट फिशिंग तथा चार्टर के तहत नवम्बर, 1996 से कोई भी नया परमिट/विस्तार अथवा परमिटों/अनुमतियों का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

3. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफ एस आई), मुम्बई को संयुक्त उद्यम पट्टे तथा चार्टरिंग के तहत सभी वैध परमिटों/अनुमतियों जिन्हें सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को अभिरक्षक के रूप में नामजद किया गया है। भारतीय मात्स्यिक सर्वेक्षण को इस उद्देश्य के लिए परमिटों/अनुमतियों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई थी।

4. इससे संबंधित समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियमों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

5, 6 एवं 7. इन सिफारिशों में उठाए गए मुद्दे, मत्स्यन जलयानों के विभिन्न वर्गीकरणों से संबंधित मछली पकड़ने के क्रियाकलापों की सीमा निर्धारित करने के संबंध में है। दिसम्बर, 1999 में इस मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है जो एक बृहत समुद्री मत्स्यन नीति का मसौदा तैयार करने के लिए इन सिफारिशों की जांच करेगा। यह दल व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति के मसौदे को अंतिम रूप दे रहा है।

8. सितम्बर, 1996 में कृषि मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया था ताकि 20 मीटर लम्बाई से कम वाले विभिन्न श्रेणियों के मत्स्यन जलयानों की क्षेत्रवार आवश्यकताओं का जायजा लिया जा सके तथा मात्स्यिकी संसाधनों आदि का संरक्षण किया जा सके। समिति ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है।

9. ई ई जैड में भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन के लिए कानून बनाने के उद्देश्य से कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा मंत्रिमंडल टिप्पणी का एक मसौदा तैयार कर लिया है।

10. भारतीय ई ई जैड में मत्स्यन जलयानों के संचालन की निगरानी करने के लिए संचार उपकरणों की अधिप्राप्ति के उद्देश्य से तटरक्षकों को सहायता दी जा रही है। अभी तक इस प्रयोजन के लिए तटरक्षकों को 4.87 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा, समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करने के लिए मंत्रालय एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है जिससे गश्ती नौकाओं आदि की खरीद के माध्यम से उनके समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

11 एवं 12. कृषि मंत्रालय ईंधन की लागत तथा 20 मीटर लम्बाई से कम वाले यांत्रिकृत नौकाओं के एच एस डी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए राजसहायता प्रदान करके परंपरागत जलयानों के मोटरीकरण के लिए योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है।

13. गहरे समद्र में मछली पकड़ने तथा प्रसंस्करण सहित समुद्री मात्स्यिकी के मामले को कृषि मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।

14. एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को सहायता दी जा रही है तथा नए सर्वेक्षण जलयानों की खरीद के लिए ई एफ सी ज्ञापन तैयार किया गया है। एन आर एस ए तथा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के साथ पर्याप्त सम्पर्क भी स्थापित किए गए हैं।

15. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, मत्स्यन प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास के अलावा मछली के प्रशीतन भंडारों तथा प्रसंस्करण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

16. कृषि मंत्रालय मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। योजना के अंतर्गत छः बड़े मत्स्यन बंदरगाहों, 46 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 171 मछली उतारने वाले केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 6 बड़े मत्स्यन बंदरगाहों, 32 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 130 मछली उतारने वाले केन्द्रों का निर्माण पूरा हो चुका है।

17. राज्य सरकारें एन सी डी सी, फिशकॉपफेड आदि की सहायता से विभिन्न योजनाएं चला रही हैं।

18. कृषि मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि मछुआरों और मछुआरिनों की दक्षता को और अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने प्रसंस्करण आदि में मछुआरा समुदाय को प्रशिक्षित करने तथा परंपरागत मत्स्यन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करने और विपणन के लिए भी योजना शुरू की है।

19. यह सिफारिश सामान्य स्वरूप की है जिसमें समुद्री जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव के रोकने के लिए कहा गया है। यह विषय पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित है।

20 एवं 21. जैसा कि स्पष्ट है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई मुरारी समिति की सिफारिशों को लागू और क्रियान्वित किया जा रहा है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति के संबंध में मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है जिसे समुद्री मात्स्यिकी के लिए एक बृहत नीति तैयार करने के कार्य का दायित्व सौंपा गया है। यह दल व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति के मसौदे को अंतिम रूप दे रहा है।

[हिन्दी]

सुनिश्चित पदोन्नति योजना

3707. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पदोन्नति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक उक्त योजना से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों में से कितने सहायक लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या कुल स्वीकृत पदों में से पदोन्नत सहायकों का कुछ प्रतिशत 12-18 वर्ष की सेवा करने के बावजूद सुनिश्चित पदोन्नति योजना के लाभों से वंचित रह जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रगति-अवरुद्धता से उन्हें बचाने के लिए इन सहायकों को अनुभाग अधिकारी जैसे पदों पर पदोन्नत करने का है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। भावी प्रभाव से, दिनांक 09.08.1999 से लागू सुनिश्चित करिअर प्रोन्नयन की योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दो वित्तीय उन्नयन दिए जाते हैं, निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, उन्हें पहला उन्नयन, 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर दिया जाता है और दूसरा उन्नयन पहला उन्नयन दिए जाने की तारीख से, 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने के बाद दिया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड, 33 संवर्गों में विभाजित एक विकेन्द्रीकृत ग्रेड है। विभिन्न संवर्गों में दिए गए वित्तीय उन्नयन से संबंधित आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते/सुलभ नहीं हैं।

(घ) पदोन्नत सहायक, सामान्यत: अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में सेवा करना आरंभ करते हैं। ऐसे सहायकों ने इस प्रकार, अपने सेवाकाल में अवर श्रेणी लिपिक के पद से उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर और उच्च श्रेणी लिपिक के पद से सहायक के पद पर, पहले ही दो पदोन्नतियां अर्जित कर ली हैं, अत: वे सुनिश्चित करिअर प्रोन्नयन की योजना के अंतर्गत कोई और लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उपर्युक्त योजना में किसी कर्मचारी को उसके सेवाकाल के दौरान, क्रमश: 12 और 24 वर्ष की सेवा के पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन दिए जाने का प्रावधान है।

(ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

चीन के विरुद्ध प्रतिबंध हटाया जाना

3708. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान और पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के कारण चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान और ईरान को लंबी दूरी की मिसाइल प्रौद्योगिकी सहित मिसाइल प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और विकसित करने पर यदि कोई प्रतिबंध है, तो वे क्या हैं; और

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप भारत के लिए कोई खतरा उत्पन्न हुआ है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां।

(ख) 21 नवम्बर को चीन की इस घोषणा के बाद वह ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में किसी भी देश की सहायता नहीं करेगा जिनका प्रयोग नाभिकीय हथियारों को ले जाने के लिए किया जा सकता हो और इस दिशा में अपना निर्यात नियन्त्रण मजबूत करेगा, अमरीका ने घोषणा की कि उसने ईरान और पाकिस्तान में मिसाइल कार्यक्रमों में विगत में दी गई सहायता के लिए चीन की कम्पनियों पर पूर्व में लगाए गए प्रतिबन्ध हटा लेने और साथ ही चीन के प्लेटफार्म पर असैनिक उपग्रह छोड़ने में चीन के साथ सहयोग पुन: शुरू करने का निर्णय लिया है।

(ग) भारत ने विगत में अनेक बार मिसाइल प्रसार और उसके उस दुष्प्रभाव पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है जो हमारे क्षेत्र के सुरक्षा वातावरण पर पड़ा है। दुर्भाग्य से ऐसा मिसाइल प्रसार हाल के वर्षों में आश्वासनों के बावजूद जारी रहा है। सरकार ने 22 नवम्बर, 2000 को जारी एक वक्तव्य में यह आशा जाहिर की है कि चीन द्वारा अपनी 21 नवम्बर की घोषणा के अनुसार अभिप्रेत उपायों का क्रियान्वयन करने से प्रसार की यह प्रक्रिया थम जाएगी।

कर्नाटक में दंत चिकित्सा महाविद्यालय

3709. **श्री कोलुर बसवनागौड** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा कर्नाटक में अब तक कितने दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता दी गई है;

(ख) कर्नाटक में किन दंत चिकित्सा महाविद्यालयों ने मान्यता के लिये आवदेन किया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन गैर मान्यता वाले दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से पास होने वाले छात्र एम०डी०एस० पाठयक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन गैर मान्यता वाले दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता देने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) 27।

(ख) दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क के अधीन अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 12 दंत चिकित्सा कालेजों की बी०डी०एस० डिग्री को मान्यता प्रदान करने हेतु चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 10(2) के अंतर्गत भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की सिफारिशें प्राप्त नहीं की गई हैं :-

1. आक्सफोर्ड डेंटल कालेज, बंगलौर
2. फारूकिया डेंटल कालेज, मैसूर
3. के एल ई सोसाइटीज डेंटल कालेज, बंगलौर
4. शरावती डेंटल कालेज, शिमोगा
5. मराठा मंडल डेंटल कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र, बेलगांव
6. कृष्णदेवराय डेंटल कालेज एवं अस्पताल, बंगलौर
7. आर.बी. डेंटल कालेज, बंगलौर
8. राजा राजेश्वरी डेंटल कालेज, बंगलौर
9. मारूति डेंटल साइंस एवं अनुसंधान कालेज, बंगलौर
10. एन एस वी के श्री वेंकटेश्वर डेंटल कालेज एवं अस्पताल, बंगलौर
11. श्री सिद्धार्थ डेंटल कालेज, टुमकूर
12. कुर्ग डेंटल साइंस संस्थान, कुर्ग

राजीव गांधी डेंटल साइंस कालेज, बंगलौर जिसे दंत चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारंभ होने के पूर्व शुरू किया गया था, के संबंध में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की सिफारिशों की भी प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) जी, हां। एम०डी०एस० पाठ्यक्रम विनियम, 1983 के अनुसार, एम०डी०एस० पाठ्यक्रम (मास्टर आफ डेंटल सर्जरी) में दाखिला के लिए उम्मीदवार के पास भारतीय विश्वविद्यालय की बी०डी०एस० डिग्री (बैचलर आफ डेंटल सर्जरी) या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष अर्हता अवश्य होनी चाहिए।

(ङ) संबंधित दंत चिकित्सा कालेजों की बी०डी०एस० डिग्री को मान्यता देने की प्रक्रिया डिग्री पाठ्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् तथा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की सिफारिश पर ही शुरू की जा सकती है।

बाढ़ और सूखे के कारण फसलों को नुकसान

3710. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ और सूखे के कारण बहुत बड़े क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचा है जिससे चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार फसलों को कितना नुकसान होने का अनुमान है;

(ग) इन राज्यों में खाद्यान्नों का औसतन उत्पादन कितना है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान कितने मूल्य की फसलों को नुकसान होने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा सूचित, वर्ष 2000-2001 के दौरान वर्षा/बाढ़ तथा सूखे के कारण क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान खरीफ अनाज के उत्पादन एवं खरीफ 2000-2001 के दौरान अनाज उत्पादन के अग्रिम अनुमानों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2000-01 के दौरान वर्षा/बाढ़ तथा सूखे से क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र

(लाख हेक्टेयर)

क्र० सं०	राज्य	आपदा	क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	वर्षा/बाढ़	4.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	अचानक बाढ़	0.04
3.	असम	वर्षा/बाढ़	2.24
4.	बिहार	वर्षा/बाढ़	4.43
5.	छत्तीसगढ़	सूखा	11.36
6.	गुजरात	सुखा	13.50
7.	हिमाचल प्रदेश	सूखा	0.88
	हिमाचल प्रदेश	अचानक बाढ़	0.41
8.	कर्नाटक	वर्षा/बाढ़	0.57

1	2	3	4
9.	मध्य प्रदेश	सूखा	33.48
	मध्य प्रदेश	वर्षा/बाढ़	नगण्य
10.	उड़ीसा	सूखा	11.00
11.	पंजाब	वर्षा/बाढ़	0.25
12.	राजस्थान	सूखा	89.47
13.	उत्तर प्रदेश	वर्षा/बाढ़	4.35
14.	पश्चिम बंगाल	वर्षा/बाढ़	19.20

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के दौरान खरीफ अनाज तथा खरीफ 2000-2001 के दौरान अनाज उत्पादन के राज्यवार अग्रिम अनुमान

(000 मीटरी टन)

क्र० सं०	राज्य	1999-2000 के दौरान खरीफ अनाज उत्पादन	खरीफ 2000-01 के दौरान उत्पादन के अग्रिम अनुमान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9011.40	9360.00
2.	असम	3231.60	3244.00
3.	बिहार	8349.10	7597.00
4.	गुजरात	2929.10	2326.00
5.	हरियाणा	3261.50	3410.00
6.	हिमाचल प्रदेश	826.20	995.00
7.	जम्मू व कश्मीर	882.10	516.00
8.	कर्नाटक	6946.00	7442.00
9.	केरल	640.20	822.00
10.	मध्य प्रदेश	9241.60	7360.00
11.	महाराष्ट्र	8244.40	7618.00
12.	उड़ीसा	4593.30	5124.00
13.	पंजाब	9168.90	9123.00
14.	राजस्थान	2832.10	3063.00
15.	तमिलनाडु	6746.90	8255.00
16.	उत्तर प्रदेश	16639.30	16200.00
17.	पश्चिम बंगाल	9415.60	8466.00
18.	अन्य	1895.60	1761.00
	जोड़:	104854.90	102682.00

निर्धारित अवधि से अधिक रहना

3711. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों मे निर्धारित अवधि से अधिक रहने पर कितने भारतीयों को दंडित किया गया; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिक दिन ठहरने और अवैध आप्रवासन के कारण विभिन्न देशों में दंडित किये गये भारतीयों की संख्या 52356 है।

सरदार पटेल बालरोग संस्थान, कटक को अनुदान

3712. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को जापान सरकार के पास भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हेतु सांझा परीक्षण और विकास केन्द्र

3713. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हेतु सांझा परीक्षण और विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय को इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए एक सामान्य परीक्षण तथा विकास केन्द्र की स्थापना के लिए केरल सरकार से कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (दक्षिण) के रूप में एक सुविधा एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रही है। यह प्रयोगशाला केरल में तथा इसके आसपास के इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए परीक्षण तथा अंशांकन सेवाएं स्वतंत्र रूप से प्रदान कर रही है।

दूध का आयात

3714. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री महबूब जहेदी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश होने के बावजूद सरकार दुग्ध पाउडर का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दुग्ध पाउडर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु और दूध उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार किसी प्रकार के दुग्ध चूर्ण का आयात नहीं कर रही है। स्किम्ड दुग्ध चूर्ण का आयात बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से आयात योग्य मदों की सूची में है।

(ग) निजी क्षेत्र में दुग्ध चूर्ण निर्माण क्षमता के अतिरिक्त डेयरी सहकारिताओं ने 1075 मीट्रिक टन प्रतिदिन की दुग्ध चूर्ण उत्पादन की क्षमता स्थापित कर ली है।

भारतीय डेयरी किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए 15 प्रतिशत शुल्क के साथ 10,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के टेरिफ रेट कोटा से स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा पूर्ण दुग्ध चूर्ण पर आयात शुल्क 0 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन

3715. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अधिनियम में कौन से मुख्य संशोधन किये जाने हैं; और

(घ) इसे कब तक संसद में लाये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन हेतु एक विधेयक 26.8.1987 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया जिसने 28 जुलाई, 1989 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अभी सरकार ने राज्य सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं किया है क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा संस्तुत प्रारूप संशोधन विधेयक में व्यापक संशोधनों पर विभिन्न नए विकासों, जो आयुर्विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं तथा इसी बीच संबंधित मामलों पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, चिकित्सीय संस्थाओं तथा सभी संबद्ध विभागों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। तथापि, एक अनिवार्य आवश्यकता के कारण सरकार ने विदेशी चिकित्सीय अर्हता धारण करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए उन्हें भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के साथ उनका पंजीकरण करने के लिए स्क्रीनिंग जांच का प्रावधान करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक 12 मार्च, 2001 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया है।

[हिन्दी]

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत योजना

3716. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किस ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा किन-किन योजनाओं को स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग का विचार राजस्थान में अकाल प्रभावित क्षेत्रों को विशेष महत्व देने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) ग्यारहवें वित्त आयोग ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पांच

वर्ष की अवधि (2000-05) के लिए राजस्थान राज्य को 23588.63 करोड़ रुपये की निधियों के कुल अन्तरण की सिफारिश की है।

(करोड़ रुपये)

1. केन्द्रीय कर और शुल्क में अनुमानित हिस्सा	20595.88
2. गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान	1244.68
3. उन्नयन और विशेष समस्या अनुदान	299.85
4. स्थानीय निकाय अनुदान	530.37
5. राहत व्यय	857.85
कुल	23588.63

उपर्युक्त मद 3 पर दिए गए 299.85 करोड़ रुपये में से उन्नयन अनुदान 239.85 करोड़ रुपये और विशेष समस्या अनुदान 60 करोड़ रुपये है।

उन्नयन अनुदान निम्नलिखित से संबंधित है :-

(करोड़ रुपये)

1. पुलिस प्रशासन	42
2. बन्दी गृह प्रशासन	6
3. अग्नि सेवाएं	22
4. न्याय प्रशासन	24.07
5. राजकोषीय प्रशासन	9
6. स्वास्थ्य सेवाएं	24
7. प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I—VIII)	28
8. स्कूली बच्चों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा	13.76
9. सार्वजनिक पुस्तकालय	7.40
10. विरासत संरक्षण	10
11. पारंपरिक जल-स्रोतों का वर्धन	53.62

60 करोड़ रुपये की विशेष समस्या अनुदान में से, 40 करोड़ रुपये जल निकासी, सफाई व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी, जल आपूर्ति और विभिन्न कस्बों में सामुदायिक केन्द्रों से संबंधित है और 20 करोड़ रुपये महिलाओं के कल्याण से संबंधित विभिन्न स्कीमों से संबंधित है जैसाकि :-

(करोड़ रुपये)

1. 13 महिला छात्रावासों का निर्माण	4.16
2. महिला सदनों की आधारिक संरचना का उन्नयन	0.75
3. 5 प्रभाग मुख्यालयों पर नारी निकेतनों का निर्माण	11.14
4. दुखित महिलाओं के लिए 10 अल्पावधिक आवास (शार्ट स्टे होम)	2.60
5. 5 प्रभागीय मुख्यालयों पर अपराधलिप्त किशोरियों के लिए उद्धार गृह	1.35

(ख) और (ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अकाल प्रभावित क्षेत्रों को विशेष महत्व देना मुख्य रूप से राज्य सरकार का विषय है।

[अनुवाद]

नारियल की खेती

3717. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तटीय राज्यों के नारियल पैदावार वाले क्षेत्रों के संवर्धन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस संबंध में राज्यवार क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में नारियल उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान, तटवर्ती राज्यों सहित नारियल उत्पादन की सम्भावना वाले राज्यों में क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा 6000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी गई। यह सहायता वर्ष 2000-01 के दौरान बढ़कार 8000/- रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई। इसके अलावा, गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन तथा वितरण संबंधी कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) नारियल के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा तथा नारियल की खेती वाले अन्य राज्यों को जारी धनराशि का ब्यौरा निम्नवत है :-

(लाख रुपये)

वर्ष	उड़ीसा	अन्य राज्य
1997-1998	14.73	2770.32
1998-1999	23.32	1693.68
1999-2000	230.19	1469.55
2000-2001	47.10	5524.08

मलेरिया का पुनः फैलना

3718. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिपोर्टों के अनुसार मलेरिया भयावह रूप से पुनः फैल रहा है;

(ख) इस रोग के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या राज्यों को इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि वितरित की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, नहीं। अप्रैल 1977 से मलेरिया के नियंत्रण के लिए संशोधित कार्ययोजना शुरू किए जाने से मलेरिया की घटना प्रति वर्ष 2-3 मिलियन रोगियों के बीच नियंत्रित रही है।

(ख) मलेरिया के निवारण और नियंत्रण के लिए किए गए उपाए नीचे दिए गए हैं :-

1. निगरानी को तेज करके रोगियों की शीघ्र पहचान और तुरन्त उपचार को अधिक तीव्र किया गया है।

2. उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सामुदायिक स्वयंसेवकों को औषध वितरण केन्द्र और मलेरिया लिंक स्वयंसेवकों के रूप में शामिल करके रोगियों की पहचान और उपचार के लिए सुविधाओं को ग्राम स्तर तक बढ़ाया गया है।

3. मार्ग-दर्शन के लिए मलेरिया रोगी पहचान हेतु द्रुत नैदानिक किटों को आरंभ किया गया है।

4. गंभीर और जटिल मलेरिया के उपचार के लिए रैफरल केन्द्र की पहचान।

5. क्लोरोक्वीन प्रतिरोधी क्षेत्र में वैकल्पिक एंटी मलेरियलों की व्यवस्था करना।

6. उपयुक्त कीटनाशकों और वैकल्पिक तथा एकीकृत वैक्टर नियंत्रण विधियों से चुनिंदा छिड़काव के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करके वैक्टर नियंत्रण उपायों को तेज करना।

7. कार्यक्रम में सिंथेटिक पाइरेथ्रायड्स जैसे नवीनतर और अधिक प्रभावी वैकल्पिक कीटनाशकों को शुरू किया गया है।

8. सूचना, शिक्षा और संचार को तेज किया गया है और चेन्नई, कोलकाता आदि जैसे महानगरों को सूचना, शिक्षा और संचार के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के माध्यम से अतिरिक्त निधियां दी गई हैं।

9. संबंधित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अधीन सितम्बर, 1997 से मलेरिया-रोधी कार्यकलापों को तेज करने हेतु अतिरिक्त निवेश के लिए आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान के हार्डकोर मलेरिया और जनजातीय प्रधानता वाले 100 जिले और इन राज्यों के 19 मलेरिया की समस्या वाले शहरों और कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है।

10. संबंधित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन देश में क्षमता निर्माण और प्रबंध सूचना प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

11. महामारी की तैयार और तीव्र प्रतिक्रिया की क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सहायता का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम के तहत वर्ष (1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान की गयी केन्द्रीय सहायता का संघ राज्य क्षेत्र/राज्य-वार वितरण दर्शानेवाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	617	482.93	322.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	297.5	186.61	303.27
3.	असम	2618	2170.42	2267.01
4.	बिहार	348.98	403.05	481.35
5.	गोवा	5.18	7.72	10.93
6.	गुजरात	726.77	611.11	489.04

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	291.08	260.39	259.03
8.	हिमाचल प्रदेश	90.84	51.47	46.11
9.	जम्मू व कश्मीर	78.62	72.57	52.73
10.	कर्नाटक	568.62	264.47	662.66
11.	केरल	63.60	102.73	117.72
12.	मध्य प्रदेश	1072.77	454.49	893.40
13.	महाराष्ट्र	1028.44	260.26	282.97
14.	मणिपुर	273.91	377.34	403.05
15.	मेघालय	196.96	231.55	306.70
16.	मिजोरम	132.00	172.53	309.56
17.	नागालैंड	212.62	183.34	240.83
18.	उड़ीसा	233.43	385.14	329.67
19.	पंजाब	183.26	290.67	288.96
20.	राजस्थान	1799.74	1994.15	1146.16
21.	सिक्किम	1.77	8.47	11.65
22.	तमिलनाडु	204.88	240.72	392.31
23.	त्रिपुरा	414.05	356.97	375.89
24.	उत्तर प्रदेश	505.73	1121.92	622.18
25.	पश्चिम बंगाल	125.71	330.90	296.36
संघ राज्य क्षेत्र				
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	93.83	155.68	116.46
27.	चण्डीगढ़	48.53	44.30	47.25
28.	दादरा व नगर हवेली	24.75	24.90	25.94
29.	दमन और दीव	12.37	10.08	16.42
30.	दिल्ली	66.04	37.21	75.40
31.	लक्षद्वीप	3.48	5.24	5.81
32.	पांडिचेरी	12.48	6.15	10.32
	कुल	12354.94	11305.5	11210.00

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन

3719. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में खाद्यान्न, दाल, फल, फूल, सब्जी, तिलहन जैसे कृषि उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश में प्रवेश पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने महाराष्ट्र समेत देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजना स्कीमों के तहत, जोकि परियोजना उन्मुखी हैं न कि राज्य विशेष, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण समेत इस क्षेत्र के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनी उद्योगों, मानव संसाधन विकास एवं अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। तथापि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग स्वयं कोई यूनिट स्थापित नहीं करता। 2001-2002 के बजट में प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों के मामले में उत्पाद शुल्क, जो इस समय 16 प्रतिशत है, को घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक सम्पदाओं को कर अवकाश देने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति में इस क्षेत्र के विकास तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थापना आदि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(i) अचार और चटनी

(ii) डबलरोटी

(iii) सिरका

(iv) चॉकलेट, च्यूंगम को छोड़कर अन्य मिष्ठान

सरकारी नीति के अनुसार लघु उद्योग और गैर लघु उद्योग अलग-अलग हैं।

बागवानी, मत्स्य पालन के लिये योजना

3720. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी, मत्स्य पालन आदि के क्षेत्र में कौन सी योजनायें लागू की गयी हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिये अलग-अलग कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) क्या आई०सी०ए०आर० या किसी अन्य शोध संस्थान ने इस उद्देश्य के लिये कोई नयी तकनीक तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी और मत्स्य पालन के विकास हेतु क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) बागवानी एवं मात्स्यिकी विकास के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को जारी धनराशि सहित कार्यान्वित स्कीमों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कोई विशेष नई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की गई है हालांकि इन क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे उच्च घनत्व रोपण, टपका सिंचाई, संकर बीजों, संरक्षित खेती, वृहत् संचरण आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

(ङ) "कृषि के वृहत प्रबंध संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य के प्रयासों में मदद/सहायता" के माध्यम से कार्ययोजना संबंधी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय रूप से भिन्नता के आधार पर किया जाता है। आंध्र प्रदेश में मात्स्यिकी विकास हेतु विवरण-II में उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

विवरण-I

बागवानी विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि एवं कार्यान्वित स्कीमें

(लाख रुपये)

स्कीम का नाम	जारी धनराशि		
	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
निम्नलिखित का समेकित विकास			
कोको	0.00	0.00	2.00
पुष्पकृषि	10.00	47.40	18.20
चिकित्सीय एवं सुगंधित पौधे	0.30	7.50	4.75
खुम्बी	0.00	0.00	5.00
काजू	70.00	83.61	133.29
फल	41.00	80.00	112.98
मूल एवं कन्द फसलें	1.50	1.41	0.50
मसाले	105.00	1120.00	0.00
सब्जियां	10.69	0.00	6.00
प्लास्टिक	1070.00	1410.75	1277.50
पान की बेल	0.00	0.00	0.00

विवरण-II

पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित मात्स्यिकी विकास स्कीमें

(लाख रुपये)

स्कीम का नाम	जारी धनराशि		
	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास	95.00	15.00	25.00
बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मात्स्यिकी बंदरगाह सुविधाएं	28.77	—	—
ताजे पानी में मछलीपालन का विकास	25.00	—	—
प्रशिक्षण तथा विस्तार	—	—	2.57
राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण	102.20	—	75.00
अंतर्देशीय मत्स्य विपणन के के लिए बुनियादी सुविधाएं	—	—	44.50
अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास	4.03	3.50	3.00

1	2	3	4
(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद			
1. मोल्ट के विनियमन में सिक्वेटर पेन्सिल मिथाइल फर्नेसोट के कार्य का विवेचन एवं चुन्दि क्रस्टेशियनों में प्रजनन, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति।			10.60
2. पौध एवं प्राणीजन्य पदार्थों के माध्यम से शिशु तथा अवयस्क कार्पों के लिए ऑन फॉर्म आहार को उन्नत बनाना।			

लघु उद्योगों को भुगतान में देरी

3721. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक क्षेत्र में विलंब से भुगतान संबंधी विवादों के निपटान के लिए राज्य स्तर पर उद्योग सेवा परिषदों समेत विशेष तंत्र उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में उद्योग सेवा परिषदें (आई एफ सी) पहले से ही विद्यमान हैं ताकि लघु उद्योगों को शीघ्र तथा सरल निवारण व वसूली प्रक्रिया में सुविधा हो सके। इन आई एफ सी का उद्देश्य क्रेता तथा लघु विक्रेता के बीच भुगतान में देरी के मामलों संबंधी विवादों का सौहार्दता से निपटान कराना है। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक उपाय जैसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 641 में संशोधन जिसमें कंपनियों को कहा गया कि वे अपने तुलन-पत्र में उन लघु उद्योग उपक्रमों के नाम बताएं जिनसे कंपनी को 1 लाख रुपये से अधिक का बकाया लेना है तथा इसमें 30 दिनों से अधिक का समय हो गया है तथा सिडबी के माध्यम से फैक्विंट्रग सेवा को प्रोत्साहन देना भी शामिल है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दंत चिकित्सा महाविद्यालय

3722. **श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस महाविद्यालय/अस्पताल के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दंत चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए एक केन्द्र स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दंत चिकित्सा तथा अनुसंधान के लिए प्रस्तावित केन्द्र के 10वीं योजना के दौरान कार्यात्मक होने की आशा है जो निधियों की उपलब्धता तथा व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के अध्ययीन है।

[अनुवाद]

एड्स निरोधी कार्य

3723. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सिफारिश की है कि एड्स निरोधी कार्य के लिए प्रत्येक राज्य में पृथक निकायों की स्थापना की जाए;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एन०ए० सी०ओ० को केन्द्रीकृत करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो एन०ए०सी०ओ० संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का प्रमुख ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एन०ए०सी०ओ० के लिए किसी वित्तपोषण का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एन०ए०सी०ओ० को पहले दिए गए ऐसे वित्त का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किसी भी वित्तपोषण का प्रस्ताव नहीं किया है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

3724. **श्री राम टहल चौधरी :**
डा० मन्दा जगन्नाथ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सुलभ इन्टरनेशल नामक गैर-सरकारी संस्था को देश में विभिन्न स्थानों पर विविध कार्य सौंपे गए हैं और इनके निष्पादन हेतु काफी अग्रिम राशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यों का ब्यौरा क्या है उक्त गैर-सरकारी संस्था को कितनी अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या उक्त गैर-सरकारी संगठन को इसकी अनियमितताओं के कारण विभिन्न राज्यों और अभिकरणों द्वारा काली सूची में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठन को विकासात्मक कार्य सौंपने का क्या औचित्य है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) दिशा-निर्देशों के पैरा 2.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी अभिकरण पंचायती राज संस्थाएं अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठित गैर-सरकारी हो सकते हैं जो जिलाध्यक्षों की राय में कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन में सक्षम हों। इसलिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य सुलभ इंटरनेशनल, जो एक गैर-सरकारी संगठन है, को दिए जा सकते हैं, यदि जिलाध्यक्ष इस संगठन को कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए सक्षम समझें।

(ग) और (घ) सुलभ इंटरनेशनल का नाम काली सूची में होने की कोई सूचना इस मंत्रालय के पास नहीं है।

विश्व व्यापार संगठन

3725. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अंतर्गत कर्नाटक के नारियल उत्पादकों पर नारियल की कीमतों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के कारण सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या नारियल तेल निकालने वाली इकाइयों ने बड़े पैमाने पर आयात के कारण नारियल लेने से मना कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या नारियल उत्पादकों को कीटों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था जिससे करीब 75 प्रतिशत नारियल उत्पादन क्षेत्र की पैदावार में भारी गिरावट आई;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य में नारियल उत्पादकों के सहायतार्थ केन्द्र ने कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) सस्ते खाद्य तेलों के आयात सहित विभिन्न कारणों से वर्ष 2000 के दौरान नारियल, खोपरे तथा नारियल तेल के दामों में गिरावट आई है। कर्नाटक में मुख्यत: बॉल खोपरे का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग खाने के लिए होता है न कि तेल निकालने के लिए। कर्नाटक में बॉल खोपरे के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) द्वारा दिसम्बर, 2000 में इसकी खरीद शुरू की गई। 15 मार्च, 2001 तक नैफेड ने उक्त राज्य में 4060 मीटरी टन बॉल खोपरे की खरीद कर ली थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार तेल निकालने के प्रयोजनार्थ मिलिंग खोपरे की आवक कर्नाटक की ए०पी०एम०सी० मण्डियों में नहीं होती। तथापि नैफेड द्वारा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोआ तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 2000-01 के दौरान 2.2 लाख टन मिलिंग खोपरे की खरीद की गई।

(ग) हाल ही के वर्षों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में नारियल रोपण नायिरल की कुटकी के कारण प्रभावित हुए हैं जबकि पत्ती खाने वाली सुण्डी की समस्या पिछले अनेक वर्षों से है।

(घ) और (ङ) पत्ती खाने वाली सुण्डी के जैविकीय नियंत्रण के लिए कर्नाटक में परजीवियों के बहुगणन एवं छोड़ने के लिए नारियल विकास बोर्ड की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से 4 जैविकीय नियंत्रण प्रयोगशाला यूनिटों की स्थापना की गई है। नौवीं योजना के दौरान इन प्रयोगशाला यूनिटों को चलाने के लिए कर्नाटक सरकार को 44.00 लाख रुपये की सहायता दी गई है। कर्नाटक में नारियल कुटकी नियंत्रण हेतु नारियल विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1998-99 से 2000-2001 की अवधि में 8.90 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

3726. श्री नरेश पुगलिया :
श्री आर०एस० पाटिल :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग 200 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के स्थानांतरण-अभिसरण और उन्हें समाप्त करने के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार

और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के स्थानांतरण संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति गठित की गई है। समिति के समक्ष विचारार्थ विषय हैं :-

1. केन्द्र द्वारा प्रतिधारण किए जाने वाले एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानांतरित किए जाने वाले उन सीएसएस की पहचान करना तथा सभी सीएसएस को तदनुसार वर्गीकृत करना।

2. उन सीएसएस के लिए जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानांतरण हेतु पहचान किया जाएगा, उन्हें निश्चित करने, निधिकरण पैटर्न, स्थानांतरण के लिए समय-सीमा तथा निगरानी तंत्र सहित स्थानांतरण की रीतियां सुझाना।

3. सीएसएस की भावी प्रचुरता से बचने के लिए नयी सीएसएस को प्रस्तावित करने के लिए मापदंड बनाना।

राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की अवधि 30 सितम्बर, 2001 तक है।

तटीय मत्स्यपालन का विकास

3727. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दमन व दीव में तटीय मत्स्यपालन के विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित और निर्गत धन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई तथा लागू की गई हैं:-

1. 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों को आपूर्तित एच एस डी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति;

2. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण;

3. वनकवाड़ा एवं घोगला में दो मछली उतारने के केन्द्रों का निर्माण; और

4. मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार।

(ख) उक्त (1), (2), (3) तथा (4) पर दर्शाई गई योजनाओं के तहत क्रमश: 25.00 लाख रुपए, 14.25 लाख रुपए, 50.00 लाख रुपए तथा 91250 रुपए की धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है।

बूचड़खाने

3728. श्री तिरुनावकरसू :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑफ पीपल फार द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्ज (पीइटीए) ने भारत में पशुओं को लाने-ले जाने और उनके वध के तौर तरीकों पर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सरकारें पशु वध और पशु व्यवहार के मामले में एक समान मानवोचित, स्वास्थ्य संबंधी और कानूनी मानदंडों को अपनाने में बुरी तरह असफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के बूचड़खाने की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑफ पीपल फार द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्ज ने भारतीय चमड़ा सामानों के विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया था तथा वह मीडिया और पत्र अभियान के जरिए यातायात तथा बूचड़खाने में पशुओं की निर्दयी स्थितियों पर प्रकाश डालती रही है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें वध तथा पशु रख-रखाव के लिए मानवीय, स्वास्थ्यकर तथा कानूनी मानदंडों के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के अनुदेशों का क्रियान्वयन कर रही है।

(ङ) पशुपालन और डेयरी विभाग बूचड़खाने के आधुनिकीकरण/सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है जिसमें लागत को केन्द्र तथा राज्यों के द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाता है।

आधारभूत सुविधाओं का अभाव

3729. डा० रमेश चंद तोमर :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 2001 के द

स्टेट्समैन में "बेसिक एमेनिटीज मिसिंग इन सफदरजंग हॉस्पिटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं/उपकरण उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां। दिनांक 4 फरवरी, 2001 के स्टेट्समैन में यथासूचित इस आशय का समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) से (घ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों में उपकरण, औषधों, कार्मिक शकित और अन्य आधारभूत ढांचे सहित न्यूनतम अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी सूचित किया है कि सदृश सुविधाएं इसके अस्पतालों में उपलब्ध हैं। सरकारी अस्पतालों में सेवाओं का उन्नयन एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर विदेशी ऋणों का प्रभाव

3730. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों से प्राप्त विदेशी ऋणों का हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र

3731. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र और फार्मर्स फील्ड स्कूल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं और इन केन्द्रों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) समेकित कीट प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकार द्वारा देश में 26 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अब तक 6506 फार्मर्स फील्ड स्कूल आयोजित किए जा चुके है। वर्ष 2000-2001 के दौरान 511 फार्मर्स फील्ड स्कूल आयोजित किए गए हैं। इनका राज्यवार एवं स्थानवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) समेकित कीट प्रबंध के क्षेत्र में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(i) भवन निर्माण एवं उपकरण खरीद के लिए 50.00 लाख रुपये प्रत्येक की लागत से 29 राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु राज्यों को 1304.77 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया गया है।

(ii) जैविकीय नियंत्रण के प्रोत्साहनार्थ जैविकीय नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर को भी 100.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया गया है।

(iii) क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से मानव संसाधन विकास का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1072 मास्टर ट्रेनरों, 27604 कृषि विस्तार अधिकारियों तथा 1,95,952 किसानों को समेकित कीट प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

(iv) समेकित कीट प्रबंध कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत, परिस्थितिक दृष्टि से उपयुक्त समेकित कीट प्रबंध आदानों जैसे बेसिलस ट्राइकोडर्मा तथा नीम आधारित जैव कृमिनाशियों को पंजीकृत किया गया है।

(v) समेकित कीट प्रबंध विधियों संबंधी 19 पैकेज तैयार करके इन्हें अपनाने के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में वितरित किया गया है।

(vi) किसानों के लाभार्थ कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा राज्य योजना स्कीमों की वित्तीय सहायता से समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोजित फार्मर्स फील्ड स्कूलों का राज्यवार तथा स्थानवार विवरण

क्र० सं०	राज्य	केन्द्रीय एकीकृत कीटनाशी प्रबंध केन्द्र	फसल	जिला/मण्डल	स्थान गांव (511)
1	2	3	4	5	6
क. खरीफ					
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	चावल	नलगोण्डा	नगरम, तुम्मलागुडम, एम.डी. गोडम, के.एस. पल्ली
			कपास	रंगारेड्डी	खुदावंदापुर, सैयदपल्ली, मल्लारेड्डीगुडा, मारियापुर
			मूंगफली	कुर्नूल	वेंगलमपल्ली, वेलीदुर्ती, गोनेगण्डला, हनुमानपुरम
		विजयवाड़ा	धान	कृष्णा	वेंकटपुरम, जयपुरम
			धान	गुण्टूर	लिंगमागुण्टला, नेदेन्दल, कंतरापडु, जयपुरम
			मूंगफली	गुण्टूर एवं कृष्णा	सलापड़, वडलामुडी, पल्लेरामडी, मिर्जापुरम
2.	असम	गुवाहाटी	चावल	कामरूप	टोपाटोली, आराबाड़ी, खेतड़ी, जोमापार
			चावल	दरांग	गैलाइडिंगी, 2नं. माजगांव, पटल सिंगपुरा, घाटुवापाड़ा
			चावल	ग्वालपाडा	अवोइमारी, गाठियापाडा, बारियागाडा, सरदारपाडा
3.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	चावल	अण्डमान	गुप्तापाडा, फरेरगंज, दुर्गापुर, परसाला
4.	बिहार	पटना	चावल	पटना	शाहजहांपुर, हसनपुर, मकसूदपुर, अख्तियारपुर, राघापुर, माधोपु, नझौली, नरौटी
			तदैव	तदैव	तडवाल माहुली, सुइथा, अब्दुल्लाबाद
			सब्जी	पटना	सारिकपुर, काजीचक, गोसाईनाथ, नवादा
5.	गोवा	मडगांव	चावल	द० गोवा	बेगोन, सोलेइन, गरमोना, नागोआ
6.	गुजरात	बड़ौदा	मूंगफल	जूनागढ़	कलवोनी, मातारूजा, जम्बूदा, दादेवा
			कपास	सुरेन्द्रनगर	कोलवा, चडवा, वर्धमान, बोराणा
			चावल	खेडा	दरडा, पिपलेटा किथलपरना, तरेज
7.	हरियाणा	फरीदाबाद	चावल	करनाल	गुढा, चौरा अरईपुर, बेगमपुर
			चावल	पानीपत	वेवाह निंबरी, छजपुर, खुर्द, सोनौली खुर्द
			चावल	सोनीपत	अजराणा, मनौली, खतकर, जाटीकलां
			कपास	रोहतक	किशनगढ़, बेनी भरन, मेहम, भारी चन्दरपुर
				फरीदाबाद	रेवाजपुर, दतिया, भोपानी, महावतपुर
8.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	चावल	मण्डी	भंगल, तलसई, धोनातू, छत्तर

1	2	3	4	5	6
			सब्जी	सोलन	गुआरा, सिकोडी, जदला, गमझम
			चावल	तदैव	बुन्द, भौगुडी, सतीवाला, भटोली
9.	जम्मू व कश्मीर		धान	जम्मू तथा कठुआ	सरदारवाला, गुवल, हरिपुर, दइचक, देवली, होर, सन्दवान मोनारंगोपाला
			सब्जी	जम्मू	नई बस्ती, जसवा, हीराचक, दइचक
		श्रीनगर	सब्जी	बडगाम	नरबल, रोशनाबाद, दोनीवाडा, गोपालपुरा
			चावल	बडगाम	चिकपुरा, देवंबाग, कऊआ, मजाया
10.	कर्नाटक	बंगलौर	चावल	मण्ड्या मड्डूर	गज्जलगेरा, सदालोलू, चमनाहल्ली, होसकेरे
			रेडग्राम	बंगलौर (ग्रामीण)	कटैया, सी.आर. अल्ली, मधुबाला, कलया
11.	केरल	एर्णाकुलम	चावल	एर्णाकुलम	कोट्टापड्डी, नेल्लीकुज्जी, कोटमंगलम, कीरमपारा
			सब्जी	एर्णाकुलम	किजकम्बलम, वेंगोला, रायमंगलम, असमानूर
12.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	कपास	बडवानी	दवाना, बावडिया, पीपरी, धनौरा
			कपास	धार	नर्मदानगर, सुसारी, भंवरिया, गणपुरी
				खरगोन	नन्दिया, बागपत, माचलपुर, पलसूद
13.	छत्तीसगढ़	रायपुर	चावल	रायपुर	बाडा, जरवाय, लालपुर, बोरियकला
			तदैव	तदैव	अमाडी, जोंदी, आलेखथा, नायकबंधा
			तदैव	तदैव	अमेरा, गिरा, ससहा, खरतोरा
			तदैव	तदैव	कोमा, चैत्र मूदतराई, श्यामनगर
14.	महाराष्ट्र	नागपुर	चावल	नागपुर	नवेगांव, शिरपुर, भंडारबोडी, चचेर, तुमण, धारी, दुमरीखेडा, तेलेंधेडी
			कपास	नागुपर	बेरूजवाडा, अजानी, वकोडी, कूची
15.	मिजोरम	आइजोल	सब्जी	आइजोल	बुंगदाई, सेरखान, नीसापुल, एन०हेल०मेन०
16.	नागालैण्ड	दीयापुर	चावल	दीयापुर	क्येटो 'ए', अमलूमा बी, लोथावी ए, शिकावी बी
			चावल	दीयापुर	क्येटो बी, अमलूमा ए, शिकावी ए, लोथावी बी
17.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	चावल	खुदा	इतिपुर, नेखोर, पम्पातो, तारदापड
			चावल	खुर्दा	बनियाटंगी, सेलियापेडा, बामाडिहा, चन्दियापल्ली
			कपास	बोलांगीर	देबरीपट्टी, देन्दलीमुण्डा, मालडुगरी, कपसीपल्ली
			कपास	गुण्टूर	चलकम्बा, पोडोसिंह, खुजेन्दी उक्कम्बा
18.	पंजाब	जालन्धर	चावल	नवाशहर	कलो, हयातपुर रूडकी, लालमाकोरा, कटोरियां
			चावल	होशियारपुर	बाघोवाला, आलमपुर

1	2	3	4	5	6
			चावल	जालन्धर	रंधावा मुसौदा, पचरंगा
			कपास	मुक्तसर	करमगढ़, कलियांवाली, बुल्लरवाली, भैकाकेडा
19.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	कपास	श्रीगंगानगर	15-जेड, 16-जेड, 17-जेड, 18-जेड
			तदैव	तदैव	मोहनपुरा, कोली, रोहिरांवाली, मदेरा
			सब्जी	तदैव	ठकरांवाली, पथरांवाला, साधुवाली 1-जेड
			चावल	हनुमानगढ़	बूडसिंगवाला, सतीपुरा, 18-एच एम एच मक्कसर
20.	सिक्किम	गंगटोक	सब्जी	पूर्व	चलमेशी, दलपचन्द, नामचेपुंज दिचलिंग
21.	तमिलनाडु	तिरूचि	मूंगफली	तिरूचि	अनइपट्टी, कमतचीपट्टी, मूवानूर, पेरमंगलम
22.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	धान	गोरखपुर	भरोहिया, पलाहिपर, मझगवां, बसियाखोर
			धान	तदैव	धोरिया कला, जोत्रिया, मुसतफाबाद, बराइपुर
			धान	तदैव	महुआ, मुन्देरी हुर्द, रछवापारा, मरापारा
			सब्जी	तदैव	जंगल चंकी, बंजापट्टी, अरजीचौरी, शत्रुघ्नपुर
		लखनऊ	चावल	लखनऊ	भीत मऊ, जैनाबाद, पपनमऊ, दिगोई
			धान	तदैव	अगसद, धोरगऊ, सन्दोली, कल्लू का पुरवा
			सब्जी	तदैव	निवाजपुर, गोयला, उत्तरधौना, रामपुर बेहरा
23.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	चावल	बर्दवान	चचाई, छोटा धामर, मीरापाडा, दोगाछिया
			चावल	हुगली	बटिका, जमना, सिमलागढ़, पटना
ख.	**रबी**				
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूंगफली	निजामाबाद	कुनेपल्ली, इब्राहीमपट्टी, आतमाकूद, थीमपुर
			सब्जी	खम्मम	तेहडपल्ली, के०के० गुण्डम, पी०के० गुण्डम, के०वी० गुण्डम
			चावल	करीमनगर निजामाबाद	अलगानूर, मुंजमपल्ली चिकैम्प, बोरीगाम
		विजयवाडा	मूंगफली		पथानन्दयापल्लम, कोठनन्दयापल्लम, हैदरपेटा, ई० पिन्ना सीतावाड़ी पेटा
			चावल		लंकोला, कोडोऊ, कोम्मूचिक्कला, विस्साकोडेरू, कोर्नाराडा
			सब्जियां		अनुमंचिपल्ली, रामचन्द्र रावपट, गुराजूपल्लम, कोरहा चन्द्रगुण्डम
2.	असम	गुवाहाटी	सब्जियां	कामरूप	करारा, मोकुची, बाडमराई, बनमोघा

1	2	3	4	5	6
			सब्जियां	कामरूप	सिंगीमारी, सेमारी, गंधमऊ बोंगसहर, बाहमुनपाड़ा, रामापाडा, यामूदेपुर, गोसाईगुडी
3.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्टब्लेयर		अण्डमान	मीठखारी, हम्प्रीगंज, नील द्वीप, हरलॉक
4.	बिहार	पटना	सरसों	पटना	मोहम्मदपुर, चम्पापुर, घोसवाडी, सलीमपुर
			दलहन	तदैव	गोसाईगांव, रामनगर, घोसवाडी, पैजाना
			सब्जियां	तदैव	पण्डारक, लेमुआवाबद, मोमरखाबाद, रेली
5.	गोवा	मडगांव		द० गोवा	नोगवेम, जेलडेरी
				उ० गोवा	नर्रा, पोइरा
6.	गुजरात	बड़ौदा	सब्जियां	आणन्द	नवली, अदास, देवल, हलधर
			आलू	खेड़ा	नवागांव, केवडिया, मोतीजेहार, भेंकुण्डा
			चना	अहमदाबाद	गुण्डी सर्गवाडा, गुंकी, भुमली
7.	हरियाणा	फरीदाबाद	सब्जियां	फरीदाबाद	डोडासिया, लालपुर, चन्दौली, साहुपुरा
			चना	गुड़गांव	खेडला, मरोना, अधेड, जोगीपुर
			सरसों	रेवाडी	खरखरा, तीतरपुर, डुगरवास, खालियावास
8.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	चना	सिरमौर	अम्बूहेडा, कटला, मैंथप्पल, मोगीनन्द
			सरसो	सोलन	खम्पूवाला, बालीफेड, राजपुरा, सीदनमाजरा
			सब्जियां	ऊना	सन्दी, फेकुबेला, रामपुर, कोबलाकलां
9.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	सब्जियां	जम्मू	कूकाचक, कल्याणपुर, खानपुर, नयोकोटजन, खानपुर, छोटा गुजरान, सोपोरी, देवरंजनपुर, करेलबीड्डो, सोरडी, सहारन, गंगूचक
10.	कर्नाटक	बंगलौर	सब्जियां	बंगलौर (ग्रामीण)	बेट्टसहल्ली, नोगारेनाहल्ली, अट्टीबेले, सिद्दनहल्ली
11.	केरल	एर्णाकुलम	सरसों	एर्णाकुलम	एडाथाला, कीजमाड, येजाकुलम, पुमिक्का
12.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	सब्जियां	इन्दौर	गूजरखेडा, कबीटकाछी, भानगढ़
13.	छत्तीसगढ़	रायपुर	तिलहन	तदैव	कुरूड, अधसेना, मोहाला, पीरडा
			चना	तदैव	मखाला, अकोलीकला, औरयी, दरचुआ
			अरहर	तदैव	मुर्रा, देवाडी, मुरेठी, जरोदा
14.	मिजोरम	आईजॉल	सब्जियां	आईजॉल	डर्टलांगन-I, डर्टलांगन-II, तनहिर्ल-I, तनहिर्ल-II
15.	महाराष्ट्र	नागपुर	सब्जियां	नागपुर	करमशन्द, निम्बा गोडेगांव तथा उमरी
			चना	नागपुर	रेवालाल, सावली, डोडमा
				वर्धा	नरसाला, पुनाई, बारवाडी, अलगांव तथा महाबला

1	2	3	4	5	6
16.	नागालैण्ड	दीयापुर	सब्जियां	दीयापुर	मोआमारने, सुदौर, इम्सुमेरन, सोहे, बुख्वी
17.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	तदैव	खुर्दा	सीको, खादीपाडर, सात्रावागर, लक्ष्मीनगर
			तदैव	तदैव	गेन्दामलिया, सुमुति, काकरुद्रपुर, मर्यापुर
			मूंगफली	पुरी	डागरपाडा, जगुलियापाडा, जगन्नाथपुर, बरनाना
18.	पंजाब	जालन्धर	सरसों	भटिण्डा एवं फिरोजपुर	सिंगो, दिन्ना, धींगरावाली, पंजकोशी
			सब्जियां	कपूरथला एवं जालंधर	मेवासिंहवाला, फूलेवाला, कांगड़ा, ऊगी
			चना	फिरोजपुर एवं भटिण्डा	पथराला, पक्काकलां, गिदरांवाली, रायसर
19.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	सरसों	श्रीगंगानगर	फूसेवाला, कामीनपारा, गुब्बेवाला, 20-एफ
			तदैव	तदैव	मनफूलसिंहवाला, जोगीवाला, पन्नीवाला लोड्वाला
			चना	हनुमाननगर	खुमचक, 29 एम०ओ०डी० 1 डी०वी०एन० भगवानगढ़
20.	सिक्किम	गंगटोक	सब्जियां	दक्षिण	सिमखले, यानस्यांग, सिंगालिंग, भूरिया खाप
21.	तमिलनाडु	तिरूचि	सब्जियां	तिरूचि	अरियामंगलम, ई-पुलियूर, कीजाकुन्नूपट्टी ई-पाथापट्टी
22.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	सरसों	गोरखपुर	जंगटोनकीन, एकलानाज, एल० गुलारिया, जंगल औराही
			तदैव	तदैव	छतरी, सनुआभार, बाडपुर, बसिय्याखोर
			सब्जियां	तदैव	बरेरा सिया, ककरा खोल, सवाई बाजार, मामापार
		लखनऊ	सब्जियां	लखनऊ	पुरवा गूजर, किशनपुर, पालपुर, कुन्दापार
			सरसों	तदैव	अनोरा कलोन, खिसरावा, कमालपुर, देवरी रूखुरा
			चना	जालन	सूताखोना, खेडी, घुमेडी, बस्ती
23.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	सब्जियां	मिदनापुर	कोन्नागर, खुकरन्धा, बंका, गोविन्दनगर
				हुगली	मिर्जापुर, शिबाइचण्डी, गोपीनाथपुर किंकरबती
			चावल	बर्दमान	मोहनपुर, सदर कुमुन, गनया दरियापुर, कलानबाग्राम

[हिन्दी]

राज्यों को राजसहायता

3732. श्री महेश्वर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लोइंग वाटर यूनिटों की स्थापना करने के लिए राज्यों को दी जा रही राजसहायता को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और केन्द्रीय प्रायोजित ''डेवलेपमेंट आफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर'' योजना के तहत तालाबों के निर्माण संबंधी योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो निर्णय किस तारीख को लिया गया और इसके तहत राजसहायता में कितनी वृद्धि की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की 24.6.2000 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ताजा जलकृषि विकास योजना में संशोधन किया गया है। 2000-2001 के वित्तीय वर्ष से अनुमोदित घटकों पर राजसहायता 50:50 आधार की पूर्व पद्धति के बजाय भारत सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के बीच 75:25 आधार पर वहन की जाती है। समुचित स्क्रीन युक्त इनलेट के साथ लाभार्थियों की अपनी भूमि में नए तालाबों तथा टैंकों, दुकान तथा उथले ट्यूबवैलों के निर्माण, तालाबों तथा टैंकों की पुनरूद्धार/नवीनीकरण जैसे विभिन्न आदानों के लिए इकाई लागत और बहते जल में मत्स्य पालन घटक के लिए 100 वर्ग मीटर की एक इकाई के लिए 20,000/- रुपए की राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है। उपर्युक्त लागत में आदानों के लिए 4,000/- रुपए शामिल हैं। यह राजसहायता अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर जिनके लिए यह 5,000/-रुपए/यूनिट (25 प्रतिशत) है, सभी किसानों के 4,000/- रुपए/इकाई की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से उपलब्ध करायी जाती है। अनुदान की स्वीकार्यता के संबंध में प्रत्येक कृषक के लिए अधिकतम सीमा 3 इकाई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मत्स्यन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना

3733. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में मत्स्यन और मछुआरों के विकास हेतु क्रियान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश में मात्स्यिकी एवं मछुआरों के विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं :-

(1) 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों को आपूर्तित एच एस डी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति;

(2) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण; और

(3) वनकवाड़ा एवं घोगला में दो मछली उतारने के केन्द्रों का निर्माण।

(ख) उपरोक्त (1) योजना के तहत प्रतिवर्ष 20 मीटर से छोटे लगभग 140 मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों को लाभ पहुंचाया जाता है। इसके अलावा, उक्त (2) योजना के तहत मछुआरों के लिए 150 घरों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु एम०एन०सी० को लाइसेंस

3734. श्री तिरुनावकरसू :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रों के आस-पास बढ़ते प्रदूषण के कारण लगभग एक करोड़ मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि वह अच्छी गुणवत्ता वाली मछली पकड़ने में समर्थ नहीं हैं और इससे वे बर्बादी के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से उन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को डीजल ट्रालर्स के लाइसेंस प्रदान किए हैं;

(घ) यदि हां, तो गरीब मछुआरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है कि समुद्र में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण एक करोड़ मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं तथा अच्छे किस्म की मछली पकड़ने में कमी आई है। मछुआरों की मत्स्यन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से, इस योजना स्कीम के अंतर्गत परम्परागत यान के मोटरीकरण, उच्च स्पीड डीजल आयल पर उत्पाद शुल्क में छूट, मत्स्यन यान के लिए लैंडिंग तथा बर्थिंग सुविधाओ के प्रावधान आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) जी, नहीं। गहरे समुद्र में मत्स्यन नीति, 1991 के अंतर्गत गहरे समुद्री मत्स्यन यानों को लाने के लिए किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अनुमति नहीं दी गई थी। तथापि, इस नीति को नवम्बर 1996 से रद्द कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल स्टोर डिपो

3735. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 14 मार्च, 2000 एवं 29.11.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 एवं 1592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानांतरणों की आवधिक समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों का समय-समय पर स्थानांतरण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के मेडिकल स्टोर डिपो के अनेक अधिकारी 5 वर्ष से लेकर 19 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर बने हुए हैं;

(ग) क्या प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गई 'स्थानांतरणों की आवधिक समीक्षा' के समय पर इन अधिकारियों को एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहने का पता नहीं लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के मेडिकल स्टोर डिपो में अधिकारी एक ही स्थान पर अधिक समय तक किस तारीख से रह रहे हैं और अधिकतर अधिकारियों को अधिक समय तक रहने देने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो में कार्यरत अधिकारियों, जिन्होंने 5 वर्षों और उससे अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है, का स्थानांतरण प्रशासकीय तात्कालिक आवश्यकताओं के मामलों को छोड़कर चरणबद्ध ढंग से किया जाता है।

(ग) स्थानान्तरणों की आवधिक समीक्षा के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो के निम्नलिखित अधिकारियों का हाल ही में स्थानांतरण किया गया है :-

1. श्री मोहिन्दर सिंह, बुक्रालिया, अवर श्रेणी लिपिक
2. श्री आजाद सिंह, अवर श्रेणी लिपिक
3. श्री रतन सिंह, अवर श्रेणी लिपिक
4. श्री जय भगवान, फार्मासिस्ट
5. श्री चरणजीत सिंह मागो, फार्मासिस्ट
6. श्री धर्मेन्द्र कुमार, अवर श्रेणी लिपिक

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो का कार्य विशेषज्ञता वाली प्रकृतिक का है जैसे दवाइयों, जीवन रक्षक औषधों का प्रापण करना आदि, और इस तरह के कार्य से परिचित व्यक्ति आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तथापि, जैसे ही भंडार संबंधी प्रक्रियाओं के अनुभवी अधिकारी उपलब्ध होते हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो में कार्यरत वर्तमान पदधारी के स्थान पर तैनात कर दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो में अधिकारियों के एक ही स्थान पर ज्यादा समय तक रहने के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	नाम और पदनाम	तैनाती की तिथि
1.	श्रीमती पुष्पा सरनवाला, अवर श्रेणी लिपिक	4.7.88
2.	श्रीमती इन्दिरा कुमार, फार्मासिस्ट	7.5.86
3.	श्री पी. जैलक्सो, उच्च श्रेणी लिपिक	4.5.92
4.	श्री आर.एस. लाकरा, उच्च श्रेणी लिपिक	21.4.93
5.	श्री तारा चंद, अवर श्रेणी लिपिक	25.5.95
6.	श्री एल.डी. रंगा, अवर श्रेणी लिपिक	25.5.95
7.	श्री विनय कुमार, फार्मासिस्ट	20.5.86
8.	श्री लाल चंद यादव, फार्मासिस्ट	1.10.90
9.	श्री नगेन्द्र धवन, फार्मासिस्ट	19.3.93
10.	श्री युग दत्त, फार्मासिस्ट	11.11.93

भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो को मजबूत बनाना

3736. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा पहचान किए गए सर्वाधिक भ्रष्ट 85 राष्ट्रों की सूची में भारत का स्थान 66वां है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो ने रिश्वत के कई मामलों की सूचना दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो को मजबूत बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री,

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, बर्लिन में स्थित गैर-सरकारी संगठन, 'ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल', विभिन्न देशों का भ्रष्टाचार अवबोध सूचकांक जारी करता आ रहा है। उपर्युक्त भ्रष्टाचार अवबोध सूचकांक के अंक, व्यापार में लगे लोगों, जोखिम विश्लेषकों और आम जनता द्वारा देखे जाने वाले भ्रष्टाचार के दरजे के अवबोध के बारे में होते हैं और ये अंक अत्यन्त निष्कलुष के संबंध में 10 अंकों और अत्यन्त भ्रष्ट के संबंध में 0 अंक के बीच होते हैं। 'उपर्युक्त भ्रष्टाचार अवबोध सूचकांक के वर्ष 1998 के अंक', 85 देशों के संबंध में जारी किए गए जिनमें भारत, भ्रष्टाचार अवबोध सूचकांक के 2.9 अंक, लेकर क्रम संख्या 66-68 पर रहा, जिसका अर्थ यह हुआ कि 65 देश भारत से कम भ्रष्ट और 17 देश भारत से अधिक भ्रष्ट माने गए।

सरकार, लोक सेवाओं में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है। इस बारे में सरकार, निगरानी, निवारण तथा दंडात्मक/निवारक कार्रवाई की त्रिसूत्रीय रणनीति अपनाती है। विभिन्न मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अपने-अपने संगठन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उत्तरदायी हैं। यह मानते हुए नागरिक चार्टर लाने और सुविधा केन्द्र स्थापित करने और प्रशासनिक सुधार के उपाय किए जाने आरम्भ कर दिए गए हैं कि निवारक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण पहले लोक प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनके सरलीकरण का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। लोक सेवकों की सेवा शर्तें नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उनके विरुद्ध की जा रही दण्डात्मक कार्रवाई भी एक निवारक के रूप में कार्य करती है। फिर भी, प्रशासन में कदाचार रोकने की दृष्टि से, लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस बारे में बनाई गई नीतियां, बदलते परिवेश के प्रति अधिक प्रभावी और संवदेनशील बनाने की दृष्टि से, समय-समय पर संशोधित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इस बारे में महत्वपूर्ण पहलकदमी के तौर पर, सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दरजा देने की दृष्टि से लोक सभा में केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 को पेश करना और सरकार के काम-काज के संचालन में और अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने की दृष्टि से सूचना का स्वातंत्र्य विधेयक, 2000 पेश करना है।

(ग) से (च) भ्रष्टाचार के मामलों की जांच-पड़ताल की दृष्टि से संबंधित राज्य सरकारों का अपना-अपना भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो है। देश में, विभिन्न राज्यों के भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो द्वारा सूचित परितोषण से संबंधित मामलों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता।

नमक उत्पादन में घाटा

3737. **डा० मन्दा जगन्नाथ** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हाल ही में आए विनाशकारी भूकम्प के कारण नमक उत्पादन को जबरदस्त धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो मात्रात्मक रूप से नमक उत्पादन में कितना घाटा हुआ;

(ग) नमक उद्योग और नमक उत्पादकों को भूकम्प के प्रभाव से उभरने में सहायता के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा भूकम्प के कारण साधारण नमक तथा आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन में हुई क्षति क्रमशः 10 लाख मीटरी टन एवं 4 लाख मीटरी टन आंकी गई है।

(ग) भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त नमक कारखानों को वित्तीय सहायता हेतु नमक आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें भू-तल स्थित ढांचों जैसे जलाशयों, कण्डेन्सरों, क्रिस्टलाइजरों, बांधों आदि को हुए नुकसान के कारण प्रभावित नमक कारखानों को अनुग्रह सहायता एवं पुनर्वास ऋण देने का प्रावधान है। उक्त स्कीम के प्रावधानों के अनुसरण में आवश्यक अनुग्रह सहायता/पुनर्वास ऋण स्वीकृत करने हेतु नमक कारखानों को हुए वास्तविक नुकसान का जायजा लेने के लिए समितियों का गठन किया गया है। सूचनानुसार, गुजरात सरकार ने भी नमक कारखानों को सहायता/राहत तथा क्षतिग्रस्त नमक शोधन कारखानों के लिए एक पैकेज की घोषणा की है।

मूल्य स्थिरीकरण नीति

3738. **श्री राजैया मल्याला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उपज विशेषकर नकदी फसलों के विपणन मूल्य में तीव्र उतार चढ़ाव को रोकने के लिए मूल्य स्थिरीकरण नीति (प्रबंध) तैयार करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे किसानों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है और किसानों को क्या संभावित लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) कृषि जिन्सों के मूल्य में स्थायित्व बनाए रखने के लिए सरकार कृषि मूल्य नीति का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार प्रत्येक

मौसम के लिए प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में निर्णय पिछले कुछ वर्षों मे विकसित विधि का उपयोग करके किया जाता है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा सरकार के मतानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने के बाद विभिन्न कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। जब कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे आ जाती हैं, तब विनिर्दिष्ट शीर्ष अभिकरण मण्डी में प्रवेश करके खरीद की कारंवाई करते हैं। जिन जिन्सों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की जाती है, इसका उद्देश्य भी मूल्यों को स्थिर बनाए रखना है। घरेलू मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए व्यापार को एक साधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है।

उत्तम किस्म वाले बीजों की कमी

3739. डा० वी० सरोजा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तम किस्म वाले बीजों की कमी की जानकारी है; और

(ख) किसानों को उत्तम किस्म वाले बीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) प्रत्येक बुआई मौसम से पूर्व आयोजित क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों में विगत तीन वर्षों के दौरान तथा खरीफ, 2001 के लिए भारत सरकार द्वारा आंकी गई समग्र प्रमाणित/गुणवत्ता बीज आवश्यकता एव उपलब्धता निम्नवत हैं :-

(मात्रा लाख क्विंटल में)

वर्ष	आवश्यकता	उपलब्धता
1998-1999	85.18	104.39
1999-2000	89.79	104.95
2000-2001	93.62	111.01
2001-2002 (खरीफ, 2001)	42.21	53.69

*सरकारी तथा निजी बीज कम्पनियों सहित बीज उत्पादक अभिकरणों द्वारा बीजों का उत्पादन व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं किसानों में उनके वितरण के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा वृहत् प्रबंध स्कीम के तहत राज्यों को धनराशि प्रदान की जाती है।

औषधीय पौध का उगाया जाना

3740. श्री गंता श्रीनिवास राव :
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य :
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषधीय और ऐरोमेटिक पौध के विकास हेतु कोई केन्द्रीय योजना कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या सरकार को इस प्रयोजन के लिए डा० यशवंत सिंह परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना में आदिवासी भाग ले रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस उद्देश्य के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। चिकित्सकीय एवं सुगंधित पौधों के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों को निर्गत धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस विश्वविद्यालय की नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त 27.10 लाख रुपये ब्यौरा निम्नवत् है :-

वर्ष	धनराशि (लाख रुपये)
1997-1998	4.10
1998-1999	10.70
2000-2001	9.05
2000-2001	3.25

(ङ) और (च) जी, हां। प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन भू खण्ड बनाने के लिए 0.05 हेक्टेयर भू खण्ड हेतु 1500 रुपये की दर से सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, क्षेत्र विस्तार के लिए अधिकतम चार लाभानुभोगियों को अधिकतम 12,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत की 25 प्रतिशत सहायता दी जाती है। यह सहायता जनजातीय किसानों सहित सभी किसानों को उपलब्ध है।

विवरण-I

चिकित्सीय एवं सुगंधित पौधे स्कीम के अंतर्गत संस्थानों को निर्गत धनराशि

(लाख रुपये)

क्र० सं०	संस्थान का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	एन०जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2.48	2.99	3.20
2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	1.28	1.00	2.85
3.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार	0.00	1.63	2.50
4.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आणन्द, गुजरात	0.00	5.43	4.25
5.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा	2.48	3.43	4.60
6.	आई०एस० परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश	4.10	10.70	9.05
7.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	4.10	8.15	8.35
8.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर, केरल	4.45	10.70	9.05
9.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	2.48	6.53	6.00
10.	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी, महाराष्ट्र	2.48	6.88	6.35
11.	उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2.48	1.18	3.20
12.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	0.00	3.58	2.85
13.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	2.48	2.08	3.20
14.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	2.48	2.00	3.90
15.	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	0.00	2.00	4.85
16.	विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, नादिया, पश्चिम बंगाल	0.81	4.33	2.85
17.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	0.93	1.28	4.95
18.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	0.93	1.28	4.25
19.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशला, जम्मू	0.93	1.28	4.25
20.	राष्ट्रीय चिकित्सकीय एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान केन्द्र, आणन्द	0.00	0.40	1.55
21.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	0.00	0.00	1.40
22.	जी०बी० पन्त हिमालय पर्यावरण संस्थान, अलमोड़ा, उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.80
23.	मसाला निदेशालय, कालीकट	2.00	2.65	2.00
	कुल	36.89	79.50	96.25

विवरण-II

चिकित्सकीय एवं सुगंधित पौधे स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्गत धनराशि

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	0.30	7.50	4.75
2.	असम	1.05	4.50	4.75
3.	बिहार	0.00	0.75	1.25
4.	गुजरात	1.05	4.50	4.75
5.	हरियाणा	0.75	2.25	3.25
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	1.50	2.00
7.	कर्नाटक	1.15	7.00	9.50
8.	केरल	1.31	8.22	9.50
9.	मध्य प्रदेश	1.05	4.28	6.50
10.	महाराष्ट्र	1.05	6.50	8.00
11.	उड़ीसा	0.00	1.00	5.50
12.	पंजाब	0.00	4.50	5.00
13.	राजस्थान	1.31	7.50	8.00
14.	तमिलनाडु	2.29	5.91	9.50
15.	उत्तर प्रदेश	0.00	1.00	7.00
16.	पश्चिम बंगाल	0.00	3.00	2.75
	कुल	11.31	69.91	92.00

मलेरिया-रोधी कार्यक्रम

3741. श्री विनय कुमार सोराके : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के लिए अब भी मलेरिया रोधी डाइक्लोरो-डाइफिनाइल-ट्राइक्लोरो-इथेन (डी.डी.टी.) का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मलेरिया-रोधी आपरेशनों में डीडीटी के स्थान पर अन्य नुस्खों का कितना प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या विश्व स्तर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि डीडीटी का उपयोग मलेरिया-रोधी छिड़काव के रूप में किया जाए तो इससे मानव जाति के स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और मलेरिया-रोधी आपरेशनों के लिए अभी कोई रास्ता और प्रभावी विकल्प नहीं है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। वेक्टर सुग्राहिता पर निर्भर करते हुए मलेरिया-रोधी अभियान के तहत वेक्टर नियंत्रण हेतु डीडीटी के अतिरिक्त, मेलाथिऑन 25 प्रतिशत डब्ल्यू पी और सिंथेटिक पायरेथ्रायडों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) "मलेरिया तथा अन्य मच्छर जनित रोगों का वेक्टर नियंत्रण" पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्ययन दल (1995) और मलेरिया पर विशेषज्ञ समिति (1998) ने वेक्टर नियंत्रण हेतु घरों के अंदर (भीतरी) अपशिष्ट छिड़काव में डीडीटी के प्रयोग की संस्तुति की है।

उड़ीसा में महाचक्रवात संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

3742. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आए महाचक्रवात के बाद आपदा प्रबंधन संबंधी व्यापक दृष्टिकोण तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट कब सौंपी गई है; और

(ग) इसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) आपदा प्रबंध योजनाओं से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन अगस्त, 1999 में किया गया, जिसके विचारार्थ विषय निम्नवत् थे :-

(i) औद्योगिकी, नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक आपदाओं सहित प्राकृतिक एवं मानव सृजित आपदाओं संबंधी तैयारी तथा शमन से संबंधित विद्यमान प्रबंध व्यवस्था की समीक्षा करना।

(ii) संगठनात्मक ढांचे के सुदृढ़ीकरण संबंधी उपायों की सिफारिश करना।

(iii) इन आपदाओं के राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर प्रबंध हेतु एक व्यापक आदर्श योजना की सिफारिश करना।

समिति ने दो अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिनमें आदर्श राज्य आपदा प्रबंध अधिनियम अपनाने, जिला आपदा प्रबंध योजना हेतु स्रोत

पुस्तक, संस्थानों का नेटवर्क बनाने, मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय कोष की स्थापना आदि की सिफारिशें की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

(इस समय सरदार बूटा सिंह, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : **श्री अरुण शौरी** सभा-पटल पर पत्र रखें।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री अरुण शौरी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3468/2001]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 7 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचवना संख्या सा०का०नि० 165(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3469/2001]

(2) (एक) भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3470/2001]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3471/2000]

(6) (एक) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडीसिन, नई दिल्ली

के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3472/2001]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मैंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मैंगलौर के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3473/2001]

(ख) (एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपुर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3474/2001]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपुर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3475/2001]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3476/2001]

(5) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कलकता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कलकता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपुर्यक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3477/2001]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपुर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3478/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं ''लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही'' संबंधी लोक लेखा समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की गई अनुवर्ती कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.2½ बजे

विशेषाधिकार समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.2¾ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'सेन्टर फार डेवेलपमेंट आफ टैलीमैटिक्स (सी-डॉट) के कार्यकरण के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.3¼ बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा) : अध्यक्ष महोदय, मैं ''डिपार्टमेंट आफ लाईटहाउसिस एण्ड लाइटशिप के कार्यकरण'' के संबंध परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.3½ बजे

याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कार्गो हैंडलिंग वर्करों के आकस्मिक नियोजन की पूर्ण समाप्ति करने तथा उन्हें कर्मचारियों का दर्जा दिये जाने के बारे में उत्कल पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन, पारादीप पोर्ट, उड़ीसा के सर्वश्री आदिकंदा मोहन्ती, उपाध्यक्ष तथा घनश्याम मोहन्ती, सहायक महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं टिहरी बांध परियोजना के कार्य को रोकने तथा गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए टी०एच०डी०सी० योजना में संशोधन करने के बारे में हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) के सर्वश्री जीवेश्वर मिश्र तथा गणेश मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, मैं महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 'कोली' जाति को शामिल करने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य श्री अनन्त तारे द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

वर्ष 2001 के मौसम हेतु खोपरा के लिए मूल्य नीति

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री नीतिश कुमार की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-

भारत सरकार ने 2001 मौसम के लिए मिलिंग खोपरा की अच्छी औसत किस्म हेतु 3300/-रुपए प्रति क्विंटल तथा बाल खोपरा की अच्छी औसत किस्म के एिए 3550 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं। इस प्रकार 2001 मौसम के दौरान गत मौसम के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तुलना में मिलिंग तथा बाल खोपरा दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से खोपरा उत्पादकों को इसमें अधिक धन लगाने पर प्रोत्साहन मिलने की प्रत्याशा है तथा इससे खोपरा की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि होगी।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) खोपरा के लिए समर्थन कार्यों को करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्यसूची में सम्मिलित नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने गए।

अपराह्न 12.4½ बजे

नियम 377 के अधीन ममाले*

(एक) कर्नाटक राज्य में नारियल की फसल को प्रभावित करने वाले "एरियोफायड" नामक कीट को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा (दावणगेरे) : कर्नाटक राज्य में नारियल एक महत्वपूर्ण कृषि फसल है। नारियल 4.95 लाख हैक्टेयर भूमि पर लगाया जाता है जिससे 344 करोड़ नारियालों का सालाना उत्पादन होता है। हाल ही के सालों में, एरियोफिड कीट तबाही का कारण बना है और अनुमानत: 78 लाख से अधिक पाम सहित 52600 हैक्टेयर भूमि इससे प्रभावित हुई है। अत: इस कीट पर नियंत्रण पाने के लिए उच्च स्तर पर उपाय करने की आवश्यकता है। इस कीट पर नियंत्रण पाने के लिए वर्ष 2000 के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से 37.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की गई थी। पांच सालों के दौरान परियोजना पर 336.47 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। कर्नाटक सरकार द्वारा कई अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और यह मामला अभी भी लंबित है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नारियल उत्पादकों की सहायता के लिए कृपया इस परियोजना को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

(दो) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : मैं सदन का ध्यान दिल्ली अहमदाबाद स्वर्ण जयन्ती राजधानी के रेल सेवा के बारे में दिलाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनामकांठा में लोगों ने इस रेल सेवा को दिल्ली से अहमदाबाद शुक्रवार एवं अहमदाबाद से दिल्ली रविवार को चलाने की मांग की है क्योंकि इन दोनों दिनों में उक्त रेल सेवा की अत्यंत मांग होती है साथ ही साथ इस रेल सेवा का पालनपुर में स्टापेज बनाया जाये। दूसरी मांग है कि ओखा से देहरादून चलने वाली रेल सेवा में मेरे संसदीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के तीर्थयात्री हरिद्वार जाते हैं। इस ट्रेन का स्टापेज पालनपुर न होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को हरिद्वार जाने में दिक्कत होती है। अगर मेरे क्षेत्र में दो मिनट का स्टापेज बना दिया जाये तो लोगों की तीर्थ करने में सुविधा होगी। इस रेल सेवा को दो निंमट तक रोका जा सकता है क्योंकि यह पालनपुर अपने निर्धारित समय पर 15 मिनट पहले पहुंच जाती है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहुंगा कि इस राजधानी की सेवा लोगों की मांग के अनुरूप बदल जाए और ओखा देहरादून रेल सेवा का स्टापेज पालनपुर दो मिनट रखा जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश में जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : उत्तर प्रदेश की जाफराबाद-लखनऊ रेल लाइन पर जौनपुर सिटी स्टेशन पर वहां की जनता काफी समय से कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण की मांग करती आ रही है और कई बार यह विषय सदन में उठा भी है।

उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा जनपद है और यहां के अधिकांश निवासी, मुम्बई, कोलकाता अपनी रोजी-रोटी के लिए आते-जाते हैं और उन्हें रेल आरक्षण के लिए वाराणसी और इलाहाबाद जाना पड़ता है।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसी बजट में जौनपुर सिटी स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की स्थापना करने की व्यवस्था करें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(चार) राजस्थान के करोली जिले में रहूघाट पन बिजली परियोजना का कार्य आरम्भ किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : विद्युत के क्षेत्र में निजी भागेदारी को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से देश में 57 निजी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 29375 मेगावाट है। जिनमें से राजस्थान की मात्र कुछ परियोजनाएं हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता मात्र 1302 मेगावाट ही है। माननीय अध्यक्ष जी मैं राजस्थान के चम्बल नदी पर रहूघाट पन बिजली परियोजना करौली के सदंर्भ में निवेदन करना चाहती हूं। रहूघाट पन बिजली परियोजना का सर्वे पूर्ण हो चुका है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरकार के मध्य विचार-विमर्श करके शीघ्रातिशीघ्र रहूघाट पन बिजली परियोजना को प्रारंभ किया जाये। राजस्थान व मध्य प्रदेश में रहूघाट इलाके में बार-बार अकाल पड़ता है और पेयजल संकट है, इस क्षेत्र में बिजली की कमी के कारण लाखों एकड़ भूमि की फसल इस साल बरबाद हो चुकी है। चम्बल नदी का अथाह जल बह कर जमुना में चला जाता है और किसान पानी के लिए तरसते हैं। इस जल को रोकने से लोगों को बिजली, पानी तो मिलेगा ही साथ ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी बचाया जा सकता है।

अत: माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि राजस्थान के करौली जिले की चम्बल नदी पर रहूघाट पन बिजली परियोजना को अतिशीघ्र शुरू करने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(पांच) मुम्बई में रेलवे स्टेशनों पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : रेलवे के नए टिकट-घरों और नए रेल-स्टेशन भवनों के निर्माण का कार्य जल्द से जल्द किए जाने की आवश्यकता है। मध्य रेलवे, मुम्बई में चेम्बूर, गोवंदी, तिलक नगर, घाटकोपार और मुलुंद रेलवे स्टेशनों पर नए टिकट-घर बनाए जाने की आवश्यकता है। रेलवे स्टेशन भवनों और रेलवे स्टेशनों के डिजाइनों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए योजना, कार्यान्वयन और वित्त की उपलब्ध कराए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(छह) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर) : महोदय, देश की ग्रामीण जनता को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से दिनांक 2.10.1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों के 483 जिलों में इनकी 14,475 शाखाएं कार्यरत हैं जिनमें केन्द्र सरकार, कामर्शियल बैंक एवं राज्य सरकारों की क्रमश: 50, 35 एवं 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि कम खातेदारी, नियंत्रित व्यवसाय व क्षेत्र के कारण ये बैंक घाटे में चलने के कारण वित्त मंत्रालय ने दिनांक 09.05.1992 को आल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन के साथ बैठक की तथा दिनांक 28.08.1992 रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने वित्त, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के कुछ अधिकारियों तथा 6 पब्लिक सैक्टर के बैंक एवं चेयरमैन नाबार्ड के साथ मीटिंग कर एकमत से यह पाया कि इन बैंकों को मर्ज करके नेशनल रूरल बैंक आफ इंडिया बनाया जाए। वित्त मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने भी दिनांक 23.12.1993 को इसी आशय की सिफारिश भारत सरकार से की। मेरा आग्रह है कि सरकार इस बारे में तुरंत कदम उठाए और नेशनल रूरल बैंक इंडिया की शीघ्र स्थापना करे।

[अनुवाद]

(सात) पृथक विदर्भ राज्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, विदर्भ क्षेत्र के लोगों की यह लम्बे समय से मांग रही है कि पृथक विदर्भ राज्य का सृजन किया जाए।

भारत संघ में नए राज्य के गठन के प्रावधान के समय से ही यह मांग की जा रही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस मांग पर विचार कर विदर्भ को एक पृथक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति की। आयोग के अनुसार, विदर्भ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक के अतिरिक्त आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ था जो विदर्भ की जनता को पृथक राज्य का अधिकार प्रदान करता है।

यह मांग क्षेत्र की भौगोलिक, प्रशासनिक, राजनैतिक और आर्थिक सुदृढ़ता पर आधारित है। अनेक प्रयासों के बावजूद भी विदर्भ पिछड़ा ही रहा। यहां संचार के उचित साधन नहीं हैं। अपनी शिकायतों के समाधान के लिए वहां के लोगों को 1000 से 1400 किलोमीटर तक का लम्बा सफर तय कर मुम्बई जाना पड़ता है। अब यह समय की मांग बन चुकी है कि यहां के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। पृथक राज्य बनाने की अपनी मांग के समर्थन में सभी वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर 27 नवम्बर, 2000 को संपूर्ण क्षेत्र में बंद रखा।

[हिन्दी]

(आठ) संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : केन्द्र स्तर की कई योजनायें विभिन्न राज्यों के विभिन्न हिस्सों में चल रही हैं और केन्द्र सरकार उस पर केन्द्र स्तर पर धनराशि देती है। इन योजनाओं को कोई कारणों से जरूरतमंद जनता तक नहीं पहुंचाया जा सका है और न ही जनता को इससे कोई विशेष फायदा मिला है और आबंटित राशि को ऐसी जगहों पर खर्च करते हैं जहां उनकी जरूरत कम होती है या नहीं

होती है। कई राज्यों में विधायकों की राय से काम किया जाता है और उनको अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए राज्यों से धन भी मिलता है और उनके सुझाव के आधार पर कार्य किया जाता है जैसे किस गांव में विद्युतीकरण करना है और किन गांव में हैंडपम्प लगाने हैं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में उनकी राय ली जाती है, लेकिन केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में संबंधित सांसदों से राय नहीं ली जाती है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि केन्द्र की योजनाओं में सांसदों की राय उनके संबंधित क्षेत्र के बारे में अवश्य ली जाये जिससे योजनायें जनता तक पहुंचाई जा सकें।

(नौ) बिहार में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : आजादी के समय उत्तरी बिहार में काफी बड़े क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता था तथा पूरे देश की करीब 25 प्रतिशत चीनी का उत्पादन इस क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों द्वारा किया जाता था। अब इन चीनी मिलों की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है। जिससे इस क्षेत्र में न सिर्फ गन्ना किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास भी मृतप्राय है। बिहार राज्य चीनी निगम से संबंधित सभी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, मजदूर खाली बैठे हैं स्थिति इतनी निराशाजनक हो गई है कि ये मिलें न तो मजदूरों को वेतन दे पा रही हैं और न ही किसानों की बकाया राशि का भुगतान कर पा रही हैं। केन्द्र सरकार को इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक पैकेज तत्काल अमल में लाना चाहिए। साथ ही, इन मिलों को तमाम ऐसी सुविधायें प्रदान करनी होगी जो नई चीनी मिलों को अनुमान्य होती है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि इस समस्या का निदान अविलम्ब कराने की कृपा की जाये।

[अनुवाद]

(दस) राजस्थान में लूनी-मूनाबाव रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : मैं सरकार का ध्यान लुनी-मुनाबाओ (297 किलोमीटर) रेल मार्ग के आमान परिवर्तन की ओर दिलाना चाहूंगा। मुनाबाओ, पाकिस्तान की सीमा के बहुत करीब है और देश की सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक रूप से यह बहुत आवश्यक भी है। चार साल पहले इस परियोजना को 240 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के साथ मंजूरी दी गई थी किंतु कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। 1997-98 और 1998-99 के दौरान करीब 40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई किंतु इन दोनों ही सालों में 1 करोड़ रुपये की कम राशि के अतिरिक्त निधि वापिस ले ली गई।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान भी 25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए किंतु 10 करोड़ रुपये वापिस ले लिए गए। यह परियोजना न केवल पश्चिमी राजस्थान के पिछड़े रेगिस्तानी जिलों के विकास के लिए ही बल्कि देश की रक्षा तैयारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

इसलिए, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए 25.40 करोड़ रुपये का आबंटन बहुत कम है और मेरा यह अनुरोध है कि इसे कम से कम 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में गंगा कार्य योजना चरण-दो को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के चार नगरों के लिए दामोदर (गंगा बेसिन) के प्रदूषण को कम करने के लिए एक पृथक योजना बनाई गई थी और वित्तीय मंजूरी दी गई थी। ऐसी योजना में से एक के अंतर्गत दुर्गापुर शहर भी आता है। धुलियां और जियांगज-अज़ीमगंज नगरों के बाद दुर्गापुर को तीसरी वरीयता प्राप्त है।

इस नगर के आर.आर.आर. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 23.8.1996 को हुई बैठक में 167.35 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ स्वीकृत हुए थे।

उपरोक्त योजना की सहायतार्थ यह निर्णय लिया गया कि दुर्गापुर नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर निर्मित किए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में दुर्गापुर के घरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय, शहरी विकास-नगर कार्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 9.12.1997 को हुई बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा की गई और इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

यह गंगा कार्य योजना, द्वितीय चरण (दामोदर कार्य योजना) के संबंध में है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के निदेशों के अनुसार वह अपनी वचनबद्धता का पालन करें।

(बारह) इंग्लैण्ड के वेस्टमिंस्टर बैंक में पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के सप्तम निजाम की जमा धनराशि को वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर बैंक में तत्कालीन हैदराबाद राज्य के सप्तम निजाम के खाते में 20 मिलियन पाऊंड स्टर्लिंग की राशि के लेन-देन पर रोक लगी हुई है। यह राशि तत्कालीन हैदराबाद राज्य की जनता की है। 1945 से 1950 के संकटकालीन समय के दौरान, तत्कालीन हैदराबाद राज्य के लिए मशीनों की खरीद के लिए एक मिलियन पाऊंड स्टर्लिंग

से अधिक की राशि इस बैंक में जमा की गई थी। पचास सालों में यह राशि 20 मिलीयन पाऊंड स्टर्लिंग हो चुकी है। तत्कालीन वित्त मंत्री एवं तत्कालीन एजेन्ट ने इस राशि को गैर-कानूनी रूप से पाकिस्तान को देने का निर्णय ले लिया था। पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत ने इस राशि को स्वीकार किया। सप्तम निज़ाम ने इस षडयंत्र की सूचना पाकर इसे गैर-कानूनी समझकर और तत्कालीन हैदराबाद राज्य के खाते के लेन-देन पर रोक लगाने का निदेश दिया।

महोदय, आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस राशि को वापिस लाने के सभी संभव प्रयास किए जाएं।

[हिन्दी]

(तेरह) उत्तर प्रदेश की तहसील निघासन, खीरी में नेपाल की सीमा से लगी हुई वन-भूमि को अतिक्रमण से बचाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : मेरे संसदीय क्षेत्र खीरी में नेपाल की सीमा से लगी हुई तहसील निघासन में ग्राम सभा रानी नगर बसही तथा बिसेनपुरी से लगी हुई वन विभाग की ग्राम सभा से विवादित 1000 एकड़ भूमि पर नेपाल राष्ट्र के कंचनपुर 'च' गांव तथा 'ग' के निवासियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है तथा सीमा चिन्हों को नष्ट करके खेती की जा रही है। इस कारण से क्षेत्र में टकराव की स्थिति बन रही है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने का काम करें जिससे इस स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके तथा भारतवर्ष के सीमा हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

(चौदह) तूफान पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा) : यह बहुत ही चिंता का मामला है कि उड़ीसा में अक्टूबर, 1999 में आए भयंकर चक्रवात के पीड़ितों को अभी तक उचित प्रकार से पुनर्वासित नहीं किया गया है। चक्रवात से प्रभावित लोगों की दशा अवर्णनीय है। उनके पास घर नहीं हैं वे निवास स्थान के लिए यहां से वहां भटक रहे हैं। इस मामले में न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र समर्थ है। वे धूप और बरसात झेलने के लिए विवश हैं।

उड़ीसा के प्रभावित क्षेत्र, अन्य राज्यों में पहले आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों से अधिक प्रभावित हैं। लगभग 12 जिले तो पूरी तरह से बह गए हैं। अब इन क्षेत्रों में वास्तव में ही कोई विद्यालय और अस्पताल नहीं है।

इन समस्याओं को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि बिना और अधिक विलंब किए केन्द्र सरकार उड़ीसा के पुनर्वास कार्यक्रम पर नज़र रखे और राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करे। स्थिति से निपटने के लिए राज्य को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) बिहार में मानसी और फॉरबिसगंज के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत मानसी से फॉरबिसगंज तक आमान परिवर्तन करने की स्वीकृति 1996 में हुई थी जिसमें प्रथम चरण में मानसी से सहरसा 43 किलोमीटर में निर्माण का कार्य शुरू किया गया लेकिन कार्य के शिथिलता के चलते 20 प्रतिशत भी कार्य नहीं हो सका है। इसके बीच पूल संख्या 44, 45, 47 के निविदा चार बार निकाला गया, लेकिन उसे फाइनल कर कार्य शुरू नहीं कराया जाता है। पूल संख्या 51 का कार्य भी रोक दिया गया है। यह रेल लाइन अत्यंत ही पिछड़े क्षेत्र से गुजरती है। आमान परिवर्तन कार्य पूर्ण नहीं होने से उस क्षेत्र के लोग परेशानी में हैं।

अत: सरकार मानसी से सहरसा आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र पूरा कराकर उस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को भी बड़ी रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध कराये।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा को ठीक तरह काम नहीं करने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृषकों के मामले पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा की जानी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 22 मार्च, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 22 मार्च, 2001/1 चैत्र, 1923(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली- 110033 द्वारा मुद्रित।